राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ५] तृतीय विधान सभा के पंचम् सत्र, १९६४ का ४९ वां दिवस [संख्या ३९

गुरुवार, दिनांक ९ अप्रेल, १९६४

विधान सभा की बैठक म० पू० ८ बज कर २ मिनिट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(स्वायत शासन, चिकित्सा, सिंचाई, राजस्व, गृह, कृषि, पुनर्वास सहायता, खनिज, स्वास्थ्य, नियुक्ति, सामान्य प्रशासन एवं खाद्य-विभाग)

प्रश्न संख्या ९७२

श्री अध्यक्ष : श्रीमती नगेन्द्रबाला।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास।

बीकानेर में हाउस टैक्स

९७३. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) बीकानेर नगरपालिका ने अब तक हाउस टैक्स सम्बन्धी जांच कितने मकानों की की है तथा कितने मकानों पर हाउस टैक्स लगाने का निर्णय लिया है ?

(२) क्या जिन मकानों पर हाउस टैक्स लगाया उनसे आपत्ति मांगी गई थी ?

उप-मंत्री, स्वायत शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) २९,४९० मकानात की जांच की गई है और ९,४९८ मकानों पर हाउस टैक्स लगाने का निर्णय किया गया है।

(२) जी हां।

श्री मुरलीधर व्यास : जितने भी मकानों पर हाउस टैक्स लगाया जा रहा है वहां पर जो प्रारम्भिक नोटिस देना चाहिए वे दे दिये गये हैं क्या ?

श्री दौलतराम सारण : सब कार्यवाही नियमानुसार की गई है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं कह रहा हूं कि नोटिस दे दिये गये हैं क्या ?

श्री दौलतराम सारण : मैं निवेदन कर रहा हूं कि 'जी हां'।

प्रश्न संख्या ६७४

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६७५

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।
(अनुपस्थित)

श्री दयाचन्द सोन।

एक्स-रे की मशीन का उपयोग

६७६. **श्री दयाचन्द सोन** (बारां) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि बारां हास्पिटल में एक्स-रे की मशीन होते हुए भी उसका उपयोग नहीं होता है ?

(२) यदि हां, तो क्या व कब तक उसका उपयोग होगा ?

(३) यह मशीन कब लाई गई व किस की रकम से ली गई ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी हां।

(२) बारां हॉस्पिटल की एक्स-रे मशीन काफी पुरानी है और उसका ट्रान्सफर खराब होने के कारण उसका उपयोग अभी तक नहीं होता है जिसकी मरम्मत करवाने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। ठीक होने पर इसका उपयोग किया जायगा ?

(३) यह मशीन जनवरी सन् १९५६ में संचालक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान, जयपुर द्वारा भेजी गई थी।

श्री दयाचन्द सोन : यह मशीन किस की रकम से ली गई है ? इसके लिए पब्लिक ने चन्दा दिया है, सरकारी रकम से नहीं ली गई है तो पुरानी क्यों ली गई ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह मशीन ४५-४६ में मर्जर से पहले जयपुर स्टेट में खरीदी गई थी। १९५६ तक उसने काम किया, फिर बारां भेजी गई थी।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : यह मशीन किसने खरीदी है; डिपार्टमेंट ने खरीदी है या पब्लिक ने चन्दा किया है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह स्टेट के टाइम में खरीदी गई थी बिफोर मर्जर।

श्री अब्दुलजब्बार : पैसा इसमें किसका लगा है ? The amount has been paid by the State or by the public ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : पैसा किसका लगा है, इसकी जानकारी अभी मेरे पास नहीं है। मेरे पास इतनी ही जानकारी है कि यह

Page No. 3

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

मशीन सन् ४५–४६ में मर्जर से पहले स्टेट के टाइम में खरीदी गई थी।

श्री दयाचन्द सोन : मेरे प्रश्न का सीधा सा मतलब है कि किस की रकम से यह मशीन खरीदी गई है ? किसका पैसा लगा है, यह आपको बताना चाहिए ?

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद) : यह मशीन किसने खरीदी है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : यह मशीन कब ली गई है और किसकी रकम से ली गई है ?

श्री अध्यक्ष : श्री मजलिस खां।

श्री अब्दुलजब्बार : अध्यक्ष महोदय, यह मशीन पुरानी ले आये हैं। पब्लिक ने डोनेट की है। वह खराब है और काम में नहीं आ रही है, तो पब्लिक का दिया हुआ चन्दा बेकार गया।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने कहा कि मर्जर से पहले की है।

श्री अब्दुलजब्बार : किसने खरीदी है यह स्पेसिफिक नही बताया है।

श्री दयाचन्द सोन : मशीन पहले खरीदी और रुपया बाद में इकट्ठा किया गया है क्या ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मैं इसकी जानकारी हासिल करके दे दूंगी।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या आप बता सकती हैं कि मशीन किसने पर्चेज की है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह वही प्रश्न है। प्रिमर्जर टाइम में जयपुर स्टेट के टाइम में खरीदी है। मैं अभी यह बताने की स्थिति में नहीं हूं कि उनके डोनेशन से खरीदी गई है या सरकार ने खरीदी है।

श्री भैरोंसिंह : जयपुर स्टेट में बारां कब से आ गई ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ३ में यह उत्तर मिला था कि १९५९ में संचालक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर द्वारा भेजी गई थी; वह ५९ में भेजी गई थी या ४६ में ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : वह ५९ में गई थी और ४५ से ५९ तक यहां पर काम हो रहा था।

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह : ५९ में की गई थी तो क्या बारां के लोगों से कीमत वसूल की गई है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जी नहीं, यह मेरी जानकारी में नहीं है।

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह : वहां पर चन्दा किया गया था।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : वह जांच करके आपको बाद में बताऊंगी।

श्री भैरोंसिंह : जांच करने की क्या बात है ? आपके डिपार्टमेंट में रेकॉर्ड होगा कि मशीन भेजी गई या नहीं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : अभी मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सूचना लेकर आई हैं वह ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह लेकर आई हैं कि सूचना नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री मजलिस खां।

रूपारेल नदी की नहर

६७७. **श्री मजलिस खां (कामां)** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि रूपारेल नदी की नहर जलालिया की मोरी में सिंचाई विभाग ने एक ५ फीट ऊंचा पत्थर लगा दिया है, जिससे नहर जलालिया में पानी नहीं चढ़ता और इस नहर की कमांड के १८ ग्रामों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता।

(२) यदि हां, तो क्या सरकार नहर जलालिया की मोरी में लगे पत्थर को हटाकर किवाड़ सिस्टम करने का और इस नहर में जहां कहीं आवश्यकता है आगे मोरी लगाकर किसानों की असुविधाओं को दूर करने का विचार रखती है ?

(३) क्या रूपारेल नदी से जितनी भी नहरें निकलती हैं उनमें आवश्यकतानुसार राज्य सरकार नई मोरियां लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या इसका सर्वे कराने के आदेश जारी करेगी ताकि किसान वर्ग सर्वे के समय प्रार्थनापत्र दे सकें और मौका भी सर्वेयर्स को मुलाहिजा करा सकें।

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी):

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) जी हां, यदि आवश्यकता प्रतीत हुई तो विचार किया जा सकता है।

श्री मजलिस खां : क्या इसमें कोई पत्थर नहीं लगा है जो आपने जी नहीं कहा है ?

श्री दिनेशराय डांगी : मुझे कोई जानकारी नहीं कि वहां कोई पत्थर लगा है।

श्री मजलिस खां : यह आप कैसे कह रहे हैं कि जानकारी नहीं है ? तो फिर 'जी नहीं' क्यों कहते हैं ?

श्री दिनेशराय डांगी : पत्थर लगा कि नहीं, इसकी जानकारी नहीं है।

श्री मजलिस खां : पत्थर लगा हुआ है। १८ गांव बिल्कुल सिंचाई से वंचित हो गये हैं। सिंचाई का काम नहीं हो रहा है। पानी रुका हुआ है। १८ गांवों में खेती बेकार हो गई है जहां कि हमेशा सिंचाई होती रही है।

श्री दिनेशराय डांगी : अध्यक्ष महोदय, इस तरह की समस्या नहीं है कि पानी नहीं मिल रहा है। उसके कमाण्ड में जितनी भूमि आती है उसके अनुसार पानी दे दिया गया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंहनगर) : नहर जलियाना के अन्दर पानी चढ़ता है क्या ?

श्री दिनेशराय डांगी : पानी नहीं चढ़ता है तो नहर कैसे चल रही है ?

श्री मजलिस खां : पानी नहीं चढ़ता है इसलिये १८ गांव सिंचाई से वंचित हैं।

श्री दिनेशराय डांगी : जितना कमाण्ड एरिया है उसमें पानी दिया जाता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : जितना कमाण्ड एरिया है क्या उस एरिया में सिंचाई हो रही है ? नहर में क्या उतना पानी चढ़ता है ?

श्री दिनेशराय डांगी : जितना पानी एवेलबल है उतना पानी चढ़ जाता है। जहां पर ज्यादा ऊंची जमीन होती है वहां नहीं चढ़ता है।

श्री अब्दुलजब्बार : जिन खेतों में पानी नहीं पहुँच रहा है और सरकार का ध्यान दिलाया गया इस प्रश्न के द्वारा तो क्या सरकार इस स्थिति में है कि पानी पहुँचाए उन गांवों में ताकि जमीन सेराब हो सके।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

मेडिकल कॉलेज की माईक्रोटोम मशीन

६७८. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के पैथोलोजी विभाग से एक माइक्रोटोम मशीन मोडल ८२० कीमती लगभग ५,०००) रु० गुम होने के सन्देह पर तारीख २१-३-६४ को इस विभाग के दो डॉक्टरों द्वारा प्रिन्सीपल साहब के आदेश पर तलाशी ली गई ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त माइक्रोटोम मशीन पैथोलाजी विभाग में नहीं मिली ?

(३) क्या यह सही है कि डॉक्टर टी० पी० भारद्वाज जो इस विभाग के हैड है वे तलाशी के दिन वहां पर मौजूद नहीं थे और इसलिए प्रिन्सीपल साहब ने उनके कमरे को सील लगवा दी थी ?

(४) क्या यह सही है कि डॉक्टर टी० पी० भारद्वाज के आने पर दो डॉक्टरों की मौजूदगी में डॉक्टर टी० पी० भारद्वाज के कमरे की सील तोड़कर तलाशी ली गई और उसमें भी वह माइक्रोटोम मशीन नहीं थी ?

(५) क्या यह सही है कि वह मशीन डॉक्टर भारद्वाज के घर से मिली और डॉक्टर भारद्वाज ने यह स्वीकार किया कि वह मशीन मरम्मत कराने के लिए बिना पूर्व आज्ञा लिए दिल्ली ले गये थे ?

Page No. 6

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(६) क्या यह सही है कि डॉक्टर टी० पी० भारद्वाज द्वारा यह मशीन विभाग से ले जाते समय किसी रिकार्ड में भी दर्ज नहीं की गई थी ?

(७) क्या यह सही है कि इसी विभाग से पहले एक Microscope गुम हो चुका है जिसका आज तक कोई पता नहीं लगा है ?

(८) डॉक्टर टी० पी० भारद्वाज द्वारा इस प्रकार अनधिकृत रूप से इतनी कीमती मशीन को ले जाने के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

अध्यक्ष महोदय, इसी विषय से संबंधित तीन प्रश्न और हैं ६७८, १०११, १०१३ और इसके साथ साथ एक और स्थगन प्रश्न है ७१७, इन तीनों को साथ साथ ले लें।

उप- मन्त्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा):

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) जी हां।

(५) जी नहीं, पर यह सही है कि डॉक्टर भारद्वाज ने बिना आज्ञा के इस मशीन को मेसर्स सोम उद्योग दिल्ली को ठीक करने को दी थी।

(६) जी हां।

(७) जी हां।

(८) इस संबंध में इन्क्वायरी कराई जा रही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह बतायेंगे क्या कि यह मशीन विभाग से कौनसी तारीख से गायब है ?

श्री अध्यक्ष : तथ्य तो स्वीकार करते हैं कि मशीन बगैर इजाजत के हटाई गई, इसकी जांच हो रही है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह मशीन जिस समय हटाई गई उस समय आउट ऑफ ऑर्डर थी ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बरकतुल्लाखां) : अध्यक्ष महोदय, यह मशीन पहले मिस्त्री के पास भेजी गई रिपेयर करने के लिये। उसके बाद उससे वापिस ले ली गई। उसके बाद डिपार्टमेन्ट में जांच कराई गई तो नारायण मिस्त्री के पास मिली, उसके बाद नारायण मिस्त्री से वापिस ले ली गई। उसके बाद डॉक्टर का कहना है कि मशीन खराब थी इसलिये ठीक कराने के लिये वह उसे दिल्ली ले गया और जो कम्पनी उसकी जानी पहचानी थी उससे मुफ्त उसकी मरम्मत कराई। उस कम्पनी की रसीद उसने पेश की थी। इस दौरान यह प्रश्न उटा कि मशीन गायब कर दी गई है। तो डिपार्टमेंट में इसको सर्च किया गया, आलमारी वगैरह के ताले लगाये

Page No. 7

(श्री बरकतुल्ला खां)

गये। डॉक्टर उस समय बाहर था। जब वह लौटकर आया तो उसने उस कम्पनी की रसीद दिखाई।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि यह मशीन नारायण मिस्त्री को २२-१०-६३ को मरम्मत के लिये दी गई थी और नारायण मिस्त्री ने जनवरी ६४ में मशीन वापिस कर दी लेकिन फिर भी मशीन डाक्टर भारद्वाज ने डिपार्टमेंट को वापिस नहीं की ?

श्री बरकतुल्लाखां : जहां तक जानकारी है वह यह है कि मशीन २२-१०-६३ को नारायण मिस्त्री के यहां दी गई और उसके बाद ३१-१-६४ को यह मशीन नारायण मिस्त्री ने वापिस दे दी थी। मामला इन्क्वायरी में है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उसके बाद यह मशीन कहां रही ? आप यह मानते हैं कि नारायण मिस्त्री ने जनवरी. ६४ में वापिस कर दी थी तो उसके बाद यह कहां रही ?

श्री बरकतुल्लाखां : दिल्ली ले गये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जनवरी में गई, ३१-३-६४ को जांच हुई, डिपार्टमेंट में नहीं मिली तो ३ महीने तक मशीन कहां रही ?

श्री बरकतुल्ला खां : मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि यह मशीन जब नारायण मिस्त्री से वापिस आई तो डाक्टर का यह कहना है कि मशीन ठीक नहीं थी। उसका यह कहना है कि नारायण मिस्त्री से आने के बाद वह उसको दिल्ली ले गया और ठीक करवाई गई। अब यह कहां तक ठीक है, कहां तक गलत है इसकी जांच हो रही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि डाक्टर ने दिल्ली की फर्म का रिपेयर का बिल पेश नहीं किया ?

श्री बरकतुल्लाखां : जी हां, यह सही है लेकिन वहां की रसीद पेश की है जिसमें कहा गया है कि माइक्रोटोम उनके पास रिपेयर के लिये पहुंचा यह भी इन्क्वायरी की जा रही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति साफ है। इन्हीं डाक्टर सहाब के द्वारा इस डिपार्टमेंट का माइक्रोस्कोप पहले भी गुम किया जा चुका है इनके पजेशन से, लेकिन उसका पता नहीं लगा। यह ५ हजार रु० की मशीन है। जो बाहर दे दी जाती है तो कोई रेकॉर्ड डिपार्टमेंट में नहीं है। ऐसे मिस्त्री को रिपेयर के लिये दी जाता है जो एप्रूवड लिस्ट पर नहीं है। मिस्त्री ३ महिनों के बाद बिना रिपेयर किये वापिस कर देता है। डॉक्टर ने नहीं बताया लेकिन मिस्त्री के पास रसीद मिल गई इसलिये ट्रेस हुई। जनवरी में वापिस आई और जनवरी से मार्च तक ३ महीने हो गये लेकिन अब भी उसका पता नहीं है। वह तो आलमारी वगैरह देख ली, पर्स्यू किया गया तब फैक्ट्स सामने आये। क्लीयर फैक्ट्स एस्टाब्लिश होते हैं मशीन रिमूव करने के। जिस तरह से पहले भी माइक्रोस्कोप गुम किया उसी तरह यह मशीन

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

गुम की गई। इस डॉक्टर के खिलाफ पहले भी दो केसेज हैं। डबल रिएम्बर्समेंट का और गलत टी. ए. लेने का। इतने सीरियस चार्जेज़ इसके खिलाफ होते हुए भी सस्पेन्ड नहीं किया जा रहा है ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माइक्रोटोम का कैसे पता चला ?

श्री अध्यक्ष : जांच होने पर पता चला।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, ताज्जुब है ५ हजार की कीमत की मशीन को नारायण मिस्त्री ठीक कर रहा है; क्या वह क्वालिफाइड है या डिप्लोमा होल्डर है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : जितने केसेज़ इस डाक्टर के खिलाफ आये उन सब में प्राइमाफेसी एस्टाब्लिश हो जाता है, फिर भी उनको चार्जशीट देकर सस्पेन्ड क्यों नहीं किया जाता है ? Let him prove.

श्री अध्यक्ष : वे प्रश्न फिर आ रहे हैं।

श्री उदयलाल ।

जंगलात और खेती की जमीन की अदला-बदली

९७९. **श्री उदयलाल वर्दिया** (लसाड़िया): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कुछ वर्षों पहले यह आदेश जिलाधीशों को दिये जा चुके हैं कि जंगलात के एरिया की काबिल काश्त जमीन रेवेन्यू विभाग से और रेवेन्यू विभाग की वे जमीनें जिसमें कीमती वृक्ष हैं, वन विभाग से उप-जिलाधीश एवं डिवीज़न फोरेस्ट ऑफिसर मौका देकर आपस में अदल--बदल कर लें ?

(२) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले में सलूम्बर, वल्लभनगर, लसाड़िया क्षेत्र में उक्त आज्ञा के अन्तर्गत ऐसी जमीनों के बारे में कई व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्रों के आधार पर मौके देखकर कई फैसले किये गये हैं ? यदि हां, तो कितने और नहीं, तो क्यों नहीं ?

(३) क्या सरकार अब भी उपरोक्त सरकारी आदेश को पालना शीघ्र कराने का विचार रखती है ?

उप-मन्त्री, न्याय (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न फोरेस्ट डिपार्टमेंट का है और उनके पास इसका नोटिस गया है, भूल से राजस्व मन्त्री के नाम एन्ट्री हो गई। उनके पास यह प्रश्न गया है, वे अपनी टर्न पर रिप्लाई देंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके पास यह प्रश्न पहुंचा तो आपने फोरेस्टवालों को क्यों नहीं दिया ?

श्री परसराम मदेरणा : फोरेस्ट विभाग के पास गया है। उन्होंने इसे एप्रूव किया है। रिप्लाई हाउस में भेज दी है, टर्न पर उत्तर देंगे।

प्रश्न संख्या ९८०

श्री अध्यक्ष : श्री मनफूलसिंह ।

(श्री अध्यक्ष)

(अनुपस्थित)

श्री जुझारसिंह ।

कोटा जिले में डकैतियां

६८१. **श्री जुझारसिंह** : Will the Home Minister be pleased to reply :-

(1) Is it a fact that on 6.11.63 a serious dacoity took place in the Jurisdiction of Police Station Kharhal, District Morena (M.P.) situated on the border of Kishanganj and Mangrol Tehsils of District Kota by Devi Singh's gang ?

(2) Is it a fact that a more serious dacoity was committed by the same gang in village Siswali and Raithal on 14.11.63 ?

(3) Is it a fact that the gang had entered Rajasthan territory on or about the 11th November, 1963 and no action was taken by the police against this gang ?

(4) What action the Government propose to take against the officers responsible for this negligence of duty and responsibility ?

उप-मन्त्री. गृह (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) इस गैंग ने राजस्थान की सीमा में दिनांक ११ नवम्बर, १९६३ को या उसके लगभग अवश्य प्रवेश किया था, लेकिन उसकी सूचना पुलिस को नहीं हो पाई। यह सूचना ग्राम सीसवाली व रायथल में डकेतियां होने के पश्चात् इन डकेतियों से सम्बन्धित गिरफ्तार शुदा डकैत से पूछताछ करने पर ही पहले पहले मिली। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) इसका उत्तर ऊपर भाग (३) में दिया जा चुका है।

श्री जुझारसिंह : आपने आइटम नं० १ के जवाब में फरमाया कि ६ तारीख को मध्य प्रदेश इलाके में बोर्डर से लगे हुए एक विलेज में डकैती हुई और उसके बाद ये डाकू इस बोर्डर एरिया में ४-५ डकैती पहले भी कर चुके हैं राजस्थान की हद में; उसके बाद में आपने क्या प्रिकॉशन्स लिये ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : १.११.६३ को मध्यप्रदेश में डकैती हुई, उसकी सूचना हमारी पुलिस को नहीं मिली। किंतु इस बीच में जो इन्तजाम हमारा था एन्टी डकैती या डकैती प्रिवेन्शन के सम्बन्ध में, हमारे सिपाही बराबर उन जंगलों में फिरते रहे और इस बात पर सजग रहे कि यह इलाका जो खतरनाक है यहां कहीं डाकुओं से मुठभेड़ हो सकती है। इस सजगता में डकैतों ने अपना भेष बदल कर घने जंगलों में इधर-उधर फिरना आरम्भ किया, यह सम्भव था। यह भी सम्भव है कि भेष बदलने वाले डकैतों पर पुलिस की निगाह नहीं पड़ी हो।

Page No. 10

श्री जुझारसिंह : आपके जवाब में कॉंट्राडिक्शन है । आपने फरमाया कि ६ तारीख को मध्य प्रदेश में डकैती हुई और उसके बाद आप सजग हुए । आपकी सजगता ऐसी थी कि ११ तारीख को डकैत राजस्थान में प्रवेश कर गये और १५ तारीख को आपके इलाके में डकैती हुई और ५ दिन की सजगता के बाद भी पता नहीं लगा सके। डकैत ५ दिन यहां रह गये और आपको पता नहीं लगा । यह कॉंट्राडिक्शन आपके जवाब में है ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह कॉंट्राडिक्शन नहीं है । डकैती मध्यप्रदेश में हुई, उसकी खबर नहीं है, यदि खबर होती तो उस हिसाब से सजग होते । पर खबर न होते हुए भी सजगता थी । जब डकैत घने जंगलों में फिर रहे थे उस वक्त जानकारी नहीं मिली। सादे लिवास में इधर-उधर फिर रहे थे-इस लिये डिटेक्शन नहीं हो सका । कॉंट्राडिक्शन नहीं है । सादे वेष में इधर-उधर घूमने वालों पर, इधर-उधर बिखरे हुओं पर पुलिस की निगाह नहीं पड़ी ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों का ग्रेड फिक्सेशन

६८२. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की, कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि भूतपूर्व सेटलमेंट के अमीन व कर्मचारी क्रमशः ४०-२-६२-३-८०-५-१०० तथा ४०-१-५०-२-६० की ग्रेड में नियुक्त किये हुए थे ?

(२) क्या यह सही है कि नई ग्रेड फिक्स-अप करते समय ४०-१०० की ग्रेड का फिक्सेशन नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-मन्त्री, न्याय (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी हां ।

(२) जी हां । क्योंकि राजस्थान सिविल सर्विसेज़ यूनीफाइड पे स्केल नियम की धारा ३ (ग) के अन्तर्गत नई पे स्केल स्वीकार करने अथवा पुराना ग्रेड रखने की व्यवस्था है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने इसके लिये जांच करने के लिये १९६१ में कोई कमेटी नियुक्त की थी कि ग्रेडों में कमी क्यों की गई ?

श्री परसराम मदेरणा : कमेटी का मुझे मालूम नहीं, लेकिन जिस सेक्शन का हवाला दिया उसके अनुसार उनको ऑप्शन था कि वे चाहे पुराना ग्रेड रखें या नया ग्रेड ओप्ट करें । उन्होंने ओप्शन नहीं किया इसलिये उनके वही ग्रेड रहे जो पुराने थे ।

श्री भैरोंसिंह : पुराने ग्रेड ज्यादा थे और नये कम । नये ग्रेड के अनुसार उनको कम मिलने लगा ।

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : इसमें अन्तर यह पड़ता है कि फोर्मर राजस्थान के ग्रेड ही ज्यादा थे, बाकी सब जगह ज्यादा नहीं थे; कम थे । इसलिये यह कहना

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

कि सब जगह ग्रेड कम कर दिये, ऐसी बात नहीं है। आम तौर से राजस्थान बनने के बाद में यूनिफाइड पे स्केल में उनको कहा कि अगर वे चाहें तो पुराने ग्रेड रख सकते है और चाहें तो नये ग्रेड ओप्ट कर सकते हैं। जो लोग पहले बेटर ग्रेड में थे उन्होंने नये ग्रेड ओप्ट नहीं किये और जो बेटर ग्रेड में नहीं थे उन्होंने नये ग्रेड ओप्ट किये।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जितना वेतन किसी भी कर्मचारी को पहले मिलता उससे कम किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता है, तो यह कम क्यों किया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह कम नहीं किया गया। उनको ओप्शन करने का अधिकार था और उन्होंने ओप्शन किया है और नये ग्रेड के अनुसार उनको वेतन मिलता है।

श्री भैरोंसिंह : यह उनके ओप्शन पर क्यों छोड़ा, जिसके अन्दर उनका वेतन कम होता था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कम वेतन होने का प्रश्न नहीं रहैं जाता है। दो ग्रेड, नये और पुराने, में जिस ग्रेड में ओप्शन करना चाहें कर सकता है। उन्होंने जिसमें चाहा ओप्शन किया।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या यह सही है कि इसी प्रकार का काम करने वाले कन्सोलिडेशन विभाग में काम करने वाले सर्वेयर और अमीनों के ग्रेड बराबर थे लेकिन ये रिवाइज़्ड ग्रेड जो नये बने उनमें इन दोनों के ग्रेड में अन्तर कर दिया।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

ग्राम पारा (केकड़ी) में बांध की केनाल के लिये टेन्डर

श्री चौथमल वर्मा (भिनाय) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

१. पारा ग्राम तहसील केकड़ी, जिला अजमेर में बने बांध की केनाल न० १ व २ को बनाने के लिये टेन्डर कब मांगे गये व उनके बनाने का क्या स्तर रखा गया था ?

२. क्या यह सही है कि केनाल न० १ व २ की दीवारें मिट्टी के ढेलों से जोड़ी जा रही है ?

३. क्या यह भी सही है कि उक्त केनाल की पक्की दीवारें भी टेन्डर के अनुसार नहीं बन रही हैं।

४. अगर हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करवायेगी ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : १. तारीख ५-१०-६१ को। नहरों की पालें मिट्टी की बननी थीं।

२. जी नहीं। पालें मिट्टी ढेलों से नहीं बल्कि तह में डाली जाकर मिट्टी की बननी थीं।

(श्री दिनेशराम डांगी)

३. जी नहीं । टेन्डर में पक्की दीवार बनाने का कोई प्रावधान नहीं था ।

४. प्रश्न नहीं उठता ।

श्री चौथमल वर्मा : क्या यह सही है कि काम चल रहा है, उस पर मिट्टी डाली जा रही है, वह ढेलों से दीवारें बनाई जा रही हैं । अगर इस तरह से काम होगा तो आपको इससे ५० हजार रुपये का नुकसान होगा क्योंकि ढेलों की दीवार बांध की बनाई जा रही है उससे पानी रुक नहीं सकेगा, इसलिये पक्का काम कराया जाना चाहिये और जो सीमेन्ट जो दूसरे काम में ली जा रही है वह भी जिस स्ट्रेन्थ की होनी चाहिये नहीं लगाई जा रही है ।

श्री अध्यक्ष : रेत के ढेले डालने से दीवार कमजोर रहेगी और हजारों रुपयों का राज्य को नुकसान होगा और सीमेन्ट जो दूसरे काम में ली जा रही है वह उस स्टेन्थ की नहीं है जितनी होनी चाहिये ।

श्री दिनेशराय डांगी: अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नहीं है । ढेलों से कोई दीवार नहीं बनती है । टेन्डर में पक्की सीमेन्ट के काम का प्रावधान नहीं है । ढेले तो वहां पर पड़े रहते हैं और मिट्टी प्रेस करके डाली जाती है । जो मिट्टी पड़ी रहती है वह ढेलों के रूप में दिखती है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : यह गलत बात है कि ढेले दीवारों में रखे जावें । जिस समय पानी आता है तो ढेले बिखर जाते हैं और केविटीज़ रह जाती है । इससे वह बिल्कुल ठीक नहीं बन सकता । यह जो कहा जाता है वह बिल्कुल गलत कहा जाता है । कम्प्रेसिंग होना चाहिये ।

एक माननीय सदस्य : टेक्निकल बात आप जानते हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : टेक्निकल बात मैं जानता हूं; इसलिये कहता हूं कि माननीय मन्त्री यह गलत कहते हैं ।

श्री चौथमल वर्मा : जहां ५० हजार रुपया खर्च हो रहा है । वह मिट्टी ढेलों के रूप में डाली जा रही है, इससे वह बांध स्ट्रोंग नहीं रहता है ।

श्री अध्यक्ष : आप इसकी फिर जांच करवा लीजिये ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कोन्ट्रेक्टर आम तौर से ढेले डाल देते हैं और प्रोपर कम्प्रेस करें तो उनको ज्यादा खर्चा होता है । इसलिये इसके लिये सरकार को ध्यान रखना चाहिये ।

श्री दिनेशराय डांगी: अध्यक्ष महोदय, यह काम कोन्ट्रेक्टरों से कोन्ट्रेक्ट के अनुसार कराया जा रहा है और वे उसी के अनुसार काम कर रहे हैं । फिर भी अगर कुछ हो तो जैसा आपने फरमाया जांच कर लेंगे ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

जोधपुर में बीज हेतु ऋण

श्री चन्द्रसिंह वर्मा (बिलाड़ा) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(श्री चन्द्रसिंह बर्फा)

१. जोधपुर खण्ड में कृषि विभाग द्वारा रबी सं० २०२० की फसल के बीज हेतु कितनी कितनी राशि किस किस पंचायत समिति में दी गई और किस किस तारीख को ?

२. क्या यह सही है कि पंचायत समिति बिलाड़ा में ऐसा ऋण माह दिसम्बर, ६३ और जनवरी ६४ में दिया गया जब कि फसल करीब करीब पकने को थी ?

३. यदि हां, तो ऐसी अनियमितताओं के लिए कौन जिम्मेवार है तथा सरकार ने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की है ?

उप मन्त्री, कृषि (श्री भीमसिंह): निम्नलिखित पंचायतों को रबी २०२० में धनराशि दी गई थी :

पंचायत समिति	धनराशि मन्जूर करनेकी तारीख	धनराशि दीगई
बिलाड़ा	४.५.६३	३६,०००)
ओसिया	,,	४०,०००)
फलोदी	,,	११,०००)
	योग	८७,०००)

२. माह दिसम्बर में १०,०००) रु० का ऋण खरीफ का बीज खरीदने के लिए दिया गया था ।

३. चूंकि धन-राशि खरीफ बीज की खरीद के लिये दी गई थी, अतः अनियमितता का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा : क्या यह सही है कि जो रबी की फसल के लिये बीज दिया था वह खरीफ में काम में आ सकता है ?

श्री भीमसिंह : कतई नहीं आ सकता ।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा : तो आपने पहले प्रश्न का उत्तर दिया कि इतना इतना रुपया खरीद के लिये दिया गया और माह दिसम्बर में आपने १० हजार की धन-राशि दी गई जैसा कहते हैं कि खरीफ के लिये दिया वह रबी का ही था।

श्री भीमसिंह : आपकी समझ में यह रबी का है, लेकिन माह अप्रैल में कटती है वह बीज होगा तो अगले साल में काम में आता है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ६८५

श्री मोहनराज ।

(अनुपस्थित)

नेक्स्ट ।

अकालग्रस्त गांव

श्री रावतराम (सादूलपुर) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

१. क्या यह सही है कि गत दिसम्बर १९६३ में हुई जिला परिषद चुरू की बैठक में जिलाधीश महोदय को सम्बन्धित प्रधानों एवं विधान सभाई सदस्यों ने तहसील वाइज

(श्री रावतराम)

कुछ इस तरह के गांवों की एक सूची प्रस्तुत की थी जिनमें अकाल होते हुए भी सम्बन्धित कर्मचारियों ने उन गांवों में अच्छी फसल बता कर उन्हें जमाने के गांवों में शुमार कर दिया ? यदि हां, तो जो सूची जिलाधीश महोदय को दी गई थी उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

२. क्या यह सही है कि उक्त बैठक में राजस्थान सरकार की उप-मन्त्रिणी, अकाल सहायता ने भी भाग लिया था और जिलाधीश तथा उप-मन्त्रिणी दोनों ने ही जिला परिषद के सदस्यों को यह आश्वासन दिया था कि सम्बन्धित गांवों के सम्बन्ध में शीघ्रातिशीघ्र जांच करवा कर शीघ्र फैसला किया जावेगा ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा।

३. उक्त गांवों के सम्बन्ध में किन किन अधिकारियों ने कौन कौन सी तारीखों में किन किन गांवों में पहुंचकर जांच की और इस दर्म्यान में गांवों के किन किन मुखिया लोगों से वे मिले और यह किस प्रकार पता लगाया कि आया इन गांवों में खरीफ की फसल कैसी हुई ? पूरे विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

४. क्या सरकार तत्सम्बन्धी मामले की पूरी छान-बीन करने के लिए जिला स्तर की एक कमेटी बनाने के लिये तैयार है जिसमें सम्बन्धित विधान सभाई सदस्य एवं प्रमुख जिला परिषद भी शामिल किया जाय और वे तत्सम्बन्धी जांच रिपोर्ट सरकार को शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें ताकि उस पर सरकार निर्णय ले सके ?

उप-मन्त्री सहायता (श्री परसराम मदेरणा) : १. जी हां, जिला परिषद एवं जिला राहत कमेटी की दिनांक ६–१२–६३ की बैठक में प्रधानों ने ८८ गांवों में नुकसान ८ आने से अधिक बतलाया था, लेकिन बाद में प्रधानों ने १५४ गांवों की लिखित सूचियां जिलाधीशों को पेश की। वांछित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

२. जी हां, प्रधानों के द्वारा जो बाद में १५४ गांवों की सूची लिखित प्रस्तुत की गई, उसमें से ५८ गांव तो राज्य सरकार ने दिनांक १६–१२–६३ को ही अभाव ग्रस्त घोषित कर दिये थे तथा शेष ९६ गांवों की जांच करने के लिये डिविजनल अधिकारियों को ये सूचियां भेजी गई और आदेश दिया गया कि वे सम्बन्धित प्रधानों व सरपन्चों को अपने दौरे का कार्यक्रम भेज कर फिर से जांच कर रिपोर्ट पेश करें। जांच की रिपोर्ट के अनुसार इन गांवों में से सिर्फ सरदारशहर तहसील के २ ग्राम रातसर तथा शीमला तथा तहसील तारानगर के ९ गांवों १. झाडसर २. डाबडी ३. गडाना ४. जिगसाना टिबा ५. रोगटिया चारण व ६. कछावतान ७. आनन्दसिंह पुरा ८. गोगटिया चंगाई तथा ९. ब्राहणवासी के अलावा किसी भी अन्य गांवों में नुकसान ८ आने से अधिक नहीं है; इन गांवों को राज्य सरकार अभावग्रस्त घोषित करने की कार्यवाही कर रही है।

३. वांछित सूची सदन को मेज पर रख दी गई है।

(श्री परसराम मदेरणा)

४. जिलाधीश चूरू के द्वारा इस विषय में काफी जांच की जा चुकी है इसलिये जिलास्तर पर विधान सभाई सदस्य व जिला परिषद के प्रमुख की एक कमेटी के गठन की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रावतराम : अध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रश्न था उसके उत्तर में सरकार ने बिल्कुल मेरे मूल प्रश्न को टाला है। मेरा प्रश्न यह था कि जिला परिषद की मीटिंग में प्रधान थे, एम. एल. ए. थे उन्होंने ८८ गांवों की लिस्ट कलेक्टर को दी थी तो कलेक्टर ने आश्वासन दिया था कि सम्बन्धित एस. डी. एम. से जांच कराऊंगा। जो सूची मिली है उसके अनुसार जो उन्होंने जांच करवाई है उन्हीं पटवारियों और गिरदावरों से जांच करवाई है जिन्होंने कि पहले जांच करके रिपोर्ट दी थी, वही यह रिपोर्ट है। उन्होंने जहां ८ आने से ज्यादा खराबा बताया है वही तो उनकी रिपोर्ट थी, उसके आधार पर पहले अकाल-ग्रस्त गांव घोषित किये, वही लिस्ट हाउस में पेश कर दी। उससे मेरे प्रश्न का मतलब हल नहीं होता। हमने कहा था कि इन गांवों में एस. डी. एम. से जांच करवाई जानी चाहिये वहीं; ज्यादा खराबा है, सम्बन्धित प्रधान और एम. एल. ए. साथ में रहेंगे तो जांच में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पर एस. डी. ओ. से जांच नहीं करवाई गई, उन्हीं पटवारियों और गिरदावरों के नाम दे दिये हैं, इन्होंने ही तो पहले जांच करके रिपोर्ट दी थी। इससे क्या फायदा? हमने सबने मिल कर निवेदन किया था उन गांवों के बाबत जांच कराने के लिये, एस. डी. एम. से जांच करवाने में आपको एतराज क्या है? अगर आपकी मंशा नहीं है तो साफ कह दीजिये, पटवारियों ने जो रिपोर्ट की है वही ठीक है।

श्री परसराम मदेरणा : आपने ८८ गांवों की लिस्ट मीटिंग में पेश की, जहां फेमीन और जिला परिषद की कम्बाइन्ड मीटिंग थी। ८८ के बाद दूसरे नाम भेजे, ५४ नाम कलेक्टर के पास गये तो यह तो सम्भव नहीं कि एस. डी. एम. हर जगह गांव गांव जाकर जांच करे, गिरदावर पटवारी की जांच के बाद तहसीलदारों को भेजा है, उन्होंने एन्क्वायरी की है, दो गांव सरदारशहर के और ९ गांव तारानगर के लिये। उन्होंने कहा है कि ११ गांवों में खराबा ज्यादा है। १५४ गांवों की सूची दी थी, ५८ गांवों के नाम राज्य सरकार ऑलरेडी प्रकाशित कर चुकी है। वे गांव उसमें से निकाल लिये। इन ११ गांवों को और अकालग्रस्त घोषित किया गया है। तो यह कहना कि बिल्कुल नतीजा नहीं निकला, सही नहीं। गिरदावर की जांच के बाद दुबारा जांच से भी जिन गांवों में वही खराबा पाया गया, ८ आने से ज्यादा खराबा नहीं है तो उनको अकालग्रस्त घोषित नहीं किया जा सकता।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : मेरा प्रश्न है कि तहसीलदारों ने पर्सनली जांच की है क्या?

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) :

(श्री नाथूराम मिर्धा)

पर्सनली की है भाई, इतना अविश्वास क्यों करते हो ?

श्री मुरलीधर व्यास : ५० नये पैसे से ज्यादा खराबा बताया ?

श्री परसराम मदेरणा : तहसीलदार ने केवल खुद ने ही जांच नहीं की है, बल्कि पंचों और सरपंचों को भी साथ लिया है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : स्पेसिफाइड पीरियड में रेकॉर्ड चैकिंग करना पड़ता है एस. डी. एम. को, तो आपने कैसे कहा कि एस. डी. एम. का जाना असम्भव है ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): उनके कहने का मकसद यह है कि हर गांव में तहसीलदार को भेज कर, पटवारी और सरपंच को साथ में रख कर जांच की है और जहां रिविजन पोसिबल था वहां पर किया है ।

श्री रावतराम : कुछ स्पेसिफाइड गांव थे वहां एस. डी. ओ. जा सकता था सर्प्राइज़ चैकिंग तो करते ही हैं, यह उनकी ड्यूटी है ।

वहां यह तय हुआ था कि सम्बन्धित एस. डी. एम. पांच–दस गांवों में जायगा, पर वह वहां नहीं गया । हमको वहीं कह दिया गया था कि जो पटवारी की रिपोर्ट आई है वही रखेंगे, गवर्नमेंट को चाहे लिख दो; क्या करेगी गवर्नमेंट हमारा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अगर वही रिपोर्ट मान कर चला जाता तो बाद में और ११ गांवों को घोषित नहीं किया जाता ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री तेजाराम गहलोत ।

सोजत में दूकानों और प्याऊ की अवाप्ति

९८७. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि विधान सभा के गत सत्र में मेरे प्रश्न संख्या ८४५ (१६३। सी. एम.) दिनांक १६ सितम्बर, १९६३ के उत्तर में यह कहा गया है कि भूतपूर्व जोधपुर सरकार द्वारा सोजत नगर में अस्पताल जाने वाली सड़क पर दो दूकानों व एक प्याऊ को अवाप्त किये जाने के एवज में मुआवजा दिये जाने की कार्यवाही को जा रही है और उन पर कब्जा करने की कार्यवाही भी की जा रही है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में यह भी कहा गया है कि भूतपूर्व जोधपुर राज्य द्वारा वर्ष १९४३ में उक्त प्रोपर्टी किस प्रयोजन से अवाप्त की गई थी । यह ज्ञात नहीं हो सका है क्योंकि स्वीकृति क्रमांक ८८९७ दिनांक १०–८–४३ की प्रति उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो इस प्रोपर्टी को अवाप्त किये जाने का प्रयोजन क्या अभी तक सरकार के सामने पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं

(श्री तेजाराम गहलोत)

है ? यदि नहीं है तो मुआवजे के भुगतान की कार्यवाही क्यों की जा रही है ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त प्रोपर्टी का मौका देख कर जिलाधीश पाली ने भी एक्वायर की गई प्रोपर्टी को डिस्मेन्टल करने की सिफारिश कमिश्नर को की थी ? यदि हां, तो कमिश्नर ने उस पर क्या कार्यवाही की ।

(४) २२–१–४४ को १७६३) रु० व १२-८-५७ को सोजत नगरपालिका द्वारा जरिये चैक ६६) रु० सब ट्रेजरी सोजत में उपरोक्त अवाप्त की हुई सम्पत्ति के मुआवजे के रूप में जमा करा देने के बावजूद भी आज तक भुगतान नहीं करने और प्रोपर्टी को डिस्मेंटल नहीं किये जाने का क्या कारण है और अब कब तक यह कार्यवाही पूर्ण हो जायेगी ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां, कार्यवाही की जा रही है ।

(२) जी हां, सड़क चौड़ी करने हेतु कार्यवाही भूतपूर्व जोधपुर राज्य के समय से ही की जा रही है ।

(३) जी हां, कार्यवाही की जा रही है ।

(४) जी हां, कार्यवाही चालू है ।

श्री तेजाराम गहलोत : जो प्रोपर्टी ४३ में ही एक्वायर कर ली गई वह अभी तक डिस्मेंटल नहीं की गई है, समझ में नहीं आता कि सरकार उसे क्यों नहीं डिस्मेंटल करा रही है ?

श्री दौलतराम सारण : वाकई इस मामले में विलम्ब हुआ है, मुझे इसमें खेद है; कार्यवाही शीघ्र हो इसके लिये मैं प्रयास करूंगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन ।

प्रश्न संख्या ६८८

(अनुपस्थित)

श्री हरिराम धारू ।

नगरपालिकाओं में नियुक्तियां

६८९. **श्री हरिराम धारू (सिवाना)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में ऐसी कितनी नगर परिषदें तथा पालिकायें हैं जिनमें नियुक्तियों में १२॥ प्रतिशत सुरक्षित स्थानों की अभी तक पूर्ति होना शेष है ? कृपया प्रत्येक परिषद तथा पालिका के नामों सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(२) कोटा पूरा न किये जाने के क्या कारण हैं ?

(३) राजस्थान की समस्त नगर परिषदें तथा पालिकाओं में सफाई-कार्य करने वाले मजदूरों के वेतन क्या-क्या हैं तथा महिलाओं तथा पुरुषों के वेतन में कितना अन्तर है ?

Page No. 18

(श्री हरिराम धारू)

प्रत्येक परिषद् व पालिका की सूची अलग अलग सदन की मेज पर रखें।

(४) क्या यह सही है कि अब भी टट्टी साफ करने वाले मजदूरों को आवश्यक सामान समय पर नहीं दिया जाता है, जिससे सिर पर ढोया जाने वाला मैला टूटे और पुराने सामान के कारण उसके बदन को गन्दा करता रहता है ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भीमसेन।

बीकानेर जिप्सम कं० लिमिटेड, जामसर

६६०. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि बीकानेर जिप्म कं० लिमिटेड, जामसर की खान नं० ८ जामसर ग्रामवासियों के लिये चूना निकाल कर कम्पनी को उसके द्वारा निश्चित दर पर देने के लिये दी हुई है ?

(२) क्या यह भी सही है कि गांव खीचियों के पास की चूने की खान है जहां पर ग्रामवासी चूना निकाल कर कम्पनी को देते हैं ?

(३) क्या राज्य सरकार कम्पनी को यह आदेश देने का विचार रखती है कि अस्थाई तौर पर जामसर-जलालसर के लोगों को कम्पनी द्वारा निर्धारित दरों पर चूना निकालने के लिये रख लिया जावे ताकि इस अकाल के समय उन्हें मजदूरी मिल सके ?

उप-मंत्री, खनिज (श्री चन्दनमल वैद) : (१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

(३) इस समय ऐसा कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री भीमसेन : पहले प्रश्न के उत्तर में आपने कहा है, 'जी नहीं'। उस खान नं० ८ में मजदूर काम करते हैं, फिर आपने कैसे कहा कि जी नहीं ?

श्री चन्दनमल वैद : आपने पूछा है, "क्या यह सही है कि बीकानेर जिप्सम कं० लिमिटेड, जामसर की खान नं० ८ जामसर ग्रामवासियों के लिये चूना निकाल पर कम्पनी को उसके द्वारा निश्चित दर पर देने के लिये दी हुई है" ? उसका उत्तर मैंने दिया है "जी नहीं। कम्पनी खुद काम कराती है, लेबर एंगेज कर के काम कराती है"।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या इस प्रकार का एग्रीमेंट है कम्पनी की तरफ से और लेबरर्स की तरफ से जिस पर दस्तखत हैं कि गांव वाले चूना निकालेंगे और उनको वह २ रु० १२ आना प्रति टन की रेट से दिया जायगा ? उसी के अनुसार चूना निकलवाया जाता है ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : प्रश्न यह है कि गवर्नमेंट ने इस कन्डी-

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

शन पर दिया है क्या ? गवर्नमेंट ने नहीं दिया। गवर्नमेंट ने तो कॉन्ट्रेक्टर को दिया है। लेबर के और कॉन्ट्रेक्टर के क्या कॉन्ट्रेक्ट हुआ है, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : इसमें गवर्नमेंट के देने का तो पूछा ही नहीं।

श्री मोहलाल सुखाड़िया : इसमें यह पूछा है कि क्या यह सही है कि बीकानेर जिप्सम कम्पनी लिमिटेड, जामसर की खान नं० ८ जामसर ग्रामवासियों के लिये चूना निकाल कर कम्पनी को उसके द्वारा निश्चित दर पर देने के लिये दी हुई हैं? गवर्नमेंट खान देती है कॉन्ट्रेक्टर को।

श्री मुरलीधर व्यास : इसमें गवर्नमेंट का उल्लेख कहां है कि गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। प्रश्न पूछने का मकसद ही यह है कि कम्पनी और मजदूरों के बीच में इस तरह का एग्रीमेंट है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : क्वेश्चन दूसरे का है और उसके पूछने का आशय आप इन्टरप्रेट कर रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : मजदूरों के हक की बात है, इसलिये पूछ रहा हूं।

श्री भीमसेन : अकाल की कन्डीशन इस वर्ष है तो क्या सरकार कम्पनी पर दबाव डालेगी कि कम से कम उससे दो महीने के लिये वहां के लोगों को काम मिल सके ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस बारे में हम प्रयत्न करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री जेठमल।

तहसील किशनगढ़ में बिना आज्ञा काश्त

९९१. **श्री जेठमल बरवड़** (परबतसर) :– क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि ग्राम नावां, तहसील किशनगढ़ के सार्वजनिक तालाब रूप सागर में कुछ व्यक्तियों ने बिना मन्जूरी काश्त की है? यदि हां, तो उनकी सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। अतिक्रमणकारियों के पास इसके अलावा और कितनी भूमि है ?

(२) क्या ग्रामवासियों ने इस प्रकार के अनधिकृत कब्जे के संबंध में तहसीलदार किशनगढ़ को शिकायत भी पेश की थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(३) क्या यह भी सही है कि एस. डी. ओ. किशनगढ़ ने तारीख १३–२–६३ को इस आशय का निर्णय देते हुए तहसीलदार को हुक्म भी दिया कि इन अतिक्रमणकारियों का नाम बतौर काश्तकार दर्ज न कर दफा ९१ राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट के माफिक कार्यवाही कर जमीन आयन्दा के लिये भूमिहीन किसानों को अलॉट की जाय ? क्या तहसीलदार ने इस आदेश की पालना की ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(श्री जेठमल बरवड़)

(४) क्या यह भी सही है कि जिलाधीश अजमेर ने इन अतिक्रमणकारियों पर १६,०००) रु० की पैनल्टी लागू की थी जो आज तक वसूल नहीं हुई ? इसके क्या कारण हैं ?

(५) भूमिहीन किसानों व जनहित को मद्‌ नजर रखते हुए सरकार इस संबंध में आगे क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, न्याय (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी हां । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) जी हां । तहसीलदार किशनगढ़ ने दिनांक ५-१-६२ को अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध जांच की । राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ. ११ : १६ राजस्थान स. बी. आर. ६२ दिनांक ६-१-६३ के अन्तर्गत यह आदेश है कि यदि किसी व्यक्ति से लगान लिया जा चुका है और उसका नाम खसरे में दर्ज हो चुका है तो उसे अतिक्रमणकारी नहीं माना जाता । अतः तहसीलदार ने इनको अतिक्रमणकारी नहीं माना ।

(३) जी हां । एस. डी. ओ. किशनगढ़ के आदेश के पालनार्थ तहसीलदार किशनगढ़ ने सम्बन्धित काश्तकारों के नाम बेदखली, ६ गुना तावान तथा लगान वसूल करने के नोटिस जारी किये, परन्तु राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर के स्थगन आदेश दिनांक २७-२-६३ से कार्यवाही स्थगित कर दी गई ।

(४) जिलाधीश अजमेर के कार्यालय से ऐसे कोई आदेश नहीं दिये गये ।

(५) जब तक राजस्व अपील अधिकारी जयपुर का निर्णय नहीं हो जाये तब तक कोई कार्यवाही करना सम्भव नहीं है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री जेठमल बरवड़ : तहसीलदार ने अतिक्रमणकारी नहीं माना । आपने प्रश्न के भाग (२) के उत्तर में फरमाया कि लगान लिया जा चुका है, इसलिये ट्रेसपासर की तारीफ में नहीं आते, पर मैं जानकारी देना चाहूंगा कि टिनेन्सी एक्ट के अनुसार तालाबी भूमि में कोई हिस्सा काश्त के लिए नहीं दिया जा सकता ।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, यह मुझे मालूम नहीं है कि यह तालाब का पेटा है या दूसरी जमीन है । अगर यह तालाब के पेटे की जमीन है शिफ्टिंग लैंड है तो उसमें किसी तरह का अलॉटमेंट नहीं किया जा सकता । तहसीलदार ने गलतफहमी में दिया । राज्य सरकार का आदेश यह था कि जो ट्रेसपासर लैंड रेवेन्यू दे चुके हैं और जिनका नाम गश्त-गिरदावरी में दर्ज है उन लोगों का मीअरली रजिस्ट्रेशन से राइट एक हो जाता है । यह सर्क्यूलर था, उसका पालन नहीं किया । एस. डी. ओ. के आदेश से उनसे ६ गुणा तावान, लगान वसूल करने के आदेश दिये गये और वह राजस्व अपील अधिकार द्वारा स्टे कर दिये गये । क्योंकि यह मामला सब-जुडिस है, इसलिए अभी मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं ।

श्री अध्यक्ष : क्या यह जांच कर ली कि तालबी जमीन है या नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : यह मैं जांच करा लूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री बालूराम चौधरी।

पशुओं की चोरी के मामले

६६२. **श्री बालूराम चौधरी** (फतेहपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

सन् १९६०–६१, ६१–६२ और ६२-६३ व ६३–६४ में जिला सीकर, झुंझुनू और चूरू में पशुओं की चोरी के कितने मामले पुलिस में दर्ज हुए और कितने मामलों में पशु बरामद किये गये ?

उप-मंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : जिला सीकर में सन् १९६०–६१ में ८०, सन् ६१-६२ में १०८, ६२-६३ में ६३ तथा सन् ६३-६४ में फरवरी के अंत तक ८१ मुकदमे पशुओं की चोरी के दर्ज हुए; जिनमें से क्रमशः ५६, ७३, ६१ तथा ५९ मुकदमों में पशु बरामद हुए। जिला झुंझुनू में उक्त वर्षों में क्रमशः ३१, ३४, ५२ तथा ४९ मुकदमे दर्ज हुए; जिनमें से क्रमशः १९, २३, ३३ तथा २६ मुकदमों में पशु बरामद हुए। जिला चूरू में उक्त वर्षों में क्रमशः ६४, ५९, ५८ तथा ४१ मुकदमे दर्ज हुए जिनमें से क्रमशः ४५, ३३, ४४ तथा २४ मुकदमों में पशु बरामद हुए।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : रिप्लाई आधा रहा ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : १९६१, ६२, ६३, व ६४ का फुल है।

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनू) : झुंझुनू जिले में पशुओं की चोरी हुई है और बरामदगी हुई है, उसकी संख्या धीरे धीरे घट रही है। १९६०-६१ में ३१ में से १९ बरामद हो गये और १९६१-६२ में ३४ में से २३ बरामद हो पाये और १९६२-६३ में ५२ में से ३३ हो पाये और १९६३-६४ में ४९ में से २६ हो पाये हैं, इसकी क्या वजह है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसमें कुछ कम्प्लेन्ट्स झूठी भी आती हैं, उससे भी बरामदगी पर असर पड़ता है। कुछ कैटल लिफ्टिंग केस भी अधिक संख्या में हुए हैं, १९६०-६१ में ३१, १९६१-६२ में ३४ और १९६२-६३ में ५२ और १९६३-६४ में ४९। ये ज्यादा हुए हैं तो पर्सेन्टेज में कमी हुई है।

श्रीमती सुमित्रा : क्या पुलिस के अन्दर झूठी रिपोर्ट करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की गई है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : कम्प्लेन्ट फाइल की जाती है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है, अगर नहीं की है तो नहीं की जा सकती है। मैं स्पष्टतया नहीं कह सकता कि कार्यवाही की गई है या नहीं ?

श्रीमती सुमित्रा : कार्यवाही के लिए नहीं कह सकते तो यह कैसे कह सकते हैं कि झूठी रिपोर्ट दर्ज की गई ?

Page No. 22

श्री निरंजननाथ आचार्य: पशु चले जाते हैं तो कभी कभी ले लेते हैं कि कैटल लिफ्टिंग हो गया है।

श्रीमती सुमित्रा : चोरी करने वालों में से कितनों को सजा हुई ?

श्री मोतीलाल चौधरी : यह एक इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है, पशु मिल गये लेकिन मुलजिमों को सजा नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीलाल।

श्री मोतीलाल चौधरी : यह इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : मिस्टर मोतीलाल नहीं, नत्थीलाल।

नदबई नगरपालिका क्षेत्र

६६३. **श्री नत्थीलाल** (नदबई) : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या नदबई नगरपालिका में पड़ौस के गांवों को शामिल किया गया है ! अगर हां, तो कितने गांवों को शामिल किया गया है ? उनके नाम बतलायें।

(२) क्या नदबई नगरपालिका से बिजली, सफाई इत्यादि की जो सहायता मिलती है वह उन गांवों को भी मिलती है जो इस नगरपालिका में शामिल किये गये हैं ?

उप-मंत्री, स्वायत शासन (श्री दौलतराम सारण) : जी हां।

१. नगला—चैनपुरा,

२. नगला—मिट्टी

३. नगला—किशनपुरा

४. नगला—सांगरिया

५. नगला—तेलिया

(२) पालिका द्वारा शीघ्र व्यवस्था की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुलजब्बार।

तस्कर व्यापार

६६४. **श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पुलिस निम्बाहेड़ा अफयून का ब्लैक कराती है तथा तस्कार व्यापार में सक्रिय है ?

(२) क्या यह सही है कि तस्कर व्यापार हेतु कार नं० एन. वाई. ए. ७०३६ प्रयोग में ली जाती है ?

(३) क्या यह भी सत्य है कि इस गाड़ी का कोई मालिक नहीं है और क्या यह भी सही है कि इस गाड़ी का रोड टैक्स भी नहीं चुकाया गया है ? यदि हां, तो गाड़ी कैसे चलती है ?

(४) क्या यह भी सही है कि इस कार का रजिस्ट्रशन भी नहीं हुआ है ? यदि हां, तो इसे जब्त क्यों नहीं किया जाता है ?

(श्री अब्दुलजब्बार)

(५) क्या यह भी सही है कि इस कार में अफयून के तस्कर व्यापार हेतु सीक्रेट चेम्बर्स भी बने हुए हैं ?

उप-मन्त्री, गृह (श्री निरन्जननाथ आचार्य): (१) जी नहीं।

(२) यह कार दिनांक ५-६-६० को अफयून के तस्कार व्यापार के सम्बन्ध में पकड़ी गई थी।

(३) गाड़ी का रजिस्ट्रेशन श्री दिलीप सिंह के नाम का था तथा टैक्स टोकन भी दिनांक २६-१२-६० तक का श्री अमरनाथ सिंगल के नाम से चुकाया हुआ था। मुकदमें के समाप्त होने के बाद गाड़ी श्री अमरनाथ के दिनांक ११-१०-६३ को सुपुर्द हुई और तत्पश्चात् रोड टैक्स अमरनाथ के नाम से आर. टी. ओ. उदयपुर के यहां दिनांक १८-१०- ६३ को १-१०-६३ से ३१-१२-६३ की तिमाही का जमा हुआ है। अमरनाथ के गाड़ी सुपुर्द होने के बाद यह गाड़ी पुलिस की नोटिस में नहीं आई है।

(४) रजिस्ट्रेशन श्री दिलीपसिंह के नाम से है, अतः कार को जब्त करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। इसके अतिरिक्त ता० ११-१०-६३ के बाद यह कार पुलिस के नोटिस में भी नहीं आई है।

(५) जी हां।

श्री अब्दुलजब्बार : क्या यह सही है कि यह गाड़ी आज भी निम्बाहेड़ा में है ? आप इन्कार कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं कि निम्बाहेड़ा में आप इस गाड़ी को देख लें आपका उत्तर सही नहीं है कि गाड़ी निम्बाहेड़ा में नहीं है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मेरे उत्तर में जो है वह सही है। लेकिन आपकी नजर में आई हो तो वह मेरी नोटिस में ले आयें, मैं सक्रिय हो जाऊंगा।

श्री अब्दुलजब्बार : मैं यह अर्ज करता हूँ कि डिप्टी सुपरिटेन्डन्ट पुलिस इससे उदयपुर गये हैं, यह एक महीने निम्बाहेड़ा में रही और इन्दौर गये हैं और उसका लइसेन्स टोकन कुछ नहीं है। आज भी वह रन कर रही है और आप प्रेटेक्शन कर रहे हैं।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : इस सूचना के आधार पर कि डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट इस कार से जयपुर में आये हैं।

श्री अध्यक्ष : उदयपुर।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : तस्कर जयपुर में नहीं, उदयपुर में आते हैं।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : तस्करी यहां बहुत हैं। हमारे वहां सवाल नहीं आता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उदयपुर से कुछ आ गये हैं।

श्री अब्दुलजब्बार : क्या........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस गाड़ी में सीक्रेट चेम्बर्स हैं, इसके आधार पर तस-

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कर व्यापार किया जाता है तो इसे अमरनाथ को सुपुर्द क्यों किया गया ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : अदालत का प्रश्न है; क्यों हंड ओवर की गई और क्यों नहीं की गई ? एक्वीटल हो जाय, तो एक्वीटल हो जाने से आप और हम जानते हैं कि गाड़ी छूट जाती है। वह छूट गई। एक्वीटल के बाद अपील पेंडिंग है।

श्री अब्दुलजब्बार : क्या अमरनाथ इस गाड़ी का मालिक है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : किसके ? उसके नाम पर दर्ज है !

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : एक्वीटल होने के बाद गाड़ी रिलीज़ हो गई तो भी बगैर रजिस्ट्रेशन कराये हुए उसका मूवमेंट कैसे हो गया !

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मूवमेंट चूंकि उसके नाम पर दर्ज है, उसने रोड टैक्स जमा कराया हुआ है, इसलिए है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : टोकन के बिना........

श्री रामानन्द अग्रवाल : रजिस्ट्रेशन टोकन दिये बिना कैसे हो सकता है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मूवमेंट हो सकता है या नहीं, लेकिन हमने कहा कि नजर में नहीं आती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जैसे ही उनको हैंड ओवर अदालत ने किया वैसे ही मोटर व्हीकल्स एक्ट की अवहेलना होने की बिना पर पुलिस फिर उसको एप्रीहैंड कर सकती थी और मूव नहीं होने देती ऐसी गाड़ी को जिसके अन्दर सीक्रेट चेम्बर्स बने हुए हैं...

श्री निरन्जननाथ आचार्य : रजिस्ट्रेशन करना आर. टी. ओ. का अधिकार है. लाइसेन्स पुलिस देती है। हैंड ओवर करने के बाद भी कस्टडी में से निकले ही नहीं, यह समझ में नहीं आता है। निकलने के बाद देखते हैं कि उसका मूवमेंट होता है या नही।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पुलिस की जिम्मेदारी है कि कोई व्हीकल्स बिना रजिस्ट्रेशन के और टोकन के प्लाई नहीं कर सकती, चल नहीं सकती। अदालत से जैसे ही रिलीज़ हुई और पुलिस की इन्फोर्मेशन में यह था कि टोकन नहीं है और रजिस्ट्रेशन नहीं है तो क्या कारण है कि पुलिस ने फ़ौरन सीज़ नहीं की ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : सीज़ कैसे करती ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : रोकती, उसका चालान करती पुलिस।

श्री निरंजननाथ आचार्य : पुलिस चालान करने की स्थिति में नहीं थी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपका मतलब है भाग गया वहां से।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपका मतलब है कि वहां से मोटर चले नहीं उससे पहले चालान हो जाय पुलिस द्वारा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बिल्कुल !

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है। जब तक उसका मूवमेंट नहीं हो, इस पोज़ीशन में नहीं थे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप कहते हैं कि निम्बाहेड़ा से गायब है, नजर नहीं आती है। दूसरी तरफ आप यह मानते हैं।

श्री अध्यक्ष : वह यूज करे या नहीं करे। वहां से रिमूव करे, तो यूज करने में और रिमूव करने में क्या फर्क है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : गधे बांध कर घर ले गया था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह सीरियस प्रश्न है। टेकनीकल ग्राउन्ड पर, प्रूफ नहीं होने की वजह से एक्टिव हो जाता है तो यह फैक्ट फिर भी अलग नहीं होता कि वह कार, जिसमें, सीक्रेट चैम्बर है, तस्कर व्यापार के इस्तेमाल में आ सकती है। उसमें यह भी कमी है कि मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत वह रजिस्टर्ड नहीं है, टोकन नहीं है। जो जैसे ही रिलीज हुई, उस पर विजीलेंस रख कर कार्यवाही करते। अगर पुलिस का आदमी होती तो वह आगे मूव नहीं कर सकती थी। वह गैराज तक गई, वहां तक पुलिस का आदमी जाता और जाकर, जैसे ही मूव कराई गई वैसे ही अपने कब्जे में ले सकते थे और चालान किया जा सकता था। गवर्नमेंट ने जहां प्रिकॉशन्स लिये हैं कि बहुत लोग डी. आई. आर. के तहत जेल में रखे हैं गलत चार्जेज पर, उनको रिलीज़ किया तो बाद में फौरन उनको अरेस्ट कर लिया गया। गवर्नमेंट को जहां विजीलेंस नहीं रखनी चाहिये वहां ऐसी विजीलेंस रखती है और जहां तस्कर व्यापार चलता है वहां विजीलेंस नहीं रखते। यह कहें कि मोटर व्हीकल्स का आर. टी. ओ. का मामला है, हमारा नहीं है-यह सही तरीका नहीं है मामले को रखने का।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, उस व्यक्ति का चालान हुआ उस मुकदमे में, उसने जो सारी सर्कम्स्टान्सेज थीं उन सारी सर्कम्स्टान्सेज को देख कर अदालत ने उसको एक्विटल दिया। उसके आधार पर डिलीवरी आफ दी प्रापर्टी दी। उस आधार पर प्रोपर्टी को रिमूव कर दिया गया। सवाल पैदा होता है हम वहां जाने पर उसको वापिस सीज कर लेते। मैंने जजमेंट को नहीं देखा है कि क्या इश्यूज़ कन्सीडर किए गए हैं। वह अभी हाईकोर्ट में सबजुडिस है। इसलिए पुलिस उसको सीज करने की स्थिति में थी यह नहीं, यह मैं नहीं कह सकता। चूंकि यहां एक माननीय सदस्य ने कहा कि गाड़ी उदयपुर गई है, तो यह नया सर्कस्टांस है। इस सर्कम्स्टांस के साथ दूसरी सर्कम्स्टांसेज भी हो सकती हैं। अगर गाड़ी गई है तो क्यों ? इन दोनों प्रश्नों पर मैं जानकारी दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : अपील चल रही है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : हां, हाईकोर्ट में।

Page No. 26

श्री अध्यक्ष : आपने अदालत को मूव किया था इस बारे में ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अदालत को तो शायद मूव नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : यह तो सारी गफलत है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जजमेंट होने के बाद में जब तक हाईकोर्ट में कोई····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या यह सही है कि एक्विटल्स के खिलाफ अपील्स की जाती हैं मर्डर केसेज में और सब में, तो जो डाक्यूमेंटरी एवीडेंस है वह तब तक नहीं लौटाई जाती है जब तक अपील की मयाद खत्म हो जाय ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : हाईकोर्ट में अपील प्रिफर होने तक चूंकि वे फाइल में लगे होते हैं इसलिए नहीं दिए जाते बाकी·······

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रश्न का उत्तर सीधा सा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह प्रापर्टी even before the judgment is given, जमानत पर। तो अगर जमानत पर दे दी गई है तो कहां इधर उधर जाने की नहीं। मैं नहीं कह सकता कि जमानत पर दी गई है या नहीं। कोर्ट के सामने दोनों ऑप्शन्स हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑप्शान्स तो तब होते जब आप मूव करते ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं यह नहीं जानता।

श्री अध्यक्ष : यही तो बात है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लॉ मिनिस्टर से पूछिए कि ऐसा कोई प्रावधान है कि अपील की मयाद खत्म होने तक कोर्ट की डॉक्यूमेंटरी एवीडेंस को इधर उधर नहीं कर सकते। इस पर्टिक्यूलर केस में गाड़ी एक डॉक्यूमेंटरी एवीडेंस थी। जैसे छुरा होता है, लाठी होती है, कपड़े होते हैं, ये सारे कोर्ट में रखे जाते हैं और तब तक वापिस नहीं दिए जाते जब तक अपील की मयाद खत्म न हो।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष (श्री निरंजननाथ आचार्य को) : आपको कुछ मालूम नहीं तो फिर क्यों बहस कर रहे हैं ? Then keep quiet. It is the best thing.

श्री रामानन्द अग्रवाल : शेम शेम।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इतने में शेम आ गया !

श्री रामानन्द अग्रवाल : शेमफुल तो है ही, आप चाहे महसूस न करें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

Page No. 27

ट्राइबल एरिया में सिंचाई कार्यों पर व्यय

६६५. **श्री मानिकचंद सुराणा** (कोलायत) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ट्राइबल एरिया के सिंचाई का विकास करने के लिए कितनी धन-राशि रखी गई है ?

(२) योजना के प्रथम वर्ष में उक्त धन-राशि में से कितनी राशि खर्च की गई ?

(३) क्या तृतीय योजना के प्रथम वर्ष में ही कुल योजना व्यय का अधिकांश व्यय किया जा चुका है ? यदि हां, तो इतने अधिक व्यय के क्या कारण हैं ?

उपमन्त्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) तृतीय पंचवर्षीय योजना में ट्राइबल एरिया के सिंचाई विकास के लिए ४० लाख रुपयों की धन-राशि रखी गई है ।

(२) उपरोक्त धनराशि में से योजना काल के प्रथम वर्ष में लगभग १३ लाख रुपये खर्च हुए हैं ।

(३) जी हां । लगभग १।३ व्यय किया गया है क्योंकि इस वर्ष में विभाग द्वारा प्रारंभ किये हुए २०३ कामों में से १४५ पूरी प्रगति पर थे ।

श्री मानिकचंद सुराणा : ४० लाख रुपए में से पहले तीन वर्षों में कितना खर्च हो चुका है ?

श्री दिनेशराय डांगी : करीब २५ लाख समाप्त हो चुके हैं ।

श्री मानिकचंद सुराणा : पहले वर्ष में १३ लाख और बाकी दो वर्षों में सिर्फ १२ लाख रुपए खर्च हुए हैं ।

श्री दिनेशराय डांगी : मैंने प्रश्न (३) में बताया कि जो काम शुरू हो गए थे वे प्रगति पर थे ।

श्री मानिकचंद सुराणा : योजना के प्रथम वर्ष में १३ लाख और उसके बाद द्वितीय और तृतीय वर्ष में केवल १२ लाख खर्च किया है । ४० लाख का प्रावधान था । प्रत्येक योजना में फेज़्ड प्रोग्राम होता है और पर इयर उसका अलोकेशन होता है । प्रत्येक डिपार्टमेंट के अलोकेशन में प्रथम वर्ष कम खर्च होता है और उसके बाद जैसे जैसे प्लान प्रोग्रेस करता है उसके खर्चे के अनुपात से बढ़ता है और पर्टीक्यूलरली सिर्फ ट्राइबल एरिया में १३ लाख रुपए जो अनुपात से ज्यादा खर्च किए गए उसके क्या कारण हैं ?

मुख्यमन्त्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपको उल्टे खुशी होनी चाहिये ।

श्री मानिकचंद सुराणा : आपने जिस तरह से रुपया खर्च किया वह अलग सवाल है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : यह तो हिस्टीरिया के तरीके से खर्च किया गया ।

Page No. 28

श्री मानिकचंद सुराणा : पहले दो करोड़ खर्च किए। जिस तरह से आपने अलग से चीफ इन्जीनियर्स बनाकर खर्च किया उसका अलग सवाल है, उस पर अलग बहस होगी। प्लानिंग के प्रथम वर्ष में कम खर्च होता है और जैसे जैसे प्लान प्रोग्रेस करता है, खर्चा उस अनुपात से बढ़ता है। क्या इस सिद्धान्त को प्लानिंग में स्वीकार किया गया है?

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : आपको जानकारी होगी कि हमारा कोर ऑफ दी प्लान कम हुआ है तो सब सेक्टर्स के अन्दर प्रोवीजन्स हैं वे भी रिड्यूस हुए हैं तो आए साल प्लान किसी न किसी में कम हुआ है इसलिए फर्स्ट ईयर के बाद में जो कम हुआ है इसकी वजह से प्रोवीजन्स कम हैं और खर्चा.......

श्री मानिकचंद सुराणा : ४० लाख का प्रावधान था?

श्री नाथूराम मिर्धा : पूरी पंचवर्षीय योजना का प्रावधान था।

श्री मानिकचन्द सुराणा : कोर ऑफ दी प्लान में कितना कर दिया? यह बताइए कि क्या ४० लाख रुपए के प्रावधान में से किसी पहले वर्ष १३ लाख रुपए खर्च किए जा सकते हैं?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा कि ४० लाख रुपयों का शुरू में प्रावधान किया गया था। कोर में कितना किया गया, यह इन्फार्मेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन पहले साल के अन्दर ज्यादा पैसा रखा गया और एजेंसी खर्च करने लगी और उस समय तक कोर तय नहीं हुआ था।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या यह सही है कि ट्राइबल एरियाज में इस सिंचाई के लिए अगले दो वर्षों में पैसा खर्च करने का कोई प्रावधान नहीं है?

श्री नाथूराम मिर्धा : इस साल का बजट आपके सामने आया।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह प्रश्न नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : इस समय मुझे जानकारी नहीं है।

श्री मानिकचंद सुराणा : यह कोई प्रश्न का जवाब नहीं है। ४० लाख रुपए आपने रखे उसमें से पहले वर्ष ही १३ लाख रुपए आप जस्टीफाइ कैसे कर सकते हैं?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : वह इलेक्शन ईयर था।

श्री नाथूराम मिर्धा : पैसा था खर्च कर दिया, जस्टीफिकेशन क्या? उसमें कोई बुरा काम नहीं किया, अगर पहले हुआ तो।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इस तरह से अगर चुनाव के दिनों में पैसा खर्च किया जायगा.......

श्री नाथूराम मिर्धा : यह गलत बात है। यह हमारी मर्जी है।

Page No. 29

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपकी मर्जी ?

श्री अध्यक्ष : मर्जी का तो सवाल ही है, चाहे इस साल में खर्च करें या दूसरे साल में।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : चुनाव..........

श्री अध्यक्ष : 'एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रीशन' का मतलब 'मर्जी'।

श्री विजयसिंह झाला : लेकिन चुनाव के दिनों में.......

श्री नाथूराम मिर्धा : जैसा हम उचित समझेंगे वैसा करेंगे।

(शोरगुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : जवाब कैसा दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : जवाब बिल्कुल साफ है।

श्री विजयसिंह झाला : साफ यह है कि चुनाव के लिए पैसा खर्च किया जाता है। इसका मतलब....

श्री अध्यक्ष : आप मतलब जो चाहें वह निकालें, जवाब बिल्कुल स्पष्ट है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार किन्ही लॉज और रूल्स के तहत खर्च करती है या जैसे चाहे अपनी मर्जी से ही करती है ?

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पतिलाल बोहरा।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : प्रश्न संख्या ६६६।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इस बात में मैं सोरियम ऑब्जेक्शन लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न पूछ लिया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इस तरह सदन में एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रीशन का यह मतलब नहीं कि जैसी मर्जी होगी वैसे करेंगे।

श्री अध्यक्ष: Next question. order please !

आप उनकी डिस्क्रीशन को क्रिटीसाइज कर सकते हैं।

श्री विजयसिंह झाला : लेकिन जैसी हमारी मर्जी यह कैसे कह सकते हैं ?

श्री रामकिशन (वैर) : इस जवाब का तो यह मतलब हुआ कि कल आपकी मर्जी हुई तो हमको सदन से भी निकाल देंगे ?

श्री अध्यक्ष : यह इतना आसान नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हो रहा है। जो मर्जी आई कर रहे हैं।

श्री विजयसिंह झाला : मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसको प्रोसीडिंग्ज़ में से निकाल दिया जाय।

Page No. 30

श्री मानिकचन्द सुराणा : मर्जी आई वैसे करेंगे, यह कोई जवाब है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : This is challenging the authority of this Agai nst House.

(कोलाहल)

श्री अध्यक्ष : Not at all.

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : Order please, Shri Sampattilal.

श्री रामानन्द अग्रवाल : This is challenging the authority of this House.

(कोलाहल)

श्री अध्यक्ष : No, no. Order please !

इसमें चैलेंजिंग दी ऑथोरिटी का क्या सवाल है ? सरकार ने एक वर्ष में इतना खर्च किया, आपको सूचना दी। आप उनकी डिस्कीशन को क्रिटीसाइज कर सकते हैं यहां भी और बाहर भी।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ये कहते हैं कि जिस तरह से मर्जी आएगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह जवाब बहुत एरोगेंट हैं, 'जो मर्जी आई करेंगे'। कोई टेक्नीकल एड्वाइस नहीं है।

यह जवाब तो बड़ा एरोगेन्ट है।

(शोरगुल)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : Order please !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मर्जी आये वह नहीं करने देंगे।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : Order please ! Next question.

Sehri Sampatthi lal Bohra.

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : प्रश्न संख्या ६६६।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह मर्जी चलने वाली नहीं है, अध्यक्ष महोदय, इस तरह से चल नहीं सकती है।

(शोरगुल – व्यवधान)
(अनेक माननीय सदस्यों का एक साथ बोलना)

श्री अध्यक्ष : Order please !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ये शब्द उनको वापिस लेने चाहिये। (व्यधान)

(शोरगुल)

श्री मानिकचन्द सुराणा : उनकी पुरानी आदत है इस तरह से बोलने की मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनको चाहिये कि वे अपने शब्दों को वापिस लें।

श्री अध्यक्ष : वह कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी कोई अनपार्लियामेन्टरी बात नहीं कही जो वापिस लेने की बात हो।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, इन मिनिस्टर की आम आदत है कि बड़ा एरोगेन्ट जवाब देते हैं । इस तरह का जवाब....................

(शोरगुल)

उप-मन्त्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : इन्होंने अध्यक्ष महोदय...............

(शोरगुल-व्यवधान)

(अनेक माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलना)

श्री अध्यक्ष : Order please ! Order please !!

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, वह एक व्यवस्था का सवाल है। क्या मन्त्री महोदय ऐसा कह सकते हैं कि हम अपनी मर्जी आयेगी वैसा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : वह व्यवस्था दे दी है कि कोई अनपार्लियामेन्टरी बात नहीं कही है ।

क्वेश्चन पार्लियामेन्टरी एटीकेट का होता है ।

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय...............

श्री अध्यक्ष : (मुरलीधर व्यास से) Order please !

कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें । किसी भी चीज को रखने का पार्लियामेन्टरी तरीका होता है । उसमें मतभेद हो सकता है । इसमें अनपार्लियामेन्टरी क्या हो सकता है, हमारी मर्जी थी हमने रख दिया । गवर्नमेंट का डिस्क्रीशन है ।

श्री मुरलीधर व्यास : मर्जी आयेगी वैसा करेंगे, यह उन्होंने कहा है । हम आपकी मार्फत ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कि मन्त्री महोदय जवाब दे वह शालीनता का हो कुछ भी जवाब दे, लेकिन उसका हर आदमी के ऊपर बुरा असर होता है........

श्री अध्यक्ष : बुरा असर होगा तो होगा सदन में बैठ कर हम क्या कर सकते है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मर्जी चाहे वैसा करें, कोई पूछने वाला नहीं है । वे एरोगेन्ट शब्द हैं और उनको वापिस लेना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : Order please.

श्री मुरलीधर व्यास : आसन के थ बात करते हैं । वे कहे कि मर्जी चाहे वैसा आसन का भी यह अपमान है ।

श्री अध्यक्ष : कोई आसन के अपमान की बात नहीं है । पार्लियामेंटरी स्टेन्डर्ड होता है, कन्डक्ट होता है, उस पर बहस होती है ।

We have all varying standards of our speech.

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : प्रश्न संख्या ९९६ ।

श्री रामकिशन (वेर) : अध्यक्ष महोदय, हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि मन्त्रीजी चाहेंगे वैसा करेंगे ।

(शोरगुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे । वह मन्त्री महोदय की साधारणतः आदत है ।

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : Order please ! No more speech please.

श्री रामानन्द अग्रवाल : Mr. Speaker, Sir, We protest against the way in which the Hon. Minister has tried to reply and tried to assert arbitary powers against the wishes of the House and in protest we walk out from this House.

(साम्यवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री हीराभाई : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय अपने शब्दों को वापिस लें, नहीं तो हम भी सदन से बहिर्गमन करते हैं । यह उनकी आदत हो गई ।

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पतिलाल बोहरा । अभी बहुत प्रश्न है ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : प्रश्न संख्या ९९६ ।

श्री हीराभाई : अध्यक्ष महोदय, हम सदन से वाक आउट करते हैं ।

श्री बिट्ठल (बांसवाडा-सु०) प्रजातन्त्र में इस प्रकार की मर्जी चल नहीं सकती । हम वाक आउट करते हैं ।

(समाजवादी सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री विजयसिंह झाला : अध्यक्ष महोदय....

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : Order please.

श्री विजयसिंह झाला : हम मंत्री महोदय से यह चाहते हैं....

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पतिलाल बोहरा ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : प्रश्न संख्या ९९६ ।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, हमें बहुत दुःख है कि मंत्रीजी का जो व्यवहार है यह निराशापूर्ण है । वे चाहते हैं कि हम हमेशा सदन में फटकार, जैसा उनकी सुनाने की आदत है, सुनते रहे । आपकी व्यवस्था हमें स्वीकार है, लेकिन मंत्रीजी के लिए, लोकतन्त्र के लिए वह खतरनाक है । आपने कहा कि अपना-

(श्री रामकिशन)

अपना व्यवहार है और स्टेन्डर्ड है। मंत्रीजी का ऐसा स्टेन्डर्ड हो सकता है, लेकिन इसका क्या मतलब यह है कि विरोध में बैठने वाले लोग हैं वे इस तरह की फटकार सुन लें ?

(व्यवधान-शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : Order please !

श्री रामकिशन : मैं इतना ही समझ पा रहा हूं....

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : आप बैठ जाइये। व्यवस्था हो गई है।

श्री रामकिशन : आप चाहते हैं कि निकल जाय।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : ठीक समझेंगे वैसा करेंगे। उसमें क्या ऐसी बात है ?

श्री रामकिशन : लेकिन जिस तरह का व्यवहार दिखाया गया है वह कोई अच्छी चीज़ नहीं है।

(व्यवधान-शोरगुल)

श्री मोतीलाल चौधरी : आप समझते हैं....

अनेक माननीय सदस्य : आप बैठ जाइये....

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : एक ही माननीय सदस्य बोलें। आपस में आप बात करते हैं, कुछ पता ही नहीं लगता।

श्री रामकिशन : इस चेतावनी के साथ हम सदन छोड़ते हैं कि मंत्रीजी का यही व्यवहार रहा तो सदन की कार्यवाही चलनी असम्भव कर देंगे।

(सदन से बहिर्गमन)

श्री हरदत्तसिंह (नोहर) : अध्यक्ष महोदय, हम आपकी व्यवस्था चाहते हैं कि भविष्य में वे जवाब दें तो सदन का सम्मान रखते हुए दें और भाषा का जो प्रेजन्टेशन है वह अपमानजनक है और सम्मान के प्रतिकूल है। हम आपकी व्यवस्था चाहते हैं कि आप उनको इस प्रकार का निर्देश दें कि वे सदन के प्रति सम्मान रख कर शिष्ट तरीके से जवाब दें। यदि यह व्यवस्था नहीं दी जाती है तो हम इसके प्रोटेस्ट के फलस्वरूप सदन का त्याग करते हैं।

(निर्दलीय माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने इस प्रकार से उत्तर दिया है वह सदन की परम्परा के अनुकूल नहीं है और उन्हें जवाब देते वक्त संयत भाषा का प्रयोग करना चाहिये। यदि वे उस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करते तो वैसी स्थिति पैदा नहीं होती। लेकिन आपने कन्डक्ट की रूलिंग दे दी। आपने पार्लियामेंन्टरी स्टेन्डर्ड और एटीकेट का उल्लंघन करके भी

Page No. 34

(श्री भैरोंसिंह)

मंत्री महोदय को एक रूप से चेतावनी दे दी है कि वे भविष्य में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग न करें। इसलिए इस स्थिति में वाक-आउट करना तो उचित नहीं लगता, लेकिन प्रोटेस्ट जरूर करते हैं।

विधि-मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री रामकिशनजी ने जो यहां कहा कि "हम सदन की कार्यवाही चलना असंभव कर देंगे" ये शब्द एक्स्पन्ज कर दिये जावें। वे सदन में अभी नहीं हैं लेकिन होते तो उनसे वापिस लेने के लिए रिक्वेस्ट की जाती। इस प्रकार का एटीट्यूड न उनके लिए और न ही किसी अन्य माननीय सदस्य के लिए उचित है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इन शब्दों को एक्स्पन्ज कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : I don't think it is necessary.

जैसा एक व्यवहार होता है तो उसकी प्रतिक्रिया होती है।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय अध्यक्ष, एक और निवेदन करना चाहता हूं कि सदन के कई माननीय सदस्यों ने चर्चा की है। अगर ट्रेजरी बेन्चेज से यह एक्सपेक्ट किया जाय और लाजमी है, हम खुद महसूस करते हैं इस बात को, लेकिन जो माननीय सदस्य हैं ऑपोज़िशन में बैठने वाले, वे ट्रेजरी बेन्चेज के लिए भी क्या अल्फाज काम में लाते हैं वह भी गौर करने की बात है....

श्री अध्यक्ष : But who gave the first provocation ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं आज की बात नहीं कहता। हमने यह कहा कि हम मर्जी आये वैसा करेंगे........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आगे-पीछे कब किया है ? तय करवाना चाहते हैं।

श्री माथुरादास माथुर : माननीय हांडा से निवेदन करूंगा वे जिस तरह से हाउस में बोलते हैं दूसरे आदमी वह महसूस न करते हों कि वे प्रवोक न करते हों। गवर्नमेंट के डिस्क्रीशन पर है इसको मानें या न मानें subject to the dedcisions taken by this House; इसके माने यह नहीं है कि सदन का कोई निर्णय हो उसके खिलाफ कोई गवर्नमेंट काम करे। अगर कोई सदन का निर्णय होता है और उसके खिलाफ गवर्नमेन्ट कोई काम करे तो डेफिनिटली एतराज लायक बात है। आपका निर्णय न हो और डिस्क्रीशन आपने गवर्नमेंट को दे दिया है उसको मारवाड़ी भाषा में यह कहा जा सकता है कि 'मरजी आये जैसा करेंगे' "subject to all the restrictions imposed upon us, upon the Ministry by this House, by this Assembly" इसके माने ये है। हमारी कभी यह मंशा नहीं है कि सदन की तरफ से आदेश दे दिया गया हो और न मानकर उसके खिलाफ कार्यवाही करें यह न तो मंत्री महोदय का आशय था और न हो सकता है। इसलिए सदन ने हमेशा आदेश दिये हैं उनको सामने रखते हुए उन्होंने जो गवर्नमेंट को डिस्क्रीशन दिया है उसको काम में लाने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : डिस्क्रीशन का अधिकार है; but it is subject to criticism also which has happened today.

श्री मथुरादास माथुर : Even a right action can be criticised but in a way....

(व्यवधान)

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मैंने कोई ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जिसकी वजह से इतना प्रोवोकेशन आने की जरूरत हुई। जिस तरह का सवाल पूछा गया बराबर फेक्ट्स के आधार पर जवाब दिया गया।

जब माननीय सदस्यों ने यह कहा कि पहले साल में १३ लाख खर्च किया गया और शेष दो सालों का मिलाकर १२ लाख खर्च किया गया। उस संबन्ध में सारा बैक ग्राउन्ड बताकर मैंने यह कहा कि पहले कोर ऑफ दी प्लान पहले साल में तय नहीं हुआ था इसलिये २३६ करोड़ रुपये के प्लान के हिसाब से चल रहे थे, लेकिन जब प्लान २३६ करोड़ से घटा कर २०८ करोड़ की बना दी गई तो नेचुरली इस मद के अन्दर दूसरी दो सालों में प्रोविज़न्स में कमी हुई। वही बैक ग्राउन्ड मैंने माननीय सदस्यों को समझाया। इस पर यह पूछा गया कि ऐसा क्यों किया गया, चुनाव की वजह से किया गया, मैंने कहा; जिस प्रकार का प्रोवीज़न था जो प्रावधान बजट में किया गया वह हाउस द्वारा मन्जूर हुआ, उसके बाद खर्च करने का हमारा काम था। प्रावधान करना हमारे अख्त्यार में है, सरकार को अपनी मरजी मुताबिक, डिस्क्रीशन के मुताबिक कार्यवाही करने का अधिकार है। इस प्रकार के बैक ग्राउन्ड में कहने का तात्पर्य यह था। फिर भी हमारे इस प्रकार के एटीट्यूड को लेकर माननीय सदस्य नाराज़गी जाहिर करते हैं, मैं समझता हूं इसमें मैंने कोई बेजा बात नहीं कही है। आप तो हमारे पर कई प्रकार के आक्षेप लगाते हैं, फिर भी हम चुपचाप सुनते रहते हैं। मेरे द्वारा 'मरजी' शब्द के प्रयोग करने पर आप उसको सुनने के लिये तैयार नहीं हुए।

जहां तक स्टेंडर्ड ऑफ पार्लियामेन्टरी एटीकेट का सवाल है अध्यक्ष महोदय, वह दोनों तरफ से होना चाहिये। जिस भूमिका में हम बोलते हैं उस भूमिका में ऐसे शब्द भी प्रयोग आ जाते हैं जिसके बारे में माननीय सदस्यों को सहनशील होना चाहिये। छोटी छोटी बातों को लेकर 'शेम शेम' की आवाज लगाना और नारे लगाना क्या उस समय स्टेन्डर्ड ऑफ पार्लियामेन्टरी एटीकेट का प्रश्न नहीं उठता? अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि स्टेन्डर्ड सभी तरफ से सुधारने की कोशिश की जाय।

श्री अध्यक्ष : There won't be any debate on this now.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में वाद-विवाद करना नहीं चाहता। अभी माननीय मिर्धाजी ने जो कुछ कहा, जिस बैक ग्राउन्ड में कहा, जिस

Page No. 36

(श्री सतीशचंद्र अग्रवाल)

भावना से कहा, वे सारी बातें उन्होंने सदन के सामने रखी, मैं उनको दुबारा रिपीट करना नहीं चाहता।

अध्यक्ष महोदय, आपने जो कुछ कहा आसन से व्यवस्था हो गई कि उनको अन-पार्लियामेन्टरी करार न देकर पार्लियामेन्टरी एटीकेट के खिलाफ आपने माना, उसके बाद इनको अपने डिफेन्स में कहने की कुछ आवश्यकता नहीं थी। आसन की व्यवस्था से उनको नाराजगी न थी तो वे रिग्रेट कर सकते थे और अपने शब्दों को वापिस ले सकते थे। अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री ने यह भी कह दिया कि सदन में 'शेम शेम' के नारे लगते हैं तालियां बजती हैं वह भी इनडिसेन्ट है पार्लियामेन्टरी एटीकेट के खिलाफ है। आसन से यदि इस प्रकार की व्यवस्था होती है तो सदन उसको भी सहर्ष स्वीकार करेगा और इस प्रकार 'शेम शेम' शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन इस सम्बन्ध में कोई निर्देश नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि आपने पहले भी जिस प्रकार संयम खोया है और जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया था वैसी भाषा का प्रयोग दुनिया की किसी भी पार्लियामेन्ट या विधान सभा में नहीं हुआ था। आपने उसके बाद तीन चार साल तक बेलेन्स कायम रखा और अब फिर आप बेलेन्स लूज करते जा रहे हैं। ज्यादा पॉवर फुल मिनिस्टर होने के नाते आप सदन की डिसेन्सी का ख्याल रखिये, इस हाउस में बैठने के बाद।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो कुछ कहा उसको समझने में माननीय सदस्य को फर्क रहा है। गवर्नमेंट को अधिकार है अपना डिसक्रीशन यूज करने का। मैं गवर्नमेंट का वकील नहीं हूं, लेकिन मेरा ट्रेजरी बेन्चेज से निवेदन है कि उन्हें विशेष सहिष्णुता से व्यवहार करना चाहिये, अॉपोजीशन के माननीय सदस्य अगर दो बार उग्र रूप धारण करें तो सरकार को एक ही दफा उग्र रूप धारण करना चाहिये। यह निर्विवाद बात है मेरी समझ के अनुसार कि माननीय मन्त्री महोदय ने जो उत्तर दिया उसमें डिस्क्रीशनरी पॉवर सरकार को है। इस सम्बन्ध में जो प्रकाश डाला वह उनके अधिकार की बात थी। इसमें अगर गलतफहमी हुई है तो मैं समझता हूं दोनों पक्षों को वस्तुस्थिति समझ लेना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न।

स्थगित प्रश्न

[२७-३-६४ व ३०-३-६४]

मेडिकल रिएम्बर्समेंट बिल

७९७. **श्री सतीशचंद्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : Will the Medical & Health Minister be pleased to reply:-

(1) Is it a fact that Mr. T. P. Bharadwaj, Head of Pathology Department, S.M.S. Medical College, Jaipur submitted twice the bill for medical reimbursement and drew the amount ?

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(2) Was any complaint received in this behalf ? If so, what action was taken in that regard ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा (उप-मन्त्री, स्वास्थ्य) : (१) जी हां।

(२) जी हां, इस सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई थी। एक इन्क्वायरी बोर्ड द्वारा तहकीकात कराई गई थी तथा बोर्ड की सिफारिश प्राप्त होने पर डाक्टर भारद्वाज को चार्जशीट कर दिया गया है।

श्री रामानंद अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, इतना उत्तर तो पिछली बार दे दिया गया था। सदन ने यह जानकारी चाही थी कि चार्ज शीट देने के बाद उनको सस्पेन्ड क्यों नहीं किया गया, जबकि सामान्यतः सस्पेन्ड किया जाता है। प्राइमाफेसी केस प्रूव हो जाने के बाद चार्जशीट दी जाती है। इनके खिलाफ कई चार्जेज थे एक तो इन्होंने रिएम्बर्समेंट के बिल दो दफा उठाये। अभी आपने एक प्रश्न के उत्तर में कहा माइक्रोस्कोप मशीन उनके पास रही इससे भी सन्देह पैदा हो जाता है। उसीके आगे इन्हीं डॉक्टर साहब से सम्बन्धित और भी दो प्रश्न हैं। इन्हीं डाक्टर महोदय ने बायोप्सी एक्जामिनेशन के ६० रुपये अपने पास रखे उनको सात महीने तक जमा नहीं कराया। इसी डॉक्टर से संबंधित एक प्रश्न और है जिसमें ५ हजार रुपये का माइक्रोस्कोप बगैर इजाजत ले गये इससे भी यह सन्देह होता है कि इनकी गायब करने की नीयत थी इस प्रकार से पांच छः केसेज इन डाक्टर साहब के खिलाफ हैं। जो हजारों रुपये का सामान इधर उधर करना चाहते थे, हजारों रुपये का गलत टी० ए० बिल जिन्होंने चार्ज कर लिया, रिएम्बर्समेंट बिल के दो दो बार पैसे वसूल कर लिये फिर भी सरकार इस बात का उत्तर नहीं दे रही है। इस प्रश्न को इसीलिये स्थगित किया गया उनको सस्पेन्ड क्यों नहीं किया जाता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रिलिमिनरी इस सम्बन्ध में जांच किसने की थी ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : पहले पहले ए० जी० की जो रिपोर्ट आयी दो बार बिल इन्होंने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हमने प्रिन्सिपल मेडिकल कालेज को इस सम्बन्ध में इन्क्वायरी करने के लिये कहा उन्होंने सिफारिश की कि यह गजेटेड आफिसर के सम्बन्धित है इसलिये इसकी डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी की जाय। डिपार्टमेंट द्वारा चार्ज शीट दी गई, उस पर उन्होंने इच्छा प्रगट की कि मुझे रेकॉर्ड दिखाया जाय। जिस समय रेकॉर्ड मांगा गया वह फाइल सदन में आ चुकी थी। इसलिये रेकॉर्ड दिखाने का सवाल नहीं हुआ। रेकॉर्ड के आधार पर उनका स्टेटमेंट आ जाने के बाद इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जायगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी में जो चार्जेज थे उससे प्राइमाफेसी साबित हुआ या नहीं ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) जहां तक चार्जेज का ताल्लुक है यह बात सामने आयी है कि उन्होंने दो दफा मेडिकल रिएम्बर्समेंट के बिल ड्रॉ किये। लेकिन डाक्टर ने जो पर्सनल एक्सप्लेनेशन दिया है उसमें

(श्री बरकतुल्ला खां)

उन्होंने यह कहा है पहली मर्तबा जब बिल भेजा था वह रुपया मेरे बैंक अकाउन्ट में जमा नहीं हुआ था। दूसरी बार बिल भेजा वह रुपया मुझे मिला। इस तरह से ए० जी० ने बिल को दो दफा ड्रा करने का चार्ज लगाया तो मैंने पहले बिल का पैसा अपनी तनखा में से कटा लिया। जब मैंने बैंक से इन्क्वायरी की तो पता चला कि पहला जो रिएम्बर्समेंट का अमाउन्ट था वह डा० भारद्वाज के खाते में जमा नहीं हुआ और जनरल खाते में रखा हुआ था। उससे पहले ए० जी० का आब्जेक्शन दूसरे बिल के बारे में आ गया था तो बिल उठाने से पहले ही तनखा में से रुपया कटवा लिया।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी जो की गई है उसके फाइन्डिंग्ज क्या हैं क्या प्राइमाफसी होल्ड की है मेडिकल रिइम्बर्समेंट दो बार चार्ज किया गया ?

श्री रामानंद अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इसमें चार्ज शीट १८।१२।६३ को दी गई। इस सदन का सत्र २१।२।६४ को शुरू हुआ है। दो महीने बाद तक डाक्टर साहब ने कोई जवाब उसका नहीं दिया। दो बार इस सदन में इस बार और पिछली बार भी यह कहा गया कि इतने अरसे तक जवाब क्यों नहीं दिया गया और उसे सस्पेन्ड न करने का क्या कारण है ? अभी तक आपने यह नहीं बताया कि सस्पेन्ड उसे क्यों नहीं किया गया। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, इस महीने में तीन केस और पकड़े गये हैं और उनको भी सरकार ने स्वीकार किया है। तो इस तरह के संगीन केसों में साबित होने के बाद भी क्यों नहीं सरकार कोई एक्शन लेती और क्यों नहीं उनको सस्पेन्ड करती ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में इस रिइम्बर्समेन्ट के बारे में एन्टी करप्शन के द्वारा जांच करवाई गई ?

श्री बरकतुल्लाखां : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री बरकतुल्ला खां : उसकी भी इन्क्वायरी के लिये तैयारी की जा रही है। एन्टी करप्शन ने अपनी राय दी है उस राय पर कार्यवाही की जावेगी।

श्री भैरोंसिंह : क्या राय दी है ?

श्री बरकतुल्ला खां : उन्होंने माना है कि दो दफे रिइम्बर्समेंट किया गया।

श्री रामानंद अग्रवाल : जब दोनों तरफ से प्रूव हो गया डिपार्टमेन्ट से भी और एन्टी करप्शन में भी, तब भी मन्त्री महोदय इसके जवाब को अवोइड कर रहे हैं कि उनको सस्पेन्ड क्यों नहीं कर रहे हैं। चेयर की तरफ से आदेश दिया था कि इस बात का मालूम करें। सामान्यतया इस प्रकार के जुर्म में आदमी को सस्पेण्ड किया जाना चाहिये।

श्री बरकतुल्ला खां : Proper action will be taken within a day or two.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : What is the proper action you are thinking about ? Let us know.

श्री भैरोंसिंह : एन्टी-करप्शन की फाइन्डिंग्ज़ आपने देखी हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाढ़दार ।

श्री भैरोंसिंह : यह इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन हैं, अध्यक्ष महोदय ।

स्थगित प्रश्न

(२–४–६४)

अनधिकृत निर्माण के मामले

८२६. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवा-महल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जयपुर नगरपालिका ने सन् १६५५ के पश्चात् के अॉथोराइज्ड कन्स्ट्रक्शन के कितने केस पेन्डिग पड़े हैं और कितने केस दायर हुए ?

(२) नगरपालिका ने अनअॉथोराइज़्ड कन्स्ट्रक्शन के कितने केसेज़ में गैर कानूनी इमारतों को तुड़वाया ?

(३) जयपुर नगरपालिका इजाजत तामीर की दर्ख्वास्तों पर इजाजत कितने अर्से में दे देती है ? ६ माह के बाद इजाजत दिये जाने के सन् ६० के बाद के कितने मामले हैं ?

(४) क्या जयपुर नगर में व इसके आस-पास लोगों ने सरकारी भूमि पर अनुचित कब्जा कर तामीर कच्ची व पक्की कराली है और यदि हां, तो कहां कहां और कितनी तादाद में ?

(५) राज्य सरकार इस प्रकार कब्जा की गई भूमि का कितना किराया या कीमत वसूल करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) सन् १६५५ के पश्चात् ३१ मार्च, १६६४ तक १४,०२२ अनधिकृत निर्माण कार्यों के मामले पंजीकृत हुए हैं जिनमें करीब ६,३८२ मामले विचाराधीन हैं ।

(२) करीब २५० इमारतों को ।

(३) अगर कोई आपत्ति नहीं होती है तो एक माह में स्वीकृति देने की कार्यवाही की जाती है । सन् १६६० के बाद के ३,०१० मामले विचाराधीन हैं ।

(४) जी हां । शहर की चौकड़ियां हवाली शहर गर्बी, नाहरी का नाका, में एक हजार, चौकड़ी पुरानी बस्ती हाथी टीबा व नदी में २५०, चौकड़ी हवाली शहर शर्की मन्दिर लक्ष्मीनारायण जी २७५, कब्रिस्तान वास बदनपुरा लाल डूंगरी के पास १५० व चौकड़ी हवाली शहर जनूबी अमृतपुरी हरिजन कालोनी में ३५ ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : इन आंकड़ों का आधार क्या है ?

श्री दौलतराम सारण : नगरपालिका द्वारा दी गई सूचना ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : प्रश्न चार में २५० एक जगह बताया है उसी के उत्तर में तीन चार दिन पहले ५५० बताया। वह उत्तर किस आधार पर था और यह किस आधार पर, दोनों में यह अन्तर क्यों ? कौनसी सूचना और आधार सही है ?

श्री दौलतराम सारण : इस समय डेफीनिटली नहीं कह सकता कि पहले के प्रश्न में क्या पूछा था और क्या बताया गया पर जो सूचनाएं दी हैं वे वहां से आई सूचना के सन्दर्भ में दी हैं।

प्रश्न संख्या ८३३

श्री अध्यक्ष : श्री जयलाल।

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन।

स्थगित प्रश्न

(३–४–६४)

अकाल राहत कार्य

८५१. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि लूणकरणसर तहसील में अकाल राहत कार्य बहुत कम स्थानों पर खोले गये हैं ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त तहसील में अधिकांश गांवों में अकाल के कारण भुखमरी की स्थिति है ? अगर हां, तो सरकार सड़कों एवं तलाइयों का काम प्रारम्भ करने में क्यों विलम्ब कर रही है ?

उप-मंत्री, सहायता एवं पुनर्वास (श्री परसराम मदेरणा): अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न तीन तारीख को एडजोर्न करवाया था उत्तर के लिये। पर अभी तक भी पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। बीकानेर से बात करने के बाद में आज शाम को चार बजे तक वे अपना रिप्रजेन्टेटिव भेज रहे हैं इसलिये इसको कल के लिये पोस्टपोन किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम गहलोत।

स्थगित प्रश्न

(३–४–६४)

जागीरदारों के उत्तराधिकारियों की जागीर

८६७. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि भूतपूर्व जोधपुर राज्य में प्रचलित प्रथा, नियम व कानून के अनुसार जागीरदार केवल अपने पुरुष उत्तराधिकारियों को ही जागीर दे सकता था ?

(२) क्या यह भी सच है कि अपने पुरुष उत्तराधिकारियों के अलावा किसी को भी

(श्री तेजाराम गहलोत)

सब-ग्रान्ट (जागीर) की जाने की सूरत में वह जागीर (सब-ग्रान्ट) सरकार द्वारा रिज्यूम की हुई मानी जायेगी ?

(३) पाली जिले में कौन २ सी जागीरें जोधपुर राज्य के कानून व प्रथा के विरुद्ध जागीरदारों ने अपनी औरतों, बेटियों व बेटों की बहुओं को दी ? सूची सदन की मेज पर रखें व उनकी माली आय भी बतावें व सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

(४) पाली जिले की जागीरों को प्रश्न के भाग (३) में बताई हुई सूचना के आधार पर कितना रुपया बतौर मुआवजा व रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट दिया गया व दिया जावेगा व अगर अधिकारी कानून के अधीन धारा १६८ मारवाड़ लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत कार्यवाही करते तो सरकार को रिज़म्प्शन के पहले कितने रुपये की लैंड रेवेन्यू की आमदनी होती ?

(५) मारवाड़ लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा १६८ की कार्यवाही न करने के लिये कौन २ दोषी है और सरकार ने उनके विरुद्ध क्या क्या कार्यवाही की व कब की व जिनके विरुद्ध नहीं की उसका क्या कारण है ?

उप-मंत्री न्याय (श्री परसराम मदेरना): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के सम्बन्ध में भी निवेदन है कि माननीय सदस्य ने कुछ कानूनी मुद्दे इसमें उठाये हैं और कल इस तरह के कानूनी मुद्दों के सम्बन्ध में आपके ऑब्ज-वेंशन्स को ध्यान में रखते हुए मैंने इस प्रश्न को लीगल विभाग को रेफ़र कर दिया है। कोई जवाब दूं ही, इसका मुझे विशेष शौक नहीं है। तो कानूनी मुद्दों के कारण ला मिनिस्टर या कोई कानूनी जानकारी करने के बाद उत्तर दिया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष : आप ठीक तरह से उत्तर दे सकें तो आप दे दें।

श्री परसराम मदेरना : मेरी जैसी समझ है, वैसा दूंगा।

श्री अध्यक्ष : दीजिये आप, realisng that we will hear it.

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय ने कह दिया आप दीजिये न जवाब।

श्री अध्यक्ष : हम सुनने को तैयार हैं।

श्री परसराम मदेरना : लॉ डिपार्टमेंट को राय आने के बाद में मैं अपनी बात कह दूं।

श्री अध्यक्ष : जो भी आप, उत्तर देना चाहें तो दे दें।

श्री परसराम मदेरणा : केस लॉ डिपार्टमेंट को रेफर किया है मैंने....

श्री अध्यक्ष : फिर आपने बहस क्यों बढ़ाई अगर अभी जवाब नहीं देना था तो आप यह कह देते कि बाद में दूंगा, जैसी समझ है वैसा दूंगा क्यों कहा ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : यही तो कहा।

श्री अध्यक्ष : I understand what you mean and it is not very creditable.

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : It means postponment.

श्री अध्यक्ष : एक प्रश्न और था।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिये कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

तिजारा में अदालत

३०७. **श्री हरिराम चौहान** (तिजारा) : क्या गृह मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगेः—

(१) क्या यह सही है कि तिजारा में प्रथम श्रेणी दण्डनायक की अदालत पहले हुआ करती थी ?

(२) क्या यह सही है कि ४०–४० मील दूर तक के लोगों को किशनगढ़ पेशियों पर आना पड़ता है इससे उनको काफी असुविधा हो रही है ?

(३) क्या सरकार का अतिरिक्त मजिस्ट्रेट तिजारा में रखने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी हां, (माह नवम्बर, दिसम्बर सन् १९५९ में वहां से यह कोर्ट खतम कर दी)

(२) अधिक से अधिक ३०–३५ मील से लोग आते हैं यह दूरी बहुत अधिक नहीं है अतः असुविधा का प्रश्न नहीं उठता।

(३) ऐसा प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

छोटा नाला—तहसील सिकराय

३०८. **श्री लक्ष्मण प्रसाद पटेल,** (सिकराय) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(१) क्या यह सही है कि सिकराय तहसील में जो छोई नाम का बरसाती नाला है उसका कभी सर्वे करवाया गया था ?

(२) सरकार इस नाले की खुदाई के कार्य के सम्बन्ध में क्या विचार रखती है ?

(३) क्या यह सही है कि इस नाले से काफी फसलें भी नष्ट हो जाती हैं ?

(४) क्या यह सही है कि इस संबंधी कागजात संबंधित असिस्टेन्ट इन्जीनियर के पास विचाराधीन हैं और इस संबंध में पंचायत समिति सिकराय की ओर से संख्या २३९ दिनांक ५ मई, १९६२ को उत्तर भी भेजा जा चुका है ?

उत्तर

(१) जी हां, विकास विभाग ने पंचायत समिति सिकराय के द्वारा इसका साधारण सर्वे करवाया गया था।

(सिंचाई मंत्री)

(२) बिना विस्तृत सर्वे व तखमीने के इस विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

(३) इसकी इस विभाग को कोई जानकारी नहीं है।

(४) इसकी इस विभाग को जानकारी नहीं है।

परमवीर चक्र

३०९. **श्री लक्ष्मीकुमारी चूंडावत,** (भीम) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

देश के आजाद होने के बाद कितने राजस्थानी सैनिकों को परमवीर चक्र मिला है और उनके नाम क्या है?

उत्तर

देश के आजाद होने के बाद मेजर शैतान सिंह को ही परमवीर चक्र मिला है।

आत्म हत्याएं

३१०. **श्री रामकिशन,** (वैर) [श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा)]: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) गत पांच वर्षों में अलग अलग राज्य में आत्म-हत्या की कितनी घटनायें हुई हैं तथा सालाना औसत कितना है?

(२) आत्म-हत्या करने वालों में स्त्रियों, पुरुषों व बच्चों और विद्यार्थियों की संख्या क्या थी? इन आत्म हत्याओं के मुख्य कारण क्या क्या रहे हैं?

उत्तर

(१) पिछले पांच वर्षों (१९५९ से १९६३) में राजस्थान में क्रमशः ४१७, ३९२, ३११, २९६ एवं ३१९ व्यक्तियों ने आत्म हत्या की जिनकी औसत ३४७ है।

(२) इनमें ७३६ पुरुष जिनमें ४६ विद्यार्थी थे एवं ९९९ स्त्रियां जिनमें ४६ विद्यार्थिनी थीं। इनकी आत्म हत्याओं के मुख्य कारण गृह कलह, लम्बी बीमारी, बेकारी एवं आर्थिक कठिनाइयों, प्रेम में असफलता, परीक्षा में असफलता, पागलपन, दुश्चरित्रता के परिणाम स्वरूप बदनामी एवं किसी प्रियजन की मृत्यु इत्यादि के कारण वियोग इत्यादि थे।

गोविन्दगढ, खेड़ली और कठूमर थानों में दर्ज मामले

३११. **श्री नत्थीसिंह,** (गोविन्दगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) खेड़ली व गोविन्दगढ़ तथा कठूमर (जिला अलवर) थानों में सन् ६१-६२ व ६२-६३ में कितने और किस किस किस्म के केस दर्ज हुए और कितनों में चालान पेश किया गया और कितनों में फाइनल दिया गया? पृथक २ थानों का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री नत्थीसिंह)

(२) उपरोक्त थानों में कितनी २ चोरियां बरामद की गई और कितनी बरामद नहीं हुई ? किन व्यक्तियों की चोरी बरामद नहीं हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। चोरी बरामद न होने का क्या कारण है ?

उत्तर

(१) यह सूचना विवरण सूची (अ) में है जो संलग्न है ।

(२) बरामद शुदा मुकदमात की सूचना संलग्न सूची (अ) के खाना नं० ६ में दर्ज है तथा अदमपता मुकदमात खाना नं ७ में दर्ज है। जिन व्यक्तियों की चोरी बरामद नहीं हुई उनकी सूची नं० (अ) संलग्न है। चोरी बरामद न हो सकने के मुख्य कारण यह थे:—

१. किन्हीं में खोज निशान मौके पर न मिल सके।

२. माल मशरूका काबिल शनाख्त नहीं था ।

३. घटनास्थल पर कोई ऐसा चिन्ह, वस्तु या प्रमाण नहीं मिला जो पता लगाने में सहायक हो।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सरप्लस कर्मचारी

३१२. श्री श्रवणलाल, (हिन्डौन) :-क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सचिव, राज्यपाल महोदय की आज्ञा संख्या ३५६५ दिनांक २६-४-६१ से किस किस वेतन श्रेणी में काम करने वाले किन किन कर्मचारियों को सरप्लस घोषित किया गया ?

(२) इन कर्मचारियों को किस किस वेतन पर कब कब किस किस विभाग में एब्जोर्ब किया गया ?

(३) किन किन कर्मचारियों के एब्जोबेर्शन में उनका कितना कितना वेतन स्तर कम किया गया और क्यों ?

उत्तर

(१) जिन कर्मचारियों को सरप्लस घोषित किया गया था उनके नाम, पद व वेतन संलग्न सूची में दिये गये हैं ।

(२) १४ व्यक्तियों को समावेश कमेटी २५-१-४० का वेतन श्रेणी में निम्न विभागों में दिनांक १६-५-६१ से समावेश किया गया :—

१. आर्थिक व संकलन विभाग	४
२. चिकित्सा विभाग	२
३. पशुपालन	६
४. महारानी कालेज	२

(श्री मुख्य मंत्री)

(३) केवल ४ व्यक्तियों को, जो कि ४०-२-६० व ३०-१-४५ की श्रेणी में थे २५-१-४० की श्रेणी में लगाया गया क्योंकि उनके वेतन स्तर व उनकी योग्यता की कोई दूसरी खाली जगह उस समय नहीं थी।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

गाड़ियों पर वार्षिक खर्च

३१३. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या मुख्य मन्त्री (सामान्य प्रशासन) यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य सरकार द्वारा कुल कितनी गाड़ियां किस किस विभाग में दी हुई हैं ? इसके पीछे राज्य का कुल मिलाकर कितना वार्षिक खर्च होता है ?

उत्तर

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में कुल मिलाकर १६६३ गाड़ियां सरकारी कार्य हेतु दी हुई हैं। जिन विभागों में यह गाड़ियां दी हुई हैं उनकी सूची संलग्न है। इन सरकारी गाड़ियों पर सन् १६६२-६३ में ७८,०६,०२० रुपये खर्च हुए हैं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

वल्लभ-नगर तहसील के गांवों में फसलें खराब होना

३१४. **श्री उदयलाल वर्दिया** (लसाड़िया) : क्या सहायता कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या वल्लभनगर तहसील के गांव कुन्डई क्षेत्र, पाणुद क्षेत्र, मोतीदा क्षेत्र-अकोला सारंगपुरा आदि पटवार हल्के के गांवों में फसलें खराब होकर छः आने से कम पैदावार हुई है और कुओं में खेती के लिये पानी तो है ही नहीं बल्कि कई गांवों में पीने के पानी की भी कठिनाई है ? यदि हां, तो ऐसे कितने गांव हैं और सरकार द्वारा उन गांवों के लोगों के लिये क्या २ सहायता कार्य खोलने का निश्चय हुआ है।

उत्तर

यह सही नहीं है। वल्लभ नगर तहसील के सभी गांवों में फसल खरीफ की अच्छी हुई और किसी भी गांव में नुकसान एक रुपये से आठ आने या इससे अधिक नहीं हुआ है अतः अभाव ग्रस्त घोषित करने का प्रश्न ही नहीं उठता है न पीने के पानी की समस्या है और इस कारण से सहायता कार्य खोलने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

बीकानेर जिले में बोरिंग

३१५. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

तीसरी योजनाकाल में बीकानेर जिले में किन स्थानों पर परीक्षणात्मक नल-कूप संगठन द्वारा बोरिंग कराने का प्रावधान है तथा कब तक उक्त कार्य प्रारम्भ हो जायगा ?

(कृषि मंत्री)

उत्तर

तीसरी योजना में बीकानेर जिले में निम्न स्थानों पर परीक्षणात्मक नलकूप संगठन Exploratory Tubewell Organisation Government of India द्वारा बोरिंग कराने का प्रावधान है:—

(१) सोआ

(२) देशनोक

(३) पींचवाल फार्म

(४) बादरेसर

(५) देउतरा

(६) लोआ

(७) माडलचारणा

इन स्थानों में से सोआ, पींचवाल फार्म, और देउतरा पर परीक्षणार्थ नल कूप ड्रिलिंग किया गया है जो कि पानी न होने से असफल रहे।

शेष स्थानों का अभी ड्रिलिंग नहीं किया गया है।

चम्बल प्रोजेक्ट एरिया में भूमि की अवाप्ति

३१६. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि चम्बल प्रोजेक्ट एरिया में नहरों के निर्माण कार्य हेतु भूमि को अवाप्त किया गया है।

(२) यदि हां, तो केशवरायपाटन तहसील में कुल कितने एकड़ भूमि कौन २ से ग्राम में एक्वायर की गयी है ?

(३) क्या यह सही है कि किसानों को बिना नोटिस दिये व गजट में प्रकाशन किये बिना उनकी खड़ी फसलों में नहर खोदी गयी थीं ! नहरों के निर्माण का कार्य कौनसी तारीख व साल में किया गया था ?

(४) क्या यह सही है कि केशवराय पाटन तहसील के किसानों को अभी तक नहरों में खोदी हुई जमीन का मुआवजा चुकाया नहीं जा सका है ?

(५) अब कुल कितने किसानों का कितना मुआवजा किस किस गांव का भूमि अवाप्ति हेतु देना बाकी है ? केशवरायपाटन के क्षेत्र की ग्रामवार तालिका सदन की मेज पर रक्खें।

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

बांधों से बैटरमेंट लेवी की वसूली

३१७. **श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल** (सिकराय) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जयपुर जिले में कौन कौन से बांध ऐसे है जिनसे सिंचाई किये जाने पर सरकार

Page No. 47

(श्री लक्ष्मणप्रसाद पटैल)

बैटरमेन्ट लेवी वसूल करती है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(२) क्या यह सही है कि तहसील सिकराय के भण्डारी बांध से भी सरकार बैटरमेन्ट लेवी वसूल करती है जबकि वह बांध पंचवर्षीय योजनाकाल से पहले ही बना हुआ था ?

उत्तर

(१) जयपुर जिले में कालाखो, झिलमिली व भण्डारी सिंचाई योजनाओं पर बैटरमेन्ट लेवी लागू की गई है।

(२) जी हां, भन्डारी सिंचाई योजना पर बैटरमेन्ट लेवी इसलिये लागू की गई है क्योंकि यह योजना सन् १९५०–५१ में सम्पूर्ण हुई और उसी वर्ष सिंचाई चालू की गई। राजस्थान विशेष सिंचाई शुल्क अधिनियम सन् १९५३ की धारा २ क्लॉज १० के अनुसार केवल वह योजनाएं सुधार कर से मुक्त रखी गयी हैं जो ७ अप्रैल सन् १९४९ से पूर्व संपूर्ण हो चुकी थी।

सिंचाई विभाग की योजनाओं पर व्यय

३१८. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान के निर्माण से लेकर आज दिन तक कुल कितना व्यय सिंचाई विभाग की योजनाओं पर किया गया है ?

(२) इससे कुल कितनी भूमि की सिंचाई होती है तथा आय एवं व्यय कितना है ?

(३) इन सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत कितनी भूमि पानी में डूबी तथा नई सिंचित कितनी हुई ?

(४) राजस्थान में एक कुए के निर्माण पर कितना व्यय होता है तथा जो धनराशि सिंचाई विभाग द्वारा व्यय हुई है उससे कितने कुए खोदे जा सकते हैं ?

(५) एक कुए से कितनी भूमि अधिक से अधिक सिंचित हो सकती है ?

उत्तर

(१) राजस्थान में प्लान योजनाओं पर कुल ८६.३२ करोड़ रुपया दिसम्बर १९६३ तक खर्च हुआ है।

(२) प्लान योजनाओं से सन् ६२-६३ में कुल ८.२३ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हुई ५७ लाख रुपये की आय इससे हुई और उन पर व्यय ६४ लाख रु० का है।

(३) लगभग ४० हजार एकड़ भूमि उसमें आई है और ८.२३ लाख एकड़ नई भूमि सिंचित हुई है।

(४) ५००० रु० के लगभग होता है जो सिंचाई योजनाओं पर खर्चा किया गया है उससे लगभग १,७२,००० कुए बन सकते हैं।

(श्री सिंचाई मंत्री)

(५) एक कुए से करीब ४ एकड़ भूमि सिंचित होती है ।

सादड़ी अस्पताल में चारपाइयों की व्यवस्था

३१६. श्री शंकरलाल (सादड़ी) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि बड़ी सादड़ी अस्पताल में मरीजों के लिये चारपाइयों की भी व्यवस्था नहीं है जिससे मरीजों को काफी कठिनाई होती है ? यदि हां, तो चारपाइयों की व्यवस्था कब तक की जायगी ?

उत्तर

जी नहीं । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

नगरपालिकाओं में अधिकारियों की नियुक्ति

३२०. श्री श्रवणलाल (हिन्डोन) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान की किन किन नगर-पालिकाओं में कौन कौन सेक्रेटरी या कमिश्नर या इनके समानान्तर पदों पर कार्य करने वाले अधिकारी कार्य कर रहे हैं जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा सन् १९५२ के पश्चात् बिना किसी सलेक्शन के की गई ? कृपया इसकी तालिका मय तारीख नियुक्ति के सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(२) नगरपालिकाओं में सेक्रेटरी कमिश्नर या इसके समानान्तर पदों पर नियुक्ति किये जाने की वर्तमान प्रक्रिया क्या है और अब तक क्या प्रक्रिया रही है ?

(३) प्रश्न (१) में अंकित अधिकारियों के लिये यह प्रक्रिया लागू की गई थी या नहीं और नहीं, तो क्यों ?

(४) प्रश्न (१) में अंकित अधिकारियों की क्या क्या योग्यता है और उनको किस ग्रेड में किस किस के द्वारा नियुक्त किया गया था और अब उनको कुल माहवारी वेतन मय भत्ता आदि के क्या क्या मिल रहा है ?

कृपया तालिकायें सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रखी गई है ।

(२) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, १९५१ की धारा २११ व २१३ व अधिनियम, १९५९ की धारा ३०७ के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के अनुसार योग्यता व अनुभव के आधार पर नियुक्तियां की गई हैं व की जा रही हैं ।

(३) लागू की गई थी ।

(४) प्रश्न (२) के उत्तर के अनुसार नियुक्तियां की गई हैं । योग्यता व ग्रेड सूची में दिखादी गई है । कुल माहवारी वेतन कितना दिया जाता है, प्राप्त नहीं है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बिलाड़ा में शीप शीयरिंग सेन्टर्स

३२१. **श्री तेजाराम गेहलोत** (सोजत) : क्या पशु पालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बिलाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में कहां कहां पर शीप शीयरिंग सेन्टर्स खोले हैं वे कब से ?

(२) उक्त सेन्टर्स में कब कब व किस व्यक्ति की कितनी भेड़ों का शीयरिंग किया गया ।

(३) उक्त सेन्टर्स पर सरकार व पंचायत समिति का सेन्टर्स बनने के बाद किस किस मद में कितना कितना खर्चा हुआ ?

उत्तर

(१) बिलाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में केवल एक भेड़ व ऊन प्रसार केन्द्र ग्राम पिचाक में है जो सन् १९५२-५३ में खोला गया था ।

(२) उक्त केन्द्र में केवल ऊन कतरन का प्रदर्शन (Demonstration) ऊन कतरन के मौसम में समय-समय पर किया जाता रहा है ।

(३) इस केन्द्र पर वास्तविक व्यय की सूचना सम्बन्धित अधिकारियों से प्राप्त की जा रही है । वैसे सन् १९५९-६० से जब से यह केन्द्र पंचायत समिति के अधीन हुआ तब से अब तक इस केन्द्र के लिए जो राशि पंचायत समिति को दी गई वह इस प्रकार है:—

१९५९-६०	१,६३६ रु०
१९६०-६१	३,१२५ रु०
१९६१-६२	३,५०४ रु०
१९६२-६३	३,२६० रु०
१९६३-६४	३,९८० रु०

बिलाड़ा मार्केटिंग सहकारी समिति को धान बेचने का आंवटन

३२२. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) १ जनवरी, १९५९ से ३१ दिसम्बर, १९६३ तक बिलाड़ा मार्केटिंग सहकारी समिति को धान बेचने हेतु कब कब आवंटन (एलाट) किया गया व कितना कितना रुपया बतौर चौथाई एडवान्स में जमा करवाये गये व कब कब ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(२) उक्त अर्से में एलाट किया गया धान कितनी कितनी कीमत का था व सहकारी समिति से कितना कितना तहसीलदार ने जमा करवाया ?

(३) प्रश्न के भाग (२) में बताई गई राशि जो धान की कीमत से अधिक जमा करवाली गई वह कितने कितने समय तक सरकारी खजाने में जमा रही व सहकारी समिति ने उनकी अदायगी की कब कब मांग की ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है ।

(श्री खाद्य मंत्री)

(२) वांछित सूचना सूची में प्रस्तुत है।

(३) यह राशि ११२४६.७५ न० पै० की अधिक जमा हुई थी जिसकी रिफन्ड की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। रकम अब तक जमा है। मार्केटिंग सहकारी समिति द्वारा दिनांक ३-१०-६१, १३-१२-६१ २६-१२-६१, ५-३-६२, २२-५ ६२, ३-६-६२, १५-१०-६२ २४-१२-६२, २६-१-६३, २४-३-६३, ७-८-६३ एवं २-१२-६३ को समिति द्वारा प्रस्तुत की गई।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिए)

गंगानगर जिले में अपराध

३२३. श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : (रायसिंहनगर) : क्या गृहमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) गंगानगर जिले में पिछले दस वर्ष में कितने डाके, राहजनियां, मर्डर्स, नकबजनियां चोरियां, जिना बिलजब्र, व मारपीट के केस हुए हैं ? सूचना वर्षवार तथा थानेवार देने की कृपा करें।

(२) इनमें से कितने कत्ल, डाके, चोरिया, नकबजनियां बरामद हुए तथा उन्हें बरामद करने में कितना समय लगेगा ?

उत्तर

१ : सूचना संलग्न सूची पत्र में दी गई है।

२ : कत्ल के ५४२ मुकदमात में से ३५२ का, डकैति के ६३ मुकदमात में से ३४ का, चोरियों के ३०८४ मुकदमात में से ६५४ का व नकबजनियों के २८४१ मुकदमात में से ६४८ मुकदमात का चालान किया गया। इन मुकदमात की बरामदगी में कितना समय लगा यह इंगित करने के लिए हर एक केस को तफ्तीशी फाईल का अध्ययन करना आवश्यक है। पुराने मुकदमों की तफ्तीशी फाइल नियमानुसार नष्ट की जा चुकी है और शेष मुकदमात की सभी फाइलें उपलब्ध नही हो सकी। क्योंकि बहुत सी मुकदमों की तफ्तीशी फाइलें ट्रायल्स अपील या निगरानी के सम्बन्ध में भिन्न स्थानों की अदालतों में गई हुई हैं। अतः बरामदगी में लगने वाले समय के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने में कठिनाई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

दिनांक ८ अप्रेल, १९६४ का स्थगित प्रश्न ११२ सम्बन्धी शासकीय स्पष्टीकरण

श्री मथुरादास माथुर (विधिमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, कल एक प्रश्न, संख्या ११२ एस. एन. क्यू. प्रश्न कर्ता श्री रावतराम, सदस्य विधान सभा के सम्बन्ध में था। इस प्रश्न का उत्तर दे दिया गया था। पर आपने आदेश दिया था कि पब्लिक डिमाण्ड्स रिकवरी एक्ट के मातहत जो कुछ भी कार्यवाही की गई और जो फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट का सर्कूलर निकला उसके बारे में लीगल पोजीशन क्या है, उसके बारे में मैं सदन को उत्तर दूं।

(श्री मथुरादास माथुर)

लिहाजा मैंने इस प्रश्न को पूरी तौर से स्टडी करने की कोशिश की है। इसमें माननीय अध्यक्ष, जहां तक सेक्शन २४ से सम्बन्ध है उस सैक्शन के अन्दर यह कहा गया है :
"subject to such limitations as may be prescribed."

मैं इतना ही पढ़ूंगा। बाकी आप सब जानते हैं।

इसलिये यह कानून १९५२ के अन्दर जब बनाया गया था उस वक्त लेजिस्लेशन में ये वर्डज यूज किये गये थे :

"subject to such limitations as may be prescribed."

मैं इसमें दो बातों की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

एक बात, "officer incharge of such proceedings"; दूसरी, "subject to such limitations as may be prescribed."
१९५२ के बाद में रूल्स के द्वारा सरकार ने इस लिमिटेशन को प्रेस्क्राइब किया था १९६१ के अन्दर। रूल नम्बर १२-ए के मातहत इसको प्रेस्क्राइब किया।

इसलिये १९५१ से १९६१ तक लीगल पोज़ीशन यह रही कि जो ऑफिसर इन्चार्ज किन्हीं प्रोसीडिंग्ज़ का हो, वह अपना डिस्क्रीशन एक्सर्साइज करे। क्योंकि जब तक कोई भी लिमिटेशन प्रेस्क्राइब नहीं की जाती है तबतक १९६१ तक वह डिस्क्रीशन अनफैटर्ड था और १९६१ में रूल्स के द्वारा डिस्क्रीशन की लिमिटेशन्स रख दी गईं, उसके बाद में उनको उन लिमिटेशन्स के आधार पर चलना पड़ेगा।

इस वक्त यह कह देना चाहता हूं कि १२ ए के मातहत रेस्ट्रिक्शन रख दी हैं वे बिलकुल लीगल और कानूनी हैं क्योंकि उनको लगाने का अधिकार सदन ने सरकार को दिया था। इसलिये १२-ए के बारे में उसकी लीगेलिटी को डाउट नहीं किया जा सकता।

दूसरा प्रश्न यह पैदा होता है कि जब १९६१ तक अनफैटर्ड डिस्क्रीशन था तो १९५९ में फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट ने एक सर्कूलर जारी किया और वह...........

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : १९५९ में !

श्री मथुरादास माथुर : जी हां। फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट ने एक सर्कूलर जारी किया और उन्होंने यह कहा कि रूल्स १९६१ में इनकोर्पोरेट किये। अब इसमें दो प्रश्न हमारे सामने हैं कि इस सर्कूलर की क्या पोजीशन है। इस सर्कूलर की लीगल स्टेटस नहीं है। यह सर्कूलर सिर्फ गवर्नमेन्ट के सबोर्डिनेट अफसरों को इन्स्ट्रक्शन के फोर्म में लिया जा सकता है जो करने में सरकार कम्पीटेन्ट है। हाई कोर्ट भी डे-टु-डे के एडमिनिस्ट्रेशन में इन्स्ट्रक्शन्स सबोर्डिनेट कोर्ट्स को देता है। इसके माने यह नहीं कि वह कोई कोर्ट का कांन्टेम्प्ट करता हो। किसी किसी में इन्स्ट्रक्शन्स न दी हों, पर जनरल गाइडेन्स जो कोर्ट और ऑफिसर्स सबोर्डिनेट टू दी हाई कोर्ट या गवर्नमेन्ट हैं, उनको इन्स्ट्रक्शन देने के

(श्री मथुरादास माथुर)

लिये हुई कोर्ट या सरकार क्रमश: काम्पीटेन्ट हैं।

इसलिये इस सर्कुलर से हम, जिस तरह से यहां पर कहा गया कि यह सर्कुलर कांटैम्प्ट ऑफ टी कोर्ट है, यह भावना कतई नहीं है और इसके लिये कोई ऐसा नहीं कहा जा सकता। मगर इस सर्कुलर की लीगेलिटि उसी फार्म में समझी जाती है as a guidance or instructions to the officers subordinate to the Government अब उसके अलावा अगर कोई ऑफिसर इस सर्कुलर को नहीं माने और वह ऑफिसर लीगली लाएबल नहीं है। इसलिये इस सर्कुलर की लीगेलिटी के बारे में भी आपने कहा था उस पर मैंने रोशनी डाली है।

दूसरे इस सर्कुलर के अन्दर एक कन्फ्यूजन और हो गया है और वह यह हुआ है कि उन्होंने लिखा है कि सैकन्ड पैरा के अन्दर पहले (फर्स्ट) पैरा के अन्दर लिखा है लास्ट टू लाइन्स में :

"The decision regarding the exact amount to be charged between the two limits is left to the Offieer issuing the certificate as provided in Section 24 of the Public Demand Recovery Act."

Section 24 says about the officer incharge of such proceedings. Therefore this circular is about the officer issuing certificate as provided under section 24. Therefore, it should be deemed to have been interpreted that the officer issuing certificate means here the officer-in-charge of the proceedings.

The intention of the Circular was as in Section 24 of the Act i. e. the officer-in-charge of the proceedings.

The intention of the circular is very clear when they said that "as provided under Section 24". This circular meant for the officer-in-charge undertaking the proceedings. This circular was issued in 1959.

श्री अध्यक्ष : रूल्स बने १९६१ में ?

श्री मथुरादास माथुर : Yes. Therefore, I have submitted already that so far as this circular is concerned, it has no legal force. In it are the instructions of the Government to their subordinate officers for their guidance. But the discretion of the subordinate officers is unfettered. They can go to 20% or 25%. As the Government was considering the issue of rules, these instructions were issued.

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एस्टीमेट्स कमेटी से अपना नाम वापिस करूंगा।

श्री मथुरादास माथुर : तो मैं निवेदन करूंगा कि अब यह स्थिति है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): Why should you try to

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

fetter the discretion of the officers concerned by such illegal methods? This particular circular is without the authority of law.

श्री मथुरादास माथुर : I completely agree with the hon. Member that this circular has no force of law. This circular can at best be described as instructions to subordinate officers of the Government, which the Government is competent to issue from time to time.

श्री अध्यक्ष : इन्सट्रक्शन्स यह दिये हैं कि अमेन्डमेन्ट होते रहेंगे, आप वसूली कर लें। और इस चिट्ठी के इश्यू होने में दो साल लगे हैं। Is the Government competent to issue such instructions कि रूल्स तो अमेन्ड होते रहेंगे और आप वसूली शुरू कर दो?

श्री मथुरादास माथुर : My submission is this that their discretion still remains unfettered. This circular does not bar their discretion. This circular can at best be considered as a guide that you must not charge more than 10 percent. This is the position.

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : The officer issuing the certificate and the officer-in-charge of the proceedings वह तो एक ही आदमी है कलेक्टर, उसमें कोई डिफरेन्स नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : It may be one, it may be two also.

श्री रघुनाथ विश्नोई : कानून में लिखा है।

उप मंत्री, स्वायत शासन (श्री परसराम मदेरणा) : If one Collector sends to another Collector, then there can be two persons.

श्री मथुरादास माथुर : The requisitioning officer is under Section 3. The officer requisitioning the demand sends to the Collector. The Collector issues the certificate, but then he may send the certificate to another Collector in whose district the property may be situated.

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : In rare cases.

श्री मथुरादास माथुर : Then he may delegate the proceedings to subordinate officers, S. D. O. or Tehsildar also.

श्री रघुनाथ विश्नोई : कुछ डिस्ट्रिक्टस में तो वही रहता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : मेरे ख्याल से बहस की आवश्यकता नहीं है। विधि मंत्री जी ने स्थिति का स्पष्टीकरण किया। सदन का समय इस संबन्ध में ज्यादा लेने का मतलब यही था कि यह फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट की जो आज्ञा है उसमें कई कानूनी तथ्य थे और एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी का मामला भी था और

(श्री अध्यक्ष)

इसलिए इस संबन्ध में इतनी चर्चा की। जैसा विधि मंत्री जी ने स्वीकार किया कि इसमें ड्राफ्टिंग की गलतियां भी हैं और कानूनी दृष्टिकोण से भी इसमें कुछ कहा जा सकता है और जहां तक प्रशासनिक दृष्टिकोण है कि दो साल बाद तक आप रूल्स जारी करें और पहले से ही सब को सर्कुलर इश्यू कर दिया और वह सर्कुलर ऐसा है कि जो कि क्वैसी जुडीशियल ऑथोरिटी के पास जायेगा और गवर्नमेन्ट ऑफिसर्स ने आज्ञा के रूप में लिया है और इसी के अन्तर्गत सैकड़ों केसेज तय किये होंगे। अगर यह ऐसी आज्ञा नहीं होती तो शायद ऐसे केसेज़ नहीं होते। इसलिए सरकार का ध्यान आकर्षित करना है कि ऐसे सर्कुलर्स इश्यू करने के पहले सोचें कि किस तरह से उसको करना चाहिए। विधि डिपार्टमेन्ट से पूछें और उसका जो औचित्य हो, जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए उसको सर्वोपरी मानें और कानून के अन्दर जो अधिकार हैं उनके अन्तर्गत ही कार्यवाही करें।

राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, १९६४ राजस्थान नगरपालिका एवं (संशोधन) विधेयक, १९६४

(प्रतिवेदन की प्रस्तुति हेतु समय में वृद्धि)

श्री बरकतुल्ला खां (स्वायत शासन, मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान अर्बन इम्प्रूवमेन्ट (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६४ और राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज़ (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६४ के सिलेक्ट कमेटी के प्रतिवेदन के पुरः स्थापन के लिए समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक के लिए बढ़ा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान अर्बन इम्प्रूवमेन्ट (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६४ और राजस्थान म्यूनिसिपैलिटीज़ (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६४ के प्रतिवेदन का समय अगले सत्र के पहले सप्ताह तक बढ़ा दिया जाये।

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

सरकारी आश्वासनों सम्बधी समिति के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री जुझारसिंह (सभापति, आश्वासन समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकारी आश्वासनों संबन्धी समिति १९६३-६४ के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

स्थगन-प्रस्तावों विषयक

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, एक स्थगन-प्रस्ताव दिया था। चम्बल की घाटी तो राजधानी बनी है और डाकुओं ने बाकायदा सरकार का निर्माण किया है....

श्री अध्यक्ष : दौसा की डकैती के बारे में गृह मंत्री वक्तव्य देंगे।

श्री विजयसिंह झाला : मुख्य मंत्री का स्थान डाकू चन्देले ने लिया है और हमारे योजना मंत्री का स्थान माधोसिंह ने लिया है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कोई भी मसला उठाने के पहले आप आज्ञा प्राप्त करें।

श्री विजयसिंह झाला : डाकुओं की कॉन्फ्रेन्स हुई है........

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री निरन्जननाथ आचार्य (उप-मन्त्री, गृह) I have not been asked to give any statement.

श्री अध्यक्ष : आप उसका उल्लेख नहीं करें। उसको डिसएलाउ कर दिया है; मतलब कि चर्चा नहीं हो।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : वे समझें कि डिसएलाउ करने का क्या नतीजा निकलता है?

श्री अध्यक्ष : आप डकैती के सम्बन्ध में वक्तव्य दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : अध्यक्ष महोदय, राणा प्रतापसागर डेम के के पिलर नं० ८,२४ और २८ क्रेक हो चुका है। इसके सम्बन्ध में मेरा स्थगन-प्रस्ताव था जिसके लिए आज स्टेटमेंट देने की बात थी।

श्री अध्यक्ष : स्टेटमेंट आज देने की बात नहीं थी। मन्त्री महोदय के पास भेजा है वक्तव्य देने के लिए। जब जानकारी आ जायगी तो दे देंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सदन का समय समाप्त हो रहा है तो जनाकारी तो करनी पड़ेगी।

श्री रामकिशन वैर : मैंने परसों दिया है।

श्री अध्यक्ष : कह तो दिया है कि जानकारी आने पर सोचेंगे कि आगे क्या कार्यवाही करनी है?

श्री रामकिशन : कोटा से जांच करने में इतनी क्या दिक्कत है? मन्त्री लोग अभी वहां गये थे दावत खाने तो सब देखकर आये हैं।

श्री अध्यक्ष : तो आप वहां पर ही उपस्थित कर देते।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि पिलर नं० ८ बहुत इम्पार्टेन्ट जगह पर है और पिलर नं० २४ और २८ भी बहुत इम्पोर्टेन्ट जगहों पर है। सारे का सारा बान्ध खत्म हो जायगा। इस पर हमारा करोड़ों रूपया खर्च हुआ है तो यह बहुत भयानक बात है। अध्यक्ष महोदय, इस पर लापरवाही से देखने की बात नहीं है। इस सम्बन्ध में सवा साल पहले माननीय श्री भीखाभाई वहां पधारे थे तो वहां की चम्बल मजदूर यूनियन ने उनको सूचना दी थी कि पिलर जो हैं वह क्रेक होंगे, क्योंकि मोडर्न कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ने मेटीरियल और पत्थर घटिया लगाया है।

श्री अध्यक्ष : इसकी जानकारी दी जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मन्त्री महोदय का ध्यान जब इस ओर खींचा गया था तो

Page No. 56

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

उन्होंने कहा था एक्सपर्ट वगैरह से तो अध्यक्ष महोदय........

ग्राम भाखरी (दौसा) में २६-२७ मार्च, १९६४ को हुई डकैती विषयक शासकीय वक्तव्य

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मन्त्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, दिनांक २६ व २७ -३- ६४ के बीच की आधी रात के लगभग कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने दौसा से लगभग ३ मील दूर स्थित ग्राम भाखरी में प्रवेश किया। उन्होंने महादेव खाती से बद्रीनारायण के घर के बारे में पूछताछ की, किन्तु इसका प्रयोजन नहीं बताया। इसके पश्चात मूलचन्द बोहरा ने जो अपने घर के सामने सो रहा था, उन्हें बद्रीनारायण के घर की ओर जाते देखा। उसके कथनानुसार, वे लगभग एक दर्जन से अधिक थे और लाठियें लिए हुए थे। उन्होंने हवा में तीन फायर किये जो देशी पिश्तौल द्वारा किये हुए प्रतीत होते थे।

श्री बद्रीनारायण एवं उसका भाई श्री जगन्नाथ जो अपने घर के सामने सो रहे थे जाग गये। श्री जगन्नाथ ने आक्रमणकारियों को पकड़ने का प्रयास किया, किन्तु उसके लाठी से चोट मारी गई। उन्होंने श्री बद्रीनारायण के घर में प्रवेश किया। श्री कपूरचन्द पुत्र जगन्नाथ ने रोकने का प्रयास किया, किन्तु उसके भी लाठी से चोट आई। डाकुओं ने घर वालों से अपना सारा कीमती सामान दे देने के लिए कहा। श्री बद्रीनारायण के दूसरे भाई श्री बन्सीधर की पत्नि ने अपने सोने के ईयररिंग और गले का जन्तर हवाले कर दिया।

गोली की आवाज सुन कर छगन खाती ने, मारवाड़ी पत्थर खान के मैनेजर श्री पी. एल. वाडिया को डाकुओं के गांव में होने के बारे में सूचना दी और उसने पैदल भाखरी रेलवे स्टेशन मास्टर के पास जाकर दौसा पुलिस को सूचना भिजवाई। सर्किल ऑफीसर, दौसा सूचना मिलते ही पुलिस को लेकर घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचने के पूर्व ही डाकू भाग चुके थे। कोई भी ग्रामीण यह नहीं बता सका कि डाकू किस ओर गये हैं। सी. ओ. दौसा ने दो टुकड़ियों को रेलवे लाइन के आस पास बांदीकुई की ओर के गांव में जाने को नियुक्त किया, वे स्वयं एक दल के साथ पहाड़ी की ओर रवाना हुए। विश्वसनीय ग्रामीणों को दस्युदल के सम्बन्ध में सूचना एकत्र करने को नियुक्त किया गया। इस अपराध की सूचना एस. पी. जयपुर को टेलीफोन द्वारा २७-३-६४ को प्रातः प्राप्त हुई। अतिरिक्त एस. पी. जयपुर, ए. एस. पी. जयपुर निशान अंगुष्ट विशेषज्ञों (एम. ओ. बी.) के साथ घटनास्थल पर पहुंचे व जांच की। इसी बीच सूचना मिली कि चांवडेडा के कुछ निवासियों ने कई अज्ञात व्यक्तियों को प्रातःकाल देखा था। एस. पी. व अतिरिक्त एस. पी. इत्यादि को चांव डेडा पहुंचने पर बरखेड़ के स्कूल के अध्यापक से ज्ञात हुआ कि प्रातः लगभग तीन या साढ़े तीन बजे जब वह निवृत होने को उठा था, तो उसने १०-१५ व्यक्तियों को चांव डेडा ग्राम से गुजरते हुए देखा था। इसके पश्चात्

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

यह पुलिस दल नागल बसी, चन्द्राना, होता हुआ पड़ा पोली पहुंचा जहां सूचना एकत्रित करने के लिए तीन दल नियुक्त किये गये, एक दल ग्राम बोर्डा सेथल, गोला का बास, भानगढ़ व दूसरा थेलाई, आंधी व थली आदि गांव में गया व तीसरा दल खवा जमुआ रामगढ़ होता हुआ थाली पहुंचा किन्तु अपराधियों का पता नहीं मिल सका।

एक व्यक्ति अर्धमूर्छित अवस्था में रेलवे स्टेशन भाखरी के निकट बांदीकुई की ओर जाने वाली रेलवे लाइन के पास रेलवे के एक प्वाइन्टमैन को मिला उसका नाम रामचन्द्र है और उसके मुंह पर चोटें आई हुई हैं। श्री रामचन्द्र दि० ७-४-६४ को दौसा अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ है, और अब चूंकि वह बयान देने की स्थिति में हैं, उससे तफतीश की जा रही है।

एम० ओ० बी० के विशेषज्ञों द्वारा निशान आदि ठीक प्रकार से लिए गये हैं, जिनसे सभी सूत्रों का विश्लेषण किया जावेगा। डकैतों की लाठियों से पीटे गये ग्रामीणों को मामूली चोटें आई हैं।

मुकदमा नं० ३८ ह० द० ३९५।३९७ आई० पी० सी० दि० २७-३-६४ को थाना दौसा पर पंजीबद्ध किया गया है। ग्रामीणों से प्राप्त सूचनानुसार २२४१) रु० का माल जेवरात आदि लूटे गये पाये जाते है। तफ्तीश इस मामले में चालू है।

स्थगन-प्रस्तावों विषयक

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक दूसरा स्थगन-प्रस्ताव बेनाम के थाने पुलिस घटना के सम्बन्ध में था जहां कि एक औरत को उड़ा लिया गया था, तो उसके बारे में क्या है ? वह पुलिस मंत्री के लिए है। वह घटना ऐसी है कि एक लड़की को रास्ते में पुलिस वालों ने उठा लिया है....

श्री बालकृष्ण कौल (वित मंत्री) : घर पहुंचाने के लिए।

श्री निरन्जननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : इसमें एडमिसिबिलिटी का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आप जानकारी कर लें तथ्यों की, फिर निश्चित किया जायगा कि क्या किया जाय।

श्री रामकिशन : परसों तक बोलने के लिए इत्तिला दे दें।

श्री अध्यक्ष : क्या तथ्य हैं, उनसे बात करने पर पता चलेगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : स्थगन-प्रस्ताव की सूचना मैंने परसां नॉन-गज-टेड पुलिस कर्मचारियों के सम्बन्ध में दी थी।

श्री अध्यक्ष : उस सम्बन्ध में माननीय सदस्य से कहा गया था कि जिस रूलिंग के आधार पर उन्होंने प्रस्ताव पेश किया था उसका उल्लेख दें, और वह अभी मिला है।

(श्री अध्यक्ष)

उस पर विचार करके कल निर्णय दिया जायगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना, अध्यक्ष महोदय, मैंने बीकानेर की नोखा तहसील के सरपंच श्री बालूसिंह को पुलिस द्वारा पीटे जाने और उन्हें ५५।१०६ में गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में दिया था। जिनको गिरफ्तार करने के बाद आठ चोटें पहुंचाई गई हैं जिसके मेडीकल सार्टीफिकेट की ट्रू कॉपी मैंने स्थगन-प्रस्ताव के साथ पेश की है। उसकी सूचना मैंने दी है। और उन सरपंच महोदय को पुलिस ने हथकड़ी भी लगाई है जब कि गवर्नमेंट के स्पष्ट आदेश हैं कि सरपंचों को हथकड़ी नहीं लगाई जाय। जब कि यह पाबन्दी डिसक्लोज़ कर दी गई है उसके बाद यह कर रहे हैं। गिरफ्तार भी कोई आई० पी० सी० के तहत नहीं किया गया है, लेकिन दफा ५५।१०६ में जिसमें आवारागर्दी के मामले आते हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। आजकल गर्मियों के मौसम में लोग सुबह साढ़े चार, पौने पांच बजे टहलने लग जाते हैं........

श्री निरन्जननाथ आचार्य : एडमिसिबिलिटी....

श्री अध्यक्ष : आप फैक्ट्स फर्निश कर दें, उसके बाद में निर्णय किया जायगा कि क्या किया जाय।

श्री निरन्जनाथ आचार्य : (श्री मानिकचन्द सुराणा के खड़े होने पर) अध्यक्ष महोदय के आदेश हो चुके हैं, फिर भी स्टेटमेंट कैसे चल रहा है?

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय का आदेश है तो बैठ जाता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि....

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय का आदेश मुझको मिल चुका है कि आप बैठ जायं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मुझको नहीं मिला है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मेरा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है, आपका स्टेटमेंट चालू नहीं रह सकता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप अध्यक्ष महोदय की आज्ञा का पालन करें। आपको बिठाया गया है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मेरा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है। आपका एडजर्नमेंट मोशन पेश हुआ है और मैं समझता हूं कि अध्यक्ष महोदय ने आदेश मुझे दे दिया इस लिए एडर्नमेंट मोशन की एडमिसिबिलिटी के पहले स्टेटमेंट या व्याख्या और भाषण नहीं दे सकते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इस पर व्यवस्था दे दें, अध्यक्ष महोदय।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : व्यवस्था है।

Page No. 59

श्री अध्यक्ष : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर ठीक है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं डिस्कशन रेज नहीं कर रहा हूं। यह तो समझने की गलती है।

श्री अध्यक्ष : आपकी बात सदन के समक्ष आ गई है। मंत्री महोदय से निवेदन किया गया है कि तथ्य बता दें। उसके बाद में निर्णय लिया जायगा कि वक्तव्य वे दें अथवा क्या किया जाय।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, यह इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव्ज का क्वेश्चन है, और पहले भी इस तरह के कई मसले सरकार के सामने आये हैं और उसमें सरकार ने स्ट्रिन्जेन्ट व्यू लिया है।

श्री अध्यक्ष : आपकी यह बात भी ध्यान में रखी जायगी निर्णय लेते समय।

बजट लीकेज विषयक प्रश्न पर वाद-विवाद

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहूंगा कि आज प्रातःकाल के राष्ट्रदूत में एक पत्र श्री मानिकचन्द सुराणा का प्रकाशित हुआ है, जो उन्होंने माननीय मुख्य मन्त्री को लिखा बताया है। वह पत्र प्रकाशित नहीं होता तो हमको उसके सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं होती। पत्र उन्होंने लिखा और उस सम्बन्ध में जो कुछ मैटर वे पस्यू कर रहे हैं सराहनीय है।

प्रश्न इतना है कि यह सदन आज तक इस सम्बन्ध में अन्धेरे में है कि जो तथ्य गत ६ मार्च को यहां बजट के लीकेज के सम्बन्ध में थे और उस पर जो प्रिविलेज मोशन मूव किया गया था और उसके बाद आपने यहां व्यवस्था ३० मार्च को की थी रूलिंग दी थी, उसके बाद २ अप्रेल को प्रश्न दुबारा उठाया गया तब मुख्य मन्त्री जी ने सदन को आश्वासन दिया था कि वे लीकेज के सम्बन्ध में जानकारी करेंगे, इन्क्वायरी करेंगे और उसके बाद सदन के समक्ष अपनी सारी जानकारी रखेंगे, क्योंकि प्रश्न उसके बाद उठता है वित्त मन्त्री जी संतोष दें या न दें, यह उनकी मर्जी की बात है, लेकिन सदन उस पर विचार करेगा।

सदन की बैठक कल समाप्त होने जा रही है मुख्य मन्त्री जी ने अब तक क्या कार्यवाही की है, क्या जांच की है, किससे जांच की है और उसका क्या नतीजा रहा है, जांच से कब सदन को अवगत कराया जायगा? सदन की बैठक स्थगित होने के बाद जांच का कोई अर्थ नहीं होगा, मामला पुराना पड़ जायगा, स्टेलमेंट हो जायगा। इसलिये मुख्य मन्त्री जी यह स्पष्ट करें कि जो जानकारी उन्होंने की उसका क्या नतीजा रहा। कौल साहब उनके विरोध में रहते हैं इसलिये उन्होंने वित्त मन्त्री महोदय की इन्क्वायरी अपने हाथ में लेकर जेब में रखने की कोशिश की है, सदन उसकी पुष्टि नहीं करता लेकिन मैं इसलिये कहता हूँ कि मैंने प्रश्न उठाया है, मेरे पास फेक्ट्स हैं उनकी जानकारी मुख्य मन्त्री जी ने मेरे से नहीं की कि आपने जो

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का प्रश्न उठाया है, कौन से आधार पर आपका कहना है कि लीकेज हुआ। यह प्रश्न बजट भाषण के तुरन्त बाद में उठाया है तो कुछ तथ्यों पर उठाया है उसकी जानकारी मुझ से करनी थी। मानिकचन्दजी सुराणा से जानकारी करनी थी। या तो सरकार यह कह दे कि सारा मामला पोलिटिक्स खड़ी करके, पोलिटिकल इशु खड़ा करके कौल साहब को कौल साहब को दबाने के लिये पेन्डिग रखना चाहते हैं ऐसी ही मंशा दिखाई देती है। नहीं तो वे इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी दें इसमें संकोच किसी प्रकार नहीं होना चाहिये।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, जयपुर के माननीय सदस्य ने जो भी निवेदन किया है मैं उनकी ताईद करता हूं। कल मुझे, जो चिट्ठी मैंने ३ अप्रेल को मुख्य मन्त्री जी को लिखी थी उसको इसलिये रिलीज करना पड़ा कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मुख्य मन्त्री जी को रीजनएबल, डिलिजेन्ट, ऑर्डिनेरी आदमी की तरह जो इन्क्वायरी करनी चाहिये थी उसको उन्होंने कल तक नहीं किया। इसलिये मजबूर होकर मुझे लिखना पड़ा ३ अप्रेल की चिट्ठी के लिये और उसको प्रेस और पब्लिक के लिये रिलीज करना पड़ा।

अध्यक्ष महोदय, बजट लीकेज का प्रश्न जनतन्त्र में अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जब मुख्य मन्त्री जी ने जांच अपने में ली थी तब उन्होंने हाउस को आश्वस्त किया था कि मैं जांच करूंगा। आज ६ तारीख हो रही है, मुख्य मन्त्री जी की तरफ से कोई जांच नहीं की गई। मैं चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री जी ब्रिटेन की परम्परा का अध्ययन करते, उनको यदि इतना समय नहीं है तो लॉ डिपार्टमेंट द्वारा अध्ययन करवाते। वहां तो परम्परा यह है कि चान्सलर ऑफ एक्सचेकर खुद जांच करता है और सदन उसको स्वीकार करता है। लेकिन खैर उनका करैक्टर और वहां की परम्परा राजस्थान में लागू नहीं हो, चाहे मुख्य मन्त्री जी अपने खुद पर इसको नहीं लें, क्योंकि वे चाहते हैं कि वे जांच करें, क्योंकि उनको विश्वास हो गया कि बजट की कोपीज समय से पहले बांटी गई, उन्होंने स्वीकार किया है कि ६ बजे प्रेस कान्फ्रेन्स बुलाई गई। मुख्य-मंत्रीजी ने सदन को आश्वस्त किया है कि बजट लीकेज हुआ है तो वे आवश्यक स्टेप्स लेंगे। आपने रूलिंग में बार बार संकेत किया, दिल्ली में ऐसी व्यवस्था की गई थी कि बजट की कोपीज प्रेस प्रतिनिधियों को मिल जाय। निश्चित तौर से वहां बांटी गई उसकी सहादत यहां उपलब्ध है। मैंने मुख्य मंत्रीजी को लिखा था कि प्रेस प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर डाइरेक्टर जन संपर्क के पास हैं। उन्होंने हस्ताक्षर जिस पेपर पर किये हैं उसको आप अपने पजेशन में लें और सारे रिप्रजेन्टेटिव्ज प्रेस के हैं उनके स्टेटमेंट लेने की व्यवस्था करें। इस प्रकार के लोग जयपुर में भी मौजूद हैं। लेकिन दुख है कि आज तक न तो स्टेटमेंट नोट करने की व्यवस्था की गई, न इन्क्वायरी आगे प्रोसीड की जा रही है। यदि मुख्य मंत्रीजी व्यक्तिगत जांच की जिम्मेदारी खुद पर लें और ६ दिन तक कोई कार्यवाही न करें जब कि एक-दो दिन में सदन की कार्यवाही समाप्त होने जा रही है तो जनतन्त्र की

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

किस तरह से स्वस्थ्य परंपराएं राजस्थान में निर्माण होंगी ? यदि वित्त मंत्रीजी उनको बहुत प्रिय है, और होने भी चाहिये, तो साफ सदन में कहें कि गल्ती हुई है, सदन से माफी मांगे। तथ्यों को छिपाने से तो उनकी प्रतिष्टा नहीं बढ़ सकती, न उनकी और न सदन की प्रतिष्टा इससे बढ़ सकती है। यह तथ्य सबको मालूम है। जो लोग प्रेस कान्फ्रेन्स में मौजूद थे वे कहते हैं कि ६ बजे बजट की कॉपीज बटी गई थीं। सैकड़ों लोगों को यह बात मालूम है, आपका ऑबजर्वेशन है, वित्त मंत्रीजी का आश्वासन है, एलीगेशन्स के खिलाफ उनका दावा नहीं है, भाषण समाप्त होने के बाद दिल्ली में प्रेस प्रतिनिधियों को बजट की प्रतियां बांटी गई थीं।

इस तरह से यह साफ है कि बजट लीकेज हुआ है मुख्य मंत्रीजी को सदन में स्पष्ट वक्तव्य देना चाहिये कि क्या इन्क्वायरी उन्होंने की है और क्या प्रोसीड कर रहे हैं, उनकी इन्क्वायरी कल तक समाप्त होनेवाली है या नहीं, यदि कल तक समाप्त नहीं होने वाली है तो वे क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं, जो उनके मानस में है वह उसको सदन में बतलाना चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मंत्री) : इस संबंध में ११ तारीख को सदन की बैठक समाप्त हो उससे पहले इस बारे में अवगत करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही तारीख ११ को भी चलेगी। आज का विधायी कार्य कल लिया जायगा और कल के लिये कार्यवाही जो निर्धारित थी वह ११ तारीख को ली जायगी।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुख्य-मंत्रीजी ने कहा कि ११ तारीख को सदन की आखिरि बैठक होगी उसमें, जो जांच उन्होंने की उसका परिणाम सदन को बतायेंगे। मैं निवेदन करूं कि परसों न बताकर कल बताया जाय, इसलिये कि उनके परिणाम से यदि सदन को संतोष न हो तो उसको व्यक्त करने के लिये सदन किसी प्रकार की कार्यवाही कर सके। यह गंभीर मामला है, मुख्य मंत्रीजी भी इसको स्वीकार करते हैं, आपने इसे स्वीकार किया है, वित्त मंत्रीजी स्वयं ने भी स्वीकार किया है। मुख्य मंत्रीजी जो जांच कर रहे हैं उसको मैं निरर्थक समझता हूं क्योंकि जिसको आपने संकेत रूप से स्वीकार कर लिया है, वित्त मंत्रीजी ने स्वीकार कर लिया है क्योंकि इसके बाद वे इस पोज़िशन में नहीं हैं कि ऑपोजिशन ने जो एलिगेशन लगाया है उसको वे केटेगोरिकली रिफ्यूट कर दें। इम्प्रेशन यह है और फैक्ट भी है कि जिस समय कोपीज वितरण की गई उस समय वित्त मंत्रीजी भाषण यहां दे रहे थे। भाषण समाप्त होने से पहले कॉपीज़ वितरित हो चुकी, लीकेज बजट का हो चुका। अब बयान लेने से भी सार निकलने वाला नहीं है। इसलिये मैं चाहूँगा कि मुख्य मंत्रीजी कल जो कुछ कहना चाहें, बता दें। उनके कहने के बाद हमारे एलीगेशन्स का उत्तर ठीक ढंग से नहीं आता है तो हमको यह अधिकार होगा कि परसों की कार्यवाही में वित्त मंत्रीजी के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाय, मुख्य मंत्रीजी की कार्यवाही किस हद तक सही है,

Page No. 62

(श्री भैरोंसिंह)

इस पर विचार किया जा सके। इसका मौका प्राप्त कराने के लिये यह आवश्यक होगा कि मुख्य मंत्रीजी सदन को जानकारी कल ही दें।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी जानकारी कल दें या परसों दें, यह उन पर ही छोड़ना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : इसमें बहुत फर्क पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। जो कुछ आप करना चाहते हैं वह उस समय भी कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : यदि वे ११ को यहां कहते हैं, एलीगेशन सही नहीं है तो वित्त मंत्रीजी जिनके खिलाफ हमारे एलिगेशन्स हैं उनको हटाने के लिये नो कोन्फीडेन्स मोशन मूव किया जाय या नहीं इस पर विचार करना होगा। ११ तारीख को वे बताते हैं और ११ तारीख को ही सदन समाप्त होता है तो नो कोन्फीडेन्स मोशन मूव करना और आगे कार्यवाही करना कठिन हो जायगा।

इसलिए यह आवश्यक होता है कि कल परसों से पहले इस सम्बन्ध में निर्णय दें ताकि इस निर्णय के आधार पर सदन के माननीय सदस्य इस पर गम्भीरता से विचार करके आगामी कार्यक्रम का मार्ग निर्धारित कर सकें।

श्री मानकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत आवश्यक है कि मुख्य मंत्री कल ही इस पर अपना निर्णय दें। प्रश्न सिर्फ वित्त मन्त्री या मुख्य मन्त्री के जवाब से संतोष का नहीं है। अगर आपकी इन्क्वायरी असंतोषजनक है तो फिर इस बात को कन्सीडर कर सकते है कि वित्त मन्त्री के खिलाफ कोई सब्सटेंटिव मोशन लायें। हम कन्सीडर कर सकते हैं, चीफ मिनिस्टर अगर तमाम पार्लियामेन्ट्री ट्रेडीशन्स को तोड़ कर अपनी केबिनेट के कुलीग को डिफेन्ड कर रहे हैं तो उनकी सरकार के खिलाफ, उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव ला सकते है और आपस में इसके लिए हमें मिलने का मौका मिलना चाहिए जिससे आपके निर्णय के आधार पर हम अपना माइन्ड बना सकें और क्या एक्शन लेना चाहिए उसका निर्णय ले सकें। हमें २४ घण्टे का समय मिल सके, एक दिन का समय विचार करने के लिए मिल सके—यह आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, आप इस बारे में व्यवस्था दें, मेरा निवेदन है कि मुख्य मंत्री कल ही इस बारे में अपना जवाब, इन्क्वायरी रिपोर्ट की फाइंडिंग्ज, अपना मंतव्य बतायें और सदन को अवगत करायें।

श्री अध्यक्ष : राजस्थान टैक्सेशन लाज (अमेंडमेंट) विधेयक, १९६४ की धारा ११।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर): मुख्य मन्त्री जी तो वित्त मंत्री से वैसे ही छुटकारा पाना चाहते है।

श्री भैरोंसिंह : मुख्य मन्त्री जी क्या कहते हैं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : किस पर?

श्री भैरोसिंह : कल दोपहर तक दे दीजिये रिपोर्ट।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने निवेदन किया कि ये सीरियस आस्पेक्ट्स हैं, इनकी जांच कर रहा हूं। उसके बाद कहा कि परसों मैं सारी बातें रख दूंगा। क्या मैंने नहीं कहा कि सदन के समाप्त होने तक मैं सारी जानकारी रख दूंगा? कल तक रखना सम्भव नहीं है।

श्री भैरोसिंह : परसों आप रख देंगे तो हमारे लिए कोई चारा नहीं होगा। उसके लिए व्यवस्था कर देंगे कि अगर माननीय मुख्य मन्त्री की सारी इन्क्वायरी रिपोर्ट के बाद माननीय सदस्यों को असन्तोष हो तो एक दो बैठकें और होंगी और हम अपना आगामी कार्यक्रम निर्धारित·······

श्री अध्यक्ष : असन्तोष व्यक्त करने के लिए समय निर्धारित किया जाय यह आवश्यक नहीं है।

श्री भैरोसिंह : असन्तोष व्यक्त करने के लिए हर प्रयास किया·······

श्री अध्यक्ष : उसके और मौके आयेंगे।

श्री भैरोसिंह : और मौके नहीं आयेंगे। एक पर्टीक्यूलर इश्यू को लेकर, बजट लीकेज के मामले को लेकर अगले सेशन में कार्यवाही करते हैं तो कोई सार नहीं रहता है। और सारे देखने वाले और कमेन्ट करने वाले कहेंगे कि अपोज़िशन के मेम्बर इतने लेट लतीफ हैं कि समय का फायदा न उठा सके और वित्त मन्त्री ने जो बजट लीकेज किया है उस सम्बन्ध में उनके खिलाफ प्रोपर एक्शन नहीं लिवा सके। इसलिए मेरा निवेदन है कि मुख्य मन्त्री कहते हैं कि परसों निर्णय देंगे, तो आप व्यवस्था दे दें कि परसों निर्णय मालूम होने के बाद हम इस सम्बन्ध में तुरन्त कोई कार्यवाही करना चाहें तो हमें मौका १२ ता० को दे देंगे, सदन की कार्यवाही १२ को चलेगी।

श्री अध्यक्ष : हाइपोथेटिकल चीज है, इस पर क्या व्यवस्था दूं।

श्री भैरोसिंह : हाइपोथेटिकल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : जो स्थिति जब पैदा होगी देखा जायगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : असन्तोष को व्यक्त करने का मौका मिले तो अच्छा है मुख्य मन्त्रीजी वित्त मन्त्री से वैसे ही छुटकारा पाना चाहते हैं।

राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, १९६४

(अग्रेतर विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री अध्यक्ष : क्लॉज ११.

श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली) : संशोधन इस प्रकार है :—

Substitute the clause by the following:—

"11. Amendment of section 8, Rajasthan Act. 29 to 1954;—

Page No. 64

Section 8 of the Sales Tax Act be substituted by the following:—

8. "Information to be furnished regarding change of business:—

If any Registered Dealer—

(a) sells or purchases or other wise acquires or disposes of any business or any part of the business or any place of business or discontinues business, changes place of business or opens a new place of business or effects any other change in the ownership of the business,

(b) effects any change in the particulars furnished in their application for registration,

He shall within thiry days inform the assessing authority accordingly and if any such dealer dies, his legal representative shall, in the like manner, inform the assessing authority."

श्री सम्पतलाल बोहरा (मावली) : क्लॉज़ ११ के सब क्लॉज़ ८ में संशोधन करने के बारे में है । इसमें राज्य सरकार ने यह सूचना चाही है, कोई व्यापारी अगर कोई व्यवसाय या व्यवसाय का कोई भाग क्रय से अथवा अन्यथा अवाप्त करता है या व्यवसाय के गठन में कोई परिवर्तन करता है, या किसी अन्य व्यवसाय में अकेले या संयुक्त रूप से शामिल होता है तो वह सरकार को सूचना दे ।

"(f) Joins any other business either singly or Jointly with any other person, or"

और दूसरी बात, इस अमेंडमेंट को हटा कर मैंने सब्स्टीट्यूट किया है, एक क्लॉज को नहीं रखा है और मेरा क्लॉज़ इस प्रकार है ।

Registered Dealer:—(a) sells or purchases or otherwise acquires or disposes of any business or any party of the business or any place of business, changes place of businss or effects any other change in the ownership of the business, or (b) effects any change in the particulars furnished in their application for registration,

he shall within thirty days inform the assessing authority accordingly and if any such dealer dies, his legal representative shall, in the like manner, inform the assessing authority."

यह मेरा सुझाव है । अध्यक्ष महोदय, इसमें और जो माननीय वित्त मन्त्री ने संशोधन रखा है उसमें जो अन्तर है वह मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं । अन्तर यह है कि आज व्यापार का यह तरीका होता है कि हर व्यापारी, कभी कभी कोई चीज खरीदता है तो वह दो आदमी मिल कर खरीद लेते हैं । वह जोइन्ट वेन्चर होता है । कभी सस्ती मक्का खरीदे लें, कभी सस्ता मिले तो जो खरीद लें । इस तरह व्यापार का साधारण नियम है,

(श्री सम्पतिलाल बोहरा)

जैसे एक गाड़ी आती है तो दो आदमियों ने मिल कर उसे खरीद ली, कभी दो की जगह चार मिल सकते हैं। इस तरह का जोइन्ट व्यापार प्रति दिन चलता है। उसकी हर रोज सूचना राज्य सरकार के सैल्स टैक्स अधिकारी को देना सम्भव नहीं होगा। इसलिए मेरी मान्यता है कि इसमें जो एफ है, इसको डिलीट कर दिया जाय और मेरा प्रस्ताव मान्य कर लिया जाय मेरा प्रस्ताव मान्य नहीं करें तो फिर इसको हटा दिया जाय। नहीं तो व्यापारियों को बहुत प्रेक्टीकल डिफीकल्टीज़ हो सकती हैं। यह जोइन्ट वेंचर का प्रश्न है, यह दिन में कई दफा हो सकता है इसलिए यह सम्भव नहीं है कि प्रत्येक मौके पर वह सूचना दें।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो अपना संशोधन रखा है वह मैं एक एलजेब्रीकल इक्वेशन के रूप में आपके सामने रख दूं। जो चीजें हमने सेक्शन में रखी हैं, जो हमने ए, बी, सी, डी, व, एफ, जी धारायें रखी हैं, उनमें एक एक चीज को, एक एक हिस्से की अलग अलग व्याख्या की है। आपने उसमें से (ए), (बी), (सी), जो सब क्लॉज रखे हैं, उनको रखा है, वह हिसाब से (a) plus (d) plus (e) = (a) है आपकी धारा हो जाती है। दूसरा आपने जी – बी – यह इक्वेशन की है और (c) plus (f) = o है, साथ ही जो c एफ, पर ज्यादा जोर दे रहे हैं वह = o हो जाती है।

(१०.०५ म० पू०)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(१०.५ म० पू०)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी धारायें हैं, जो हमने रखी हैं वह एक एक चीज को साफ कर देती हैं। इस तरीके से अगर कोई बिज़नेसमैन किसी तरीके से चीजों को छिपाने के लिए कोशिश करना चाहे या कोई गली निकालना चाहे — तो वह बन्द हो जाय। आप जरा ध्यान से सब क्लॉज़ (एफ) को पढ़िये, जिसके लिए माननीय सदस्य ने बहुत कुछ एतराज किया है।

(एफ) कहता है : "(f) joins any other business either singly or jointly with anyother person; or"

इस क्लॉज़ से माननीय सदस्य को बहुत एतराज है। जो बिज़नेस के बारे में जानता है, बिज़नेस करता है, वह समझता है और समझ सकता है कि इस धारा के क्या मायने होते हैं। यह धारा न रखी जाय तो एक तरह से टैक्स इवेड हो सकता है। उसका काम, उसका बिज़नेस, यह कहने से कि जोइन्ट बिजनेस हो गया, उसकी गवर्नमेंट को क्या खबर? वह पकड़ा कैसे जायगा। यह जिम्मेदारी कैसे डाली जाय, यह सोचा। अगर नहीं डाली जायगी तो बिज़नेसमैन की यह चीज गिरफ्त में नहीं आ सकती। मैं माननीय सदस्य से कहूंगा, जो हमारा सिद्धान्त है, सैल्स टैक्स अमेंडमेंट बिल लाने का विचार है, वह इससे डेस्ट्रोय हो जाता है। हम नहीं चाहते हैं कि किसी बिज़नेसमैन को गोल-माल करने का, टैक्स को इवेड करने का मौका मिले। इस धारणा को रखते हुए। यह संशोधन पेश किया है। इस पर जो माननीय सदस्य ने अमेंडमेंट पेश किया है।

(श्री बालकृष्ण कौल)

उसे एजेलब्रीकल इक्वेशन से बताया। अब वे अपना संशोधन वापिस ले लेंगे और इसे मान लेंगे। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह सारी जगह मिलेगा, बम्बई और महाराष्ट्र में मिलेगा। उन्होंने अलग अलग रखा है जिससे कन्फ्यूजन नहीं हो और वकील साहब को मौका न मिले इसका इन्टरप्रिटेशन करने का। मुझे अफसोस है कि मैं माननीय सदस्य का संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : आप जोइन्ट वेंचर के लिए बतायें, क्या डिफीकल्टी आयेगी। मैंने एक बात कही थी, आपकी उस धारा का विरोध नहीं किया। जोइन्ट वेंचर से जो डिफीकल्टी आयेगी उसके लिए क्या सजेशन है।

श्री बालकृष्ण कौल : हम मानते हैं जोइन्ट वेंचर करते है, वे अगर इत्तला दे दें तो इसमें क्या एतराज है। इत्तला देने में, गवर्नमेंट के टैक्सेशन विभाग को अवगत कराने में क्या हर्ज है। इसके मायने हैं कि हर्ज है तो वहां कोई दाल में काला है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : प्रतिदिन काम नहीं चल सकता हैं अगर इस प्रकार की सूचना दें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री सम्पत्तिलाल बोहरा ने क्लॉज़ ११ पर रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ११ विधेयक का अङ्ग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ११ विधेयक में अङ्ग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १२ विधेयक का अङ्ग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १२ विधेयक में अङ्ग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १३.

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज आपसे अर्ज करना चाहता हूं। मुझे अभी मालूम हुआ है कुछ अखबारों में, कल मैंने यहां वादविवाद के दौरान में जो गोटे के ऊपर कुछ कहा, उसके सम्बन्ध में कुछ गलत-बयानी हो गई है।

(श्री बालकृष्ण कौल)

मैंने कल अपने भाषण में गोटे के सम्बन्ध में कहा था कि गोटा किनारी पर भी जो सोना या चान्दी पर टैक्स लिया जावेगा उस पर भी सेल्स टैक्स है वह एक प्रतिशत लिया जावेगा। इसके माने यह नहीं थे कि गोटा की रेट है वह कम हो जाये। अखबारों में यह आया है कि गोटा किनारी पर भी टैक्स कम कर दिया गया है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : यह कल आपने घोषणा की थी उसमें स्पष्ट कहा गया था। आपने कहा है कि बुलियन और जेवर पर एक परसेन्ट और गोटे पर भी एक परसेन्ट टैक्स।

श्री बालकृष्ण कौल : मैंने कहा है कि इस पर भी बुलियन और चांदी के जेवरात पर लिया जाता है उसके मुताबिक गोटे पर भी एक परसेन्ट लिया जावेगा।

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज १३।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा :

[संशोधन इस प्रकार है:—

The existing provision be renumbered as sub-clause (2) and the following new clause (1) be added:—

"(1) in sub-section (2) of sub-section of the Sales Tax Act add the following proviso, namely:—

"Provided that the Commissioner on an application in writing from the assesee may stay the payment of aforesaid amount or part thereof."

उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १३ में जो मेरा प्रस्ताव है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज सेल्स टैक्स एक्ट में कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि जो कुछ टैक्स लगाया जावे और लिया जावे उससे कोई भी अधिकारी स्टे कर सकता है। इसको इम्पलीमेन्ट करने का अधिकार डिप्टी कमिश्नर को है....

श्री बालकृष्ण कौल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका एमेन्डमेंन्ट मंजूर करता हूँ। क्यों वक्त जाया किया जाए?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रोविजो के सम्बन्ध में श्री सम्पत्तिलाल बोहरा ने क्लॉज १३ में रखा है उसे स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १३, यथा संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज १३, यथा संशोधित, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १४ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज १४ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज १५

[संशोधन इस प्रकार प्रस्तुत हुए :

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) :

(1) In the proviso to section 12, Rajasthan Act 29 of 1954,

(i) insert the words "or over assessed" after the words "under assessed"

(ii) insert the words "or too high a rate" after the words "too low a rate";

(iii) insert the words "or refund" after the word "reasses" wherever occurring.

(2) 1. Part (i) of the clause be substituted by the following:—

"(i) Insert the words" or within a period of eight years in case turnover Exceeds Rs. 1,00,000" between the words "four years" and "next succeeding".

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) :

(b) In part (ii) after the proposed proviso to section 12 of Rajasthan Act 29 of 1954 insert the following proviso namely:—

"Provided also that re-assessment shall not be made or no direction to re-assess shall be given unless the belief of the officers aforesaid is based on documentary evidence, and that in all such cases a copy of the order along with the reasons why assessment was made previously at low rate shall be sent to the State Government for necessary action against the officer in default."]

श्री सम्पतिलाल बोहरा : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज १५ सब क्लॉज (१३) में एमेन्डमेंट लाने के लिये है । इनके द्वारा हम अब तक कोई भी एसेसमेंट ४ वर्षों का पुराना हो जाने पर नहीं खोला जाता था । अब सरकार ने यह अधिकार चाहा है कि ८ वर्ष पुराना कोई भी एसेसमेंट हो उसको भी खोला जा सकता है । जहां तक इसके खोलने का प्रश्न है उसमें कोई स्कोप नहीं है । मगर कोई स्कोप खोलने के लिये हो तो खोला जा सकता है इसमें दो राय नहीं हो सकती लेकिन मैं यह कहूंगा कि क्या इसके बाद हमारी जो मशीनरी है उस हिसाब से देखें तो क्या छोटे व्योपारियों को न्याय मिल सकेगा । इसलिये इसमें मेरा यह सुझाव है कि जिनका टर्नओवर एक्सीड करता है एक लाख से ज्यादा तो उसके लिये ८ वर्ष का प्रावधान रखा जा सकता है । लेकिन जो छोटा व्यापारी है जिसका टर्न ओवर १५ हजार का है, बरडन ओफ प्रूफ हमारे पर डाला गया है इसलिये ८ वर्ष पुराने टैक्स जमा करावें तो उनकी हालत खराब हो जावेगी । इसलिये मेरा सुझाव है कि ८ वर्षों का प्रावधान उनके लिये होना चाहिये जिनका टर्नओवर एक लाख से ज्यादा हो । उपाध्यक्ष

(श्री सम्पतिलाल बोहरा)

महोदय, इनकम टैक्स में इस तरह से नहीं खोल सकते। इसके लिये प्रोसीजर है। पहले उसके लिये कमीश्नर को लिखा जाता है और जब कमिश्नर सैंक्शन देता है तो उसको वापिस खोल सकते हैं। मगर इस प्रकार का कोई प्रावधान इसमें नहीं है। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि एक लाख के टर्नओवर पर रख दिया जावे तो अधिक अच्छा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा अभी तक सेल्स टैक्स में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि एसेसमेंट को इतने सालों के बाद नहीं खोल सकते। आप ४ वर्ष तक या ८ वर्षों तक खोल सकते हैं! जब तक एसेसमेंट को कम्पलीट नहीं करेंगे। आज ८ वर्ष तक खोल सकते हैं। अब आपका जुडिशियल प्रोनाउन्समेंट का प्रोविज़न है उसके अनुसार कभी भी किसी वक्त एसेसमेंट खोला जा सकता है। इसमें यह प्रावधान नहीं है कि उसने एसेसमेंट को कम्प्लीट नहीं किया है, इनकम टैक्स में स्पष्ट प्रावधान था कि ४ वर्षों के बाद नहीं खोला जावे। उसको बाद में ६ वर्ष का किया गया तो सभी व्यक्तियों ने, कमिश्नर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, डिप्टी कमीश्नर (इन्सपेक्शन) आदि ने और सरकार ने इसको मंजूर किया। लेकिन इस प्रकार का इसमें कोई प्रावधान नहीं है कि चार वर्षों के निर्धारित समय में पूरा होगा, इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है।

इसके दूसरे सेक्शन में इतना एमेन्डमेंट सरकार लाई कि किसी भी समय जो भी सरकार ने एसेसमेंट किया है उसका इन्सपेक्शन करने और जांच करने का अधिकार डिप्टी कमीश्नर को होगा और कम हो गई है। उसका टैक्स लगाने का अधिकार होगा। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो बहुत महत्वपूर्ण है। इन्सपेक्शन का अधिकार होता है लेकिन जब इन्सपेक्शन होता है, चाहे वह सही हो या गलत हो। सही है तो होना चाहिये, अगर सरकार ने गलत किया है ओवर ऐसेस है या अन्डर एसेस तो डिप्टी कमिश्नर को अधिकार है कि अगर लो (low) हुआ है तो सरकार उसको ठीक करा सकती है। अगर काउन्टिंग मिस्टेक हो या टोटल की मिस्टेक हो तो डिप्टी कमीश्नर उसके माफिक पैसा ले लेता है। इसलिये मेरा संशोधन इस प्रकार है।

"In the proviso to section 12, Rajasthan Act 29 of 1954, insert the words 'or over-assessed' after the words "under-assessed."

यहां पर जो वर्ड्स आये हैं

"or has been assessed at too low a rate."

यहां मैं बढ़ाना चाहता हूं

"or too high a rate."

इसके बाद में

insert the words "or refund" after the word "re-assess" wherever occuring.

इसमें मेरे तीन संशोधन है। एक में ओवर एसेस्ड किये जावें और दूसरे में "to high a rate", "too low rate"

(श्री सम्पतिलाल बोहरा)

के साथ किये जावे। रीफन्ड का प्रोविजन मैं समझता हूं कि सभी जगह मौजूद है। एसेसमेंट इन्कमटैक्स में भी होते हैं और अगर ज्यादा होता है तो वापिस रिफन्ड किया जाता है।

If the Income tax Officer was wrong, then a refund is made. Under such circumstances, I request that this amendment may be accepted.

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : मेरा अमेंडमेंट है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान टैक्सेशन लॉज (अमेंडमेंट) बिल, १९६४ के क्लॉज १५ में मेरा एक अमेंडमेंट है। सरकार इस क्लॉज के जरिये वैसे केसेज में मयाद बढ़ाना चाहती है, जिन केसेज में टैक्सेज को इवेड किया गया है या गलत असेसमेंट हुआ है। ऐसे केसेज को रीओपन करने की मयाद जो ४ साल की है उस मयाद को चार साल की बजाय ८ साल करने के पावर सरकार लेना चाहती है। इसके साथ में प्रोविजो जुड़ा हुआ है जिसमें डिप्टी कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर (एड्मिनिस्ट्रेशन) को पावर दिये जा रहे हैं कि किसी समय केसेज को रीओपन कर सकते हैं। सरकार के इस संशोधन के साथ एक प्रोविजो जोड़ना चाहता हूं इस आशय का कि डिप्टी कमिश्नर, या डिप्टी कमिश्नर एड्मिनिस्ट्रेशन) उन हालात में ही केसेज को रीओपन कर सकते हैं। जब कि उनके पास इस प्रकार की डोक्यूमेंटरी एविडेन्स हो। उनकी एन्क्वायरी से यह साबित हो जाय कि कम असेसमेंट किया है तो वे राज्य सरकार को उन अधिकारियों के खिलाफ लिखित में सूचना भेजे कि इन अधिकारियों ने इन केसेज में कम असेसमेंट किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक टैक्सेज का सवाल है, वेलफेअर गवर्नमेंट में प्रत्येक आदमी, जो टैक्स देने का अधिकारी है, को टैक्स देना चाहिये। किसी अधिकारी के मेल-जोल से, किसी अधिकारी की गलती से यदि कोई आदमी इस प्रकार के जायज टैक्स से बच जाता है तो उस दशा में इस प्रकार का अधिकार देना बहुत जरूरी है। पर इस प्रकार के अधिकारों के दुरुपयोग होने का भी अन्देशा है। बहुत से नागरिक ऐसे हैं जो एक पैसे के टैक्स की भी चोरी नहीं करते, पर कोई अधिकारी किसी व्यापारी को हरेश करना चाहे तो ८ साल बाद में भी उसे हरेश कर सकता हैं। इसलिये उनकी सुरक्षा के लिये ऐसा प्रॉविजन होना चाहिये कि डिप्टी कमिश्नर, या डिप्टी कमिश्नर एड्मिनिस्ट्रेशन उन्हीं हालात में केसेज को रीओपन कर सकते हैं जब कि उनके पास डॉक्यूमेंट प्रूफ हो कि टैक्सेज का इवेजन किया गया है या असेसमेंट कम किया गया है। इस प्रकार का प्रावधान इस कानून में होना जरूरी है, नहीं तो इस प्रकार के अधिकारों के दुरुपयोग की गुंजायश रहती हैं।

इस प्रोवीजन को रखने से जब इनको पूरा यकीन हो जाय तभी केसेज को रीओपन कर सकते हैं और वह यकीन, वह सबूत केवल डॉक्यूमेंट्री एविडेन्स को ही माना जाय। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो, रिकॉर्ड से साबित होता हो तभी

(श्री तेजाराम गहलोत)

केस को रीपोअन कर सकते हैं। इस तरह का कोई सबूत नहीं हो तो रीपोअन करने से कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। मेरा संशोधन है कि केवल डॉक्यूमेंट्री एविडेन्स पर ही वे केसेज को रीओपन कर सकें। इससे सरकार की मंशा भी पूरी हो जायगी और वे सैकड़ों व्यापारी, जिनका इस प्रकार के स्वीपिंग पॉवर देने से हैरेसमेंट हो सकता है, बच सकते हैं।

मेरा वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन है कि मैंने उनके पॉवर बढ़ाने पर चैक रखा है जिससे कि अधिकारी व्यापारियों को हरेश नहीं कर सकें। तो मैंने जो यह संशोधन रखा है इसे आप स्वीकार कर लेंगे तो इससे जो टैक्स आप वसूल करना चाहते हैं, उसमें कोई कमी नहीं आवेगी और इन अधिकारियों पर चैक रहेगा।

मुझे आशा है कि वित्त मन्त्रीजी मेरे इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री जी ने जो यह संशोधन पेश किया है, उसका कुछ मैं कानूनी मुद्दों पर विरोध करना चाहता हूं। आप ४ साल से ८ साल की मयाद असेसमेंट की बढ़ाना चाहते हैं और साथ ही यह प्रावधान भी है कि '८ साल' ये जो शब्द हैं वे हमेशा इस कानून के प्रविष्ट किये हुये समझे जायेंगे। "and shall be deemed always to have been substituted".

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, वित्त-मन्त्रीजी इस पर विचार करें कि एक आदमी ने १६५६ में असेसमेंट कराया, उस वक्त यह कानून था कि ४ वर्ष तक असेसमेंट का केस रीओपन हो सकता है। उसने १६६० और ६१ तक इन्तजार किया और चार वर्ष तक इन्तजार करने के बाद १६६१-६२ में इस सारे रिकॉर्ड को बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया, जला दिया क्योंकि कानून में यह प्रावधान था कि ४ साल तक की अवधि में केस रीओपन हो सकता है। १६६२ में उसे जानकारी नहीं थी कि १६६४ में ऐसा संशोधन आ जायगा कि उसको अपना रिकार्ड रीअसेसिंग ऑथोरिटी के सामने पेश करना पड़ेगा, इसलिये उसने सारे रिकॉर्ड को डेस्ट्रोय कर दिया। पिछले वर्षों जो असेसमेंट किये गये, उनके सम्बन्ध में भी, चार वर्ष के स्थान पर असेसमेंट की हमेशा ८ वर्ष की अवधि बढी हुई समझी जावेगी यह प्रावधान किया है। इस प्रकार के प्रावधान से जितने सेल्स टैक्स के असेसीज़ है उन पर एक बड़ा भारी जुल्म होगा, उनके साथ यह एक बड़ी भारी ज्यादती होगी, क्योंकि कानून में उस वक्त कोई ऐसा प्रावधान नहीं था और उनको स्वप्न नहीं आ सकता कि १६६४ में वित्त मन्त्री जी ८ वर्ष की अवधि कर देंगे, फिर १६६६ में १२ वर्ष की अवधि कर देंगे और १६७० में २० वर्ष की अवधि कर देंगे। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पहले तो इस प्रकार के शब्द लाना चाहते हैं।

"and shall be deemed always to have been substituted".

इन शब्दों को आप निकाल लें, क्योंकि इनसे बड़ा भारी हरेशमेंट होगा। जिन लोगों

(श्री सम्पतलाल बोहरा)

ने अपना रिकॉर्ड जला दिया, टाइमबार समझ कर बर्बाद कर दिया, वे कानून का संरक्षण लेंगे कि कानून हमें चार साल बाद इस प्रकार के रिकार्ड को डेस्ट्रॉय करने को परमिट करता था। तो फिर व्यापारी को सेल्स टैक्स आफिसर हरेश करेगा, उस पर मन माने निर्णय थोप सकता है। इस लिये यह कानून आप रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लाना चाहते हैं, यह अनुचित है। आप यदि भविष्य के लिये ८ वर्ष का रख लेते हैं तो भी तीन चार साल के केसेज हैं उनको फिर भी रीओपन कर सकते हैं। १९६० से पुराने केसेज, जो पिछले वर्षों रीओपन होने की स्थिति में नहीं थे, भी रीओपन होंगे और इस तरह जो व्यापारी सेल्स टैक्स देते हैं उनके साथ यह बड़ी ज्यादती होगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि इन वर्ड्स को डिलीट कर दिया जाय।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप अवधि बढायें पर इसके साथ ही साथ जो लोगों के लिये हरेशमेंट बढता है, उसको रोकने के लिये जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा १ लाख से उपर दो लाख से ऊपर जो व्यापारी व्यापार करते हैं, उन पर ही लागू हो इस तरह की लिमिट आप कर सकते हैं। इससे ज्यादा टैक्सेबल टर्न ओवर होगा, उनके केस रीओपन किये जा सकेंगे। छोटे छोटे व्यापारी जो ५ हजार का १० हजार का, २५ हजार का धंधा साल भर में करते हैं ३० हजार का माल बेचते हैं, इनके केसेज को रीओपन करने का प्रावधान रख दिया तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा।

श्री सम्पतलाल बोहरा (मावली) : On a point of order, Sir, हाउस में कोरम नहीं है।

(गण-पूरक घंटी)

मैं कन्टिन्यू रखूं ?

श्री उपाध्यक्ष : घण्टी बजने के बाद।

(गण-पूर्ति के बाद)

श्री मानिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक लाख से नीचे टर्न ओवर है उनके लिये पर्टीक्यूलर लिमिट बांधनी चाहिये। साथ ही यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इन अधिकारियों को सेल्स टैक्स कमिश्नर से इस प्रकार के केसेज को रीओपन करने के लिये पर्मिशन लेनी चाहिये। वर्ना वित्त मन्त्री जी जानते हैं कि उनकी प्रशासनिक मशीनरी का किस तरह का रवैया है, और वे यह भी जानते हैं कि वह किस तरह करप्ट है, इसलिये उस पर चैक रहना चाहिये कि कमिश्नर की मंजूरी लें और फिर रीअसेसमेंट को रीओपन किया जायगा।

इसके अलावा मुझे सबसे ज्यादा एतराज इस बात का है कि डिप्टी कमिश्नर इन्स्पेक्शन और डिप्टी कमिश्नर एड्मिनिस्ट्रेशन को भी यह अधिकार दिया है कि वे रीओपन कर सकते हैं। आज तक जितने कानून लाये गये ब्रेकेट में इन्स्पेक्शन और एड्मिनिस्ट्रेशन वर्ड्स का यूज कहीं पर भी नहीं किया होगा।

Page No. 73

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

यदि आप 'डिप्टी कमिश्नर' वर्ड यूज कर लेते तो भी काम चल सकता था लेकिन ये जो ब्रेकेट्स हैं वे इस बात के सुबूत हैं कि आज एक्साइज और टैक्सेशन डिपार्टमेंट में एडिमिन्स्ट्रेशन का खर्चा किस तरह से टोप हैवी हो रहा है। एक एक्साइज का कमिश्नर है, दो एडीशनल कमिश्नर हो गए, तीन डिप्टी कमिश्नर हैं, उनके नीचे दो असिस्टेंट कमिश्नर हैं। ऊपर के अफसरों की फौज बढ़ती जा रही है और फील्ड में जो असेसमेंट करते हैं उनकी फौज कम हो रही है। बीकानेर में एक सेल्स टैक्स ऑफिसर सिटी में था उसकी पोस्ट को तोड़ दिया गया और मिला दिया गया असिस्टेन्ट कमिश्नर की पोस्ट से। असिस्टेन्ट कमिश्नर अब वहां पर असेसमेंट करता है। चूरू के अंदर जो सेल्स टैक्स ऑफिसर था उसकी पोस्ट तोड़ दी गई और चूरू के सैल्स टैक्स का काम बीकानेर के असिस्टेन्ट कमिश्नर को दे दिया गया।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त-मंत्री): रिलेवन्सी क्या है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इस तरह से जो नीचे के अधिकारी हैं, जो एक्चुअल फील्ड में असेसमेंट करते हैं, ज्यादा काम करते हैं, सैल्स टैक्स अफसर, उनकी संख्या कम करते हैं। वर्षों तक असेसमेंट नहीं होता है....

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : अभी भी कोरम पूरा नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह तो मंत्री को सुनना है, जो हाजिर नहीं हैं उनकी बात छोड़िए, फिर भी वैधानिक एतराज है। इसलिए हमारे नीचे के अधिकारी जो एक्चुअल असेसमेंट करते हैं उनकी संख्या कम होती जा रही है और ऊपर वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, यह अच्छी बात नहीं है। यह टाप हैवी जो हमारा एडिमिन्स्ट्रेशन है, बढ़ रहा है। इसके साथ में निवेदन करना चाहता हूं कि एक्साइज कमिश्नर राजस्थान में कभी आर० ए० एस० बनाया जाता है, कभी आइ० ए० एस बनाया जाता है, कभी डिप्टी कमिनश्र आइ० ए० एस का बनाया जाता है, उससे पहले आर० ए० एस का था, यह मेरी समझ में नहीं आता। डिप्टी कमिश्नर को कभी सिलेक्शन ग्रेड आर० ए० एस० में मान लेते है, कोई डिप्टी कमिश्नर इन्स्पेक्शन तो कोई डिप्टी कमिश्नर एडमिन्स्ट्रेशन, यह कौनसा तरीका है? एक पर्टिक्यूलर आदमी जैसे हरिराम चोधरी था उसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद घोषित कर दिया दिया कि यह पोस्ट आइ० ए० एस० होगी।

श्री बालकृष्ण कौल : कोई घोषणा नहीं हुई।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपका विचार था, अखबारों में छप गया, अब अगर विचार बदल गया है तो खुशी की बात है।

श्री बालकृष्ण कौल : बिल्कुल गलत है, कोई अभी विचार नहीं है, न तो फैसला ही किया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : बहुत अच्छी बात है। कमिश्नर आइ० ए० एस० है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : तो फिर अखबारों का खंडन क्यों नहीं करते ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : That is all.

श्री बालकृष्ण कौल : रिलेवेन्सी नहीं है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : कभी आर० ए० एस० सिलेक्शन ग्रेड के लोग आते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : That is a separate question.

श्री मानिकचन्द सुराणा: इस प्रशासन की कोई निश्चित नीति नहीं हैं, एडिमिनस्ट्रेशन का खर्चा बढ़ रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : That is all.

श्री मानिकचन्द सुराणा : इस क्लॉज़ पर अमेन्डनेन्ट जिस प्रकार से मैंने निवेदन किया उस प्रकार से स्वीकर किया जाय ।

श्री बालकृष्ण कौल : जो माननीय सदस्यों ने अमेंडमेन्ट रखे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आफ्टर दिस माननीय सदस्य जो अमेंडमेंट मूव करें वे पांच मिनट के समय के अन्दर बोलें । क्योंकि समय कम है और एक बिल और भी लेना है ।

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय सदस्यों ने जो अमेंडमेंट रखे उनको मैं मन्जूर नहीं कर सकता । कारण यह है कि उन्होंने इस बात को जानने की कोशिश नहीं की कि यह अमेंडमेंट, जो सरकार की तरफ से पेश है उसके पीछे क्या मुद्दा है । उपाध्यक्ष महोदय, जितनी यहां बहस हुई उससे यह मालूम होता था कि माननीय सदस्य, जिन्होंने ये अमेंडमेंट्स रखे हैं, वे कुछ विभाग में कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं अपने में भी और दूसरों में भी कि इन्कम टैक्स क्या चीज है और सेल्सटैक्स क्या चीज है । जितनी दलीलें हो रही हैं, ४ साल की, ६ साल की, ८ साल की, इस ध्यान से हो रही हैं कि जैसे इन्कमटैक्स में ६ साल होता है वैसे सेल्स टैक्स में भी हो । लेकिन उनकी तो अपनी आमदनी होती है । यह जो सेल्सटैक्स है वह लोगों से अमानत ली हुई है, जो हमारा रुपया है वह ८ साल, २० साल तक उसको देना है, कल देना है, परसों देना है । इसलिए हम अपने रुपए को जो जनता द्वारा जमा कराया गया है, उस रुपए को हम छोड़ दें, यह मेरी समझ में नहीं आया । ८ साल की अवधि को क्या मैं कहता हूं कि इसमें अवधि होनी चाहिए क्योंकि वह रुपया हमारी सरकार का है । माननीय सदस्यों ने यहां एक लाख रुपए की बात कही कि जिनके इतने टैक्सेबल रिटर्न्स हों उनसे पूछा जाय । मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि उसका क्या होगा, जिनका टर्नओवर १० हजार था, १५ हजार था, वह रुपया वसूल....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : यह बिलकुल कब्जा मुखालफाना होगा ।

श्री बालकृष्ण कौल : यह एक व्यक्तिगत चीज है, यह अमानता का रुपया है, सेल्स टैक्स का दिया हुआ है । डीलर्स को खुद-बखुद जमा कराना चाहिए था । दूसरा यह

(श्री बालकृष्ण कौल)

कि उसकी अवधि नहीं होनी चाहिए, यह भी गलत है खास तौर से जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया एस्केप फ्राम असेसमेंट की डेफीनेशन दे दी। सरकार का जहां तक रुपया होता है, वसूल करना चाहिए।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप रिट्रोस्पेक्टिव के बारे में....

श्री बालकृष्ण कौल : वह मैंने बताया उन्होंने रुपया नहीं दिया। वे इसलिए हमको दे रहे हैं कि उन्होंने रुपया लिया है वह वापस करें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : लेकिन प्रश्न यह है कि जो १९५७ में आपने असेसमेंट किया और ४ साल की इन्तजार के बाद जिस आदमी ने रेकार्ड डेस्ट्रोय किया....

श्री बालकृष्ण कौल : अगर रेकार्ड डेस्ट्रॉय किया तो जिम्मेदारी उसकी है कि सरकारी रुपए को वह खुदबखुद जमा कराए। असेसमेंट की इन्तजारी क्यों करवाते हो। वह तो एक तरह का ट्रस्ट है....

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने जो कानून बनाया ४ वर्ष का उसका भी आखिर कोई मतलब होगा ?

श्री बालकृष्ण कौल : उसमें इन्टर-प्रेटेशन की गलती है जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है इसलिये जिस वक्त हमने रखा था ४ साल तो यह समझकर कि अगर असेसमेंट हो जाय और फिर एस्केप कर जाय लेकिन उसके माने दूसरे निकाले। इसलिए यह डीलर्स की जिम्मेदारी है कि जिन्होंने सरकार के रुपए को खुदबखुद जमा नहीं कराया उनका फर्ज था कि रिटर्न्स भेजते और रुपया खजाने में जमा कराते।

इसलिए मुझे दोनों अमेंडमेंट्स मंजूर नहीं है। एक चीज और आपके सामने पेश है :

"Provided further that if a Deputy Commissioner......"

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : Oyer assessment.

श्री बालकृष्ण कौल : ओवरअसेसमेंट या अन्डर एस्टीमेट इसके पीछे भी वही भावना है, जितना रुपया आया है वह वापस हमें दिया जा रहा है। ओवर असेसमेंट का प्रश्न नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि इस दृष्टिकोण से सोचें जिस दृष्टिकोण से सेल्सटैक्स एक्ट है, आप इन्कमटैक्स और सेल्सटैक्स अलग अलग समझें। आप का अगर वही दृष्टिकोण होगा जो सेल्सटैक्स का है तो वह ओवर असेसमेंट और अंडर असेसमेंट नहीं है जितना रुपया है उनको देना चाहिए। माननीय सदस्य तो एडमिनिस्ट्रेशन में चले गए। वह वकील हैं। वकील साहबान तो अगर खाली एक मुद्दे पर बोलें तो कितनी देर बोल सकते हैं। खास कर ऐसे एक्ट में जिसकी कई नजीरें हों। वे ज्यादा बोलें तो क्या बोलें ? लेकिन यह मानना पड़ेगा कि वो बिल तुक का है या बे तुक का है। इसलिए मैं अर्ज कर रहा था कि यह मौका नहीं है। डिपार्टमेंट ठीक नहीं

(श्री बालकृष्ण कौल)

होता जा रहा है, उनका वह ओपीनियन डिप्टी कमिश्नर नहीं होना चाहिये।

श्री मानिकचंद सुराणा : नीचे के अधिकारी कब समाप्त हो जाने चाहिये और ऊपर के कितने बढ़ जाने चाहिये ?

श्री बालकृष्ण कौल : जब रामराज्य आपका आ जायगा।

श्री मानिकचंद सुराणा : मौजूद है।

श्री बालकृष्ण कौल : कभी आप चाहते हैं कि जिम्मेदार अफसर होने चाहिये और कभी आप चाहते हैं कि गैर जिम्मेदार होने चाहिये। फिर गैर जिम्मेदार हैं तो रिश्वत खाते हैं। आपके आर्ग्यूमेन्ट्स मेरी समझ में आते नहीं कि चेन ओफ आर्गूमेन्ट्स में क्या कन्सिस्टेन्सी है। मेरा सोचने का तरीका गलत हो सकता है लेकिन उनके लाइन ऑफ आर्गूमेन्ट में कन्सिस्टेंन्सी कहां तक है, मैं उनसे हाउस से बाहर भी जानना चाहूंगा और उनसे बात करूंगा।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : इन्स्पेक्शन करते समय कोई गलती मालूम हो और असेसमेंट में·······

श्री मानिकचंद सुराणा : आप किससे बहस करते हैं ! ये ऐसे ही डूबेंगे, ऐसे ही मरेंगे।

श्री बालकृष्ण कौल : आप अपने रंग पर आ गये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है·······

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : एक निवेदन कर दूं।

श्री मानिकचंद सुराणा : निवेदन करने का प्रश्न कहां है यहां ? आप किससे बहस करते हैं ? ये तो तैयार ही नहीं हैं समझने के लिए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री सम्पत्तिलाल बोहरा ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(मतदान के पश्चात)
'ना' पक्ष जीता।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : 'हां' पक्ष जीता। 'ना' पक्ष में तो कोई बोले ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं पुनः रखता हूं।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन इस क्लॉज में माननीय श्री सम्पत्तिलाल बोहरा ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

श्री मानिकचंद सुराणा : गिर कैसे गया ? यहां तो दस-बारह बैठे हैं और उधर दो चार।

श्री उपाध्यक्ष : श्री तेजाराम। आप विदड्रॉ करना चाहते हैं ?

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : मैं अपना संशोधन विद्ड्रॉ करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की इजाजत है कि इनको विथ्ड्रा करने दिया जाय।

(स्वीकृत)
अनुमति दी गई।

श्री मानिकचंद सुराणा : यह कन्वेन्शन नहीं है कि कांग्रेस के लोग आपस में समझौता कर लें और विद्ड्रॉ कर लेते हैं।

श्री तेजाराम गहलोत : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज १५ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज १५ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

As there are many Bills to be taken and the time is short, I think it is the sense of the House that the time limit for this Bill may be fixed till 11.30 A. M. After 11.30 if any clauses remain they will all be put to vote.

श्री मानिकचंद सुराणा : It is not the sense of the Honse.

श्री उपाध्यक्ष : It is the sense of the House. I have taken it.

(स्वीकृत)

स्वीकृति दी गई।

श्री मानिकचंद सुराणा : हम तो इसका विरोध कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज १६।

[इस खण्ड पर ये संशोधन प्रस्तुत हुए

श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली) :
(a) In New section 12 A sought to be inserted in Rajasthan Act 29 of 1954.

(i) Insert the words "or be assessed at a higher rate of Tax" after the words "or reassessed to tax";

(ii) insert the words "or liable to higher rate of tax "after the words "liable to tax."

(b) In line three of the clause replace the word "section" by the word "sections" and add the following new section 12 B after section 12 A :- "12. B. adjustment or refund occassioned by judicial pronouncement etc. Notwithstanding any thing contained in section 12, the turnover of a dealer or any part of such Turnover, may be reduced from taxable turnover or shall be assessed at a lower rate at any time, if such turnover, or part of turnover becomes not

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

liable to tax or becomes liable to tax at a lesser rate as a result of any judicial decision or pronouncement, provided that such a claim is made within one year of such decision or pronouncement."

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : In section 12 A sought to be newly inserted (a) For the words "if such turnover or part of turn over becomes liable to tax" substitute the words "if the liability to tax of such turnover or part of turnover arises" ; and

(b) after the words "Judicial decizion or pronomcement" and before the expression, "provided that", insert the following, namely :

"holding the whole or part turnover of dealer at any other stage in the series of sales of the relevent goods as being not liable to tax."]

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : (मावली) उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज १६ में सरकार जो अमेन्डमेंट लायी है उसके अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि यदि कोई जजमेन्ट ऐसा होगा जिसके कारण से टर्नओवर एक्सेप्ट हो गया या पार्ट ऑफ टर्न ओवर लाएबल टैक्स का होगा तो उसको एक साल के अन्दर अन्दर वापिस खोला जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही बड़ी गम्भीर बात है कि जिस सेल्स टैक्स की लिमिट समाप्त हो चुकी है, चार वर्ष हो, आठ वर्ष हो, असेस्मेन्ट नहीं कर सकता। अब इसके लिए ऐसा प्रावधान रखा जा रहा है कि किसी समय प्रोनाउन्समेन्ट हो हाईकोर्ट का कि इस चीज पर वह रेट थी और नहीं थी, वे सब पिछले असेस्मेन्ट वापिस खोले जावेंगे चाहे दस साल हो, बीस साल हो, पचास साल का हो, और व्यापारी पर उसके हिसाब की जिम्मेदारी डाली जायगी........

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इतनी प्रार्थना कर दूं कि जब क्लॉज १५ पास हो गया है तो मैं १६ वापिस ले लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : निगेटिव हो सकता है।

श्री बालकृष्ण कौल : निगेटिव नहीं, वापिस लेता हूं। If the House gives permission to withdraw, I think I can withdraw.

श्री उपाध्यक्ष : The clause cannot be withdrawn. It will be negatived.

श्री बालकृष्ण कौल : This is not the case. I do not want a negative vote on this. There is no harm in it.

श्री उपाध्यक्ष : It is not the procedure.

श्री मानिकचंद सुराणा : (कोलायत) : मैं यह प्रस्ताव करूंगा कि इस क्लॉज को डिलीट कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज १६ विधेयक का अंग बना।

श्री मानिकचंद सुराणा : नहीं साहब, डिलीट की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज १६ डिलीट की जाय ?

(विराम)

This is not the procedure.

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : अमेन्डमेन्ट मूव कर दीजिये।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं इसके डिलीशन का प्रस्ताव पेश करता हूं। और इसके साथ में माननीय मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूँगा कि वैसे ही असेसमेन्ट में आपने दो वर्ष की अवधि रख दी है और इस संशोधन के बाद तो बीस वर्ष की खोल सकते हैं जुडिशियल अनाउन्समेंट के ऊपर·······

श्री उपाध्यक्ष : This is not the procedure.

प्रश्न यह है कि क्लॉज १६ विधेयक का अंग बने।

(अस्वीकृत)

क्लॉज १६ विधेयक से निकाला गया।

(विराम)

क्लॉज १७.

[इस खण्ड पर यह संशोधन प्रस्तुत हुए:—

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : In sub-section (1) and the first proviso of section 13 sought to be substituted by clause (a), and the following at the end after the words. "due from him,"

"or of much instalment thereof as might have become payable as the case may be."

श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली) : In new sub-section (1) of section 13 of Rajasthan Act 29 of 1954, sought to substituted :—

(i) Substitute the words "Any person aggrieved or objecting to any order passed by the assessing authority" for the words "any person...... section 10A";

(ii) insert the words "whichever is later" after the words "the copy of the order".

(iii) at the end of the proviso add the words "or in case instaiments have been granted and due instalments have been paid."

(iv) Part (b) of the clause by replaced by the following :—

(श्री सम्पतिलाल बोहरा)

" (b) The third proviso be substituted by the following :—

" Provided further that the Appellate Authority may at any time if it deemes fit for reasons to be recorded in writing, stay the full or part of the demand of tax and penalty."

श्री मानिकचंद सुराणा (कोलायत) : In sub-section (1) sought to be substituted in section 13 of Rajasthan Act 29 of 1954 in line 9 between the words "an order passed under section 10A" and "may, within sixty days" insent the words "or a dealer objecting to a provisional assessment made under Section 7B."]

श्री उपाध्यक्ष : Hon. Minister, there is an amendment from the Government side.

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : In sub-section (1) and the first proviso of section 13, sought to be substi tuted dy clause (a), add the following at the end after the words "due from him", nemely:-

"or of such instaloent thereef as might have become payable as the case may be."

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : ये वर्ड्स कहां ऐसे किये हैं आपने ?

श्री बालकृष्ण कौल : प्रोविजो है, आखिर में जहां है "due from him"- Now it will read: " ..to be due fronhim or of such instalment thereof as might have become payable as the case may be."

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : यह तो मेरा ऑलरेडी उसी भाषा में प्रस्ताव है । आप उसी को क्यों नहीं स्वीकृत कर लेते है ।

श्री बालकृष्ण कौल : आप अपना संशोधन वापिस ले लीजिये ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : दो में से एक को सुधार दिया है उन्होंने ।

श्री उपाध्यक्ष : Please be as brief as possible so that every clause can be discussed.

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : इसमें जो मेरा पहला प्रस्ताव है वह बहुत ही सिम्पिल है। इसमें गवर्नमेंन्ट ने प्रस्ताव रखा है। इसमें रखा है कि इस सेक्शन में अपील कर सकते हैं और उसके हिसाब से कुछ सेक्शन्स रह गये हैं जिनमें अपील हो सकती है। सेक्शन १७ रेक्टिफिकेशन, सेक्शन ६७ सिक्यसोरिटी क्लॉज ।

हम यह चाहते हैं कि इसके बजाय यह कर दिया जाय : "Any person aggrieved or objecting to any order passed by the assessing authority"

ये अगर वर्ड यहां जोड़ दिये जांय, इसके बजाय यह सारा लिखा है :

(श्री सम्पतिलाल बोहरा)

(1) Any person objecting to an assessment, re-assessment, refund, an order of penalty or to an order passed under section 22 A, or a dealer objecting to an order of rejection of an application for exemption or for registration certificate or to an order passed under section 10 B, or a casual dealer objecting to an order passed under section 10 A, "

इसके बजाय जो मैंने कहा है वह जोड़ दिया जाय ।

" (1) Any person aggrieved or objecting to any order passed by the assessing authority"

इसमें यह अर्थ हो कि कोई ऑर्डर सेल्स टैक्स जो आफिसर ने पास किया उसकी अपील हो सकती है ।

"Any person aggrieved or objecting to any order passed by the assessing authority"

इन सब क्लॉज़ज़ के अलग अलग रखने के बाद जो कुछ बच जाता है उसके लिये मेरा निवेदन यह है कि कोई एग्रीव्ड होगा असेसिंग ऑथोरिटी के अगेन्स्ट उसको अपील करने का अधिकार होना चाहिये ।

दूसरा मेरा प्रस्ताव है उपाध्यक्ष महोदय, अपील ६० दिन के अन्दर की जा सकती है उसमें मुझे कोई एतराज नहीं है ।

".... from the date on which he was served with a notice of demand or the copy of the order .... "

इसमें जो वर्ड लिया गया है उससे मुसीबत होज यगी । डिमान्ड नोटिस सर्व कर देता है तो भी वह अपील नहीं कर सकेगा इसलिये मेरा सुझाव है ।

"insert the words whichever is later after the words the copy of the order."

ये शब्द जोड़ दिये जायें । उसमें साठ दिन की लिमिट होनी चाहिये एक चीज देने के बाद दूसरी चीज नहीं एप्लाई कर सकते । जो कोई भी बाद में मिले चाहे असेसमेन्ट नोटिस हो चाहे डिमान्ड नोटिस हो । उसके बाद में ६० दिन शुरू होने चाहिये ।

तीसरा मेरा संशोधन है इसमें अपील हो सकती है ड्यू टैक्स जमा करवाने पर । अगर व्यापारी के पास ड्यू टैक्स होता है उसको एक साथ जमा नहीं कर सकता और वह यह कहता है कि स्टे कर दिया जाय तो स्टे किया जाना चाहिये और इन्स्टालमेंट जो फिक्स करते हैं वह दे देता है रेगुलर पे कर रहा है, ड्यू जो हो गया है उसको ही ड्यू माना जाय ।

At the end of the proviso, add the words: "or in case instalments have been granted and due instalments have been paid."

वित मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे ।

इसके बाद में एक प्रस्ताव और है डिप्टी कमिश्नर को भी अपील्स के सुनने का अधि-

(श्री सम्पतिलाल बोहरा)

कार देना चाहिये, रीजनेबल केस में स्टे कर सकते हैं । इससे क्या होगा सभी लोग कमिश्नर के पास नहीं जायेंगे । रीजनेबल केसेज में डिप्टी कमिश्नर को स्टे करने का अधिकार मिलना चाहिये । हर आदमी को कमिश्नर के पास न जाना पड़े डिप्टी कमिश्नर के पास जाकर ही स्टे ले सकता है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस क्लाज़ १७ में संशोधन पेश करना चाहता हूं । क्लाज़ १७ सब क्लाज़ (ए) पार्ट (१) इसमें लिखा है :

"(1) Any person objecting to an assessment, reassessment, refund, an order of penalty or to an order passed under section 22A, or a dealer objecting to an order of rejection of an application for exemption of for registration certificate or to an order passed under section 10B, or a casual dealer objecting to an order passed under section 10A......" and "......may......"

इसके बीच में ये वर्ड्स जोड़े जायें ।

"Or a dealer objecting to a provisional assessment made under Section 7B"

ये वर्ड्स एड कराना चाहता हूं । इसका सिग्निफिकेन्स यह है कि अगर किसी डीलर का प्रोवीजनल असेमेन्ट किया जाय तो उसको सारी रकम जमा करानी पड़ेगी जब कि फाइनल असेसमेन्ट के समय केस वापिस हो जाय तो विदिन ६० डेज़ वह अपील कर सकता है और अपील करने पर इतनी ही रकम जमा करायेगा जितनी टेक्स की रकम स्वीकार करता है । फाइनल असेसमेन्ट में अगर छूट हो जाती है तो उसको उतनी रकम जमा करानी होती है लेकिन प्रोवीजनल असेसमेंट में चाहे रकम कितनी ही हो उसको चाहे स्वीकार करे या न करे सारी रकम को जमा कराना होगा। प्रोवीजनल असेसमेन्ट में भी वही सहूलियत मिलनी चाहिये जो फाइनल असेसमेन्ट के समय मिलती है । या तो यह प्रोवीज़न आपसे बाई दी वे हो गया है प्रोवीज़नल असेसमेन्ट में अपील का प्रावधान नहीं रखा है । दो तीन या चार साल बाद फाइनल असेसमेन्ट होता है । मान लीजिये एक्चुअल टेक्सेबल टर्नओवर पचास हजार रुपये का है और उसके पांच लाख का टैक्स जमा कराना हो ऐसी हालत में जब कि वास्तव में वह पचास हजार का ही टैक्स आमद होता है और उससे पांच लाख रुपया जमा करवा लिया । असेसमेन्ट देरी के कारण प्रोवीज़नल असेसमेन्ट गलत कर दिया तो उसको तो पांच लाख जमा कराने पड़ गये । इसलिये मेरा निवेदन है कि जो सुविधायें फाइनल असेसमेंट के समय हैं प्रोवीज़नल असेसमेन्ट के समय भी वे ही सुविधायें मिलनी चाहिये । इसमें अपील का जो ओरिजनल सेक्शन १३ है उसके लिये अपील प्रोवाइड करनी चाहिये ।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : मैं इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह अमेन्डमेन्ट जो मेरी तरफ से पेश है यह रिजल्ट है उस कमेटी का जो सिम्प्लीकेशन कमेटी इसके लिये बनाई गई

(श्री बालकृष्ण कौल)

थी। उस सिफारिश को मानते हुए सरकार ने एक जो गाइटड्राफ्ट होना चाहिये, उसी नजरिये से यह संशोधन पेश किया गया है। इसलिये मुझे अफसोस है कि जो मावली से आये सदस्य हैं उनका अमेन्डमेन्ट मैं स्वीकार नहीं कर सकता।

इसके अलावा जो कोलायत से माननीय सदस्य आये हैं उन्होंने एक लफ्ज़ के एडीशन करने के लिये संशोधन दिया है, प्रोवीजनल असेसमेन्ट भी इसमें एड कर लिया जाय। मैं उनको इतना निवेदन कर दूं प्रोवीजनल असेसमेंट और असेसमेंट एक ही चीज है। इसमें कोई फर्क नहीं है। आपका जो मतलब है वह खुद बखुद आजाता है। हमने किसी भी धारा में प्रोवीजनल असेसमेंट को बोडी में नहीं लिया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : प्रोवीजनल असेसमेंट का क्लाज़ ७ है, फोर्थविथ देना पड़ेगा, फोर्थविथ नहीं दें तो उसकी रेमेडी क्या होगी? जितना असेस कर दिया है फोर्थविथ जमा कराना पड़ेगा।

"Determine at any time and for any period the texable turnover of such a dealer and assess the tax to the best of his judgment."

इसके बाद में धारा बी ७ भी आप पढ़िये।

"......shall be payable by the dealer forthwith,' and in default of payment shall be recoverable as arrears of land revenue."

इसका मतलब यह हुआ कि उसको चुकाना पड़ेगा, उसको लैंड रेवेन्यू की तौर पर वसूल करेंगे। आपने जो असेसमेंट कर लिया वह लेन्ड रेवेन्यू की तरह वसूल करेंगे। मेरा यह निवेदन है कि जो फाईनल असेसमेन्ट के समय सुविधा है वह प्रोवीजनल असेसमेंट के समय सुविधा क्यों नहीं?

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : प्रोवीजनल असेसमेंट में इस प्रकार की अपील है जिसमें और असेसमेंट भी होते हैं। इसको लेने से रूप नहीं बदल जाता। इसके अन्दर फोर्थविथ है। ओन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस मैं यह कह सकता हूं प्रोवीजनल असेसमेंट में वह सब हो जायगा।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : क्लॉज़ १७ में यह नहीं आता है, ६ व ७ में नहीं आता।

यह पहला जो है इसको मान लेने में आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री बालकृष्ण कौल : इस क्लॉज की बेसिस है, जिस वक्त अपील होगी उस वक्त जितना असेस होगा या हुआ करता था, उतना रुपया जमा कराना पड़ेगा?

श्री बालकृष्ण कौल : आप की बात से ताल्लुक नहीं है इस चीज का। अभी कहा गया है, अपील के मामले जुडीशियल ऑथोरिटी को ही दिये जावें।

श्री उपाध्यक्ष : I am putting the question please.

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा: He is agreeing.

श्री उपाध्यक्ष : He is not agreeing.

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : He is not giving any reply.

श्री उपाध्यक्ष : It is not necessary. प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज १७ में मन्त्री महोदय ने रखा है उसे स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन माननीय श्री सम्पत्तिलाल बोहरा ने इस क्लाज़ पर रखा है उसे स्वीकार किया जावे ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि........

श्री मानिकचन्द सुराणा: मुझे इज़ाजत दी जावे कि मैं इसे वापिस ले लूं । इस सरकारी आश्वासन के बाद जो हाउस के फ्लोर पर दिया गया है मेरी मंशा पूरी हो चुकी है ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की यह मंशा है कि उनको इसकी स्वीकृति दी जाय ।

[स्वीकृत]

स्वीकृति दी जाती है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लाज़ १७, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बना ।

(स्वीकृत)

क्लाज़ १७, यथासंशोधित, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लाज़ १८

[इस खण्ड पर ये संशोधन प्रस्तुत हुए :

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) :

(1) In sub-section (1) of section 16 of Rajasthan Act 29 of 1954.—

the word "due" be added after the word "any" occurring in clause.

(b); clause.

(c) be deleted;

at the end of clause (e) add the words "fraudulently evades eravoides the payment of tax or conceals his liability to tax; or"

(श्री सम्पतिलाल बोहरा)

Clauses (f), (i), (j), (k) and (l) be deleted;

in clause (n)--

the figure "Rs. 50/-" be substituted for the figures "Rs. 100/-" in part (i);

at the end of sub-part (2) of part (ii) add the words "but it shall not exceed 50 of Tax, fee or penalty due";

in part (iii) replace the expression 'clauses (c) and" by the expression "clause".

In part (v) the brackets and letters "(f) and (g)" be omitted;

and "Rs. 100/-" be substituted for" Rs. 500/-".

Parts (vi), (vii) and (viii) be omitted.

In part (ix) the figure "Rs. 100/-" be substituted for "Rs. 300/-".

(2) Add the following proviso to sub clause (ix) of clause (n) of new sub-section 16 of Rajasthan Act 29 of 1954 :—

"Provided that the total penalty shall not exceed more than double the tax imposed".

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) :—

In clause (f) of sub-section (ii) sought to be substituted for the section (1) of section 16 of Rajasthan Act 29 of 1954.

(i) add the words "without any reasonable excuse "before the word "or"; and

(ii) and also add the following proviso:—

"Provided that it shall not be a bar for carrying account books to the office of a legal advisor or carrying account books to a Court of law in response to a summon".

श्री सम्पतिलाल बोहरा : क्लाज़ १८ में बहुत से संशोधन हैं। यह महत्वपूर्ण है। पैनल्टी का क्लॉज़ है।

संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं।

क्लॉज़ बी में "due" शब्द जोड़ने का प्रावधान है।

"the word 'due' be added after the word 'any' occurring in clause (b) ..."

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : अनड्यू टैक्सेज भी होते हैं क्या ?

श्री सम्पत्ति लालबोहरा : दूसरा है क्लॉज़ (सी) । It may b? deleted.

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

यह आपकी व्यवस्था है कि यदि विदाउट रीज़नेबल क्लॉज़ रिटर्न पेश नहीं करता है तो उसको पेनल्टी देनी होगी और अगर टैक्स भी नहीं जमा कराता है तो भी पेनल्टी देनी होगी ।

रिटर्न तब जमा कराया जाता है जब रसीदें साथ में नत्थी हों । इस कारण रिटर्न समय पर पेश करना हर वक्त सम्भव नहीं हो सकेगा । डिक्लेरेशन साथ में नत्थी न हो तो भी एस. टी. ओ. रिटर्न नहीं लेता है इसलिये दोनों प्रावधानों को एक कर दिया जाय । दोनों की पेनल्टी भी एक ही हो, यह मेरा निवेदन है ।

और जो सेक्शन (ई) है उसमें यह जो इसमें आया है के रूप में उसको "(e)" के बाद जोड़ दिया जावे; इसमें यह है :

"has concealed any particulars from any returns furnished by him or has deliberately furnished inaccurate particulars therein;"

इन दोनों को एक कर दिया जाय । इस तरह का मेरा निवेदन है ।

इसके बाद में "(f)" को डिलीट करने की बात है । इसमें हिसाब-किताब के बारे में है कि वे कहां पर रखे जावें । मैंने पहले भी निवेदन किया था कि यह सम्भव नहीं है कि सारी बुक्स और अकाउन्ट्स एक जगह ही रखो जावें । कई लोगों की दुकानें बहुत छोटी होती हैं, पान वाले की जैसे है औरों की है कि वह नहीं रख सकता वहां पर । फिर कितने सालों की बहियां रखी जावें ? सभी सालों की रखी जावें, it will not be possible । तो बहियां अपने घर पर और दूसरी जगह जहां वह ठीक समझे रखने की इजाजत होनी चाहिये । और कितने सालों की रखी जावें इसका भी जिक्र होना चाहिये । आपने लिख दिया है पर अगर कोई भी व्यक्ति वहां से कहीं ले जाय इन्कम टैक्स आफीसर ले जाय किताबों को सेल्सटैक्स ऑफीसर ले जाय तो फिर ? आप यह लिख दीजिये कि करेन्ट बुक्स ऑफ अकाउन्ट्स वहां रखेगा तो रीज़नेबल होगा ।

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में विवाद हो तो अच्छा हो ।

श्री सम्पत्तीलाल बोहरा : यह बहुत इम्पोर्टेन्ट है, उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जरूरी तो सदन का समय बढ़ा दिया जाय ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : इसके बाद में (आई) को (ई) के साथ जोड़ दिया है इसलिये ओमिट करने को कहता हूं इसको ।

इसके बाद में (के) के बारे में ऑलरेडी चूंकि इसका प्रोवीज़न हो गया है डिक्लेरेशन देकर माल खरीदते हैं तो....

श्री उपाध्यक्ष : बहस करते समय यह भी देख लें कि सेंस ऑफ दी मिनिस्टर क्या है ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : वे कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मेरा निवेदन है कि ऐसे टैक्निकल मैटर पर जहां मन्त्री महोदय पूरा न समझें उनके लिये ऐसे मामलों को समझने के लिये एक पार्लिया-मेन्टरी सेक्रेटरी की व्यवस्था होनी चाहिये ताकि जो माननीय सदस्य कह रहे हैं उसका इम्पैक्ट भी समझ लें।

श्री बालकृष्ण कौल : किनके बारे में कह रहे हैं?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : तो डिक्ले-रेशन रोंग देकर या न देकर जो माल खरीदता है तो इसके लिये पहले आपने प्रोवीजन रखा है कि सारा माल टैक्सेबल टर्न ओवर में गिन लिया जावेगा तो उसी के लिये यह दुबारा पेनल्टी का प्रावधान उपयुक्त नहीं है, इसलिये इसको डिलीट किया जावे।

इसी प्रकार (आई) में उपाध्यक्ष महोदय, यह भी महत्वपूर्ण है यदि किसी से सिक्योरिटी मांगी गई और नहीं दी तो बिजनेस नहीं कर सकेगा वह यह बहुत बुरी बात है। सरकार ने कह दिया कि तुमको पांच हजार की सिक्योरिटी जमा करानी पड़ेगी तो वह उसके लिये समय मांगता है, अपील भी कर सकता है तो यह कौनसी बात हुई कि नहीं देगा तो व्यापार ही नहीं कर सकेगा और इसलिये उसे इस बिना पर व्यापार ही बन्द करना पड़ेगा। फिर मुश्किल यह है कि इस ६७ के अगेन्स्ट में अपील का प्रोवीजन भी नहीं है। मैंने पहले कहा था पर वित्तमन्त्री ने समझा नहीं और बात कह रहा था तो मुझे बोलने नहीं दिया। तो इस तरह से तो व्यापार करने के फण्डामेन्टल राइट पर आघात पहुंचेगा। फण्डामेन्टल राइट को चेलेन्ज करने की बात हो गई इसमें। आपने, मान लो कि सिक्योरिटी ली और वह समय पर नहीं दे सका तो वह व्यापार ही नहीं कर सकता। व्यापार नहीं करने देने का प्रावधान न करके हमें उसकी रिकवरी का प्रावधान करना है। वे बिजनेस ही नहीं कर सकें इस तरह का प्रावधान मैं उपयुक्त नहीं समझता। इसके बारे में उपाध्यक्ष महोदय, जो दूसरा प्रावधान है इसके दूसरे पार्ट जिसमें कि पैनल्टी की व्यवस्था की गयी है उसमें (ए) में मेरा यह प्रावधान है कि

"the figure Rs. 50/- be substituted for the figures Rs. 100/- in part (i)"

जहां १००) लिखा है वहां ५०) रुपये कर दिया जाये और इसके बाद में यह जो प्रावधान है सैकिण्ड यह बहुत ही इम्पोर्टेन्ट प्रावधान है। इसमें यह लिखा है कि १ परसेन्ट टैक्स के ऊपर पैनल्टी लगाई जायेगी और १ रुपये सैंकड़ा के हिसाब से ३ महीने तक ब्याज लिया जायेगा और उसके बाद में १॥ रुपया ब्याज लिया जायेगा और वह कन्टीन्यू करेगा। मैं कहता हूं कि इसकी एक अन्तिम सीमा होनी चाहिए कि कितनी मेक्जीमम पैनल्टी आप लगा सकते हैं। जितना कुल टैक्स है उसकी ५० पर्सेन्ट से अधिक पैनल्टी नहीं लगानी चाहिए ऐसा मेरा प्रावधान है। इन्कम टैक्स में भी ऐसा प्रावधान है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

Page No. 88

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

दो मिनट में समाप्त करता हूं। जो (सी), (एफ), (जी) के डिलीट करने का और ५००) के बजाय १००) का और ६,७,८ को डिलीट करने का प्रावधान रखा है और ६ में ३००) के बजाय १००) का प्रावधान रखा है। अंत में मेरा एक प्रोबीजो ऐड करने का विचार है और वह मैं मूव करता हूं :

"Provided that the total shall not exceed more than double the tax imposed."

मेरी यह मन्शा है कि जैसा कि कल माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि सारे सेक्शन्स की पैनल्टी का हिसाब लगाया जाये तो वह १००) रुपये पर ३०००) से अधिक हो जाता है। इसलिए मैं उस विचारधारा को मद्देनजर रखते हुए निवेदन करूंगा कि आप चाहे जितनी लिमिट कर दें लेकिन सारे एक्ट में इससे ज्यादा पैनल्टी नहीं होगी, It may be one time, two times, three times, four times, five times but have some limit.

मेरा यह सुझाव है कि डबल टी टैक्स से ज्यादा पैनल्टी नहीं लगाई जाये ?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कणलायतो) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो एक छोटा सा अमेन्डमेन्ट सब क्लॉज (एफ) में रखना है। वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले वर्ष जो बहस हुई इस विधेयक पर जो उन्होंने फाइनेंस बिल ६३ में रखा था उसमें मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत से अमेन्डमेन्ट्स रखे थे और वह सेल्स टैक्स के वकील भी है तो माननीय वित्त मंत्री जी उससे बहुत परेशान होगये। और इतने परेशान हुए कि इस बिल में जो प्रावधान है उसका निष्कर्ष यह होगा कि मावली से आने वाले माननीय सदस्य को अपनी इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स की वकालात उठानी पड़ेगी। कारण यह है कि अब कोई भी डीलर प्लेस आफ बिजनेस से अपनी अकाउन्ट्स बुक्स ले जा नहीं सकता। तो वकील साहब तो घर घर डोल नहीं सकते क्योंकि वह भिखमंगे तो हैं। नहीं और नतीजा यह होगा कि वकील साहब के यहां अकाउन्टस बुक्स नहीं जा सकती और डीलर्स उनकी लीगल एडवाइज ले नहीं सकते और आपके ऑफिसर्स मनमानेपन से और अनजुडीशियल वे में इस्तेमाल करेंगे इसलिए place of business में "with out any reasonable excuse" जोड़ दिया जाये। क्योंकि व्यापारी अपने अकाउन्ट्स को किसी वकील के यहां ले जाता है तो उसका प्रावधान होना चाहिए। कचहरी में आपके सेल्स टैक्स के ऑफिसर बुक्स मंगवायेंगे, वे तो यही कहेंगे कि मैं तो अपनी अकाउन्ट्स बुक्स प्लेस ऑफ बिजनेस से रिमूव नहीं कर सकता और अगर करूंगा तो ५००) रुपये की पैनल्टी होगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सब क्लॉज (एफ) में यह जो भी डिस्क्रीपेन्सी है और जो एब्सर्डिटी पैदा होगी और जो मैंने संशोधन रखा है, "without resonable excuse" वित्त मंत्री जी उसको स्वीकार करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, यह और निवेदन करूंगा कि वित्त मंत्रीजी कहते हैं कि हम कोई लिमिट नहीं रखना चाहते।

Page No. 89

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

पैनल्टी ३,६००) की हो सकती है, इसमें यह प्रावधान है उपाध्यक्ष महोदय, यदि १०० रुपये टैक्स के बनते हैं तो सारी पैनल्टी इम्पोज कर दी जाये तो मैंने पूरी डिटेल्स बताई थी कि जिसमें करीब ३,५००) से ऊपर की कुछ रकम थी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि या तो वित्त मंत्री जी यह सीमा रखें कि टैक्स की रकम से ५ गुना से ज्यादा पैनल्टी न हो....

श्री बालकृष्ण कौल : एक ऑफिन्स में?

श्री मानिकचन्द सुराणा : एक ऑफिन्स में रख लें ताकि ३,६००) के जगह १५,०००) रुपये हो जायेगा। आपका टैक्स कोई चीज पर ६ परसेन्ट है और कोई पर १० परसेन्ट है। यानी १०००) का सामान बेचें तो १००) रुपये का टैक्स देते हैं एट दी मोस्ट तो मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह की बन्दिश लगा दें कि जितने का माल बेचा है उससे ज्यादा पैनल्टी इम्पोज नहीं करेंगे लेकिन फिर भी लिमिट होनी चाहिए कि हजार से ज्यादा पैनल्टी नहीं होगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह पैनल्टी का प्रावधान इतना ज्यादा है कि वित्त मंत्री जी उस पर कोई चैक नहीं रख सकेंगे, टैक्सेशन कमिश्नर कोई चैक नहीं रख सकेंगे और आपके सेल्स टैक्स ऑफिसर, ए० एस० टी० ओ० और इन्सपेक्टर्स इन पैनल्टीज का डर दिखाकर अन्टशन्ट रुपये का भ्रष्टाचार छोटे व्यापारियों से करेंगे। इसलिए व्यापारियों को कम से कम यह तो इत्मीनान हो कि ५ गुना टैक्स से ज्यादा पैनल्टी इम्पोज नहीं की जा सकती। चाहे आप १० गुना २० गुना का रखिये लेकिन एक सीमा रखिये कि टैक्स के इतने गुना से ज्यादा पैनल्टी नहीं होगी।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी छोटा सा जुबानी अमेन्डमेन्ट है क्लॉज १८ है इसका सब-क्लॉज (१) का (एच) की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसमें यह है :

"prevents or obstruct inspection of any goods, or vehicle or boat or animal carrying goods by an officer in charge of a check post or barrier or obstructs an officer empowered under Sec. 22A, in the discharge of his functions; or"

इस सम्बन्ध में अर्ज करना चाहता हूं कि कृपया इसमें 'रेल्वे' शब्द और जोड़ दिया जाये, अन्यथा आपके इन्सपेक्टर्स को जो तकलीफ होती है वह मैं जानता हूं। रेल्वे से भी बकरियां चली जाती हैं और उनको वह चेक नहीं कर सकते।

By means of goods train, they are also carrying on goats....

दूसरी चीज यह है........

श्री उपाध्यक्ष : The Hon. Member has not given any amendment.

श्री अब्दुलजब्बार : मेरा तो सजेस्ट करने का फर्ज था, आप नहीं मानते हैं तो यह दूसरी बात है। हमें जो रात-दिन देखने को मिलता है इसके लिए अर्ज कर दिया।

Page No. 90

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो मावली से आये हैं उन्होंने यह फरमाया कि यह जो क्लॉज है यह बहुत ही गम्भीर क्लॉज है। मैं भी उनसे इत्तफाक रखता हूं। यही क्लॉज सारे एक्ट की जान है........

श्री मानिकचन्द सुराणा : एक्ट की जान और व्यापारियों की जान लेवा क्लॉज़ है।

श्री बालकृष्ण कौल : यह तो अपना अपना इन्टरप्रिटेशन है। मैंने बजट भाषण में कहा था उपाध्यक्ष महोदय, कि मैं टैक्स नहीं बढ़ाऊंगा। लेकिन जो टैक्स इस सदन ने लगाया हुआ है और जिसका कस्टोडियन मुझे बनाया हुआ है, उसको वसूल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा और जितने सूराख हैं उनको रोकूंगा और यह धारा उसी के लिए है। मुझे अफसोस यह है कि मैं इसमें कोई संशोधन मानने के लिए तैयार नहीं हूं क्योंकि मैं ऐसे कोई लफ्ज़ इसमें नहीं रखना चाहता हूं कि जिसके इन्टरप्रिटेशन में कोई डाउट हो जाये। मैं इस धारा को रिजिड बनाना चाहता हूं इसलिए जो सेल्स टैक्स का सारा बेसिस है और जिस बेसिस पर मैंने अपना बजट बनाया है, वह इसी आधार पर है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि इसको तो चलने दें और देखें कि किस तरह से ये क्लॉज़ेज़ चलती है। हो सकता है कि इन क्लॉज़ के चलाने में कहीं खामियां हो तो उन खामियों को मैं पूरा करने को तैयार हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप अभी तैयार क्यों नहीं हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं आता हूं।

एक माननीय सदस्य ने यह फर्माया है कि इन सब क्युमुलेटिव सजाओं को देखा जाय तो ३६००) रु० हो जाते हैं। यह एक फेलेश्यस आर्ग्युमेंट है, क्योंकि इंडियन पीनल कोड में बहुत से क्लॉजिज़ हैं उन सब क्लॉज़ेज़ को तोड़ दें तो क्या होगा, यह मैं नहीं कह सकता हूं। ये डिफ्रेन्ट ऑफेन्सेज़ है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह व्यारियों के लिए पीनल कोड है क्या ?

श्री बालकृष्ण कौल : हां है। यह कहा है कि इसको पुरअसर करने के लिए अगर एक व्यापारी सब धाराएं तोड़ेगा, सब ऑफेन्स करेगा....

श्री मानिकचन्द सुराणा : रजिस्टर्ड डीलर नहीं बना और आपका टैक्स आयद हो तो वे सारी धाराएं एक साथ टूट जाती हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : नहीं लगती हैं। ऑफेन्सेज़ अलग अलग हैं। हो सकता है कि २-४ आफेन्सेज़ एक साथ मिल जायं, लेकिन यह मुमकिन नहीं है। एक दुकानदार सभी उन धाराओं को तोड़ देगा तो ३६००) रु० की उसके लिए पाबन्दी कर दी है कि यह मैग्जिमम है। इससे ज्यादा नहीं होगा। यह मेरी समझ में नहीं आता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपकी समझ में नहीं आता है।

श्री बालकृष्ण कौल : क्योंकि मैं मान नहीं सकता कि सारी धाराएं एक साथ टूटेंगी।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप पढ़लें।

श्री बालकृष्ण कौल : पढ़ कर बता रहा हूं। अगर कोई ऐसा व्यापारी है जो कि सब धाराओं को तोड़ने के लिए और हर तरह से सरकार का रुपया दबाना चाहता है तो ३,६००) रु० भी कम है। वह अगर ३६ लाख कमाता है तो ३,६००) रु० भी कम है। कितनी ही धाराओं पर एक साथ पेनल्टी लगा सकते हैं।

मैं निवेदन कर रहा था कि इसमें मैं कोई तरमीम मानने को तैयार नहीं हूँ। अगर मैं उसमें तरमीम मानता हूं तो मुझको सारे बजट को रिकास्ट करना पड़ेगा और विचारधारा सारी बजट की बदलनी पड़ेगी। वह बदलने के लिए मैं इस मौके पर तैयार नहीं हूं। मुझे उम्मीद है कि माननीय सदस्य अपने अमेन्डमेन्ट्स वापिस लेलेंगे जो उन्होंने रखे हैं और मुझे मजबूर नहीं करेंगे कि मैं उनके खिलाफ वोट दूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मेरे एतराज का तो आपने जवाब दिया नहीं। वकीलों के यहां एकाउन्ट्स बुक्स पड़ी हैं तो।

श्री बालकृष्ण कौल : "कीप्स" का मतलब है कि परमानेन्टली जहां रखता है। वह नहीं है कि टेम्पोरेरी कहीं किताबें चली जाती हैं तो फिर कोई सजा हो जाती है। यह चीज इस क्लॉज में नहीं आती है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : (के) के बारे में क्या जवाब दे रहे हैं? डबल प्रोसीक्यूशन हो रहा है एक तरफ तो, उसको डबल टैक्सेबल में कर लिया है....

श्री मानिकचन्द सुराणा : "Does not keep or has not kept his books at a certain place..."

श्री बालकृष्ण कौल : "keep" के मायने "normally keep" है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : "नोर्मली कीप" है तो इसका इस तरीके से इन्टरप्रिटेशन भी होगा कि किसी दुकान पर जांच के लिए अधिकारी गया और रेकार्ड नहीं है तो इस धारा का खण्डन हो गया। फिर उसकी मर्जी की बात रही कि वह अपील करे या पैनल्टी करे।

श्री बालकृष्ण कौल : अपील करने की जरूरत नहीं। वह स्टेटमेंट दे देगा कि किताबें वकील साहब के यहां हैं तो वह वकील साहब के यहाँ देख लेगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : और यह कह दे कि अदालत में हैं तो!

श्री बालकृष्ण कौल : तो अदालत से मालूम हो जायगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ठीक बात है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : (के) का जवाब दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : No, no, प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री सम्पत्तिलाल बोहरा ने क्लॉज १८ में रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, इसको मैं विथड्रा कर रहा हूं, लेकिन जितने भी एश्योरेंसेज माननीय मंत्रीजी देते हैं, वे अपने विभाग को एडमिनिस्ट्रेटिव डाइरेक्शन्स दे रहे हैं।

(श्री वित्त मंत्री के अनुमोदन में सिर हिलाने पर) अच्छी बात है। मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Is it the permission of House to allow withdrawal ?

(स्वीकृत)

Permission granted.

श्री मानिकचन्द सुराणा : I with-draw.

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : सेक्शन १९ के सम्बन्ध में...

श्री उपाध्यक्ष : Let me dispofose this section first.

प्रश्न यह है कि क्लॉज १८ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज १८ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

धारा १९

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : मैं क्लॉज १९ के कम्प्लीट डिलीशन का प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Now the time is getting too much.

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : यह बहुत इम्पोर्टेन्ट है। कॉगनीज़ेबल ऑफेन्स का है।

श्री उपाध्यक्ष : But you kept quiet when you were speaking on the amendment.

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : कॉगनीजेबल ऑफेन्स का मामला है। डिलीशन ऑफ दी होल सेक्शन का मेरा प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष : अभी आप नहीं बोल सकते हैं। समय निर्धारित हो चुका है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, इस धारा के जरिये माननीय वित्त मंत्रीजी एक सेपरेट पुलिस फोर्स तैयार कर रहे हैं और इन्वेस्टीगेशन एक सेपरेट पुलिस फोर्स से करा रहे हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि वित्त मंत्री महोदय को सरकार के पुलिस विभाग पर भरोसा नहीं है। अपने इन्सपेक्टर्स को वह पावर्स देना चाहते हैं जो जाब्ता फौजदारी में पुलिस ऑफिसर को है। इसलिए इस क्लॉज पर सारी इस विधान सभा की

Page No. 93

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

और राजस्थान की जनता की अटेन्शन को फोकस करना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसके लिए कम से कम १० मिनिट का समय दे दें, ताकि माननीय सदस्य कुछ निवेदन कर सकें। पुलिस से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। इस क्लॉज में कमिश्नर को ये पॉवर्स दिये जाते कि कोई भी ऑफिसर नोट बिलो....

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : इसमें भी पुलिस........

श्री बालकृष्ण कौल : इसको मैं और क्लेरिफाई करूं, उसके बाद में आप बोलें। इन्स्पेक्टर ऑफ पुलिस नहीं है....

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसमें इस सेक्शन को पढ़िये। उसमें यह आया है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो पॉवर्स पुलिस ऑफिसर को हैं वही पावर्स इन इन्सपेक्टर्स को देना चाहते हैं। आखिर में सी आर० पी० सी० में जितने पॉवर्स पुलिस को हैं वह हम देना चाहते हैं और उनको देने से पहले आचार्यजी से कोई बात नहीं हुई है कि पुलिस ऑफिसर्स और उनके इन्सपेक्टर्स....

श्री निरन्जननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : पॉवर्स दिये बिना इन्सपेक्टर्स इफेक्टिव हो नहीं सकते।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपके पुलिस विभाग से जांच क्यों नहीं करवाते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट को उनको कोई भरोसा नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : बिल्कुल समन्वय है। जहां वे चूकते हैं वहां पर हम पहुंच जाते हैं और जहां पर हम चूकते हैं वहां पर ये पहुंच जाते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इन्सपेक्टर्स को पॉवर्स दे रहे हैं, वह बिल्कुल गलत है। आप इन्सपेक्टर्स से ये पॉवर्स हटाकर एस० टी० ओ० को दें। लेकिन इस तरह के पावर्स देना बिल्कुल गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : Be very brief please. Yes.

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा है,

"Not below the rank of an inspector"

यह बात सच है कि इन्सपेक्टर से बिलो ये पॉवर्स नहीं दी जायेंगी तो इन्सपेक्टर से बिलो तो यू० डी० सी० और एल० डी० सी० हैं, तो यू० डी० सी० और एल० डी० सी० को न तो इन्सपेक्टर के अधिकार हैं और न एसेसमेंट के अधिकार हैं। एसेसमेंट के अधिकार सेल्सटैक्स ऑफिसर को होते हैं L. D. C and U. D. C gets what ! उसकी सेलेरी क्या है ? सिर्फ १४०) रु० है। यह भी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन्सपेक्टर को कोई ड्रेस नहीं दी जाती है। ड्रेस उसको अपने आपकी बनवानी पड़ती है। उसको न धुलाई का एलाउन्स दिया जाता है। तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि १४०) रु० की तनख्वाह वाले को इतने पावर्स दे दें और वह १४०) रुपया पाने वाला करप्शन नहीं करे ? कागनीजेबल आफेन्स का नाम लेकर किस प्रकार से भ्रष्टाचार होगा इसको आप मद्देनजर नहीं रखते हैं।

(श्री सम्पतिलाल बोहरा)

यह बहुत सीरियस मामला है । जहां वह बाजार में गया और उसने बहियां पकड़ी और उनसे कहता है कि रुपया दो नहीं तो चालान करता हूँ । तो वह फिर रुपया देगा । इस तरह की सीरियस बात होती है जिससे कि सारे व्यापारी चौंक जायेंगे । यह मेरी समझ में आता है कि जिस प्रकार से एक्साइज इन्स-पेक्टर की माहवारी बन्धी हुई थी कि हर दुकान से इतना इतना रुपया मिलेगा । एक्साइज का सिस्टम आपने बदल दिया और गारन्टी सिस्टम कर दिया तो उनकी माहवारी बन्द हो गई । उसको वापिस चालू करने के लिए सेल्स टैक्स एक्ट में इस तरह का प्रावधान किया गया है ताकि दूकान-दूकान पर जाकर वह माहवारी वसूल कर सके ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह इतना बड़ा आफे-न्स है कि जैसा कि मनीलेण्डर्स बिल में यह प्रोवीजन रहा था तो उस प्रोवीजन का सारे हाउस ने विरोध किया था । उसके बाद में कॉग्नीज़ेबल ऑफेन्स की जो योजना थी उसको हटाया गया था । इस प्रकार के प्राव-धान बिना लोगों की जानकारी के लाकर रख दिये जायं तो बहुत ही सीरियस बात होगी । अगर किसी को आफेन्स में लेना चाहते हैं तो पेनल्टी कर सकते हैं और जितनी मेक्जी-मम पेनल्टी लगनी चाहिए थी वह सेक्शन १८ में लगा दी । प्रोसीक्यूशन के पॉवर्स और कॉग्नीजेबल आफेन्स लाने का कोई औचित्य नहीं है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : आप ....

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं इस क्लॉज का सम्पूर्ण डिलीशन चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : वह पहले कह चुके हैं आप ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैंने कुछ अर्ज नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष : इससे पहले बोले थे आप ।

श्री मानिचन्द सुराणा : मैं यह निवे-दन करना चाहता हूं कि इस क्लॉज की कोई आवश्यकता नहीं है और इसलिए नहीं है कि आपने व्यापारियों के पिछले चार साल के नहीं पिछले ८ साल के एसेसमेंट को रीओपन करने के पॉवर्स ले लिये हैं ।

एक तरफ तो पिछले ८ वर्ष के अकाउ-न्ट्स को रीओपन कर लेंगे और ८ वर्ष के अकाउन्ट्स को इस तरह से रीओपन किया है कि यह अवधि ८ वर्ष की एक्ट में प्रविष्ट हुई मानी जायगी । यदि ५४ में रीओपन किया है तो आज तक रीओपन कर सकेंगे । एक तरह से एसेसमेन्ट रीओपन करना है, पेनल्टी रीओपन करने की आपकी मंशा मालूम होती है । आप छोटे छोटे लोगों पर ३,६००) रु० तक पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं तो फिर आपको इन्वेस्टिगेशन किस बात का करना है, क्या तफतीश आप करना चाहते हैं, आपके इन्सपेक्टर और सेल्स टैक्स ऑफि-सर क्या तफ्तीश करेंगे ? यदि किसी ने टैक्स इवेड किया है तो आप उसको नोटिस दीजिये ।

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

यदि किसी के पास अकाउन्ट नहीं है तो आप मनमाने तरीके से एसेसमेंट कर सकते हैं। इन्कमटैक्स कमिश्नर के पास भी ये अधिकार नहीं हैं, जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत जो अधिकार पुलिस को हैं उसी प्रकार के अधिकार का उपयोग आप करना चाहते हैं। वित्त मन्त्री जी कहेंगे कि इन्कम टैक्स और सेल्स टैक्स में फर्क है। इन्कम टैक्स तो खुद की कमाई पर है और सेल्स टैक्स देने वाला एजेन्ट की तरह है। लेकिन आप उस एजेन्ट को भी हैरेस नहीं कर सकते। आप पुलिस के पॉवर्स यूज करना चाहते हैं तो पुलिस के जरिये करिये। वित्त मन्त्री जी पुलिस फोर्स विदिन दि पुलिस फोर्स क्रिएट करना चाहते हैं। मैं इसका विरोध करता हूं। वित्त मन्त्री जी मेलाफाइड इन्टेन्शन से करना चाहते हैं। इससे आप भ्रष्टाचार को केवल बढ़ावा ही नहीं देंगे बल्कि भ्रष्टाचार की जड़ें १०० फुट नीचे पहुंचाना चाहते हैं। इस तरह का काला कानून और काले कारनामे सदन में भले ही बहुमत के आधार पर पास करवालें। लेकिन राजस्थान की जनता और राजस्थान के व्यापारी चुप रहकर सोते पड़े रहकर इसका समर्थन नहीं करेंगे बल्कि इसका भयंकर नतीजा होगा जो आपको भुगतना पड़ेगा। यदि आप मनमानी करेंगे, बहुमत के आधार पर कुछ करेंगे तो भयंकर निष्कर्ष होगा और राजस्थान की जनता और व्यापारी इस काले कानून का विरोध करेंगे और उसका कड़ा नतीजा हमारे वित्त मन्त्री महोदय को भुगतना पड़ेगा।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहूंगा कि माननीय सदस्य क्लॉज को पढ़ें।

श्री उपाध्यक्ष : Be brief please.

श्री बालकृष्ण कौल : "The Commissioner may authorise, either generally or in respect of a particular case or class of cases, any officer not below the rank of an Inspector to investigate all or any of the offences punishable under this Act."

जो माननीय सदस्य ने अपनी दलील दी है उन्होंने समझ लिया है कि यह इन्डिस्क्रिमिनेटली सेक्शन रहेगी।

श्री मानिकचंद सुराणा : यह इन्डिस्क्रिमिनेट इसलिये होगी, आपको मैं एक नोटिफिकेशन रेफर करता हूं। आपके एक्साइज कमश्निर ने, जो जनरल पॉवर्स सदन ने दिये है, उनका किस प्रकार मिस यूज किया है। यह नोटिफिकेशन सन् ६१ का है उसमें लिखा है :—

"hereby authorises all the Assistant Sales Tax Officers in their respective circles of posting to inspect all accounts, registers pertaining to the accounts of a dealer."

इस तरह से हमेशा जनरल पॉवर्स लेकर उनका मिस यूज करते हैं। आप मैरिट ऑफ दि केस को देखकर यूज नहीं करेंगे, जनरली यूज करेंगे।

श्री बालकृष्ण कौल : जो माननीय सदस्य ने विचार सदन के सामने रखे हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि यह पॉवर कौनसी

Page No. 96

(श्री बालकृष्ण कौल)

ऐसी चीज है जिससे उनकी इख्तलाफ राय है....

श्री मानिकचन्द सुराणा : मेरिट ऑफ दि केस पर नहीं लिया जाता।

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय सदस्य समझते हैं, कि यह तो सेल्स टैक्स नहीं, क्रिमिनल ऑफेन्स हो गया। इसका मतलब यह है कि कोई इन्सपेक्टर रिपोर्ट नहीं कर सकता, स्टेटमेंट नहीं ले सकता जब तक कि उसके पास पॉवर्स नहीं हों, इसलिये यह कहना कि नयी पुलिस बनाने जा रहे हैं या पुलिस की तरह हरकतें करने जा रहे हैं, यह जानकारी आपकी सही नही है।....

श्री मानिकचन्द सुराणा : यही हरकत होगी। आपमें और आपकी निकम्मी सरकार में ताकत नहीं है इसको रोकने की।

श्री बालकृष्ण कौल : सरकार 'निकम्मी' के नीचे ही माननीय सदस्य को बैठना पड़ता है।....

श्री मानिकचन्द सुराणा : हम कोई आपकी निकम्मी सरकार के नीचे नहीं बैठे हैं, आपको भ्रम न हो इस बात का।

श्री बालकृष्ण कौल : ३ आदमियों से देश की हुकूमत बनाना चाहते हैं निकम्मापन उनमें है या निकम्मापन सरकार में है जिसको इस सारे राजस्थान में बहुमत मिला है ! जिनको ३ आदमी मिले हैं सारे राजस्थान में निकम्मे वह हैं जो निकम्मा कहते हैं, सरकार निकम्मी नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सरकार निकम्मी है, हम नहीं, यह राजस्थान की २ करोड़ जनता कहती है।

श्री बालकृष्ण कौल : २ करोड़ जनता कहती है उसका नमूना सामने है। २ करोड़ जनता को निकम्मी बताते हैं वे गिनती में कुल ३ हैं इस लिए अफसोस है। डर इस बात का पैदा हो गया कि निकम्मा कहते कहते सरकार कहीं काबिल न हो जाय क्योंकि जिस सुराख में से निवेदन करने वाले गुजरते हैं, आज डर इस बात का हो रहा है कि जिनकी ठेकेदारी होती है वह नहीं रहेगी। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कितना ही जोर लगालें, ये चोरियां पकड़ी जायेंगी आप नहीं रोक सकते। इसलिये माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है, मैं उसको स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने यह कहा है कि जनरल पॉवर्स यूज नहीं करेंगे ; On a Point of clarification.

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! The chair is on its legs.

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १६ विधेयक का अंग बने।

हां पक्ष जीता।

श्री मानिकचन्द सुराणा: 'ना' पक्ष जीता Noes have it, Sir.

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

डिवीज़न क्लेम करेंगे। राजस्थान की जनता के सामने आपको एक्सपोज़ करेंगे।

(विभाजन घंटी के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष : Order please! मैं पुनः प्रश्न रखता हूं। प्रश्न यह है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: On a point of order, इसके पहले कि इस क्लॉज़ को प्रस्ताव पर रखें हमने जो प्रस्ताव रखा था, इस क्लॉज़ को डिलीट करने का उस पर वोट लें।

श्री उपाध्यक्ष : I put the motion.

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १६ विधेयक का अंग बने।

(मत-दान के पश्चात्)

'हां' पक्ष जीता।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : 'ना' पक्ष जीता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : 'ना' पक्ष जीता।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : 'ना' पक्ष जीता।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : 'हां' पक्ष जीता।

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, उद्योग) : 'हां' पक्ष जीता।

श्री उपाध्यक्ष : Ayes to 'Ayes' lobby and Noes to 'Noes' lobby.

(मत-विभाजन के पश्चात्)

विभाजन का परिणाम निम्न प्रकार है:—

हां पक्ष........ ७८

ना पक्ष........ ५०

(स्वीकृत)

क्लाज़ १६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

[विभाजन के अनुसार 'हां' व 'ना' पक्ष के माननीय सदस्य]

'हां' पक्ष

श्री अलदाराम मीणा

श्री बालकृष्ण कौल

श्री बरकतुल्ला खां

श्री भगराज चौधरी

श्री भरतलाल

श्री भीखाभाई

श्री भैरवलाल 'कालाबादल'

श्री भीमसेन

श्री भीमसिंह

महाराजकुमार श्री बृजेन्द्रपाल

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री बृजसुन्दर शर्मा

श्री चन्दनमल वैद

श्री चतुर्भुज उपाध्याय

श्री छोटूराम

श्री छुट्टनलाल

श्री दलपतसिंह

श्री दौलतराम सारण

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा

श्री देवीलाल मीणा

श्री धर्माराम आर्य

श्री दिनेशराय डांगी

श्री गणेशलाल

श्री गंगाराम चौधरी

श्री गंगासिंह परिहार (हिंडौली)

श्री गणपतिलाल वर्मा

श्रीमती गौरी पूनिया

श्री घासीराम यादव

श्री गिरधारीलाल व्यास

श्री गोकुलचन्द

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा)

श्री ज्ञानचन्द मोदी

श्री हनुमानसिंह चौधरी

श्री हरिभाऊ उपाध्याय

श्री हरिदेव जोशी

श्री हरिकिशन

श्री हरिराम घारू (सिवाना)

श्री हरिश्चन्द्र

श्री हरलाल

श्री जगनसिंह

श्री जयकृष्ण शर्मा

श्री जेठमल बरबड़

श्री जुगलाल

श्री ज्वालाप्रसाद

श्री काना भाई नुवाल

श्री केशरीसिंह जोजावर (खारची)

श्री किशनसिंह बाटड़

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत

श्री लालाराम

श्री माधोलाल खानपुरिया

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री मजलिस खां

श्री मालम सिंह

श्री मथुरादास माथुर

श्री मोहनलाल सुखाड़िया

श्री मोहनराज

श्री मोतीलाल चौधरी

श्री नत्थीलाल

श्री नाथूराम (बागीडोरा)

श्री नाथूराम मिर्धा

श्री निरंजननाथ आचार्य

श्रीमती निर्मला देवी नाहर

श्री परसराम मदेरणा

श्री फूलचन्द जैन

श्रीमती प्रभा मिश्रा

श्री प्रतापसिंह

श्री रघुवीरसिंह (बाड़ी)

श्री रघुनाथ बिश्नोई

श्री रामचन्द्र

श्री रामदेवसिंह

श्री रविशंकर याज्ञनिक

श्री सांवलियाराम

श्री शंकरलाल जाट

श्री शीशाराम ओला

श्रीमती सुमित्रा

श्री स्वरूपनारायण पुरोहित

श्री तेजाराम गहलोत

कुमारी उमा माथुर

श्री विरधाराम (फुलवारिया)

'ना' पक्ष की सूचीः—

श्री ए० जब्बार

श्री अभयसिंह

श्री बालूराम चौधरी

श्री भैरोंसिंह शेखावत

श्री चन्द्रसिंह बर्फा

श्री छत्रसिंह

श्री चौसरसिंह बावेल

श्री दयाचन्द सोन

श्री दुर्गालाल बाढ़दार

श्री फतहसिंह

[redacted]

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री गंगासिंह राठौड़ (जायल)

श्री गोपीलाल गोठवाल

वैद्य श्री गोविन्द सहाय

श्री गोविन्दसिंह (कुम्भलगढ़)

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन)

श्री हरिराम चौहान (तिजारा)

श्री हरफूल

श्री हरिशंकर

श्री हीराभाई

श्री जयनारायण सालोदिया

ठाकुर श्री जीवराजसिंह

श्री जोधसिंह चौहान

श्री केदारनाथ

श्री केसरीसिंह (पाली)

श्री कृष्णकुमार गोयल

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह

श्री लक्ष्मीचन्द

कुं० श्री महेन्द्रसिंह गांवड़ी

श्री मांगीलाल रिणवा

श्री मानिकचन्द सुराणा

श्री मावा

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़)

श्री मूलचन्द चौधरी

श्री मुरलीधर व्यास

मास्टर श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़)

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर)

श्री नाथूलाल करौल

ठा० श्री रघुवीरसिंह बिसाऊ (मंडावा)

श्री रामकिशन

श्री रामसहाय

श्री रामसिंह

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा

श्री श्रवणलाल

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

श्री शिवनारायण (छाछिया)

श्री सोभागसिंह

रावत श्री उम्मेदसिंह

श्री उमरावसिंह ढाबरिया

श्री विजयसिंह झाला

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा]

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २० में माननीय मंत्री महोदय ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जावे।

[संशोधन इस प्रकार है :—

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) :

In sub-section (2) of Section 21 sought to be added by the clause.

"for the words 'place where he carries on his business,' substitute the words, 'place or places of his business for such purposes."]

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २०, यथासंशोधित, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज २०, यथासंशोधित, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २१ में श्री सम्पत्तिलाल बोहरा ने जो संशोधन रखा है उसे स्वीकार किया जावे।

[संशोधन इस प्रकार है:—

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) :—

Add the following new part (i) and the existing parts (i) and (ii) be renumbered as (ii) and (iii):-

(1) In sub-section (1)--

(a) substitute the words "one lac" for the words "fifty thousand."

(a) In part (iii) so renumbered, in sub-section (2) insert the words "the tax payable on the amount of" after the words "amount of."

(b) Add the following proviso to sub-section (2):-"Provided that the above penalty shall not be payable if he shows such turnover in his books and includes in his total turnover."]

(अस्वीकृत)

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : उपाध्यक्ष महोदय, इसको तो स्वीकार करने का है।

श्री उपाध्यक्ष : संशोधन गिर गया।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न है। एक एक पर वोट लिया जावे तो....

श्री उपाध्यक्ष : मैंने पहले ही सब की राय से ११॥ बजे का वक्त बोलने के लिये

(श्री उपाध्यक्ष)

रखा था उसके बाद में सब प्रश्न वोट पर रखने को थे।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : ५० हजार से एक लाख का एक्सेप्ट कर रहे थे।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री संपत्तिलाल बोहरा ने क्लॉज २१ में रखा है उसे स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २१ विधेयक का अंग बने।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : इस पर कुछ कहने दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : 'हां' पक्ष जीता। 'हां' 'पक्ष' जीता।

क्लॉज २१ विधेयक में अंग में रूप से जोड़ा गया।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज २२ में माननीय मंत्री महोदय ने रखा है स्वीकार किया जाए।

[संशोधन इस प्रकार है:-

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री):- In sub-section (6) of section 22 sought to be substituted, add the following further proviso, namely:-

"Provided further that such authority or person shall give the dealer on option to pay in lieu of confisdecation such amount, not exceeding four times the tax which would be due on such goods as may be determind by such authority or person.]

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री सम्पत्तिलाल बोहरा ने क्लॉज २२ में रखा है उसे स्वीकार किया जाए।

[संशोधन इस प्रकार है :—

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली)

In section 22 of Rajasthan Act 29 of 1954—

(i) sub-section (2) be deleted;

(ii) in sub-section (4) delete the words and figure "of sub-section (2) or" and delete also the words "any goods";

(iii) sub-sections (5) and (6) be deleted; and

(iv) clause (a) of sub-section (7) be deleted.]

(श्री उपाध्यक्ष)

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २२, यथासंशोधित, विधेयक का अङ्ग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २२, यथासंशोधित, विधेयक में अङ्ग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २३ में जो माननीय मन्त्री ने संशोधन रखा है उसे स्वीकार किया जाए ।

[संशोधन इस प्रकार है :—

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) :

In Sub-section 7 soguht to be inserted in section 22 A, after the words "on any condition" occurring at the edd add the expression, "as may be determined by such officer."]

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २३, यथासंशोधित, विधेयक का अङ्ग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २३, यथासंशोधित, विधेयक में अङ्ग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २४ में जो माननीय सदस्य श्री सम्पतिलाल बोहरा ने संशोधन रखा है उसे स्वीकार किया जावे ।

[संशोधन इस प्रकार है :—

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) :

In new section 23 B of Rajasthan Act 29 of 1954—

Insert the words "by the dealer only when he refunds the same to" after the word "claimed" and delete the words "only by" occurring after the word "claimed."]

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २४ विधेयक का अङ्ग बने ।

(स्वीकृत)

Page No. 104

(श्री उपाध्यक्ष)

क्लॉज़ २४ विधेयक में अङ्ग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २५ और २६ विधेयक के अङ्ग बनें।

(स्वीकृत)

। क्लॉज़ेज़ २५ और २६, दोनों, विधेयक में अङ्ग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज़ २७ में जो संशोधन श्री सम्पतिलाल बोहरा ने रखा है स्वीकार किया जावे।

[संशोधन इस प्रकार है :—

श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली) :
In the schedule to the Rajasthan Act 29 of 1954—

(a) In part (i) insert the words "and milk products including" before "Dhai"

(b) add the following new parts in the clause—

(iii) In entry No. 8, in column No. 2 insert the words "Insecticides (used for agricultural purposes)" after the words "manures" and in column No. 3 insert the words "and its parts" after the word "Tractor" and also add at the end the following item (14) thereto—

"(14) All machineries and its parts required for taking out the water from the well".

(iv) In entry No. 9 delete the words "and cotton Seeds".

(c) Part (iii) be renumbered as part (v) and be replaced by the following—

"(v) In entry against serial No. 11 insert the words "except the foriegn liquor manufactured in India "after the figure "1950".

(d) Part (iv), be renumbered as part (vi) and in part (vi) so renumbered, in serial No. 18 add the words at the end "or handlooms and Dari, Nivar, Bedsheets, Rajai (without cotton) odhni and chundari:"]

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २७ विधेयक का अङ्ग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २७ विधेयक में अङ्ग रूप से जोड़ा गया।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी क्लॉज़ १३ में प्रोविज़ो मंजूर किया था।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की यह मन्शा है कि क्लॉज़ १३ को रीओपन करने की इजाजत दी जाए।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १३ को रीओपन करने की इजाजत दी जाती है।

श्री बालकृष्ण कौल : In sub sec. 3 of the Sales Tax Act. the following proviso shall be added namely :—

"Provided that the Commissioner may on an application in writing from the assessee, give such directions, as he thinks fit, in regard to the payment of such tax, if the applicant furnishes sufficient security to his satisfaction in such form and in such manner as may be prescribed."

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मूल क्लॉज़ १३ में जो अभी संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसे किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १३, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

मूल क्लॉज १३, यथासंशोधित, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : As corrected ?

श्री उपाध्यक्ष : Yes, as corrected.

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १, टाइटल, प्रीएम्बल आदि विधेयक में अंग रूप से जोड़े जायं।

(स्वीकृत)

क्लॉज १, इनेक्टिंग फॉर्मुला इत्यादि विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

श्री बालकृष्ण कौल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जावे।

(मत-दान के पश्चात्)

'हां' पक्ष जीता।

श्री सम्पतिलाल बोहरा : मैं बोलना चाहता हूँ।

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृति के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष : विधेयक पारित हुआ ।

राजस्थान भू-राजस्व (अधिभार) (संसोधन) विधेयक, १९६४

(विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, न्याय) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (सरचार्ज) (संशोधन) विधेयक, १९६४ को विचारार्थ लिया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

[इस प्रस्ताव पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए:—

श्री जयदयाल (डग) : "राजस्थान लैंड रेवेन्यू (सरचार्ज) (संशोधन) विधेयक, १९६४ को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे ।"

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : "राजस्थान लैंड रेवेन्यू (अधिभार) (संशोधन) विधेयक, १९६४ को तीन माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये ।"

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : "राजस्थान लैंड रेवेन्यू (सरचार्ज) (संशोधन) विधेयक, १९६४ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में सदन के समक्ष प्रस्तुत करे (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी) ।"

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : "राजस्थान लैंड रेवेन्यू (सरचार्ज) (संशोधन) विधेयक, १९६४ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर अन्दर सदन के समक्ष प्रस्तुत करे (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जायेगी ।")

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : "राजस्थान लैंड रेवेन्यू (सरचार्ज) (संशोधन) विधेयक, १९६४ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे जो अपना प्रतिवेदन तीन दिन में सदन के समक्ष प्रस्तुत करें (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत करदी जायेगी)।"

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) "राजस्थान लैंड रेवेन्यू (सरचार्ज) (संशोधन) विधेयक, १९६४ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे जो अपना प्रतिवेदन १५ दिन में सदन के समक्ष प्रस्तुत करें (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत करदी जावेगी)।"

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : "राजस्थान लैंड रेवेन्यू (सरचार्ज) (संशोधन) विधेयक, १९६४ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में सदन के समक्ष प्रस्तुत करे (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जायेगी)"

श्री दलपतसिंह (आबू) : "राजस्थान लैंड रेवेन्यू (सरचार्ज) (संशोधन) विधेयक, १९६४ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये जो अपना प्रतिवेदन तीन दिन में सदन के समक्ष प्रस्तुत करे (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत करदी जायेगी ")]

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा।

(अनुपस्थित)

श्री विजयसिंह झाला।

(अनुपस्थित)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री जयलाल।

श्री जयलाल (डग): उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : इससे पहले कि इस पर बहस प्रारम्भ हो मैं यह निवेदन करूंगा कि पार्टी का समय निर्धारित रहेगा और उसमें, प्रत्येक पार्टी के नेता अथवा जो भी उनके नामजद हों उनके बोलने के बाद दूसरों को बोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

श्री जयलाल : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान लैंड (सरचार्ज) (संशोधन) विधेयक, १९६४ जो आज सदन में पेश हुआ है, मैं इसके लिये यह निवेदन करूंगा कि यह किसानों के लिये महान् हानिकारक है। जो सरकार ने सरचार्ज बढ़ाया है उसका भार किसानों पर पड़ेगा। जो किसान गरीब हैं, जिन किसानों के पास किसी प्रकार की सहूलियतें नहीं हैं, उत्पादन बढ़ाने के साधन नहीं हैं, सरकार की तरफ से किसी प्रकार की सहूलियतें उनको नहीं हैं, किसानों पर रेट बढ़ाने का आपको कोई अधिकार नहीं है क्योंकि जिसकी आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है वे किसान जिनकी आर्थिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, सरकार को क्या अधिकार है टैक्स लगाने का ? किसान जिसके पास ५० बीघा जमीन होती है वह भी तरक्की नहीं कर रहा है। इसलिये नहीं कर पा रहा है कि उसके पास उत्पादन बढ़ाने के साधन नहीं हैं। कैसे उत्पादन बढ़ाया जाय, किस प्रकार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाय, यह सब वह साधनों के अभाव में कुछ नहीं समझ पा रहा है। आज सरकार उन किसानों पर कर लगा रही है, जो किसान मध्यमवर्गीय हैं, गरीब हैं, जिनके पास जमीन उपजाऊ नहीं है, ५०-५० बीघा जमीनों वाले किसानों पर भी हजारों रुपया कर्जा रहता है, कर्ज इसलिये रहता है कि उनके पास ऐसी मशीनरी नहीं है जिससे कि किसान अपना उत्पादन बढ़ा ले। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा यह कर भार किसानों पर हमारे देश पर हुए चीनी आक्रमण के समय में लादा गया था। मगर चीनी आक्रमण समाप्त हुआ या नहीं हुआ पर गरीब किसानों के गले पर यह सरचार्ज रूपी तलवार जो सरकार ने मारी है, वह सरकार की तलवार किसानों के गले से हटी नहीं है। चीनी आक्रमण तो शायद हटा होगा या नहीं हटा होगा पर हमेशा के लिये किसानों के

(श्री जयलाल)

गले पर सरकार ने यह सरचार्ज रूपी तलवार लगा दी जिसके द्वारा गरीब किसानों को हानि होगी, वे किसान किसी प्रकार वर्तमान सरकार में विश्वास नहीं कर सकते ।

(१२.३ म० प०)

(श्री भीमसेन, सभापति, पदासीन)

यह सरकार जिसके पास कोई शक्ति नहीं थी, इन गरीब किसानों ने और गरीब जनता ने इस सरकार को राज्य करने का अधिकार दिया है । भूमि में उत्पादन बढ़ाने के लिये उपयोग में आने वाले किसान के साधन, बैलों के चिन्ह को लेकर चुनाव लड़ कर, चुनाव जीत कर, आपने सरकार बनाई है आज उन्हीं किसानों पर सरकार इस प्रकार के अवैधानिक कानून लादती है, या अत्याचार करती है तो यह सरकार के लिये किसी भी प्रकार उचित नहीं होगा । भारत के ८ लाख गांवों में निवास करनेवाली गरीब जनता, ८२ प्रतिशत है जिसके बलबूते पर आज की सरकार राज्य कर रही है, उस जनता के बल बूते पर बनी हुई यह सरकार आज इस प्रकार का अन्याय उन गरीबों के साथ करती है या किसी प्रकार से उनको सताती है तो, सभापति महोदय, वह दिन दूर नहीं, जो एक दिन अंग्रेजों को भी आया था । अंग्रेज बड़े शक्तिशाली होते हुए भी एक दिन में गये । पहले के समय में राज्य परिवर्तन होने के सम्बन्ध में बड़े बड़े युद्ध होते थे, लाखों आदमी उन युद्धों में मारे जाते थे, पर जनता के बहुमत के द्वारा वे शक्तिशाली अंग्रेज इस देश से निकाल दिये गये । अगर हमारी सरकार का इसी प्रकार का रवैया गरीब जनता के साथ, गरीब किसानों के साथ रहा तो आपका भी वह दिन दूर नहीं जो अंग्रेजों के लिये आया था, आपके लिये भी वही समय १९६७ में आने वाला है । जो किसान अपनी रोटी-रोजी के लिये तरसता है, जिसको कृषक होते हुए भी किसी प्रकार के कृषि उत्पादन के साधन नहीं मिल रहे हैं, आज उन किसानों को उनके स्वास्थ्य के लिये भी समान व्यवहार, समान भाग नहीं मिलता । किसान देहातों में रहते हैं, वे अनपढ़ हैं, वे लोग अपने स्वास्थ्य के लिये, वे लोग चिकित्सा के लिए अस्पतालों में जाते हैं तो उनके सिर पर साफा देखते ही आपके कम्पाउन्डर और आपके डॉक्टर उनकी कोई भी सुनवाई नहीं करते उनका कोई इलाज नहीं करते ।

मैं स्वयं देहात का रहनेवाला हूँ, इन सारी बातों को अपनी आंखों से देखता हूं । किसान अपने में बीती हुई घटना को लेकर थाने में पहुंचता है तो सिर पर टोप, गले में लंगोट लगानेवाला थानेदार किसान की इज्ज़त नहीं करता, चाहे चोर हो या फरयादी हो, पुलिस के अन्याय का शिकार बने बिना, पुलिस का दबाव सहे बिना, वह थाने से बाहर नहीं निकल सकता । आज उन गरीब किसानों के लिये कहीं पर भी न्याय नहीं है । अदालतों में जाते हैं तो वहां भी किसानों को न्याय नहीं मिल पाता । इस प्रकार का व्यवहार आज सरकार का गरीब किसानों के साथ और गरीब जनता के साथ है । सरकार ने किसानों को क्या सहूलियत दी है ? किसानों के बच्चे-बच्चियों को शिक्षा नहीं दी जाती, क्योंकि उन गरीबों के पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिये साधन नहीं हैं, उनके पास कोई सम्पदा नहीं । वहां उसकी जमीन में क्या

(श्री जयलाल)

पैदा होता है, कैसे कृषि कार्यों को बढ़ाया जाता है, इसे भी किसान नहीं जानता, वह बहुत गरीब है, उस पर भी सरकार ने यह सरचार्ज लगा रखा है, राजस्थान सरकार ने किसानों के प्रति ऐसा रवैया अपनाया है तो यह सरकार अधिक समय तक टिकने वाली नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान डग और गंगधर क्षेत्र की तरफ आकर्षित करूंगा, वह झालावाड़ का बिलकुल जंगली, बिलकुल पथरीला इलाका है, जहां खेतों में पत्थर ही पत्थर पड़े रहते है। एक एक किसान के पास सौ-सौ बीघा जमीन होते हुए भी वह किसान २४ घण्टे में एक बार भर पेट खाना भी नहीं खा सकता, क्योंकि कृषि कार्य में जो कृषि के साधन उसे उपलब्ध होने चाहिये वे उसे उपलब्ध नहीं होते हैं। कृषि के काम की जो चीजें पहले उसे सस्ती मिल जाती थीं आज उन कृषि कार्यों में काम में आने वाली चीजों की बाजार में उसे अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। केवल एक अनाज ही ऐसी वस्तु है जिससे वह अपनी सब आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, परन्तु जब किसान के पास अनाज आता है, वह उसे मार्केट में लेकर आता है तो किसान का अनाज बिल्कुल सस्ते भावों से खरीदा जाता है। किसानों के पास से निकलने के बाद अनाज के भाव बढ़ जाते हैं, फिर आज किसान कैसे उदरपूर्ति करे ? आज व्यापारियों पर कन्ट्रोल किया है पर इसका अधिकतर भार किसानों पर पड़ेगा। किसानों के पास पैसा नहीं है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उनके पास कोई द्रव्य नहीं, अनाज ही द्रव्य और सम्पदा है, किसान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अपना अनाज लेकर बाजार में जाता है और अनाज बेचकर पैसा ले जाता है और उस पैसे से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, पर सरकार ने इस प्रकार का कन्ट्रोल करके किसानों पर एक बड़ा भारी अन्याय किया है.......

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, किसान कृषि कार्यों को बढाने के लिये, उत्पादन बढ़ाने के लिये बहुत से प्रयत्न करता है। झालावाड़ का डग और गंगधार क्षेत्र जंगली इलाका है, वहां किसान अपनी पैदावार को बढ़ाना चाहता है, देश को उन्नतिशील बनाना चाहता है, देश की शक्ति को बढाना चाहता है, अन्न का उत्पादन अधिकाधिक करना चाहता है, पर वह फसल तैयार करता है तो जंगली पशु उनकी फसल को उजाड़ देते हैं, वन विभाग वाले किसानों को जंगली पशुओं से अपनी फसल की रक्षा के लिये झाड़ कांटे भी नहीं काटने देते हैं। उन गरीब किसानों के साथ न्याय होना चाहिये, सरकार को उन किसानों में विश्वास होना चाहिये और किसानों में सरकार के प्रति विश्वास होना चाहिये।

श्री सभापति : श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित)

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : सभापति महोदय,........

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : सभापति महोदय, श्री हीराभाई का तो इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है।

श्री सभापति : वे बोल सकते हैं।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : सभापति महोदय, राजस्थान भू-राजस्व (अधिभार) (संशोधन) विधेयक, १९६४ सरचार्ज के बारे में रखा है, इसके बारे में निवेदन करूंगा कि सरकार द्वारा हर वस्तु पर टैक्स लगाया गया पर किसानों पर,जो कि अन्न पैदा करते हैं, उन पर भी टैक्स लगा दिया गया है; यह राजस्थान के किसानों के साथ बड़ा अन्याय है। माननीय सभापति महोदय, अगर सरचार्ज टैक्स जिनके पास स्थाई प्रोपर्टी है उन पर लगाते तो समझ में आ सकता था, जिन्होंने गैर-कानूनी तौर पर जमीनें अपने कब्जे में कर रखी हैं, उन पर आप यह टैक्स लगाते तो हम आपका समर्थ नकर सकते थे। लेकिन किसानों के काश्त करने पर जो टैक्स लगाया जा रहा है उसके लगाने पर किसानों के साथ बहुत अन्याय होगा, क्योंकि हमारी समाजवादी समाज की दुहाई देने वाली सरकार अगर इस तरह से टैक्स लगाती रही और किसानों का अधिक से अधिक अन्न पैदा करने के लिए उनका मन तोड़ती रही तो मैं समझता हूं कि हमारे राजस्थान को, जो पहले से ही सूखा इलाका है, उसमें और भी बाधा पहुँच जायगी।

हमारा राजस्थान बिल्कुल मरीज की तरह हो रहा है और किसानों की मन्शा भी टूट रही है। सभापति महोदय, आपको तो अनुभव होगा और सदन को भी अनुभव है सेटलमेंट के मामलों का। २० साल पहले वाले केसेज़ का भी सेटलमेंट नहीं किया जा रहा है। किसी के नाम पर जमीन है और उस पर कितनी फेमिलाज़ हैं और उसके आधार पर चाहे कितनी जमीन का काश्त करता हो, चाहे १ आदमी हो, चाहे २ आदमी हों। अगर ७५ रुपये से एक रुपया भी ज्यादा होगा तो सरचार्ज लग जायगा। यह भी हो सकता है कि एक तरफ इसकी सीमा रखें, ५० के बजाय ७५ करने जा रहे हैं, लेकिन ७६ रुपये भी होंगे तो भी पूरे ७५ रुपये का सरचार्ज टैक्स लेंगे। यह तो किसानों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। जब तक सेटलमेंट न हो जाय और जिन्होंने सदस्यों का बटवारा किया है वे लगान में न आ जायं तब तक यह बिल लाना गैरवाजिब है। बछेड़ी, बागीडोरा और बांसवाड़ा जिले को तमाम तहसीलों, कुशलगढ़ को छोड़कर, वहां २० साल के बजाय २५ साल हो गए, लेकिन अभी तक सेटलमेंट नहीं हो रहा, है। इस तरह से किसानों से आंखमींच कर टैक्स न लें, नहीं तो फिर समाजवाद की दुहाई देने वाली सरकार को इस तरह का नाम नहीं लेना चाहिए। सरकार को और भी खातेदारों के हक में सोचना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : श्री हरिप्रसाद।

श्री हीराभाई : मैं जल्दी खत्म करूंगा।

श्री सभापति : एक मिनट में समाप्त करें।

श्री हीराभाई : एक मिनट में तो कैसे खत्म कर सकता हूं? अभी तक हम हरेक किसान की जमीन को अच्छा नहीं कर पाए जिससे कि सबकी ज्यादा आमदनी हो और किसान सरचार्ज का बोझ बरदाश्त कर सकें। आज कम से कम ८० परसेंट किसान हैं उनमें से १० परसेंट किसान किसी तरह की सहायता या ऋण पा सके होंगे

(श्री हीराभाई)

और कम से कम ७० परसेंट लोग हैं उनको पहले की जमीन है उस पर राजाओं, महाराजाओं और जागीरदारों ने अपनी मनमानी लगान लगा रखी थी, वह आज भी जारी है। आज भी बांसवाड़ा तहसील में वह लगान चल रही है। आमदनी जो हो रही थी उसमें से जमीन हमारी कट जाने से आमदनी बिल्कुल कम होती जा रही है और लगान जो पहले का है वह आज तक चल रहा है। उससे किसानों पर बहुत बड़ा बोझ होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि किसी भी हालत में जब तक नया सेटलमेंट न होगा और किसानों की आमदनी का कोई जरिया तय नहीं होगा, तब तक आपको टैक्स नहीं लेनी चाहिये।

श्री सभापति : श्री हरिप्रसाद।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : जो अमेंडमेंट्स रखे गए हैं उन सब में प्रथम मेरा नाम है।

श्री सभापति : उसी क्रम से लिया जा जा रहा है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : सभापति महोदय, लैंड रेवेन्यू (सरचार्ज) (अमेंडमेंट) बिल हमारे सामने पेश हुआ है। वास्तव में देश के अन्दर किसान ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसके द्वारा आज उत्पादन करके हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। किसानों के साथ में जिस प्रकार से टैक्स लगाये जाते हैं और उनके बदले में किसानों को किस प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं, सरकार का ध्यान बिल्कुल नहीं जाता। आज जहां बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिये अनेक प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं वहां हमारी सरकार किसानों को किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं देती और उसके साथ साथ जो किसानों के काम में आने वाली सुविधाएँ हैं, एक तरफ उन्हें उनसे वंचित रखती है और दूसरी तरफ नए नए टैक्स लगाती है। किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। किसान को उत्पादन बढ़ाने के लिए उनकी आवश्यकता अनुसार उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुविधाएँ देनी चाहिए, किसान का शोषण समाप्त होना चाहिये और इस प्रकार से सरचार्ज उन पर नहीं लगानी चाहिये। मैं तो यही कहूंगा कि जितने भी किसान हैं उनको आप रेवेन्यू भी माफ कर देंगे तो खेती को प्रोत्साहन मिलेगा। आज हम किसान की आर्थिक स्थिति देखते हैं तो इतना उत्पादन करने के बाद भी वह भूखा है, उसके बदन पर कपड़ा नहीं है, उसके बच्चों के लिये शिक्षा की पूरी व्यवस्था नहीं है। आज भी कोई बात होती है तो हमारी सरकार का ध्यान किसानों की ओर जाता है। आज राजस्थान का किसान कितना परेशान है, यह सब प्रकार से आपको विदित है। सदन के सभी माननीय सदस्यों ने सरकार का इस ओर ध्यान दिलाया है। कम से कम आप इस व्यवस्था को खत्म करें। आज सरचार्ज के द्वारा जो जमीन जोतता है उनसे लगान ली जा रही है। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूं गंगापुर में ऐसे किसानों से सरचार्ज वसूल की जा रही है जिनकी लगान २५.६५ रु० है, १३.६६ रु० है, १०.६० रु० है। इस प्रकार से मेरे पास पूरी लिस्ट है, जिसके बारे में आपने नियम बनाया है कि ५० और ७५ के ऊपर वालों से लेंगे, लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की कि जो खुद जोतता है उससे नहीं लेंगे। आप खातेदारों से लें तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

तो छोटे किसानों से भी वसूल किया है। आज हम जिस प्रकार से उद्योगों के नाम ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देते हैं, उसी प्रकार से किसानों को सुविधाएं देनी चाहिए। आज किसान को काम आने वाली लकड़ी के लिए बड़ी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। जंगल के बीच रहते हुए जब उनकी डांडी चली जाती है तो १०—२० मील तक चले जाते हैं तो भी उन्हें लकड़ी नहीं दी जाती है। जब वे गन्ना बोते हैं तो भी कुछ सुविधा उनको नहीं मिलती। हमारी सरकार की नीति किसानों के साथ अच्छी नहीं है। आज हमारी सरकार किसानों का शोषण करती है, किसी प्रकार से उन्हें प्रोत्साहन देने की कोशिश नहीं करती। जब कि किसानों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देकर, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना चाहिये और इस ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिये।

मैं एक ऐसे एरिया से आया हूं जिसको चम्बल प्रोजेक्ट कहते हैं। हमें इस बात का नाज होना चाहिये कि ज्यादा से ज्यादा लैंड पर किसान अधिक से अधिक पैदावार बढ़ाये, बंजर और ऊसर भूमि को काबिल काश्त बनाये और उन सब बातों के लिए सरकार को किसानों को प्रोत्साहन देना चाहिये। आज इस सरकार की ओर से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। चम्बल एरिया में हजारों बीघा बंजर भूमि है, जिसमें काश्त नहीं होती है। उस भूमि को वहां के गरीब किसान बड़ी भारी मुश्किल से काबिल काश्त बना रहे हैं, अधिक उत्पादन करके देश की गरीबी को मिटा रहे हैं। उन किसानों के साथ आज वहां पर न्याय नहीं होता है। वहां का कॉलोनाइज़ेशन विभाग काबिल काश्त बनाये उसके १५०), २००) की दर मांगता है। मैं नहीं समझता कि इस सरकार की किसानों की तरफ यह कैसी नीति है? एक तरफ तो आप नारा लगाते हैं कि अधिक से अधिक उत्पादन करना चाहिये और जो करते हैं उनको आप प्रोत्साहन नहीं देते। खाली पोस्टरों और सिनेमा में स्लाइड्स से तो उत्पादन नहीं हो सकता। जो किसान उस जमीन में अपना खून बहाता है, जो किसान अपना पसीना बहाता है, जो किसान रात और दिन उस भूमि में मेहनत करता है, उसके बाल बच्चे भूखे हैं, उनमें शिक्षा का अभाव है। आप किसी प्रकार उनको प्रोत्साहन नहीं देते, उनको प्रोत्सहन नहीं मिलता। खेत-मजदूरों और दूसरों की हालत देखिये। सभापति महोदय, उनकी हालत बड़ी दयनीय है। उनकी कोई सुननेवाला नहीं है। इसलिए किसानों पर सरचार्ज नहीं लगना चाहिये और इसको खत्म कर देना चाहिये। मैं तो यहां तक कहूंगा कि २०-२५ बीघा के जो छोटे छोटे किसान हैं उनका तो लगान भी माफ कर देना चाहिये। ज्यादा से ज्यादा खेती करके, अच्छी पैदावार बढाने के लिए, उनको प्रोत्साहन देना चाहिये, सुविधा देनी चाहिये। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं सरकार को इस सरचार्ज को खत्म कर देना चाहिये।

श्री सभापति : श्री कृष्णकुमार गोयल।

(अनुपस्थित)

(श्री सभापति)

श्री गिरधारीलाल व्यास ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : सभापति महोदय, राजस्थान लैंड रेवेन्यू (सरचार्ज) (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६४ प्रस्तुत हुआ है उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं ।

अभी कुछ समय पूर्व सरकार की तरफ से यह ऐलान किया गया था कि पहले जिस प्रकार से जो दर थी उस पर सरचार्ज वसूल किया जाता है । उसके बजाय में जो दरें यहां पर प्रस्तुत की गई हैं उनसे यह महसूस होता है कि किसानों के प्रति सरकार की हमदर्दी है । ७५ बिना पीवल जमीन और २५० जो पीवल जमीन है उसका लगान भरता है उससे ही सरचार्ज वसूल किया जायगा, यह ऐलान सरकार के द्वारा किया गया है जो कि स्वागत योग्य है । इसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए स्पष्टीकरण माननीय मुख्य मंत्री ने भी यहां पर कर दिया था कि ऐसे लोग जिनके खाते शामिल में हैं और सेटलमेंट में अलग अलग दर्ज किये गये हैं उनसे भी सर चार्ज वसूल किया जायगा, ७५ और २५० की तारीफ में आते हैं तो । लेकिन मेरा निवेदन यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की व्यवस्था है कि दो, तीन पीढ़ियों में जो कोई बुजुर्ग आदमी होता था उसके नाम से ही खाते होते थे, आज भी वे बराबर उनके नाम से चले आ रहे हैं, जब कि कुनबे में दस, बीस, तीस आदमी हैं जो आज अलग रहते हैं, जमीन अलग बांट ली है लेकिन सेटलमेंट के अन्दर अलग अलग तरीके से दर्ज नहीं कराया है, इसलिए उसमें दर्ज नहीं है । इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था भी इसके साथ होना चाहिये कि जैसे ऐसी व्यवस्था की गई है, सेटलमेंट में कि चार भाई हैं, अलग अलग उनके नाम पर दर्ज है तो उनको तो राहत मिल जायगी, अलग अलग ७५ और २५० रुपया हासिल आता है वे तो सरचार्ज से छूट जावेंगे, लेकिन उन लोगों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया है जिन लोगों के हिस्से अलग अलग, जमीन के टुकड़े अलग अलग, खाते के नाम से सेटलमेन्ट के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है । वैसे लोगों के लिए व्यवस्था नहीं की गई है । इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि जिन लोगों का फिजिकल पजेशन उस जमीन पर है, अलल अलग जमीन पर फिजिकल पजेशन है, जितनी जमीन उनके हिस्से में आयी है उस पर उनका पजेशन है और काफी अर्से से है तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि वे लोग जब अलग अलग रहते हैं, अलग अलग आदमियों के जमीन कब्जे में है लेकिन खाते अलग अलग नहीं हुए हैं और ७५) और २५०) से कम लगान देते हैं तो उनके सम्बन्ध में भी वैसी व्यवस्था होनी चाहिये थी ।

जैसा कई माननीय सदस्यों ने अभी अर्ज किया कि काश्तकारों पर इससे बहुत वजन पड़ रहा है । जिस प्रकार से संशोधन मैंने रखा है, यह जो चीज़ है वह काश्तकारों के सम्बन्ध में हो जाय तो मुश्किल से दो, चार आदमी ऐसे बचेंगे ज़िन पर सरचार्ज लगेगा, बाकी सब उस डेफिनिशन से निकल जावेंगे । यदि इस प्रकार की राहत सरकार दे दे तो किसानों को बहुत बड़ी सहूलियतें मिल जायगी ।

सभापति महोदय, राजस्थान ही एक

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

ऐसी स्टेट है जिसमें काश्तकारों को सहायता पहुंचाने के लिए राजस्थान सरकार ने कानून बनाये और जितने भी कानूनी अधिकार हैं और सहूलियतें काश्तकारों को मिलनी चाहिये उनके लिए पहल की है। उनको उनके सम्बन्ध में ज्यादा से ज्यादा राहत पहुंचाने की कोशिश की है। राजा महाराजाओं और जागीरदारों के जमाने में जैसी व्यवस्था थी, कहीं आधा, कहीं तीसरा और कहीं चौथा बांटा लेते थे उनको खत्म करके सब जगह सेटलमेन्ट कराया और काश्तकारों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें दी। उनसे मुस्तकिल लगान लिया है। इसके बावजूद भी माननीय सदस्य कह रहे थे कि बांसवाड़ा में अब भी प्रथा जारी है जैसी राजा–महाराजाओं के जमाने में थी। मैं सोचता हूं कि अब राजस्थान में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है कि आधा, तीसरा या चौथा बांटा लिया जाय। राजस्थान बना उसके बाद यह हुआ कि छठे बांटे से अधिक न लिया जाय। अब तो सब जगह सेटलमेन्ट हो गया।

दूसरा यह भी कहना है कि कई बातें और भी राजस्थान सरकार ने किसानों के हित में की। खातेदारी अधिकार देना, भूमिहीनों को भूमि देना, जिन लोगों की बड़ी बड़ी जमीनों पर नाजायज़ कब्जा था, सीलिंग से अधिक न हो उसके लिए जायज़ करार देने के लिए राजस्थान सरकार ने कदम उठाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस प्रकार सरकार काश्तकारों के हित में काम कर रही है। इसके लिए यह कहना कि काश्तकारों के हित में यह सरकार काम नहीं करती है, उन पर कुठाराघात करती है, यह सरासर धोखे में डालनेवाली बात है।

तीसरा सीलिंग का कानून है। यह एक आवश्यक अंग है काश्तकारी कानून का। बड़ा स्टेप अभी अभी हमारी सरकार ने लिया है। उसके अनुसार जिन लोगों के पास सीलिंग से बड़ी तादाद में जमीन होगी उनसे लेकर भूमिहीनों को ज्यादा से ज्यादा भूमि देने के लिए सरकार ने प्रबन्ध किया है, वह सराहनीय कदम है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि यह थोड़ी सी राहत काश्तकारों को मिलनी चाहिये, यह आवश्यक है और आपने व्यवस्था दी है उसमें हो जाती है। जिन लोगों का फिजिकल पजेशन हो और उनका आपस में जमीन का बंटवारा हो जाय और उतनी जमीन आती है जिसका लगान ७५ और २५० में हो तो वैसे लोगों के लिए कन्सीडर होना चाहिये।

श्री सभापति : श्री जोधसिंह।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : जोधसिंहजी की जगह मैं बोल लूं।

श्री सभापति : इस बिल पर जिन्होंने प्रस्ताव पेश किये हैं वे ही बोलेंगे। श्री जोधसिंह।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : माननीय सभापति महोदय, यह जो सरचार्ज का बिल प्रस्तुत हुआ है उसके लिये मेरा निवेदन है कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपर्द किया जाय। जल्दी में इस बिल को पास करने से काम बेकार हो जायगा। देश जब आजाद हुआ

(श्री जोधसिंह चौहान)

किसान सोचता था कि उसको भी अब लगान में राहत मिलेगी। गान्धीजी के कहने के अनुसार किसान को राहत मिलेगी किन्तु आजादी के बाद कांग्रेसी नेता किसानों को राहत नहीं दिला सके, उल्टा यह हुआ कि उन पर सरचार्ज और लाद दिया। जब से सरचार्ज लगा है, जब से किसान ने देखा कि जमीन पर लगान बढ़नेवाला है, देश पर जब दुश्मन चीन का आक्रमण, हुआ कम्युनिस्ट चीन का आक्रमण हुआ तब से यह सरचार्ज लगाने का सरकार ने इरादा किया। आज हमारे देश पर वह स्थिति नहीं है इसलिये इस समय सरचार्ज लगाना उचित नहीं है। आज यह भी कहा जाता है कि यह बड़े किसान पर टैक्स है लेकिन छोटा किसान भी यह समझने लगा है कि आज जब कि बड़े किसान पर यह टैक्स लग रहा है तो थोड़े अरसे के बाद उसकी भी बारी आ सकती है। आज किसान को यह भी विश्वास नहीं है कि उसके पास उसकी जमीन भी रहेगी या नहीं। किसान को सरकार राहत पहुँचाना चाहती है तो उसको पहले किसान के दिल में यह विश्वास पैदा करना होगा कि जिस जमीन पर वह काश्त करता है वह उसी की रहेगी इस प्रकार से विश्वास हो जाने पर ही किसान अपनी उपज बढा सकेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि किसान को इतना विश्वास हो कि उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा।। यह कहा जा सकता है कि यह बड़े किसान पर टैक्स है लेकिन धीरे धीरे वह छोटे किसान पर भी आ सकता है। आज हम देखते हैं कि छोटे किसान की हालत बहुत खराब हो रही है, आज उसकी पर एकड़ यील्ड गिर रही है। किसान सोचता है कि मुझे भी सरचार्ज देना पड़ेगा इसलिये वह खेती में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेता। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस प्रकार से सरचार्ज उस पर नहीं लगना चाहिये।

आप शहरी क्षेत्र में जब तक किसी व्यक्ति की सालाना आमदनी तीन हजार नहीं होती इनकम टैक्स नहीं लगाते है उसी प्रकार जब तक किसान की आमदनी तीन हजार रूपया सालाना न हो जाय उस पर भी किसी प्रकार का लगान आदि न लगना चाहिये। जिस प्रकार से तीन हजार से कम आमदनी वाले व्यक्ति सभी प्रकार के टैक्स से आजाद हैं उसी प्रकार की सुविधा किसान को भी मिलनी चाहिये। अगर आप किसान को राहत पहुंचाना चाहते हैं तो किसान की आमदनी जब तक तीन हजार की नहीं हो जाती किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगना चाहिये। सरचार्ज जो आप लगाने की सोच रहे हैं उसको समाप्त करना चाहिये। हमारे देश पर जब हमला हुआ चीन का उस वक्त यह लागू करने का सोचा गया था। आये दिन जब कभी ऐसी हालत होती है तो किसानों पर ही टैक्स लगाने की सोचते हैं। आज हमारे प्रान्त में ८० प्रतिशत किसान हैं उन पर इस प्रकार के नये टैक्स वाजिब नहीं है। इससे उनको किसी प्रकार की राहत नहीं मिलती है।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा): सभापति महोदय, सरचार्ज अमेन्डमेन्ट बिल है, इस बारे में एक अजीब स्थिति है। अजीब इस-लिये कि यह जब लगाया गया शुरू के अन्दर उस वक्त एक बीघे पर भी रखा था। सरकार यह चाहती थी एक बीघा भूमि जिसको किसान बोता है उस पर भी यह सरचार्ज लगना चाहिये। उसके खिलाफ जबरदस्त विरोध हुआ,

(श्री हरिराम चौहान)

इधर से भी विरोध हुआ उधर से भी विरोध हुआ। बाहर बड़े बड़े जलसे निकाले गये, क्लेक्टर्स की कोठियों को घेरा गया, उसके बाद सरकार ने पचास रूपये तक जो लगान देते हैं उन पर से इसको हटाया। यह सरचार्ज जिस वक्त लागू किया गया था उस वक्त देश के सामने संकटकालीन परिस्थिति थी, सुरक्षा के लिये पैसे की आवश्यकता थी विकास के लिये पैसा चाहिये था इसलिये इस प्रकार का टैक्स सरकार लायी। तो उस वक्त की हालत में और आज की हालत में काफी फर्क पड़ा है। अभी जो ७५ रूपया किया गया उससे सरकार यह दावा कर सकती है क्या कि यह सरचार्ज टैक्स है वह समाजवादी टैक्स है ? जो मंत्री महोदया इसका जवाब देंगे वे इस बात को बतायेंगे क्या यह प्रजातंत्रीय समाजवाद के अनुकूल है ? क्या उसी के अनुसार यह टैक्स किसानों पर लग रहा है ? मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि राजस्थान के अन्दर पहले ही से जमीन पर लगान काफी है। हमारे बजट को देखते हुए, भू राजस्व की आमदनी को देखते हुए जो लगान होना चाहिये वह दस प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिये। लेकिन हम देखते हैं वह हमारे यहां बहुत ज्यादा है। हमारी स्टेट को लैन्ड रेवेन्यू से आमदनी है वह इस वक्त ९ करोड़ की है। वह सात करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिये। इसको सात करोड़ ही करनी चाहिये। इसलिये छोटे किसानों का जिनका गुजर भी नहीं होता, जो दो बीघा जमीन पर अपनी खेती करता है, एक बीघा जमीन पर खेती करता है उससे भी यह समाजवाद का नारा देनेवाली सरकार सरचार्ज वसूल करना चाहती है। उस पर क्या सरकार हक रखती है इस प्रकार का टैक्स लगाने का ? आज किसान का खेती से गुजारा नहीं होता, जरूरत इस बात की है कि आप लगान कम करें। उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स लगाना उचित नहीं है।

(समय—समाप्ति—सूचक—घंटी)

फिर तो नहीं बोलना ही अच्छा है।

श्री चन्द्र सिंह बर्फा (बिलाड़ा) : अभी तो आपने भूमिका ही बांधी है।

श्री हरिराम चौहान : इसलिये जरूरत इस बात की थी कि उसको लगान से हल्का किया जाय। आज जब कि जमीन पर पहले से ही कर भार बहुत ज्यादा है आज जो आंकड़े हमारे सामने आते हैं उससे साफ मालूम होता है हमारे जितने भी पड़ौसी प्रान्त हैं उनमें से एक प्रान्त को छोड़ कर तमाम प्रान्तों में हमारे से लैन्ड रेवेन्यू कम है। राजस्थान के अन्दर ४.३८ न०पै० है, पंजाब के अन्दर २.१५ ही है जो हमारा बिल्कुल पड़ौसी प्रान्त है। उत्तर प्रदेश में ३.५६ पैसा है, गुजरात में २.६२ है मध्य प्रदेश में ३.७१ है। ये जितने भी प्रान्त जो हमारे आस-पास लगते हैं उन तमाम के अन्दर और खास तौर से पंजाब से दो, चार का फर्क है। इसलिये हमारी सरकार यह नहीं कह सकती कि यह टैक्स किसी भी प्रकार से लगाया जाय। सरकार यह कह सकती है यह टैक्स का भार बड़े-बड़े जागीरदारों पर पड़ेगा। सरकार की अगर यही नीयत है तो जागीरदारों के ऊपर वह टैक्स लगा सकती है। राजाओं के ऊपर टैक्स लगाना चाहती है तो और किस्म के भी टैक्स हो सकते हैं, जिनको लगाया जा सकता है जिससे साधारण जनता पर टैक्स का असर न पड़े। इस टैक्स से किसानों पर

(श्री हरिराम चौहान)

भारी असर पड़ता है। जो किसान खेती के अन्दर दिलचस्पी लेता है, पैदावार बढ़ाने में दिलचस्पी लेता है, अपने हाथ से हल चलाता है, दूसरों के लिये अन्न पैदा करता है उस किसान पर जब कि पहले से ही कर भार अधिक है फिर और ज्यादा बोझ डालना उचित बात नहीं है।

आज हम देखते हैं जिस टैक्स से आप आमदनी करना चाहते हैं ३४ लाख उससे तीस लाख रुपया तो वसूल हो गया, जो टारगेट आप बनाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा वसूल होता है। इस टैक्स के विरोध में किसानों ने जल्से निकाले, गंगानगर में मिटिंगे हुई, अलवर सीकर, झुंझनू के किसानों ने जलसे किये। आखिर सरकार को झक मार कर इसमें परि-वर्त्तन करना पड़ा।

महज आप क्या चाहते हैं, इस टैक्स से दस लाख रुपया वसूल करना चाहते हैं। आपने ७५ रुपये की लिमिट करदी। इस बात का खतरा है कि इससे भी कम कर सकते हैं। जब आपको यह आदत पड़ जायगी तो किसानों पर टैक्स नहीं लगायेंगे इसकी क्या गारन्टी है ? तो इस तरह की सम्भावनाओं के आधार पर आपकी नीयत पर आम लोगों को शक होता है।

जब राजस्थान की इस तरह की हालत है, जहां दक्षिणपन्थी ताकतें बढ़ रही हैं, उप चुनावों में मुंह की खाते हो और पंचायतों के चुनाव आप स्थगित करते हो, इसलिये नहीं कराते, कराने की आपकी हिम्मत नहीं पड़ती कि आपकी स्थिति कमजोर है, आपको वहां भी हारने का डर सता रहा है और अभी आपको निकट भविष्य में भी कुछ उपचुनाव लड़ने हैं और इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि आप अपनी फिर मिट्टी पलीद न करावें। इस कानून ने वह स्थिति पैदा कर दी है आपकी रही सही मिट्टी प्लीद कर देगा। फिर इससे आपको कोई लाभ भी नहीं है, केवल दस लाख की आमदनी आपको इससे होनी है। तो इस दस लाख के लिये अपनी मिट्टी प्लीद और मत कराओ। यह चारपाई में पड़ी सिसक रही है। कोरी प्रेस्टीज का प्रश्न बना रखा है।

श्री सभापति : आप काफी समय ले चुके हैं, और भी माननीय सदस्य हैं। उनको बोलने का अवसर देने दें।

श्री हरिराम चौहान : चारपाई में यह बिल पड़ा पड़ा सिसक रहा है। पर आप इसे मरा हुआ नहीं समझते, दुबारा इसे जिन्दा करना चाहते हैं, इसमें ताकत डालना चाहते हैं। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि यह आपके भी फायदे में नहीं है और किसानों के भी फायदे में नहीं है और प्रोग्रेसिव ताकतों के भी हित में नहीं है, लोगों में खामख्वाह भ्रम पैदा करेगा यह। इस दस लाख के लिये आप दूसरा कोई भी रास्ता निकाल सकते हैं। कोई भी इतना कर तो आप अपर क्लास पर लगा सकते हैं। इसलिये मेरी मांग है कि इसको सरकार को वापिस ले लेना चाहिये।

श्री सभापति : श्री ढाबरिया।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : सभापति महोदय, लैंड रेवेन्यू के सरचार्ज के अमेन्डमेन्ट बिल पर विचार चल रहा है।

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान में लैंड रेवेन्यू जो फिक्स की गई है, उसका फिक्स करने का एक सा तरीका नहीं है।

इसका खास कारण यह है कि सारे राजस्थान में इसके निर्माण से पहले अनेकों स्टेटें थीं और भिन्न भिन्न स्टेट में अलग अलग रेवेन्यू को रेटें थीं। तो इन्टीग्रेशन के वक्त भी उन्हीं के आधार पर अलग अलग रेटें अलग अलग इलाकों की कायम रखी गई। जैसे हमारे यहां इस लगान में इरिगेशन की रेटें भी शामिल थी और आज भी उनको कायम रखा गया और इसके शामिल हो जाने से लैंड रेवेन्यू ज्यादा हो जाती है और इसकी वजह से आपके इस एक्ट की मन्शा पूरी नहीं होती कि सिर्फ लैंड रेवेन्यू २५०) तक जिसका है उसके ऊपर यह लगना चाहिये। पर चूंकि हमारे यहां पर लैंड रेवेन्यू में इरिगेशन की रेटें भी शामिल हैं इसलिये आसानी से ढाई सौ की लिमिट हो जाती है और यह सरचार्ज उस हिसाब से लग जाता है, जब कि दूसरे इलाकों में जहां इरिगेशन रेट शामिल नहीं है, हमारे मुकाबले में वहां वालों को थोड़ा रिलीफ है, जिनकी रेवेन्यू में इरिगेशन की रेट शामिल नहीं है। तो इसलिये यह सरचार्ज हमारे यहां कम जमीन वालों पर भी लागू होगा। जिसके इतनी कम पैदावार होती है जो उससे अपना घर का खर्चा नहीं चला सकता वह आपकी यह सरचार्ज की रेट कहां से देगा ?

इस तरह से यह सब जानते हुए भी जब सरचार्ज हमारे इलाके में लगाया जा रहा है तो इसके पीछे फिर्केबाजी की भावना है और जिस राज में इस तरह की फिर्केबाजी के आधार पर लैंड रेवेन्यू फिक्स की जाती है उसको गैर कानूनी समझा जाना चाहिये। वहां जब तक नया लैंड रेवेन्यू का सेटलमेन्ट न हो, सरचार्ज नहीं लगाया जाना चाहिये, क्योंकि यह लैंड रेवेन्यू सारे राजस्थान में एक सा नहीं है।

आज लैंड रिफॉर्म्स की बात की जाती है एक तरफ तो और दूसरी तरफ इस तरह के टैक्स लगाये जाते हैं तो मैं इस पर यही कहना चाहता हूं कि राजस्थान के किसान पर आज शायद हिन्दुस्तान में एक आसाम प्रदेश को छोड़ कर सबसे अधिक लैंड रेवेन्यू का बोझ है। जब इतने टैक्स, इतने हैवी टैक्स, हमारे किसानों पर हैं तो फिर इस तरह का सरचार्ज उस पर और लगाना कानून अधिकार नहीं देता; यह तो जले पर नमक छिड़कने जैसा है।

इसके अलावा राजस्थान बनने के बाद किसानों पर कितना अधिक भार पड़ा है टैक्सों का, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत सरकार से और सदन से। जहां पर बान्ध बनाये वहां बारानी जमीन का लगान आपने बढ़ाकर ४)६० नये पैसे कर दिये। एक यही बढावा हो, ऐसा नहीं। आपने इरिगेशन की रेट तालाबों की भी बढ़ादी। पहले यह एक रुपया प्रति बीघा थी, उसको आपने ४)६० पैसे कर दिया। नहरों में यह रेट जहां पहले १२) रुपया थी, वहां २२) प्रति एकड़ कर दिया।

इसके अलावा हमारी जो बांध के नीचे

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

की जमीन है उस पर बेटरमेंट लेवी और लगा दी जो कतई नाजायज़ है । इसमें भी जब तक उस इलाके का बेटरमेन्ट न हो जाता तब तक लेना वाजिब नहीं है । आप कमाण्ड एरिया में भले ही ले लो, पर जब तक उस एरिया में पानी आप नहीं दो तब तक बेटरमेन्ट लेवी लेना कैसे आप न्यायसंगत ठहराओगे ? मैं कहता हूं इस तरह की जितनी जमीन कमाण्ड एरिया के नीचे आज दिन तक ली गई है उसमें एक बार भी पानी नहीं दिया गया है । इस तरह से वहां के किसानों को सरकार पूरी तरह तबाह करने पर तुली हुई है ।

हमारी पार्लियामेन्ट में नेशनल इन्कम के बारे में बात हुई और वहां यह बात सामने आई कि देश के ७० प्रतिशत लोगों की आमदनी ३१ नये पैसे रोज की है । ऐसे गरीब लोगों पर और अधिक टैक्स का भार लादना इस सोश्यलिस्टिक पैटर्न की डींग हांकने वाली सरकार के लिये शोभा की बात नहीं कही जा सकती ।

मैं निवेदन करूं इसके पीछे की लम्बी कहानी । राजस्थान में पिछले दो सालों में जितने भी लैंड रेवेन्यू के कानून या अमेन्ड-मेन्ट्स आये हैं वे एक ऐसे महाशय के द्वारा लाये गये हैं या किये गये हैं जिनका धन्धा हमेशा से वकालत करने का रहा है । वे हैं हमारे डिप्टी रेवेन्यू मिनिस्टर, जिन्होंने हमेशा वकालत की है, जो किसानों का दर्द और उनकी बात समझते नहीं । किसानों के दुख दर्द से जिनका कभी वास्ता नहीं रहा ।

वे तो सिर्फ यह जानते हैं कि वकीलों की किस तरह से आमदनी बढ़े । इसके लिये किस तरह के एक्ट और अमेन्डमेंट और रेवेन्यू लॉज़ को लाया जाय और इन वकालत करने-वालों को पनपाया जाय । इस दृष्टि से ये कानून लाये जाते हैं और किसानों को दुखी, तबाह और हैरान किया जाता है और ऐसे कानूनों के शिकंजे में फंसाया जाता है ।

मैं माननीय चेयरमैन महोदय, आपके द्वारा सरकार से कहना चाहता हूं कि वे इसे समझें और इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय और ऐसे डिप्टी रेवेन्यू मिनिस्टर का xxxx ।

श्री सभापति : श्री रघुनाथ बिश्नोई ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : सभापति महोदय, इस बिल में……………

श्री परसराम मदेरणा (उप-मन्त्री, आबकारी एवं कर) : सभापति महोदय, अभी बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने उपमन्त्री, राजस्व के लिये xxxx करने की बात कही, यह अनपार्लियामेंटरी है । इसे कार्यवाही में से निकाला जाय ।

श्री दलपतसिंह (आबू) : इसके लिये माननीय सदस्य को सदन के सामने माफी मांगनी चाहिये ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : पार्लिया-मेंटरी डिक्शनरी में इन शब्दों के अनपार्लिया मेन्टरी होने के बारे में कहीं लिखा नहीं है । अगर लिखा हो तो वापिस विथड्रा कर लूंगा।

---

x x x x अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गए ।

Page No. 120

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

उनका रङ्ग रूप भी देख लीजिये सभापति महोदय, बिल पेश किया उससे उनका ××× है।

श्री सभापति : कौनसे शब्दों के लिये कह रहे हैं आप ?

श्री परसराम मदेरणा : ऐसे उपमन्त्री का ×××× किया जाना चाहिये, ये शब्द एक्सपन्ज किये जाने चाहिये।

श्री सभापति : These words may be expunged from the proceedings.

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : माननीय सभापतिजी, राजस्थान की जमीन को इतने इर्रिगेशन के साधन उपलब्ध नहीं हुए हैं और यहां पर लोगों के पास ज्यादातर खेती का धंधा है और यहां के ८० प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर करते हैं और उनका खेती का धंधा है। हाउस के सदस्यों की राय जान कर सरकार ने इतनी तो जरूर रिलीफ दी है कि ५० से लिमिट को बढ़ा कर ७५ तक कर दी है। लेकिन सभापति महोदय, ७५ जो लिमिट की है उसमें यह अगर कर दिया जाता कि ७५ से आगे जो लैण्ड रेवेन्यू होगा वह जिस प्रकार से इनकम टैक्स का हिसाब है उस तरह से लिया जायेगा तो ठीक होता। जैसे इन्कम टैक्स में ३,६०० रूपये तक साल में पाने वाले पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता और उसके आगे की रकम का टैक्स वसूल होता है इसी तरह से अगर इस तरह का प्रिन्सिपल इवॉल्व करके ७५ रूपये के ऊपर जो बीघोड़ी है उसी अनुपात से ४ आना या इससे आगे जैसे जैसे रकम बढ़ती है इस तरह का कोई प्रिन्सिपल लागू किया जाता तो ज्यादा रिलीफ काश्तकारों को मिल सकता था और यह भी समझ में आ सकता था कि अगर बीघोड़ी इससे ज्यादा है तो वह राज्य सरकार को उसका हिस्सा दे और वह पैसा विकास के काम में लगे। लेकिन ७५ रूपये बीघोड़ी हो जाती है और ४ आना देना पड़ता है और यह जो वर्तमान प्रिन्सिपल है इससे कुछ केसेज़ में हार्डशिप हो सकती है।

दूसरे, सभापति महोदय, राजस्थान में बहुत सी जगह ८० प्रतिशत भूमि जागीरदारों के नीचे थी और जो सेटलमेन्ट हुआ वह भी अच्छे ढंग से नहीं हुआ। बहुत से जोइन्ट खाते भी दर्ज हो गये। इसलिए सभापति महोदय, आपको भी पूर्णतया इसका ज्ञान है कि ऐसी हालत में, जब कि इसमें प्रोविज़न के जरिये यह स्पष्टीकरण जरूर राज्य सरकार की ओर से किया गया है कि पर्चों के अन्दर अलग अलग नाम दर्ज किये हुए हैं उस हालत में उनको रिलीफ मिल सकती है। लेकिन ऐसे बहुत से खाते होंगे जिसमें नाम मैनेजर ऑफ फैमिली का हो गया लेकिन फिज़िकल पार्टीशन हुआ है लेकिन लॉ के अनुसार उनको नहीं किया गया है। अगर स्पोट पर अलग अलग खाते हैं और जमीन फिज़िकली डिवाइडेड है और खाते में दर्ज नहीं किये गये हैं, ऐसी हालत में भी रिलीफ दे दी जाये तो बहुत से काश्तकार ज्यों ज्यों काश्त करते रहे हैं उनका डिवीज़न कर दें तो उस तरह से उनको राज्य सरकार की ओर से स्पष्ट घोषणा होनी चाहिए ताकि ऐसे लोगों को भी रिलीफ मिल सके। दूसरे, सभापति महोदय, यह स्पष्ट मालूम नहीं पड़ता कि जब सेटलमेन्ट असेसमेन्ट के पर्चे

×××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

डिस्ट्रिब्यूट हुए उसके बाद कोर्ट्स में जितने हुए और रजिस्ट्रेशन के जरिये या अलग अलग जैसे भी मिसलबंद दर्ज तो नहीं हुए लेकिन बाद में डिक्रीज़ के जरिये और सिविल सूट्स के जरिये अलग अलग हुए हैं और मिसल बन्दोबस्त में दर्ज नहीं हो पाये हैं तो यहां जो भाषा यूज़ की गयी है उससे प्रत्यक्ष मालूम नहीं पड़ता कि सेटलमेन्ट के बाद जो अलग हुए हैं और लॉ के अन्दर उनका फैसला भी हो गया है अब आपके स्पष्टीकरण से मालूम नहीं होता कि उनको रिलीफ मिलेगी या नहीं। इसलिए सभापति महोदय, आपके जरिये मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इसकी ओर भी ध्यान दें। सेटलमेन्ट जब होता है सभी एन्ट्रीज होती हैं, ऐसी हालत में उनको भी रिलीफ दी जानी चाहिए और उसके बारे में स्पष्ट राज्य सरकार की ओर से प्रावधान हो जाना चाहिए ताकि काश्तकार जो कि इल्ली-ट्रेट हैं उनको इधर उधर न भागना पड़े और उनको हार्डशिप न हो और जो राज्य सरकार की मंशा है कि जो कम बीघोड़ी पे करते हैं और जो छोटे काश्तकार हैं उनको किसी भी हालत में अगर वास्तव में अलग काश्त करते हैं तो उनको रिलीफ मिलनी चाहिए। यह प्रावधान होने की आवश्यकता है। इसलिए एक, दो दिन सलेक्ट कमेटी में रेफर करके वापिस इसको दुरुस्त कर दिया जाये तो अच्छा है।

श्री सभापति : श्री दलपतसिंह।

श्री दलपतसिंह (आबू) : सभापति महोदय, यह जो सरचार्ज का कानून था यह जिस समय लाया गया था उसके लिए सरकार की नीति यह नहीं थी कि जो छोटे काश्तकार हैं उन पर टैक्स लगे। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स भी उन्हीं लोगों पर लगता है। सरकार की यह नीयत कभी नहीं रही कि छोटे काश्तकारों से रेवेन्यू टैक्स ले। जागीर एबो-लीशन होने के बाद में जब सरचार्ज ५६ में इन्ट्रोड्यूस हुआ तो उसके बाद में यह कन्फ्यूज़न सा हो गया कि सरचार्ज को रखना सरकार के लिए क्यों जरूरी हो गया। मेरा विचार जहां तक है यह सरचार्ज उसी टाइम में बिल्कुल एबोलिश हो जाना चाहिए था। लेकिन पहले जिस समय सरचार्ज इन्ट्रोड्यूस हुआ उसके बाद में सीलिंग के कुछ ज्यादा इम्पलीमेंट नहीं होने की वजह से सरचार्ज रह गया और फिर इमर्जेन्सी का टाइम आया और जब देश के ऊपर आफत आई तो हर किसान ने समझा कि किसी तरह से भी जो भी टैक्स देना है इसमें इत्मिनान से सरकार को मदद देनी चाहिए। उस टाइम में आज देखा जाये तो गांव से जितना धन इकठ्ठा हुआ है, रूरल सेक्टर से जितना हुआ है उतना अरबन से नहीं हुआ है। उस समय काश्तकारों ने सरचार्ज दिया और उसके इम्प्लीमेंटेशन में जो प्रावधान था कि ५० रुपये से नीचे के काश्तकार होंगे उनसे सरचार्ज नहीं लिया जायेगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि सिरोही डिस्ट्रिक्ट में सरचार्ज ५० रुपये से नीचे एक ला की तनखी के अन्दर जोइन्ट खेती करके जो काश्तकार बच जाते थे उनसे भी सरचार्ज वसूल हो गया है। ऐसी हालत में मैं चाहता हूं कि ऐसा कैसे हो गया? सेटलमेंट जो १९५१-५२ में हुआ था उस समय में जो बच्चे १२ साल के थे वह आज २२-२४ साल के हो गये हैं और वह अलग

(श्री दलपतसिंह)

हो गये हैं। इसलिए इसमें एक लेकुना रह जाता है कि सेटलमेंट के अन्दर कम से कम इतना तो सरकार जरूर करे कि जिस समय सेटलमेंट हुआ था उस समय जो छोटे बच्चे थे वे आज बड़े हो गये और अलग हो गये हैं। इसलिए इस गलती से हजारों किसान उसके नीचे नहीं आते थे उनको भी टैक्स भरना पड़ा।

सिरोही और जालोर में ८० प्रतिशत इस सरचार्ज से बच जाते थे लेकिन अब सब को टैक्स देना पड़ा है। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस समय भी सरकार को कम से कम इतना कन्सीडर जरूर करना चाहिए कि सेटलमेंट के अन्दर उनको सेपरेट कर दे और उनके अलग अलग खाते कर दे तो उनको रिलीफ मिल जाये। इसके अलावा मेरा यह निवेदन है कि जिस तरीके से ५-५ साल की गिरदावरी उनकी अलग है तो सरकार को इतना अमेंडमेंट करना चाहिए कि अभी भी काश्तकारों के पास ५ साल के पहले की गिरदावरी है और बच्चों का नाम सेटलमेंट में नहीं आया है तो उनको भी सेपरेट माना जाये। यह मेरा खास कर निवेदन है। आज काश्तकारों की पर केपिटा इनकम देखी जाये तो जैसा माननीय सदस्यों ने कहा है कि ३० न० पै० है।

(१२.५७ म० प०)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

ऐसी परिस्थिति में प्राइसेज गिरती जा रही हैं और प्रोडक्शन का माल तैयार हो रहा है तो मैं कहूँगा कि यह सरचार्ज सेपरेट खातेदार जिनसे गिरदावरी के जरिये से आते हैं उनको इन्क्लूड करने से काफी राहत मिल जायेगी। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, देखा जाये तो राजस्थान के अन्दर सारे हिन्दुस्तान के मुकाबले में टैक्स सबसे ज्यादा देते हैं, सिर्फ एक आसाम है उसके। लेकिन जो आसाम का प्रोडक्शन है उसमें और यहां के प्रोडक्शन में बहुत फर्क है। आसाम के अन्दर गर्म मसाले, चाय और कॉमर्शियल क्रॉप्स की कॉमोडिटी पैदा होती है और राजस्थान की क्लाइमेटिक कन्डीशन्स ऐसी हैं कि मुश्किल से ५ साल में एक साल अच्छी वर्षा होती है। यहां पर बाजरा, मक्का या जवार पैदा होती है। इसलिए यहां के प्रोड्यूस की आसाम के मुकाबले में बहुत कम प्राइस आती है। राजस्थान के अन्दर स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग ऊपर बढ़ सकता है, यह हालत नहीं है। इमर्जेन्सी के अन्दर दो नारे लगाये गये। एक तो इण्डस्ट्रियल सेक्टर में उन्नति की जाये और दूसरे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में उन्नति की जाये।

आज इन्डस्ट्रियल सेक्टर के अन्दर लाखों रुपये बिजली के अन्दर लिये जा रहे हैं। आज इन्डस्ट्रियल सेक्टर के अन्दर लाखों रुपये उनकी जमीनों के लिए, वाटर के लिए, रोड्स के लिए, हर इन्डस्ट्रियल सेक्टर पर खर्च किये जाते हैं, लेकिन आज हम रूरल एरिया को इलेक्ट्रिफाई करने के अन्दर फेल्योर हुए हैं। आप देखते हैं कि जितने भी लोन्स दिये हैं इस कॉटेज इन्डस्ट्री को पनपाने के लिए वह शहरों के अन्दर दिये हैं। गांवों के अन्दर आज भी ५०-६० पर्सेन्ट गांव ऐसे हैं कि वहां पर हम इलेक्ट्रिफिकेशन

(श्री दलपतसिंह)

नहीं कर रहे हैं। ऐसी हालत के अन्दर जब कि हमारा राजस्थान रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम में बेकवार्ड है।

हमारे राजस्थान के अन्दर अभी तक जो हमको प्लान्ट प्रोटेक्शन करना पड़ता है, तो बीमारी की रोकथाम करने की ऐसी हालत है, कि इस साइन्स में आज भी, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज चार साल से लेबोरेट्रीज में एक्सपेरीमेंट्स हो रहे हैं ओरन और मैला डिजीजेज के ऊपर लेकिन तीन साल से कोई सक्सेसफुल नहीं हो सका है। तीन साल का सर्टीफिकेट लेबोरेट्री इन्चार्ज का मेरे पास हैं जिसमें लिखा हैं–"We are failure in the experiment about Auran disease" तो ऐसी हालत में जहां कि इलेक्ट्रिफिकेशन का मुकाबला करना पड़ता है और प्लान्ट प्रोटेक्शन के लिए कोई अच्छी दवाई नहीं मिल रही है और इधर फर्टीलाइजर फैक्ट्री का मालूम नहीं है तो एग्रीकलचर के लिए इन तीन चीजों की फण्डामेंटल जरूरत है–खाद, खातर और पानी और इन तिनों की स्थिति को आप देखेंगे तो हम इन तीनों में बैकवार्ड हैं। तो ऐसी हालत में गवर्नमेंट काश्तकार से लैण्ड रेवेन्यू ले और जो राजस्थान में काश्तकारी करता है उससे उसके अलावा सरचार्ज ले, चाहे वह ५० रुपया ही पड़ता हो तो वह बिल्कुल माफ कर देना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अगर माफ नहीं करती है तो कम से कम इस स्टेज पर सरकार आइन्दा सेशन में आयेगी और सामान्य कदम उठा कर इस सरचार्ज को एबोलिश कर देगी और यही भावना रहेगी कि जमीन से हमारा डाइरेक्ट ताल्लुकात सिर्फ लैण्ड रेवेन्यू से रहे। लैण्ड रेवेन्यू के सिवाय कोई टैक्स न हो। प्रोडक्शन को आगे बढ़ाना है तो इनडाइरेक्ट टैक्सेशन नहीं होना चाहिए। कल वित्त मंत्री महोदय ने जीरा वगैरह पर जो एक्सपोर्ट वगैरह का टैक्स था उसको वापिस ले लिया, मैं उसके लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं, लेकिन साथ साथ वित्त मन्त्री महोदय ने यह नहीं सोचा कि सेल्स टैक्स की वजह से दूसरी कॉमोडिटीज की प्राइसेज का मुकाबला करना पड़ता है....

श्री उपाध्यक्ष : No Sales tax.

श्री दलपतसिंह : मैं एक एग्रीकलचर सेक्टर का आदमी हूं इसलिए अर्ज करूंगा कि आज प्राइसेज के गिरने की बात करते हैं तो एग्रीकलचर सेक्टर में जो क्रूड ऑयल काम में आता है उसका भाव पहले ४०) रु० था वह आज १००) रु० हो गया और जितने जो इम्प्लीमेंट बाहर से आते हैं बम्बई वगैरह से अगर उनमें आप इम्प्रूवमेंट नहीं करते हैं तो मैं ज्यादा नहीं कह कर इतना ही अर्ज करूंगा कि १२ साल पहले जो बच्चा था वह आज २२ साल का जवान हो गया है तो उसको बराबर का खातेदार मानना चाहिए लेकिन सेटिलमेंट नहीं हुआ है और वह खातेदार की केटेगरी में नहीं आता है और उसको जॉइन्ट फेमिली में मान लिया जायगा तो उसको सरचार्ज पे करना पड़ेगा तो उसके साथ में गुनाह होगा।

दूसरी बात मैं माननीय मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि जिस किसी भी डिस्ट्रिक्ट

(श्री दलतसिंह)

में सेटलमेंट नहीं हुआ हो उनसे कोई सरचार्ज वसूल नहीं होना चाहिए उन पर सरचार्ज बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

काश्तकार की पोज़ीशन को देखेंगे तो टोटल में कितना वह बैकवार्ड है उसको देखते हुए यह सरचार्ज बिल्कुल कम लगे और ऐसी सरल स्थिति उसकी करनी चाहिए कि लोग उसको सरलता से समझ सकें ताकि कोई उलझन में पड़ कर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ करने में काश्तकार को दुःख उठना न पड़े।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोविन्दसिंह।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : I don't want to speak.

श्री उपाध्यक्ष : श्री अब्दुलजब्बार।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत मुद्दत के बाद इस बात की चर्चा सुनाई दे रही है कि किसान आज परेशान हो रही है और सदन में कांग्रेस साइड से समर्थित एक प्रस्ताव द्वारा सरचार्ज लगाया गया। उपाध्यक्ष महोदय, आज इस बात को देखने की जरूरत हमारी सरकार नहीं समझती है कि हम टैक्स लगायें किसके लिए? उसकी युटिलिटी क्या है? टैक्स लगाने का मकसद क्या है? अगर राहत पहुंचाने का मकसद है और राहत पहुंचाना चाहते हैं तो जिन पर टैक्स लगा है उनको पहुंचाना चाहते हैं या एक जगह से पैसा इकट्ठा करके दूसरी जगह पर राहत पहुंचाना चाहते हैं? जनरल रेवेन्यू का ४६ पर्सेन्ट आमदनी आप लेते हैं राजस्थान के किसान से और उस राजस्थान के किसान की अवहेलना होती है। उसको एप्रोच रोड्स नहीं मिलती है। वह अपने नाज को गाड़ी में भर कर खास सड़क पर नहीं ला सकता है। उसको इस बात की सुविधा नहीं होती है। उसके बैलों के कन्धों को खराब होने से बचाने के लिए, जिनके कन्धों पर वह जूड़ा रख कर नाज से भरी हुई गाड़ी लेकर आता है, उसी किसान से यह सरचार्ज जैसा टैक्स लिया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं मैं चित्तौड़ जिले की पंचायत समिति निम्बाहेड़ा का वर्णन कर देना अत्यन्त आवश्यक समझता हूं कि वहां किस तरह से मजाक और खिलवाड़ किया जाता है किसानों के साथ में—यह सोचने और समझने की बात है। आप सरचार्ज लेंगे और हमारी पंचायत समिति के प्रधान पांच नये पैसा प्रति रुपये के हिसाब से पंचायत टैक्स भी लेते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या किसान ऐसी दूध देनेवाली भैंस हो गई कि जिसके चारों थनों पर आप लटक जाना चाहते हैं और दिन भर दूध दूहना चाहते हैं? सरचार्ज लगा रखा है, लगान लगा रखा है और बेगार की प्रथा खत्म करने का दावा करते थे अब वे उसको श्रमदान का नाम देकर और श्रमदान के रूप में श्रमदान टैक्स लेते हैं। उसके साथ साथ डवेलपमेंट के नाम पर पंचायतें नये नये कर लगाती हैं। उसको बैलगाड़ी पर कर लगा रहे हैं, उसके ऊंट पर कर लगा रहे हैं, उसके मकान पर कर

(श्री अब्दुलजब्बार)

लगा रखा है। पंचायत समिति और पंचायतें कर लगा रही हैं, ऐसी सूरत में मैं कह सकता हूं कि सरकार की क्या यह धारणा है कि वह जमीन छोड़ दे ? आज जिस तरह से होता है कि हमारे खाद्य मंत्री ने इस बात का ऐलान किया है कि ३८) रु० प्रति क्विन्टल के हिसाब से गेहूं सरकार खरीदेगी। उपाध्यक्ष महोदय, अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि वह किसान जिसका साधन आमदनी का केवल खेती है अगर वह नाज पैदा करेगा या दूसरी कॉमोडिटी पैदा करेगा तो बाजार में बेचने के लिए उसको आना पड़ेगा और उससे वह अपना गुजारा करेगा। नाज बेचने के लिए किसी पास के टाउन में जायगा तो ऐसी स्थिति होगी कि उसका नाज ३८) रु० प्रति क्विन्टल बिकेगा, जो कि १५) रु० मन पड़ेगा वह बीज लेकर जायेगा २८-३०) मन बाजार से और बेचने जायेगा तो नाज खरीदा जायगा १५) रु० मन। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं मैं कहूंगा कि ज्योंही वह शहर में घुसेगा तो म्युनिसिपल एरिया सामने आता है। मंडी में घुसता है तो म्युनिसिपैलिटी वाले टोल टैक्स वसूल करेंगे, टर्मिनल टैक्स और ओक्ट्रॉय वसूल करेंगे। उसके बाद मंडी में जाने पर उससे मंडी टैक्स लेंगे, कड़दा कटेगी, तुलाई कटेगी, आड़त और दलाली कटेगी। उपाध्यक्ष महोदय, वह किसान जिसके लिए सरकार दावा करती है कि हम उसको बहुत ऊंचा उठाना चाहते हैं, उसको खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो ३८) रु० प्रति क्विन्टल के हिसाब से जो हमारी सरकार लेना चाहती है वह करीब करीब ३४), ३५) रुपये प्रति क्विन्टल का भाव हो जायगा। जब किसान बुरी तरह से पिस जायगा तो हमारी सरकार कहती है कि सरचार्ज दो, बेटरमेंट टैक्स दो, वाटर टैक्स दो, डवेलपमेंट टैक्स दो, हाउस टैक्स दो, टर्मिनल टैक्स दो। पंचायतों ने प्रोफेशनल टैक्स लगा रखा है, वे खेती करते हैं तो भी प्रोफेशनल टैक्स लगा रखा है, वह दो। यह स्थिति है उस किसान की, जिस किसान के डवेलपमेंट का सरकार ध्यान रखती है। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि किसान के ऊपर आप एक नये पैसे प्रति रुपये के हिसाब से भी खर्च नहीं कर पाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, डॉक्टर के बगैर हमारे ग्रामीण मर जाते हैं। हमारी माताओं और बहिनों के डिलीवरी होती है तो नर्सेज प्रोवाइड नहीं की जाती हैं। उनको मेटरनिटी फेसिलिटी नहीं होती है, जब कि ग्रामीण जनता ४६ पर्सेन्ट की हमारी रेवेन्यू को टैक्स के रूप में देती है। ऐसी सूरत में मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि सरचार्ज लगान केवल किसानों के लिए है उससे केवल १५-२० लाख के लिए क्यों किसानों का खून चूसने की कोशिश की जाती है ? यह कोई तरीका नहीं है। इतना रुपया तो आप दूसरे तरीके से भी वसूल कर सकते हैं। आपने घड़ीसाजों पर कोई टैक्स नहीं लगा रखा है, उन पर टैक्स लगा दें। राजस्थान के २६ जिलों में कम से कम १०,००० घड़ीसाज निकल आयेंगे। उन पर अगर १०) १०) टैक्स लगायेंगे तो एक लाख चार्ज कर सकते हैं। कम से कम टैक्स लगाने का कोई तरीका तो होना चाहिए। बेटरमेंट लेवी टैक्स लगाते हैं। दुनिया भर के टैक्स लगा कर उसको परेशान करना चाहते हैं जब कि एमेनिटीज़ के नाम पर उनको कुछ भी मुहैया नहीं किया जाता है।

(श्री अब्दुलजब्बार)

इतना ही नहीं, सरचार्ज के संबंध में मेरा क्लॉज पर भी अमेन्डमेन्ट है, मैं उस पर भी बोल लेता हूं, दुबारा नहीं बोलना पड़े।

श्री उपाध्यक्ष : No. Clause by clause लें उस समय बोलें।

श्री अब्दुलजब्बार : मेरा कहना है कि संशोधन आवश्यक है इसलिये मैं सरकार से और मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजना चाहिए ताकि जमीन के बारे में और खातेदारी राइट्स के बारे में जो प्रावधान रखे हैं उनको अच्छी तरह से एग्जामिन किया जा सके। इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि सिलेक्ट कमेटी को पहुंचा दिया जाय जो दो दिन में निर्णय लेकर पेश करदे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा।

(अनुपस्थित)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

(अनुपस्थित)

सरकारी पक्ष।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य--मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, इस सर चार्ज के बारे में जब सदन में बजट प्रस्तुत किया गया था और उसके बाद जो वाद-विवाद हुआ था और उस वाद-विवाद में जो कंन्सेशन दिये गये उससे स्पस्ट रूप से यह ज्ञात होता है कि आम तौर से माननीय सदस्यों को, जो कुछ राहत दी है उससे संतोष हो गया है। अभी सदन में जो इस बारे में कहा गया हमें इस बात को सामने रखते हुए इस पर विचार करना होगा कि राजस्थान में पहले एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स लगाया गया था। एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स लगाने के बाद आम तौर से इस बात की शिकायत सामने आती थी कि एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स को एसेस करने में हैरेसमेन्ट होता है, ज्यादा लोगों को नोटिस मिल जाता है और उसके बाद किसानों को इधर उधर घूमना पड़ता है। उनको इधर उधर घूमना न पड़े इसलिये इसको हटा कर सरचार्ज लागू किया था। जिन लोगों पर सर-चार्ज लग सकता है उन्हें केटेगीराइज् करके इस साल जो एनलिस्ट किया गया उसके बाद वे ही लाइबल रहते हैं। फर्क यह है कि पहले की मल्टीपल ज्यादा है, इसमें बढ़ाये गये। मैं समझता हूं जो कंन्सेसन्स खातों के बारे में और अन्य तरीकों से यहां दिये गये हैं उस संबंध में परिणाम यह होने वाला है कि कुछ ही बड़े किसानों पर इस संबंध में वजन पड़ेगा और जितना वजन इससे पड़ने-वाला है वह उनकी शक्ति से बाहर होगा, ऐसा मान कर नहीं चल सकते। लेकिन एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स, जिसके बारे में सभी सहमत होंगे, उसको लागू किया जाता है तो बहुत से लोग जो अभी सरचार्ज देंगे उन्हीं पर एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स भी लागू होता लेकिन है रेसमेंट केलूकुलेशन वगैरह में ज्यादा होता। इसलिये इस सिस्टम को चालू रखा है।

यह कहा जाता है कि हमने सर-चार्ज लगाया है वह अभी तो बड़े बड़े लोगों पर ही लगाया है और फिर बाद में

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

दूसरों पर भी लगाना चाहते हैं या दूसरों पर भी पड़ेगा। जो लोग इस तरह से कहते हैं वे राजनैतिक दृष्टि से लोगों में प्रचार करने के लिये अपना स्टंट बना कर चलते हैं। क्योंकि पहले से कम हो गया इस कमी को स्वीकार करने के बजाय वे यह मानकर चलना चाहते हैं कि यह न हो कि लोगों को कहना पड़े कि अब कम होने की तरफ जा रहे हैं, साल भर पहले जितना था उससे कम हो गया। वे यदि यह कहें कि कम होता जा रहा है तो उनकी दृष्टि में लोगों पर उल्टा असर पड़ेगा इसलिये वे लगातार यह कह कहना चाहते हैं कि पहले भी बढ़ाया और अब फिर सरकार बढ़ाने लगी हुई है, दूसरों पर जिन पर नहीं लग रहा है उन पर भी लग जायगा। लेकिन यह भ्रान्ति स्पष्ट रूप से दूर हुई है। सब पर लगने के बजाय इसमें कमी हुई है। इसलिये किसी को भ्रान्ति में रखने की जरूरत नहीं है। इस वक्त कम कर रहे हैं और वापिस लगा देंगे इस तरह की भ्रान्ति भी नहीं रहनी चाहिये। यह भ्रान्ति न रहे और पोलिटिक्स के कारण इधर उधर न हो, इसका भी ध्यान रखना होगा।

माननीय उपाध्यक्षजी, कई बार बजट की बहस के दौरान स्टेटिस्टिक और आंकड़े सर्क्युलेट किये जाते हैं उनमें पर केपिटा रेवेन्यू के आंकड़े भी होते हैं और उसके आधार पर यह बहस आती है कि राजस्थान में पर केपिटा लैंड रेवेन्यू सबसे ज्यादा है। मैं यह नहीं कह सकता कि राजस्थान में सब जगह से लैंड रेवेन्यू कम है, लेकिन इस बात को समझना है कि पर केपिटा लैंड रेवेन्यू रिफ्लेक्ट करती है वह होल्डिंग्ज पर रिफ्लेक्ट करती है। राजस्थान में पर केपिटा होल्डिंग हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा है। लेकिन हम केवल एक पक्ष को लेकर कह जाते हैं कि हमारे यहां पर केपिटा लैंड रेवेन्यू सबसे ज्यादा है। यह ठीक है कि पुराने जमाने से कुछ स्टेट्स में लैंड रेवेन्यू ज्यादा थी कुछ में कम। रिविजन ऑफ सेटलमेन्ट ज्यों ज्यों होता जाता है त्यों त्यों राजस्थान में एक लेवल पर होता चला जायगा। जो कुछ इस समय है वह इस गवर्नमेन्ट की वजह से नहीं, बल्कि पुरानी स्टेट्स गवर्नमेन्टस के समय से चला आ रहा है, लेकिन सेटलमेन्ट के रिविजन के साथ साथ उनमें परिवर्तन होता चला जायगा।

माननीय उपाध्यक्षजी, बहुत जोर से कहा गया कि किसानों के हित में सरकार नहीं है। किसानों के बारे में अमुक कर दिया, यह कर दिया, वह कर दिया। इस बात को दोहराया गया कि किसानों से नाज खरीदने के लिये यहां ऐलान किया गया था कल वह किसानों के साथ शोषण है, ज्यादती है, कई बातें सामने रखी गई। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो नाज के बारे में कल यहां पर बताया गया। और जो कुछ इस बारे में आगे कार्यवाही की जानेवाली है, इस बात को लक्ष्य में रख कर फैसला करते हैं कि किसान जब फसल काट कर बाजार में लाते हैं उस वख्त किसान के घर में कितने रुपये आये और उस वख्त बाजार में भाव क्या था, हमको निश्चित मान कर चलना है। बीच में अनाज के भाव ३०), ३२) रू. मन हो गये, जिस समय किसान फसल काट कर लायेगा उस समय किसी किसान के घर में ३०), ३२) के भाव से पैसे पहुंचे हों तो मैं इस दलील

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

को मानने को तैयार हूँ। लेकिन आम दलील दी जाती है कि किसान से खरीदने का मौका आता है तो भाव सस्ते कर देते हैं और बेचते हैं तब महंगा बेचते हैं और बीच के व्यक्ति लाभ उठाते हैं। आज पॉलिसी तय की जाय तो हम २८), ३०) के भाव शहरों में या कसबों में भाषण देने का मौका आवे तो यह कहदें कि भाव क्यों बढ़ा दिये, लेकिन सदन में तो गंभीरता के साथ नाज और खाने पीने की चीजों के लिये विचार रखें, क्योंकि यह इस तरह की चीज नहीं है जैसी कुछ व्यापारियों ने हड़ताल करके लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रखा है। बाजार में खरीदें नहीं, बेचें नहीं फिर भी आम लोगों के साथ हमदर्दी रखने की बात करें तो क्या वे हमदर्दी का काम करते हैं और जनता को आगे बढ़ाने की बात करते हैं? हमने कहा कि हम एग्जामिन कर रहे हैं और १० तारीख को बहस होगी तो इस पर विस्तृत चर्चा होगी। बाजार में जो होलसेल रेट थी उसके मुनाफे में बीच के व्यापारी आ गये, धर्मादा तुलाई आदि का खर्चा निकालने के बाद वास्तव में किसान के पास कितना गया, यह दिमाग में होना चाहिये। हारवेस्टिंग के टाइम क्या उसको मिलता है उस हिसाब से तय किया जाय। यह सदन जानता है कि जो गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया ने और जगह कीमतें तय की हैं वे १३), १४) और १५) हैं और हमने १४), १५) और १६) किया है। हमको चाहिये कि हमें खरीदना पड़ता है तो हम उस लिहाज से चलें। जब सारे हिन्दुस्तान में अनाज जाने की इजाजत थी उस पॉलिसी को फोलो किया जाता है तब व्यापारी किसान को क्या दाम देते थे और इस साल एक्सपोर्ट पर बैन हो गया उसके बाद किसान को व्यापारी क्या दाम देते, इसकी कल्पना करके चलें।

जब बम्बई और अहमदाबाद तक व्यापार खुला हुआ था उस वख्त क्या गुंजाइश थी, उसके बाद एक्सपोर्ट बान के बाद भाव कंट्रोल के अन्दर आते हैं तो उस वख्त क्या गुंजाइश थी और आज मार्केट में नई फसल आने वाली है, उसके पहले भाव कंट्रोल होने के बाद फसल आये बिना भी क्या गुंजाइश है। इन बातों पर आज निगाह डालें, इन चीजों पर यहां बात कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। यह कहें कि जो ऑर्डर निकला है उसमें कोई एक क्लॉज़ ऐसा आ गया है उसकी चर्चा करें। यह नहीं होना चाहिए यह कहें और वाक आउट कर दें कि व्यापारियों पर बड़ी ज्यादती हो रही है और व्यापारी हड़ताल करके व्यापार बन्द करके बैठें—उनको कहने के लिए तैयार न हों और उनको यह नहीं कहें कि आम लोगों के हितों को देख कर चलें। मैं समझता हूं, कोई चीज हो, कोई मुद्दा हो उस पर आपस में बहस करें, बैठ कर बात करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। आज लोगों को कितनी तकलीफ में डाल दिया है, वह तो सरकार ने इन्तजाम कर रखा है इसलिए लोगों को अनाज मिल रहा है, जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए जो रुख अपनाया गया है, मैं समझता हूं, उसके बजाय इन सारी चीजों को सतर्कता से उचित तरीके से विचार करने की आवश्यकता है, आज की कन्डीशन्स हैं उनको हम समझ कर चलें। आज काफी बड़ी तादाद किसानों की भी ऐसी है कि किसान केवल बाजार में अनाज बेचते ही बेचते हों—ऐसा नहीं है,

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

बल्कि वे भी खरीदते हैं। मैं जानता हूं, हमारे वहां बहुत से ऐसे गरीब किसान हैं जिनके पास दो-दो, तीन-तीन महीने के लिए घर में खाने को होता है। बाद में वे मजदूरी करते हैं और मजदूरी से कमा कर बाजार में जाकर अनाज खरीद कर अपना गुजारा करते हैं। तो इन ऊंचे भावों का असर उन पर भी पड़ता है। आज गंगानगर जिले में देखें, जिसके अन्दर इतना उत्पादन होता है, हजारों टन वहां भी लोगों के लिए अनाज भेजना पड़ता है। इसका कारण यह है कि कई लोगों के पास स्टॉक्स नहीं होते। पंजाब, जो हिन्दुस्तान की ग्रेनरी है, वहां भी एक महीने में दो लाख टन अनाज भेजने की जरूरत पड़ती है। आखिर इस प्रश्न को भी समझना है। इसमें किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का प्रश्न नहीं, एक पक्ष का प्रश्न नहीं है। इसलिए हम बैलेन्स्ड व्यू लें कि क्या सारे राजस्थान के हित में है, कौनसी चीज वाजिब होगी, और सारी कम्प्लीट पिक्चर लेकर कहें कि हम यह समझते हैं।

आप सदन में कहना चाहते हैं कि आम लोगों को २४ रुपये के हिसाब से मिलना चाहिए तो साफ तौर पर कहें कि कन्ज्यूमर को २४ के हिसाब से मिलना चाहिए और किसान को इतने रुपये में खरीदना चाहिए तो यह प्रश्न समझ में आता है। तो मैं समझता हूं कि इसके लिए सारे स्टेट को सामने रख कर नॉन-पोलिटिकल रूप से, नॉन-पार्टी रूप से डिसीजन लेने का सवाल आता है। यदि एक प्रश्न आता है तो एक बात कहना चाहते हैं और दूसरा सवाल आता है तो दूसरी बात कहना चाहते हैं—वह मेल नहीं खाती है सिवाय इसके कि अलग अलग तरीके से अलग अलग बातें इस हाउस में कर सकते हैं।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं उधर बैठने वालों से कि हमें गुड्स डिलीवर करने पड़ेंगे रोज मर्रा—इसमें प्रेक्टिकल डिफीकल्टीज को देख कर चलना पड़ता है। हम चाहते हैं कि कन्ज्यूमर को ठीक दामों पर अनाज मिले और प्रोड्यूसर्स को उचित दाम प्रोड्यूस के मिलें। ऐसी स्थिति में यह कहना कि सरकार की नीति किसानों को नुकसान में डालने की है, किसानों के ऊपर टैक्स का भार लाद देने की है या किसानों को परेशान करने की है, मैं समझता हूं उचित नहीं है। यहां कहा गया कि बैटरमेंट लेवी चार्ज करते हैं यह किसानों के प्रति ज्यादती है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, यह सब जानते हैं, इर्रिगेशन के ऊपर पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में अब तक जितना खर्च हुआ है उसका इन्ट्रेस्ट भी आज हम इर्रिगेशन और इन चीजों से इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। और रिसोर्सेज से इकट्ठा करके उसको रीपे करने का सवाल आता है तो जब किसी टैक्स का सवाल आता है तो यह कहते हैं कि टैक्स नहीं लगना चाहिए और इर्रिगेशन के प्रश्न पर बैटरमेंट लेवी लेने का सवाल आता है तो कहते हैं कि यह नहीं होना चाहिए—यह एक तरह से विरोधाभास की बात होती है। आप जानते हैं कि इर्रिगेशन से किसानों को जो एडवान्टेजेज होते हैं उसका सर्टेन फ्रेक्शन उसके पास से सर्टेन ईयर्स के अन्दर उसके पास से लेकर, बैटरमेंट लेवी के रूप में लेकर पैसा लौटाना पड़ता है। आप देखिये जहां पहले एक जमीन में दो मन पैदा होता था

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

वहां इर्रिगेशन होने के बाद दस मन पैदा कर सकता है। उससे यह कहा जाय कि एक मन की जितनी बैटरमेंट लेवी हमको पे करता हुआ चला जाय—तो क्या अनुचित है ? इसके साथ ही पहले जिस जमीन की कीमत पचास रुपये थी, आज आप गंगानगर और भाखरा के इलाकों में जांय, जहां पहले नहर का पानी नहीं था, जहां रेगिस्तान की जमीन थी, जिसका दस रुपये बीघा नहीं मिलता था वहां पानी आने के बाद ढाई सौ, पांच सौ बीघा कीमत प्राप्त हो जाती है। उससे बैटरमेंट लेवी लें तो कहेंगे, यह भी नहीं लेनी चाहिए—यह उचित नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि ये फैक्टर्स हैं इनको आप नेशनल, ग्रेटर, ब्रोडर ऑब्जेक्टिव के पहलू से देखें।

एक सरचार्ज वाली बात रह गई। आज जनता के अन्दर कुछ सेक्शन्स हैं जो इसको बीअर कर सकते हैं, जिनके ऊपर इससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बर्डन नहीं आने वाला है। लेकिन जिसके सामने ऐसी पोजीशन पैदा हो जाय कि दिक्कत हो जाय-उस सेक्शन के बारे में सोचें। हम मानते हैं कि इसके द्वारा आखिर जो इन्कम होती है वह इन्कम का पैसा देश के विकास में लगता है। यह होते हुए भी इस तरफ बैठनेवाले और उस तरफ बैठनेवाले माननीय सदस्यों का सरचार्ज के बारे में काफी प्रेशर है और उसके बारे में काफी लोगों की बातें हमारे सामने आती हैं तो ज्यादा से ज्यादा रिलिफ इसके अन्दर दिया है। मैं माननीय सदस्यों से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो यहां अमेंडिंग शक्ल में इस चीज को प्रस्तुत किया गया है उसे आप सब स्वीकार करेंगे, जिससे यह कानून जल्दी से जल्दी अमल के अन्दर लाने के लिए आदेश जारी किये जा सकें और कार्यवाही पूरी हो सके। इतना ही निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) उपाध्यक्ष महोदय, पांच मिनट और हैं, एक स्पष्टीकरण कराना चाहता हूं। मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि नॉन-पोलिटिकल आधार पर विचार करके सुझाव देने चाहिए। मैं मुख्य मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि आपने कब राज्य की विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के नेताओं या विशेष व्यक्तियों को या हाउस के चुने हुए सदस्यों को बुला कर स्टेट की फूड प्रोब्लम और फूड पॉलिसी के बारे में विचार किया है ?

राज्य की खाद्यान्न समस्या को हल करने के लिए, किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम मिले और व्यापारियों का व्यापार खत्म नहीं हो और उपभोक्ता को उचित दाम पर खाद्यान्न मिल सकें, इसके लिए कब आपने बुलाया और कब उन्होंने इन्कार किया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): मैं समझता हूं, भाव तय करने की बात और खाद्यान्नों को खरीद करनेवाली बात रिसेंट डवेलपमेंट है, जिसके अन्दर फैसला करने का सवाल सामने आया है। उसके बाद जब सदन में चर्चा आई उसके बारे में मैंने आपके सामने निवेदन किया है। वैसे हम स्वागत करेंगे, इसके बारे में दूसरे सदस्यगण इसे नॉन-पोलिटिकल तरीके से देखें। हम आज भी ओपन हैं और हम उसका स्वागत करेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हमारा आश्वासन है कि इस सम्बन्ध में पोलिटिकल दृष्टिकोण से न सोच कर राज्य की खाद्यान्न के दृष्टिकोण से, राज्य के सम्पूर्ण विकास के दृष्टिकोण से सहयोग देने को हम तैयार हैं, बशर्त कि आप हमारे सुझाव लें और आप चाहें तो परसों से पहले कल इस हाउस के चुने हुए लोग, जो राय दे सकते हैं, को बुलायें और विचार कर लें ताकि परसों कन्स्ट्रक्टिव तरीके की डिबेट हो और उसमें अननेसेसरी चीजें कर्टेल हो जायं। सरकार भी इसमें अपनी हठधर्मी छोड़े, सरकार भी प्रेक्टिकल और व्यावहारिक दृष्टिकोण को लेकर विचार करे। कल आप बुलायें, हमारी तरफ से आश्वासन है कि हम नोन-पोलिटिकल तरीके से इस पर विचार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्तुत बिल को जनमत जानने के लिए प्रसारित करने के लिए संशोधन आये हैं उन्हें स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गये

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : सिलेक्ट कमेटी वाला मैं विथड्रा करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : That is all right. प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्तुत बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए आये हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गये।

प्रश्न यह है कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू सरचार्ज (अमेंडमेंट) बिल, १९६४ विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(विराम)

समय समाप्त होने जा रहा है, क्या सदन की मन्शा है कि जब तक यह पारित हो........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : पारित कर दिया जाय। समय बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : आधा घण्टा लगेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं, नहीं।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : किसमें आधा घण्टा लगेगा?

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) विथड्रा कर लेता हूं, लेकिन इतना ही अर्ज है, उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट मोशन!

पारित....

श्री अब्दुल जब्बार : इतना ही अर्ज कर दूं, मंत्री महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज २।

Page No. 132

(श्री उपाध्यक्ष)

[इस खण्ड पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए:—

श्री परसराम मदेरणा (उपमंत्री, आबकारी एवं कर) :

In part (a), for the expression "item (a)" substitute the expression "items (a) and (b)".

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत):—

(i) In part (c) the following proviso be added after the newly proposed proviso :—

"Provided also that no surcharge shall be leviable on any instalment of land Revenue payable for the year for which whole or any portion thereof has been suspended under section 126 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955."

(ii) In part (d), proposed sub-section (2) be replaced by the following :—

"(2) Where a holding is held by more tenants than one and their names are recorded in the assessment purchase issued during the course of settlement or in the record of rights after the distribution of purcha lagan due to the transfer according to the provisions under chapter iv of Rajasthan Tenancy Act, 1955 though no actual physical partition has taken place, the amount of land revenue payable by each such co-tenant, or the area of his share of the holding, in proportion to this share in the holding shall, not-withstanding any thing contained in sub-section (1) be taken into consideration for the purposes thereof."

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर), व
श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेडा) :

Clause 2 (Part (d)

In new subsection (2) sought to be inserted in section 3 of the Rajasthan Act 16 of 1960 between the words "during the course of settlement" and "though no actual physical partition has taken place", insert the words "or even if not recorded in assessment parchas but there have been actual physical partitions of holdings and co-tenants are entitled according to law for such partitions."]

श्री परसराम मदेरणा (उप--मंत्री) : आबकारी एवं कर) उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज में यह क्लेरिकल एर्र रह गई थी। इसलिए मेरा अमेंडमेंट है कि

"In part [a] for the expression 'Item [a] substitute the expression 'Item [a], and [b]'."

श्री उपाध्यक्ष : श्री बालूराम चौधरी ।

(अनुपस्थित)

श्री तेजाराम गहलोत ।

(विराम)

Page No. 133

(श्री उपाध्यक्ष)

आप भाषण देंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : All right.

श्री परसराम मदेरणा : टेबल ए के अन्दर ५० को ७५ से सब्स्टीच्यूट किया गया है इसी तरह ७५ की जगह ५० रह गया है। यह क्लेरीकल एर्र थी। यह अमेंडमेंट मूव किया है। यह फॉर्मल है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बालूराम चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री तेजाराम गहलोत।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज के अन्दर मेरा अमेंडमेंट है और अमेंडमेन्ट यह है कि इस क्लॉज के नीचे दो प्रोवीजो एड करना चाहता हूं। पहला प्रोवीजो इस बात का है कि सरकार जिस जगह अकाल की वजह से, नेचुरल केलेमिटी की वजह से, किसी वजह से, जहां सरकार यह महसूस करती है कि-लैंड रेवेन्यू पे करने की जिन काश्तकारों की हैसियत नहीं है तो सरकार उनकी लैंड रेवेन्यू सस्पेन्ड करती है। जब सरकार लैण्ड रेवेन्यू सरेन्डर करती है तो सरचार्ज नहीं लिया जावे।

दूसरा मेरा कहना है वह यह है कि जब हमने सिद्धान्तः यह मान लिया है कि उन काश्तकारों को या उन होल्डिंग्ज पर जिनकी काश्त पर एक से अधिक का हिस्सा है और सेटलमेंट के पर्चे में दर्ज है उनके होल्डिंग्ज अलग अलग माने जावेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, सेटलमेंट को हुए आज १० या १५ वर्ष का अर्सा हो चुका है और उसके बाद कई तरह के ट्रान्सफर और सक्सेशन हो गये हैं जो लैंड रेकॉर्ड में दर्ज हुए है और पर्चों में उसका जिक्र नहीं आया है इसलिये केवल यह मानना कि जो पर्चों में दर्ज है उसको ही सही माना जावे और ट्रान्सफर हो गये हैं उनको रिकोग्नाइज नहीं करें तो यह कोई न्याय की दृष्टि से ठीक नहीं होगा क्योंकि हम मानते हैं कि अगर सेपरेट एसेस करें तो इसको क्लेरिफाई नहीं करना एक तरह से काश्तकारों के लिये हार्डशिप पैदा करना होगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इसको स्पष्ट कर दें कि वही सिद्धान्त उन काश्तकारों पर भी लागू होगा जो सेटलमेंट होने के बाद में इस तरह के ट्रान्सफर आदि हुए हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : I have allowed all the amendments to be moved.

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी इस पर अपना एमेंडमेंट रखा है। वह यह है कि फिजिकल पार्टिशन हो चुका है और पर्चों में वह दर्ज नहीं हुआ है और अदालतों से जिसका फैसला हो चुका है तो उनको कानूनी अधिकार होना चाहिये। जिनके फैसले अदालतों से हो चुके हैं उनका पर्चों में दर्ज नहीं होने पर भी

श्री रघुनाथ (बिश्नोई)

कानूनन सेपरेट माना जावे। बहुत से ऐसे मामले हैं जिनका नाम पर्चों में दर्ज नहीं है, क्योंकि सेटलमेंट हुए १५ साल हो चुके हैं। इसलिये इसका स्पष्टीकरण होना बहुत आवश्यक है। अगर इसका स्पष्टीकरण नहीं होगा तो रेवेन्यू ऑथोरिटीज के दिमाग में गलतफहमी रहेगी। इसलिये सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण होना चाहिये कि जो पर्चों में दर्ज नहीं है और बाद में कोई गिफ्ट आदि के जरिये बंटवाड़ा हुआ है तो ऐसे काश्तकारों को भी इससे रिलीफ मिल सके।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज २ पर मेरा संशोधन है, वह इस प्रकार है कि अभी तक किसानों की जमीन का बंटवाडा होकर डॉकुमेंट रजिस्टर्ड होकर डिपार्टमेंट में चले जाते हैं और उनका इन्दराज पर्चों में दर्ज नहीं होता। इसलिये सरकार को चाहिये कि एक सरक्यूलर निकाल कर इन बातों के लिये बाध्य किया जावे कि वे इस प्रकार जिनका बंटवाड़ा हो गया है और उनसे सरचार्ज वसूल किया गया है उसको फौरन वापिस करे, क्योंकि उनके साथ ज्यादती हुई है। इन शब्दों के साथ मैं अपना एमेंडमेंट पढ़ देता हूं।

"In new subsection (2) sought to be inserted in sec. 3 of the Rajasthan Act 16 of 1960 between the words 'during the course of settlement' and 'though no actual physical partition has taken place', insert the words 'or even if not recorded in assessment parchs but there have been actual physical partitions of holdings and co-tenants are entitled according to law for such partitions."

तो ऐसी सूरत में कानून के दायरे में जो बंटवाडा हुआ है उसको मान लिया जाना चाहिये। सेटलमेंट हुए कई साल हो गये हैं। होता यह है कि कोई घर में बुजुर्ग होता है। वह यह नहीं चाहता कि उसका दखल घर में नहीं रहे और वह यह भी चाहता है कि उसके लड़के-लड़की अलग रहें। बड़ा बुजुर्ग होता है वह सारी सम्पत्ति का अधिकारी रहता है लेकिन फिर भी वह उनका बंटवाडा नहीं करता है और वह सारी जमीन हेड ऑफ दी फेमिली के नाम से दर्ज होती है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि उसको कम से कम सरचार्ज के लिये माफ किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, आबकारी एवं कर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज २ पर कुछ संशोधन मूव किये गये हैं। एक तो यह कि जब सस्पेन्शन और रेमिशन हो जावे तो उस पर सरचार्ज नहीं लगना चाहिये। उनका मतलब यह है कि जिस साल में बीघोड़ी सस्पेन्ड हो उस साल सरचार्ज नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वह सस्पेन्ड हो जाती है या रेमिशन हो जावे तो भी वह नहीं लगनी चाहिये। मेरा यह निवेदन है जब रेमिशन हो जाता है तो सरचार्ज डिमान्ड पर होता है और जब डिमान्ड नहीं ली जावेगी तो सर-

(श्री परसराम मदेरणा)

चार्ज के लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसी तरह से जहां तक सस्पेन्शन का प्रश्न है, लैंड रेवेन्यू जब सस्पेन्ड हो जाती है तो उस पर भी सरचार्ज का प्रश्न नहीं रहता। इसलिये माननीय सदस्य के संशोधन को मानने को मैं तैयार नहीं हूं।

दूसरा यह है कि जो प्रोविजो वे जोड़ना चाहते हैं उसका मतलब यह है कि जिनके नाम पर्चों में नहीं हैं लेकिन बाद में टीनेन्सी-एक्ट के चैप्टर ४ के नीचे ट्रान्सफर, गिफ्ट वगैरा कर दिये हैं और रेकॉर्ड ऑफ रजिस्ट्रेशन हो गये हैं तब भी उसको सरचार्ज अलग अलग वसूल किया जाना चाहिये। मेरा यह निवेदन है कि यह डेट दो सेटलमेंट के बीच में होती है जो उसमें डिविजन कर लेते हैं तो उस तरह की तरमीम रेकार्ड पर हो जावे। ट्रान्सफर या गिफ्ट की बात तो कोई भी सरचार्ज से बचने के लिये करा सकता है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य खुद समझ गये होंगे कि इस तरह से सरचार्ज से बचने के अन्दर उनको छूट दे दी गई तो कोई भी व्यक्ति ट्रान्सफर या गिफ्ट कर देगा and there will be no end to it.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ट्रान्सफर वगैरह....

श्री परसराम मदेरणा : आपका दूसरा मैटर है। इसलिये मैं आपके एमेंडमेंट को मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

अब जो सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने बात कही, उन्होंने अमेंडमेंट तो दूसरा ही दिया था बीच में बात दूसरी उठाई, हालांकि उनका कोई अमेंडमेंट नहीं है फॉरमल लेकिन फिर भी उन्होंने कहा इसलिये मैं अर्ज कर दूं कि सूट्स के जरिये अगर डिफाइन्ड हो गया है तो निश्चित रूप से डिविजन होगा, इसमें दो राय नहीं है। क्लॉज ५३ का हवाला दिया है उसमें यह है कि जिनके शेयर्स डिफाइन्ड हैं तो उनके शेयर्स वैसे डिफाइन्ड माने जायेंगे, पर्चा एक है तो भी। ३५ में है कि कोर्ट से फैसला होने के बाद जब तक सेटलमेंट के रेकॉर्ड में फैसले के आधार पर करेक्शन नहीं करा लेते तब तक एक पर्चा है। शेयर्स पर्चे में डिफाइन्ड नहीं हैं तो वह एक ही माना जायगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : On a Point of clarification, Sir, कोर्ट का फैसला हो गया पर जब तक नया सेटलमेंट नहीं होगा तब तक रेकॉर्ड में चैंज नहीं हो सकती। उस हालत में जब कि रेवेन्यू बोर्ड का फैसला हो चुका है तो भी दुबारा सेटलमेंट होगा तभी कोर्ट का फैसला सेटलमेंट के रेकॉर्ड में दर्ज होगा। तो उस हालत में क्या होगा, यह स्पष्टीकरण कर दें।

श्री परसराम मदेरणा : कानूनी पोजीशन मैंने बताई। रेवेन्यू बोर्ड के फैसले की लाइट में एग्जामिन करा कर मैं एग्जीक्यूटिव इन्स्ट्रक्शन्स दिला दूंगा। वैसे आपका अमेंडमेंट बड़ा अजीब है। निम्बाहेड़ा और सांचोर से आने वाले माननीय सदस्यों का दोनों का एक था। आपका मतलब है कि शेयर डिफाइन्ड नहीं। पर्चे में हैड ऑफ दी फेमिली के नाम

(श्री परसराम मदेरणा)

दर्ज हैं, और उन्होंने अन्दर ही अन्दर एग्रीमेंट कर लिया है, अपने आपसी एग्रीमेंट से अलग हो गये हैं तो उस हालत में भी शेयर्स को डिफाइड मान लेना चाहिये। मैं कहता हूँ कि अगर इसको आधार मान लिया गया तो सरचार्ज से जो फाइनेन्सेज कलेक्ट करने की गवर्नमेंट सोच रही है, अभी मुख्य मन्त्रीजी कह रहे थे कि डवेलपमेंट के कामों को आगे बढ़ाने के लिये हमारी आमदनी और बढ़े, यह आवश्यक है, तो यह सब अरमान इससे धूल में मिल जायेंगे। रेकॉर्ड से सम्बन्ध नहीं, फेमिली अरेंजमेंट से, एग्रीमेंट से सम्बन्ध है, इसको अगर मान लिया जाय तो हर शख्स इस तरह के एग्रीमेंट की आड़ में बच जायगा, फेमिली अरेंजमेंट की कोई लीगल स्टेटस नहीं, फेमिली अरेंजमेंट को लीगल स्टेटस दी जा सके।

श्री अब्दुलजब्बार : इतना तो मान लीजिये, आश्वासन दे दीजिये कि एक बाप के ४ लड़के हैं उस हालत में क्या करेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : मेरे पिताजी के ४ लड़के हैं, ३ मेजर और एक माइनर। पिताजी के नाम खेती है तो सरचार्ज देना पड़ेगा। मैं मेरी खुद की बात करता हूं। सेटलमेंट के समय में पिताजी ने अकेले अपने नाम से करवाया है। सेटलमेंट हुआ उस समय उनके लड़के मेजर थे तो जानबूझ कर ओल्ड आदमियों ने अपने नाम पर ही करवाया। उस समय सोचा कि उनके लड़के कहने में नहीं रहेंगे, अगर अलग अलग शेयर में दर्ज करा दिया तो। अब सरचार्ज से बचने के लिये इस तरह की बात क्यों की जाय ? इस तरह की बात को मान लिया जाय तो इतना फ्रेगमेंटेशन हो जायगा कि किसी तरह फाइनेन्सेज नहीं आयेंगे। जहां इससे हम यह मान कर चलते हैं कि ८, १० लाख रूपया इससे मिलेगा, आपकी बात का एश्योरेंस दे दिया जाय तो ५० हजार की भी आमदनी सरकार को इससे होनेवाली नहीं है।

श्री तेजाराम गहलोत : On a Point of clarification, Sir,

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अमेंडमेंट का रिप्लाई दे दिया है, उनको फिर क्लेरीफिकेशन का अधिकार नहीं है।

श्री दलपतसिंह (आबू) : उस बूढ़े बाप को क्या पता था कि राजस्थान की सरकार आगे जाकर सरचार्ज लगायेगी।

श्री परसराम मदेरणा : म्यूटेशन को वैधानिक तरीकों से वेलिड कराना पड़ेगा।

श्री तेजाराम गहलोत : मन्त्री महोदय ने कहा कि सेटलमेंट में डिफाइन्ड शेयर्स हैं उनको एग्जेम्प्ट करते हैं, पर मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि एक आदमी के चार लड़के हैं, पर्चे में उनके बाप के नाम ही सारी जमीन दर्ज है पर वह आदमी मर गया तो आप नोटिस जो मर गया है उसके नाम तो नहीं देंगे, उसके लड़कों के नाम पर ही देंगे। जब उन लड़कों के नाम नोटिस देंगे तो आपको मानना पड़ेगा कि उनके अलग शेयर्स हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : मन्त्री महोदय ने स्पष्टीकरण किया है उसके आधार पर मैं अपना अमेंडमेंट वापिस लेता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : अमेंडमेंट का प्रश्न नहीं है। डिविजन हो जाता है तो यह कवर हो जायगा। डिविजन नहीं होता है और पर्चे में शेयर्स दर्ज नहीं हैं, रेवेन्यू बोर्ड के डिसिजन का मुझे पता नहीं था मैं इसे एग्जामिन कर लूंगा। डिविजन करवा लेते हैं तो सरचार्ज के लिये अलग अलग शेयर्स समझे जायेंगे।

श्री तेजाराम गहलोत : जो आदमी मर चुका है, जिसका नाम पर्चे में दर्ज है तो चूंकि उसके लड़के काबिज हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है, अलग अलग शेयर्स माने जायेंगे या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : Are you explaining ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : कोर्ट का फैसला हो गया है तो वह सेटलमेंट के रेकॉर्ड में तो दर्ज हो जायगा पर पर्चे में एन्ट्री नहीं होगी। इसलिये उसके बारे में इन्स्ट्रक्शन्स जारी कर दें। मैं अपना अमेंडमेंट विथ्ड्रा करने की इजाजत चाहता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : फादर की डैथ हो गई, जहां तक पर्चे में उसी का नाम है तो शेयर्स के मामले में डिफाइन्ड नहीं है, इसलिये अलग अलग शेयर्स नहीं माने जायेंगे, एक ही पर्चा समझा जायगा।

श्री तेजाराम गहलोत : रेकॉर्ड ऑफ राइट्स में म्युटेशन हो चुका है, रेकॉर्ड ऑफ शेयर दर्ज हैं और सेटलमेंट में रेकॉर्ड ऑफ राइट्स को आधार माना है, टिनेन्सी एक्ट में रेकॉर्ड ऑफ राइट्स रिकोग्नाइज्ड हैं, उसके बारे में आप क्या कहते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : हमने सेटलमेंट के पर्चे को आधार माना है, दूसरों को नहीं माना है, इसलिये कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिये। पर्चे के अन्दर जिनकी तरमीम हो जायगी, डिविजन करवा लेंगे। फादर की डैथ हो गई डिविजन करवा लेने के बाद अलग अलग होंगे।

श्री तेजाराम गहलोत : पर्चे में डिविजन नहीं होता है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन उप-मंत्री ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

Do you want to withdraw.?

श्री तेजाराम गहलोत : जो स्पष्टीकरण उप-मंत्री महोदय ने दिया है उससे मुझे कतई संतोष नहीं है। यह मेरे अमेंडमेंट के मुताबिक नहीं है, फिर भी मैं निवेदन करूंगा कि इस के लिये वे सोचें, विचारें। मैं अपना अमेंडमेंट इसी प्रोटेस्ट के साथ विथ्ड्रा करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Do you withdraw ?

श्री तेजाराम गहलोत : Yes Sir, I withdraw.

श्री उपाध्यक्ष : Do you also withdraw ?

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : No, Sir, I don' t withdraw.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री अब्दुलजब्बार ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(मत-दान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता ।

श्री अब्दुलजब्बार : 'हां' पक्ष जीता ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं दुबारा प्रश्न पूछता हूं । प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री अब्दुलजब्बार ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि धारा १, एनेक्टिंग फॉर्मूला, प्रिएम्बल, टाइटल इत्यादि विधेयक के अंग बने ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १, टाइटल, प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जो क्लॉज़ २ स्वीकार किया गया वह मूलतः जिस प्रकार से इस बिल में है वह ही स्वीकार कर लिया है ?

श्री उपाध्यक्ष : यथासंशोधित ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह तो प्रस्ताव नहीं था ।

श्री उपाध्यक्ष : वह तो इम्प्लाइड है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : संशोधित क्लॉज़ पेश करना पड़ेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : Well, that's al right, I can put it again if you so like.

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ यथासंशोधित विधेयक का अंग बने ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह नहीं हो सकता । दो बार वोटिंग नहीं हो सकता ।

श्री उपाध्यक्ष : Please move your motion.

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू सरचार्ज (अमेंडमेंट) बिल, १९६४ को पारित किया जाय ।

श्री नाथूलाल करोल (चाकसू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लैंड रेवेन्यू (सरचार्ज) (अमेंडमेंट) बिल, १९६४ जिसे पारित करने का प्रस्ताव सदन के अंदर माननीय मंत्री महोदय ने रखा है मैं उसका शख्त विरोध करता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय उपमंत्रीजी ने जो क्लॉज २ के अंदर बहुत थोड़ा संशोधन किया है उससे यह सदन बिल्कुल असंतुष्ट है और जो सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन रखा था, मैं उसका समर्थन करता हूं। एक बाप के चार बेटे हैं। एक माइनर है और तीन मेजर हैं उनमें पार्टीशन नहीं हुआ। चारों के हिस्से बराबर मानकर आप को सरचार्ज नहीं लेना चाहिए। और जो एक बात रखी गई है कि ७५ के ऊपर सरचार्ज वसूल होगा लास्ट टाइम से ५० के ऊपर से वसूल हो रहा है, अब ७५ कर दिया, है इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन पूरा हार्दिक धन्यवाद नहीं देता। एक खाते के अंदर जो सेटलमेंट ने हिस्से कर रखे हैं तो अलग अलग खाता माना जावेगा एक बाप के चार बेटे हों, तीन मेजर हों और एक माइनर हो तो उनको भी सरचार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि खातेदारी उनके पिता के नाम है।

अगर आप ७५) के बजाय १००) रुपए रखते यानि १०० रुपए तक कोई सरचार्ज वसूल नहीं किया जाय तो मैं मंत्री महोदय और राजस्व मंत्री को और भी धन्यवाद देता। मैं लैंड रेवेन्यू सरचार्ज संशोधन का शख्त विरोध करता हूं। हम ही नहीं सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्य भी शख्त विरोध करते हैं और सरकार को भी इसे मानना चाहिए। जब सर्दी से फसल खत्म हो गई और रबी की फसल पाले से खत्म हो गई तो ऐसे काश्तकारों को कुछ न कुछ राहत पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। आज काश्तकारों की क्या हालत है। एक काश्तकार होने के नाते मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरचार्ज में इस साल छूट देनी चाहिए थी। इस साल तो जरूर ही छूट देनी चाहिए। काश्तकार की बहुत बुरी हालत है। खाद्यमंत्री ने जो कल फूडग्रेन के मिनिमम रेट्स घोषित किए उनको देखते हुए मैं उनका शख्त विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : जहां तक इस साल का प्रश्न है............

श्री नाथूलाल करोल : इस साल तो कोई सरचार्ज नहीं लेना चाहिये। काश्तकार की हालत बहुत खराब है और सरचार्ज में अवश्य ज्यादा छूट देनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्षः (श्री परसराम की ओर) Would you like to reply?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आसन द्वारा क्या प्रश्न लाया जा रहा था?

श्री उपाध्यक्ष : कोई प्रश्न नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, आबकारी एवं कर) : माननीय सदस्यों ने दो, तीन बातें उठाई। १९६० में पहली बार जब सरचार्ज आया था और आज जो अमेंडमेंट आया है, पोजीशन वही है। उस वक्त less than ७५ ८० पर सरचार्ज था, आज भी वैसी पोजीशन

है लेकिन उसके साथ साथ आज जो अमेंडमेंड हुआ है उसमें तीन प्रकार की रियायतें दी हैं। एक रियायत है कि जो जमीन ग्राम सभा द्वारा ग्राम दान के सिलसिले में दी जाय उस पर सरचार्ज वसूल नहीं किया जायगा। दूसरी यह कि यदि जोइंट खेती है तो सरचार्ज के पार्पजेज के लिए सेपरेट ट्रीट की जायगी, यह दूसरी रियायत है। मैं समझता हूं कि दो तरह की रियायतें मिलने के बाद जो पिछले साल ५०) रुपए तक था उसको ७५) रुपए तक किया गया है। इससे बहुत किसानों को राहत मिलेगी और ७५) रुपए का लगान देने वाला या रेवेन्यू देने वाले किसान की भी ऐसी हालत है और माननीय सदस्य भी जानते हैं कि वह सरचार्ज दे सकते हैं। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि यह जो अमेंडमेंट लाया जा रहा है वह किसानों के साथ सहानुभूति नहीं है। लेकिन उनकी स्थिति को देखें। इस अमेंडमेंट के जरिए काफी किसानों को राहत मिलेगी।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : जो वसूल कर लिया ?

श्री नाथूलाल करोल : इस बिल को जल्दी से जल्दी अमल में लाया जाय। अप्रेल के बाद में जो रबी की फसल की जो उगाही हो तब ७५) रुपए के ऊपर सरचार्ज लिया जाय।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : वह तो है ही।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू (सरचार्ज) (संशोधन) विधेयक, १९६४ पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

(विराम)

सदन की कार्यवाही कल प्रातः ८ बजे तक स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. २. बजे कल दिनांक १० अप्रेल, १९६४ के म.-पू. ८ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

———

संक्षिप्त-विवरण

(गुरूवार, दिनांक ९ अप्रेल, १९६४)

तारांकित प्रश्नोत्तर के शीर्षक	स्कम्भ
बीकानेर में हाउस टैक्स।	१
एक्सरे की मशीन का उपयोग।	
रूपारेल नदी की नहर।	
मेडिकल कॉलेज की माईक्रोटोम मशीन।	
जंगलात और खेती की जमीन की अदला-बदली।	
कोटा जिले में डकैतियां।	
सेटिलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों का ग्रेड फिक्सेशन।	
ग्राम पारा (केकड़ी) में बांध की केनाल के लिये टेन्डर।	
जोधपुर में बीज हेतु ऋण।	
अकालग्रस्त गांव।	

	स्कम्भ
सोजत में दूकानों और प्याऊ की अवाप्ति।	
नगरपालिकाओं में नियुक्तियां।	
बीकानेर जिप्सम कं० लिमिटेड, जामसर।	
तहसील किशनगढ़ में बिना आज्ञा काश्त।	
पशुओं की चोरी के मामले।	
नदबई नगरपालिका क्षेत्र।	
तस्कर व्यापार।	
ट्राइबल एरिया में सिंचाई कार्यों पर व्यय।	
मावली कस्बे की जल प्रदाय योजना।	

Page No. 142

रामगढ़ (सीकर) के सरकारी डाक्टर की शिकायतें।

अस्थाई नियुक्तियां।

सवाई माधोपुर जिले का भू-गर्भ सर्वेक्षण।

कर्मचारियों को मकान बनाने के वास्ते जमीन देने की योजना।

कमेटियों के लिये गैर-सरकारी सदस्यों का चयन का आधार।

कोटा में गन्ने के बीज की कमी।

तालाब नामी अदवास स्कीम का सर्वे।

जालोर में खाद्य वस्तुओं के भावों में बढ़ोतरी।

भाखरा क्षेत्र के माफीदारों को खातेदारी के हक।

रेल्वे लाइन और माइनर को नजदीकी के कारण गांव में पानी भरना।

नगर विकास मंडल द्वारा किराये पर भूमि।

नोहर में धारा १४४।

गंगापुर कस्बे में विकास की योजना।

नहरों के टूटने से फसलों का नष्ट होना।

मेडिकल कॉलेज के माईक्रोस्कोप की मरम्मत।

चोरबसो बांध (किशनगढ़) सम्बन्धी आश्वासन।

मरीजों से वसूल की गई फीस।

स्थगित प्रश्न

(२७-३-६४) और (३०-३-६४)

मेडिकल रिएम्बर्समेन्ट बिल।

(२-४-६४)

अनधिकृत निर्माण के मामले।

(२-४-६४)

तालाबों के निर्माण के कारण डूब में आई भूमि का मुआवजा।

(३-४-६४)

अकाल राहत कार्य।

(३-४-६४)

जागीरदारों के उत्तराधिकारियों को जागीर।

अतारांकित प्रश्नों के शीर्षक ८३

तिजारा में अदालत।

छोई नाला-तहसील सिकराय।

परमवीर चक्र।

आत्म-हत्याएं।

गोविन्दगढ़, खेड़ली और कठूमर थानों में दर्ज मामले।

सरप्लस कर्मचारी।

गाड़ियों पर वार्षिक खर्च

वल्लभ-नगर तहसील के गांवों में फसलें खराब होना।

बीकानेर जिले में बोरिंग।

चम्बल प्रोजेक्ट एरिया में भूमि की अवाप्ति।

बांधों से बैटरमेंट लेवी की वसूली।

सिंचाई विभाग की योजनाओं पर व्यय।

सादड़ी अस्पताल में चारपाइयों की व्यवस्था।

नगरपालिकाओं में अधिकारियों की नियुक्ति।

बिलाड़ा में शीप शियरिंग सेन्टर्स।

बिलाड़ा मार्केटिंग सहकारी समिति को धान बेचने का आवंटन।

गंगानगर जिले में अपराध।

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि १०७

निम्नांकित विधेयकों पर प्रवर समितियों के प्रतिवेदनों के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया गया :—

(१) राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, १९६४

(२) राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १९६४

४. प्रतिवेदन का उपस्थापन १०८

श्री जुझारसिंह, सभापति, सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति, १९६३-६४, ने समिति के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन किया।

४. उप-मन्त्री द्वारा वक्तव्य १११

श्री निरंजननाथ आचार्य, उप-गृह मन्त्री ने ग्राम भाखरी (दौसा) में दिनांक २५, २६ मार्च, १९६४ को हुई डकैती के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

५. विधायी कार्य—विचारार्थ लिया गया विधेयक

(१) राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, १९६४

उपरोक्त विधेयक पर अग्रेतर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड—११, १२, १४, १५, १८, १९, २१, २४, से २७ एवं खण्ड १—आदि स्वीकार किये गये।

खण्ड १६—अस्वीकार किया गया।

खण्ड—१३, १७, २०, २२ एवं २३ संशोधित रूप में स्वीकार किये गये।

तत्पश्चात् विधेयक संशोधित रूप में पारित भी किया गया।

(२) राजस्थान भू-राजस्व (अधिभार) संशोधन विधेयक, १९६४

श्री परसराम मदेरणा, उप-मन्त्री के इस प्रस्ताव पर कि उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित किये जाने तथा उसे प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने के संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।

१२६ वाद विवाद के पश्चात् संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किये जाकर विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। खण्डशः विचार के पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

शुक्रवार, दिनांक १० अप्रेल, १९६४ की कार्य—सूची

(१) राजस्थान भूमि एवं जल संरक्षण विधेयक, १९६४ (प्रवर समिति को)

(२) राजस्थान उपहार वस्तुएं (व्यापार तथा अवैध कब्जा) विधेयक, १९६४ (विचार-विमर्श एवं पारित)

(३) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९६४ (प्रवर समिति के सुपुर्द)

२११ (४) राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों को परिलाभ) (संशोधन) विधेयक, १९६४ (विचार-विमर्श एवं पारित)

(५) राजस्थान मीन क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, १९६४ (विचार-विमर्श एवं पारित)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६६१ का उत्तर देखिये)

ग्राम द्वारा किशनगढ़ में तालाब रूप सागर के पेटे में काश्तकारों द्वारा काश्त की भूमि व कुल कब्जे काश्त की भूमि का विवरण ।

नं० सं०	काश्तकारान के नाम	पहले से भूमि कब्जे काश्त में है ।	तालाब रुपसागर में सम्वत् २०१३ में काश्त करते हैं ।
१.	श्री दिलसुख व जीवन	३०॥,७२	२६ ३
२.	,, जीवण जाट	७२	७। ४
३.	,, सुरजकरण व भोपी जाट	८२॥	१६ ४
४.	,, लिखमा पुत्र गोलाराम	३४॥१	१६॥।१
५.	,, गोपी, नाथा, धोकल, हरलाल	६६४,३३ ६५,४०	१०॥।१
६.	,, हरलाल जाट	६६,४	२१
७.	,, बोदू व गणेश जाट	३२	२० ४
८.	,, छीतर पुत्र मिश्रीदास साधु	२३।	५
९.	,, काना पुत्र अरजन जाट	३६॥३	६॥४
१०.	,, खीवरा पुत्र बोदू जाट	२७॥४	३॥।
११.	,, जवारा पुत्र शोनाथ जाट	७२।	१८॥४

१	२	३	४
१२.	,, बन्ना पुत्र देवा गूजर	३४॥	५॥२
१३.	,, प्रताप पुत्र आसू ज़ाट	५६	१६।१
१४.	,, भागीरथ पुत्र धामड जाट	७२॥।२	१३॥१
१५.	,, हरनाथ पुत्र ब्रिरदा जाट	६	५।३

परिशिष्ट २

(समयाभाव के कारण प्रश्न समय में न लिए जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

मावली कस्बे की जल-प्रदाय योजना

६६६. **श्री सम्पत्तिलाल बोहरा** (मावली) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि मावली कस्बे की वाटर सप्लाई स्कीम बनाने के लिये अधिशासी अभियन्ता, जल विभाग, उदयपुर को बहुत समय पहिले कहा गया था ?

(२) यदि हां, तो अभी तक स्कीम क्यों नहीं बनाई गई है ?

(३) कब तक स्कीम बनेगी व कब कार्य आरम्भ होगा ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) योजना मंजूर होने पर ही कार्य शुरू किया जा सकता है।

रामगढ़ (सीकर) के सरकारी डाक्टर की शिकायतें

६६७. **श्री श्रवणलाल** (हिण्डौन) : क्या स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि सन् १६६२ में सीकर जिले में रामगढ़ सेठों के सरकारी अस्पताल में जो डाक्टर श्री बलराज थे उनके विरूद्व जनता का उनके दुर्व्यवहार तथा हॉस्पिटल की दवाइयों का मरीजों से पैसा वसूल करने की शिकायतें थी ?

(ख) क्या यह सही है कि इन शिकायतों की जांच की गई है ? यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

(ग) क्या इसी प्रकार की शिकायतें उक्त डाक्टर के विरूद्ध, जिस समय वह खेतड़ी में थे, खेतड़ी की जनता द्वारा की गई थी और जांच करने पर वे सही साबित हुई ? यदि हां, तो इस पर अब तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

उत्तर

(१) जी हां ।

(२) जी हां, डॉक्टर दोषी पाया गया ।

(३) जी हां, डॉक्टर का स्थानान्तरण खेतड़ी से राजगढ़ कर दिया गया था ।

अस्थायी स्थानान्तरण

६६८. **श्री पोहूमल ईसरदास (अजमेर)** : Will the Hon'ble Chief Minister be pleased to state:—

(1) Whether it is a fact that Government servants are appointed in temporary capacity in various departments until the final recruitment by the Rajasthan Public Service Commission ?

(2) If so, whether in the case of candidates so appointed, the maximum-age of entry into Government service is determined on the basis of the rules as in force at the time of their temporary appointment ?

(3) Whether in the new recruitment rules of various services framed subsequently, the rule regarding maximum age has been so changed that a number of temporary employees appointed prior to the promulgation of the new rules have been disqualified and debarred from appearing before the Public Service Commission for recruitment to the very posts which they have been holding for over 3 to 5 years ?

(4) If so, whether the Government realize the immense hardships caused to such temporary Government servants by new circumstances which were non-existent at the time of their entry into Goverment service and which they could never foresee before accepting the temporary appointments ?

(5) What steps Government propose to take to save such temporary employees from being thrown out of employment due to the retrospective application of the new rules ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

सवाई माधोपुर जिले का भू-गर्भ सर्वेक्षण

६६६. श्री बृजेन्द्रपाल (करौली) : Will the Minister for Mines be pleased to state:—

(a) Whether any Geological Survey of Sawai Madhopur District has been made ?

(b) If so, when ? A copy of the report may kindly be placed on the Table of the House.

उत्तर

१. संचालक, खनिज एवं भू-गर्भ विभाग राजस्थान द्वारा सवाई माधोपुर जिले में कोई जियोलॉजिकल सर्वे नहीं कराया गया है अपितु जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इन्डिया ने उक्त जिले में सर्वे कराया था जिसकी रिपोर्ट मेमॉइर ऑफ सर्वे ऑफ इन्डिया (Memoir of Survey of India) अंक ४५ भाग २, १६२२ में प्रकाशित हुई थी।

इस जिले में राज्य के भू-गर्भ संचालनालय और जियोलाजीकल सर्वे ऑफ इन्डिया द्वारा निम्नांकित खनिज पदार्थों के बारे में अनुसन्धान किया गया है:—

(अ) चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र में लीड और का।

(ब) कैला देवी महोली क्षेत्र में लाइम स्टोन का।

(स) कोटा क्षेत्र में बालू मिट्टी का।

(द) टोडा भीम, हिन्डौन और बामनवास क्षेत्रों में खनिज पदार्थों का।

२. क्योंकि खनिज एवं भू-गर्भ संचालनालय द्वारा नहीं कराया गया था, अतः यह प्रश्न नहीं उठता।

कर्मचारियों को मकान बनाने के वास्ते जमीन देने की योजना

१०००. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यही सही है कि राजस्थान सेक्रेटेरियेट के कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए प्लॉट दिये जाने की योजना है ?

(२) क्या ऐसी योजना दूसरे किसी अन्य विभाग के कर्मचारियों के लिये भी है ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

कमेटियों के लिये गैर-सरकारी सदस्यों का चयन का आधार

१००१. **श्री फूलचन्द जैन** (सुजानगढ़) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राज्य सरकार द्वारा गत दो वर्षों में कितनी ऐसी कमेटियों का गठन किया गया है जिनमें सरकारी व गैर-सरकारी सदस्य हैं ?

(२) ऐसी कमेटियों के गठन में राज्य सरकार गैर-सरकारी सदस्यों का चयन साधारणतया किस आधार पर करती है ?

उत्तर

(१) ६१। इकरानवे।

(२) कमेटियों के गैर-सरकारी सदस्यों का चयन साधारणतया सम्बन्धित विषय एवं क्षेत्र की विशेष जानकारी, कमेटी के काम में ठोस सहयोग देने की लगन व क्षमता, सामान्य रूचि व उपयोगिता के आधार पर किया जाता है।

कोटा में गन्ने के बीज की कमी

१००२. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि कोटा में गन्ने की बीज की कमी के कारण काश्तकार परेशान हैं ?

(२) क्या यह सत्य है कि यह समय गन्ने की फसल बोने का है ?

(३) अगर हां, तो सरकार ने बीज के वितरण के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) गन्ने बोने का उपयुक्त समय १५ फरवरी से १५ मार्च तक है। स्थानीय पद्धति के अनुसार कृषक अप्रेल के महीने में गेहूं तथा चने की फसलों को काट कर भी गन्ना रोपण करते हैं।

(३) (क) इच्छुक किसानों को उनकी आवश्यकतानुसार निकटतम क्षेत्रों से विभाग द्वारा बीज उपलब्ध कराया गया है। इस साल लगभग २५०० एकड़ के अतिरिक्त भूमि में इस प्रकार गन्ना बोया गया है। इसके लिए सरकार ने करीब १,७५,०००) रु० की धनराशि स्वीकृत की है।

(ख) जिन किसानों को अप्रेल में गन्ना रोपण करना है उन्होंने अपनी आवश्यकतानुसार गन्ने के बीज का आरारक्षण कर रखा है।

तालाब नामी अदवास स्कीम का सर्वे

१००३. श्री देवीलाल (सराड़ा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या जिला उदयपुर, तहसील सराड़ा, तालाब नामी अदवास स्कीम की सर्वे सम्पूर्ण हो चुकी है ? यदि हां, तो कब ?

(२) क्या इस कार्य को चालू करने के लिये टैक्निकल मंजूरी हो चुकी है ? यदि हां, तो कार्य कब तक चालू कराया जायेगा ?

उत्तर

(१) जी हां, सन् १९६१ के अन्त में।

(२) जी नहीं। तकनीकी स्वीकृति हेतु विचाराधीन है अत: उसके पश्चात उपयुक्त धन राशि उपलब्ध होने पर ही शुरु किया जा सकेगा।

जालोर में खाद्य वस्तुओं के भावों में बढ़ोतरी

१००४. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जिला जालोर में पिछले ६ माह से आवश्यक खाद्य वस्तुओं के भाव बहुत अधिक बढ़ गए हैं? अगर हां, तो पिछले महीनों में भाव किस अनुपात से बढ़े हैं? इतने तेज भाव बढ़ने के क्या क्या कारण हैं?

(२) जिला जालोर में भावों को वापिस घटा कर स्थिर रखने के बारे में सरकार द्वारा क्या क्या प्रयत्न किए गए हैं? सरकार भावों को स्थिर करके साधारण अवस्था में लाने में कब तक समर्थ हो सकेगी?

(३) क्या यह सच है कि जिले में अभी तक सरकारी सस्ते अनाज की दूकानें नहीं खोली जा सकी हैं? अगर हां, तो क्यों? पूरे जिले में सस्ते अनाज की दूकानें कब तक खोल दी जावेंगी और अनाज कब तक उपलब्ध होने लगेगा?

उत्तर

(१) जी हां, यह सही है। यह भाव पिछले ६ माह से ३० प्रतिशत के अनुपात से बढ़े हैं। इसका मुख्य कारण खरीफ की फसल का कमजोर होना है। अन्य जिलों के अनुसार ही इस जिले में भी भाव बढ़ते रहे।

(२) जिला जालोर में भावों को वापिस घटाने के लिये हर तहसील में सरकारी सस्ते अनाज की दूकानें खोलने की योजना माह जनवरी से चालू की गई थी, उसके अनुसार आज तक ४४ दूकानें खोलने की व्यवस्था की गई है। इम्पोर्टेड गेहूं का वितरण समस्त तहसीलों में किया जा रहा है। इस व्यवस्था से भाव पहले से कम हो गये हैं। गेहूं की निकासी पर प्रतिबंध लगाने से भावों में और गिरावट होने की आशा है।

(३) जी नहीं, यह सच नहीं है । जिले में इस समय ४४ सस्ते अनाज की दुकानों पर सरकारी गेहूं बिक रहा है । इनमें से सात दुकानें सरकार की हैं । ज्यों २ अनाज की मांग बढ़ेगी त्यों २ अधिक दुकानें सरकार खुलवायेगी । अब भाव निम्न स्तर पर आ गये हैं और अनाज की बिक्री सिवाय तहसील जालोर व आहोर के अन्य जगह घट गई है । सरकारी गेहूं प्रत्येक तहसील में पर्याप्त मात्रा में पड़ा हुआ है ।

भाखरा क्षेत्र में माफीदारों को खातेदारी के हक

१००५. **श्री हरदत्तसिंह** (नोहर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि भाखरा क्षेत्र के माफीदार काश्तकारों (मसलन् नाई व कोट-वाल) को उनकी पुरानी कब्जे की काश्त की जमीनों पर खातेदारी हक नहीं दिये गये और न वह भूमि उनको अलॉट की गई ?

(२) अगर हां, तो इसका कारण क्या हैं ?

(३) क्या यह सही है कि नोहर व भादरा तहसीलों के भाखरा एरिया के माफीदार सेवादार काश्तकारों से तहसील कोलोनाईजेशन नोहर ने उनकी माफी की भूमियों के सम्बन्ध में फार्म भरवाये हैं ?

(४) अगर हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करेगी और कब तक इस सम्बन्ध में कार्य को पूर्ण कर देगी ।

उत्तर

(१) जी, यह सही है कि मुवाफी काश्तकाराना को भाखरा क्षेत्र में खातेदारी हक नहीं दिये गये, लेकिन यह सही नहीं है कि जमीनें उनको अलॉट नहीं की गई हैं बल्कि अलॉट करने की कार्यवाही की जा रही है ।

(२) मुताबिक आदेश कोलोनाईजेशन कमिश्नर, बीकानेर नम्बर ७१२५ तारीख ५. ६. ६३ के तहत कार्यवाही की जा रही है ।

(३) जी हां, यह सही है ।

(४) इस सम्बन्ध में कार्यवाही मुताबिक उपरोक्त आदेश कमिश्नर साहब से की जावेगी जो करीब ६ माह में सम्पूर्ण होगी ।

रेल्वे लाइन और माइनर को नजदीकी के कारण गांव में पानी भरना

१००६. कुंवर श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि ग्राम खेड़ा करीब, तहसील दीगोद, जिला कोटा के पास एक साइड में रेल्वे लाइन जी० आई० पी० व दूसरी साइड से भंवरा माईनर आने से दोनों के बीच के खेतों का बरसाती पानी काफी मात्रा में रेल्वे लाइन व नहर के पास जमा हो जाता है जिससे ग्राम में करीब २–३ फिट पानी भरा रहता हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इसके लिए क्या व्यवस्था की है ?

उत्तर

रेल्वे लाईन और माईनर के पास कुछ पानी जमा हो जाता है, उस पानी के निकास के लिए रेल्वे विभाग कार्यवाही कर रहा है।

नगर विकास मंडल द्वारा किराये पर भूमि

१००७. श्री दुर्गालाल बाद्दार (हवामहल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या जयपुर नगर विकास मंडल भूमि किराये पर देता है ? और यदि हां, तो अब तक कहां कहां और कितनी कितनी भूमि किराये पर दी जा चुकी है ?

उत्तर

जी हां। तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नोहर में धारा १४४

१००८ श्री केदारनाथ (नोहर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे :—

क्या नोहर (जिला गंगानगर) में दि० २३-७-६३ को धारा १४४ लागू कर सभाओं और प्रदर्शनों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था ? यदि हां, तो किस कारण से ?

उत्तर

जी हां। श्री चाणक्य प्रसाद, तहसीलदार के विरुद्ध नोहर में सभायें और प्रदर्शन किये जा रहे थे और वहां शान्ति भंग होने का खतरा था इसलिये धारा १४४ जा० फौ० लगाई गई।

गंगापुर कस्बे के विकास की योजना

१००६. **वैद्य श्री गोविन्द सहाय** (गंगापुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) गंगापुर कस्बे के विकास की योजना के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति की कार्यवाही जो सन् १६४५ से चल रही है और इसके सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(२) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में अब तक कार्यवाही नहीं होने के कारण उक्त भूमि पर करीब बारह सौ के मकान बन चुके हैं ?

(३) क्या यह सही है कि उन मकानों को तोड़ने के लिये कलेक्टर सवाई माधोपुर के आदेश हो चुके हैं ?

(४) क्या यह सही है कि दिनांक ३-४-६२ को प्रश्न संख्या ६२ (१६। एम० एल० एम०) के उत्तर में यह आश्वासन दिया गया था कि उक्त भूमि पर किये गये नाजायज कब्जों को हटाने की कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(१) धारा ६ (१) भूमि अवाप्ति अधिनियम के अधीन नोटिस जारी किये जा चुके हैं व धारा १७ (१) के अधीन खाली पड़ी हुई भूमि का कब्जा ले लिया गया है।

(२) काफी मकान बन चुके हैं। वास्तविक संख्या ज्ञात नहीं हो सकी।

(३) जी नहीं।

(४) जी हां।

नहर के टूटने से फसलों का नष्ट होना

१०१०. **श्री हरिप्रसाद शर्मा,** (पाटन) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पाटन तहसील, जिला बूंदी में नहर के टूट जाने के कारण फसलें नष्ट हो गई हैं ?

(२) यदि हां, तो कितना रकबा नहरी बर्बाद हुआ है ?

(३) क्या यह सही है कि नहर के पानी की लीकेज के कारण भी फसलों को भारी नुकसान हुआ है ?

(३) यदि हां, तो किस किस ग्राम में कितने किसानों की कितनी बीघा जमीन व फसलें नष्ट हुई हैं ? तालिका सदन की मेज पर रखें।

(५) क्या यह सही है की जिन किसानों की फसलें नष्ट हुई हैं उन्होंने सर्वे करने व उचित मुआवजा देने की मांग सम्बन्धित अधिकारियों से की है ?

(६) क्या यह सही है कि जिन किसानों की फसलें नष्ट हुई हैं उनसे पिलाई वसूल करने के फार्म जारी किये गये हैं ?

उत्तर

(१) जी हां। जनवरी ६३ में काप्रेज ब्रांच कुछ घंटों के लिए टूटी थी।

(२) लगभग ५ बीघा में फसल को नुकसान हुआ था।

(३) जी नहीं। लीकेज नहीं अपितु सीपेज से साधारण नुकसान हुआ है ?

(४) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(५) जी हां।

(६) जी नहीं।

———

२.

सूची काश्तकारान् जिनकी फसलें रबी १९६२-६३ में नुकसान होने से मुआवजा दिया जाना है तहसील केशवराय पाटन

क्र०सं०	नाम ग्राम	संख्या काश्तकारान्	रकबा फसल नुकसान बीघा—बिस्वा	रकम मुआवजा	विशेष विवरण
१.	हीरापुर	७	१८— २	५४३.००	
२.	आडेला	१	६—१२	२६२.५०	
३.	तुड़ला	३	२१—१६	६५८.५०	
४.	काप्रेन	२	९—६	२७९.००	
५.	चड़ी व पाटन	८	३—१३	१६६.५०	
६.	भाटन	२	११—१८	५५५.००	
७.	गुढ़ली	१	२—५	६७.५०	एक का मुआवजा रु० १७७) चुका दिये गये हैं।
८.	हिंगोनियां	१	१४—१०	४३५.००	
९.	घाट का बराना	१	५—१०	१६५.००	
		२६	९५—१८	२८७७.००	

मेडिकल कॉलेज के माईक्रॉस्कोप की मरम्मत

१०११. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि एस० एम० एस० मेडीकल कॉलेज, जयपुर में डाक्टर टी० पी० भारद्वाज ने ५ माइक्रॉस्कोप १७-१२-६३ को एक मिस्त्री को मरम्मत कराने के लिए भिजवा दी थी ?

(२) क्या यह सही कि है इन माईक्रॉस्कोप्स की मरम्मत कराने के लिये प्रिंसिपल साहब की पूर्व आज्ञा नहीं ली गई ?

(३) क्या यह भी सही है कि इन मशीनों की मरम्मत के लिए कोई टेन्डर न मांग कर एक ऐसे मिस्त्री को दे दी गई जो इस कार्य के लिए क्वालिफाइड भी नहीं है ?

(४) क्या यह सही है कि डाक्टर टी० पी० भारद्वाज द्वारा इन माईक्रॉस्कोप्स को २०-३-६४ तक मंगवाने के लिए कोई चेष्टा नहीं की गई ?

(५) क्या यह सही कि ये माईक्रॉस्कोप्स २४-३-६४ को २५-३-६४ को रिमाइन्डर जाते ही लौटा दिये गये ?

(६) क्या डाक्टर टी० पी० भारद्वाज द्वारा इस प्रकार बिना प्रिंसिपल की पूर्व आज्ञा इन माईक्रॉस्कोप्स को मरम्मत के लिए भेजना, टेन्डर न मांगना तथा उन्हें वापिस मंगाने की चेष्टा न करना, अनुचित था ? यदि हां, तो सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) कोई टेन्डर नहीं मांगा परन्तु जिस मिस्त्री को यह मशीन ठीक कराने को दी वह कॉलेज के ऐसे काम करता रहा है।

(४) यह सही नही है, परन्तु डाक्टर भारद्वाज ने तथा स्टाफ ने जबानी कई बार मिस्त्री को तकाजा किया।

(५) जी हां।

(६) जी हां। इन्क्वायरी की जा रही है।

चोरबसी बांध (किशनगढ़) सम्बन्धी आश्वासन

१०१२. श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि चोरबसी बान्ध, तहसील किशनगढ़ को जल्दी से जल्दी बनाने का दिनांक १६-१०-६२ को सरकार ने आश्वासन दिया था ?

(२) क्या यह सही है कि इस बान्ध का कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) जी हां। सर्वेक्षण के पश्चात यह स्कीम तकनीकी आधार पर बनाना सम्भव नहीं है।

मरीजों से वसूल की गई फीस

१०१३. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि डॉक्टर टी. पी. भारद्वाज, प्रोफेसर ऑफ पैथोलोजी, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर ने ६ मरीजों के Biopsy Examination दिनांक १७-७-६३, २०-७-६३, १४-८-६३, १६-८-६३, २०-८-६३, और ६-१२-६३ को क्रमशः Biopsy Nos. २३७५-६३, २६२६-६३, २७१४-६३, २७५० ६३, २७८२-६३ और ३६६५-६३ को किया था ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त सब Biopsy Examinations पेमेन्ट पर हुए थे और उनकी फीस इन्हीं तारीखों में १५) रु० प्रति एक्जामिनेशन के हिसाब से मरीजों से वसूल की गई थी ?

(३) क्या यह सही है कि डाक्टर टी. पी. भारद्वाज ने इन एक्जामिनेशन्स के वसूल किये हुए रुपये २५-३-६४ तक जमा नहीं कराये ?

(४) क्या यह सही है कि ऑडिट पार्टी ने २५-३-६४ को यह रकम पकड़ी और उसको जमा न कराये जाने का ऐतराज किया ?

(५) क्या यह सही है कि डाक्टर भारद्वाज ने यह ६ मरीजों की Biopsy एक्जामिनेशन्स की रकम २६-३-६४ को जमा कराई ?

(६) यदि हां, तो डाक्टर भारद्वाज के खिलाफ सरकारी रकम इतने दिन अपने पास रख कर जमा न कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(१) जी हां ।

(२) जी हां । जांच की जा रही है ।

(३) जी हां ।

(४) जी हां ।

(५) जी हां ।

(६) इस मामले में इन्क्वायरी जारी है ।

परिशिष्ट ३

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ३१२ का उत्तर देखिए)

List of personnel of the Raj Bhawan declared surplus under order No. 2595 dated the 26 th April, 1961.

S.No	Posts.	Pay Scale.	Name of incumbents.
1.	Peon.	25-1-40	Shri Kana Ram.
2.	Cleaner.	,,	,, Sawai Singh.
3.	Scavenger.	,,	, Sajjan.
4.	Mate.	40-2-60	,, Narain Singh.
5.	Waiter.	30-1-45	,, Asu Singh. (Since expired)
6.	Farrash.	25-1-40	,, Dalip Singh.
7.	,,	,,	,, Har Govind.
8.	,,	,,	,, Gulabchand.
9.	Masalchi.	,,	,, Abdul Gafoor.
10.	Scavenger.	,,	Shrimati Gulab.
11.	Khalasi.	,,	Shri Gopal.
12.	Chowkidar	,,	,, Ajai Singh.
13.	,,	,,	,, Nanag Ram.

1	2	3	4
14.	Beldar.	25-1-40	Shri Bhonri Lal.
15.	Mistry.	40-2-60	,, Gopal.
16.	Gardener.	30-1-45	,, Subrati.
17.	,,	25-1-40	,, Jahoor.
18.	,,	,,	,, Jai Singh.

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३२२ का उत्तर देखिये)

सूची

१ जनवरी १९५९ से १०–१२–६० तक मार्केटिंग सोसाइटी, बिलौड़ा ने सस्ते धान का व्यापार नहीं किया। दिनांक ११–१२–६० से १५–६–६१ एवं तत्पश्चात् सितम्बर, ६३ में उन्होंने यह कार्य आरम्भ किया। इस समय में उन्हें निम्न धान आवंटित किया गया :—

१) दिनांक ११–१२–६० से १५–६–६१ तक ४११६ क्विन्टल २५ किलो ग्राम धान दिया गया जिसका कुल मूल्य १५७१५०, रू० में होते थे–मार्केटिंग सोसाइटी द्वारा १,६८३६६-५७ जमा कराये हैं।

२) दिनांक १ सितम्बर, १९६३ से ३१–१२–६३ तक उन्हें २५५ टन धान एलॉट हुआ जिसके मूल्य के रूपये ६६५४१ होते हैं, जो उनके द्वारा जमा कराये गये हैं।

———

* शुद्धि–पत्र

(गुरुवार, ६ अप्रेल, १९६४)

स्कम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
३	६	श्री अघ्यक्ष	श्री अध्यक्ष
७	४	श्री मतीप्रभा मिश्रा	श्रीमती प्रभा मिश्रा
८	१३	न लगा	नहीं लगा
,,	१७	श्री मजलिस ख	श्री मजलिस खां
१३	शीर्ष	(श्री बरकतुल्ला खां)	(श्री बरकतुल्ला खां)
१९	अन्तिम से ५	श्री भैरोसिंह	श्री भैरोंसिंह
२३	शीर्ष	(श्री दिनेशराम	(श्री दिनेशराय
,,	अन्तिम से ३	(रायसिहनगर)	(रायसिंहनगर)
२८	३	उप-मंत्री सहायता	उप-मंत्री, अकाल सहायता
४३	१०	चीधरी	चौधरी
,,	अन्तिम से २	स्वायत	स्वायत्त
५२	१	आचार्य	आचार्य
५४	२	श्री मोहनलाल	श्री मोहनलाल
६३	अन्तिम से ५	द्वारा बहिगमन	द्वारा बहिर्गमन
७१	शीर्षक	(श्री सतीशकन्द्र	(श्री सतीशचन्द्र
८१	अन्तिम से ७	मदेरना)	मदेरणा
८२	७ व १५	मदेरना)	मदेरणा
८३	४	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
८५	शीर्ष	(सिंच.ई मंत्री)	(श्री सिंचाई मंत्री)
९१	,,	(कृषि मंत्री)	(श्री कृषि मंत्री)
९७	२	गेहलोत	गहलोत
१००	६	का स्थगित	के स्थगित
१०५	शीर्षक	स्पष्टीकरण	स्पष्टीकरण
१०६	३	उप मंत्री, स्वायत शासन	उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन

स्कम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि
१०७	२१	१९६४ राजस्थान नगरपालिका एवं (संशोधन)	१९६४ एवं नगरपालिका (संशोधन)
११०	१२	हाडा	हांडा
१११,११४	शीर्षक	स्थगन प्रस्तावों विषयक	
११५,११६ व ११७		अथवा स्थगन-प्रस्ताव	शासकीय वक्तव्य
११७	२०	अग्रबाल	अग्रवाल
१२३	शीर्ष	सी भैंरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
,,	अन्तिम से २	श्री मानकचन्द	श्री मानिकचन्द
१२४	,, ,, ४	श्री भैरोसिह	श्री भैरोंसिह
१२५	१ व १०	,,	,,
१२६	अन्तिम से ६ व ५	श्री सम्पति लाल बोहरा (मावली) संशोधन	श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) [संशोधन
१२७	शीर्ष	——	(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)
,,	२२	authori ty."	authority."]
१२९	२	कमी दो	कमी २
,,	२०	रखी है	रखी हैं
१३०	अन्तिम से ३	हुए ।	हुए
१३१	प्रथम	एजेलब्रीकल	एल्जेब्रीकल
१३१	१९	करते है	करते है
१३३	अन्तिम से ३	Section of	section 11 of
१३४	४	thereof	thereof."]
१३६	१२	श्री सम्पतिलाल	श्री सम्पत्तिलाल
,,	२६	ठर्न ओवर	टर्न ओवर
१४१-१४२	शीर्षक	६ अप्रल	६ अप्रेल
१४३	शीर्ष	(श्री सम्पतलाल बोहरा)	(श्री मानिकचन्द सुराणा)
१४६	शीर्षक	संशोधन विधेयज	(संशोधन) विधेयक
१४७	अन्तिम से ३	श्री बालकृण	श्री बालकृष्ण
१४८	६	कुछ विमाग	कुछ विभाग

स्कम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
१४६–१५०	शीर्षक	करारोपपण विधियां-६ अप्रेल, ६४-संशोधन	करारोपण विधियां –६ अप्रेल, ६४--(संशोधन)
१४६	२३	कोइ	कोई
१५०	११	oyer	over
,,	२४	वकील है	वकील हैं
,,	२५	खाला	खाली
,,	२६	बोले ती	बोले तो
१५२	शीर्षक	संशोधन विधेयक	(संशोधन) विधेयक
१५५	१०	wods	words
,,	१५	liy to	lity to
१५६	१३	**श्री सम्पतिलाल**	**श्री सम्पत्तिलाल**
,,	अन्तिम से ५	instaiments	instalments
१५६	२४	dy clause	by clause
,,	२६	nemely	namely
,,	२७	instoent thereof	instalment thereof
१५६-१६०	शीर्ष	६ अप्रेल, ६५	६ अप्रेल, ६४
१६०	७	है।	हैं।
१६०	१०	**वोह्रा**	**वोह्रा**
१६१	२	क्लॉजज	क्लॉज़ेज़
१६२	५	हो जयगी	हो जायगी
१६३	१७	टेक्स जमा	टैक्स जमा
,,	२०	क । सका	करा सकता
,,	अन्तिम	अल्पीस	अपील्स
१६६	अन्तिम से ४	**श्री बालकृष्ण कौल** : आय की	आपकी
१७०	शीर्षक	(संशोधन), विधेयक १६६४	(संशोधन) विधेयक, १६६४
१७२	१६	**श्री सम्पत्तीलाल**	**श्री सम्पत्तिलाल**
१८०	शीर्षक	संशोधन विधेयक,	(संशोधन) विधेयक,
१८२	,,	वधेयक	विधेयक

स्कम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
१६४	१२	सदस्य]	सदस्य :—
२०२	अन्तिम २	**श्री उपाध्यक्ष**	**श्री उपाध्यक्ष**
२०७	१४	श्री सम्पतिलाल बोहरा	श्री सम्पत्तिलाल बोहरा
२१०	अन्तिम से २	श्री सम्पतिलाल बोहरा	,, ,,
२११	६	**(संसोधन)**	**(संशोधन)**
२१२	शीर्षक	अधिभार विधेयक	(अधिभार) विधेयक
२२५ से २७२	शीर्षक	करारोपण विधियां-६ अप्रेल, ६४—(संशोधन) विधेयक, १९६४	राजस्थान भू-राजस्व (अधिभार) -६ अप्रेल, १९६४--(संशोधन) विधेयक, १९६४
२३५	शीर्ष	(थी उमरावसिंह ढाबरिया)	(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)
२३७ व २३९	अन्तिम	अध्यक्ष पीठ के	अध्यक्ष-पीठ के
२४७	शीर्ष	(श्री दलततसिंह)	(श्री दलपतसिंह)
२६७	,,	श्री रघुनाथ (बिश्नोई)	(श्री रघुनाथ बिश्नोई)
२७९	,,	——	(श्री परसराम मदेरणा)
२८१	शीर्षक	संक्षिप्त विवरण-६ अप्रल, ६४-संक्षिप्त विवरण-	——
२८३ से २८८	१ से ऊपर	——	स्कम्भ
२९३	३ के बाद	——	**उत्तर**
२९४	७	**सदस्यों का**	**सदस्यों के**
२९६	५	**विश्नोई**	**बिश्नोई**
२९८	२१	**श्री केदारनाथ** (नोहर) :	**श्री केदारनाथ** (गंगानगर) :
३०७	२	(कृपया तारांकित प्रश्न	(कृपया अतारांकित प्रश्न

* नोट :—विस्तृत शुद्धि-पत्र बाद में पृथक से मुद्रित होगा।